राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का २७वां दिवस [संख्या १९

सोमवार, दिनांक २२ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म०पू० ११.०७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, समाज कल्याण, वित्त, राजस्व पंचायत, देवस्थान, श्रम, आयुर्वेद, अकाल सहायता, वन, आबकारी एवं विकास-विभाग]

प्रश्न संख्या ४३२

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री देवेन्द्रकुमार।

पंचायत समिति सहाड़ा में आदिवासियों को मकान निर्माण के लिए धनराशि

४३३. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) समाज कल्याण विभाग की ओर से पंचायत समिति सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा में कितने आदिवासियों को कितने मकान बनाने के लिए कितने रुपये दिये गये ?

(२) कितने मकानों का निर्माण हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि आदिवासियों को रुपया नहीं दिया गया और उनके नाम पर अंगूठे के झूंठे निशान बना लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी कोई जांच की गई है ?

(४) यदि कोई जांच की गई है तो उससे कितने रुपयों का गबन पाया गया है ?

Page No 2

समाज-कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) समाज कल्याण विभाग की ओर से पंचायत समिति सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा में ५ आदिवासियों को ५ मकान बनाने के लिए ५०० रुपये प्रति मकान की दर से २५७०) रु० दिये गये।

(२) ३ मकानों का निर्माण हो चुका है।

(३) जी नहीं। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : क्या यह सही है कि आपने कागजों में बताया कि मकान बन चुके हैं तो क्या वे पूर्ण हो गये ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास जो खबर आई हैं उसके अनुसार मकानों का निर्माण हो चुकने की बात है। पूर्ण होने में कौन सी बात रह गई, यह मुझे पता नहीं। माननीय सदस्य को बताया गया है कि पंचायत समिति के मार्फत स्ट्रे-हाउस की स्कीम के अन्तर्गत मकानों का निर्माण हुआ है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या आप यह बतायेंगे कि ५००) रु० मकान की सहायता के लिए देते हैं तो कितना बनता है ? क्या पर्सेन्टेज से देते हैं ?

श्री भीखाभाई : मकानों का पुराना मामला है, लेकिन मैं समझता हूं कि बन तो नहीं सकते हैं, यह निश्चित बात है; लेकिन यह अपेक्षा की जाती है कि उन लोगों को देना चाहिए जो कि इस बात के लिए तैयार हो सकते हों। आखिर एक क्षेत्र जैसा कि माननीय सदस्यसहाड़ा से आते हैं वह विधान सभा का क्षेत्र है। उसमें काफी लोग आदिवासी होंगे। उनमें से ५ आदमियों को दिया तो इसका मतलब यह है कि सिलेक्टेड बेसिस पर काम होना चाहिए। उसमें सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। जो आदमी बनाने की इच्छा रखते हैं और जिनके पास है तो योजना में तो थोड़ा बहुत सहायता के रूप में मिलता है।

श्री अध्यक्ष : ५००) रु० को बढ़ाकर ७५०) रु० कर दिये हैं।

श्री भीखाभाई : मैं आपसे कहूं कि ७५०) रु० मकान के लिए वे अलग हैं। यह जो निवेदन किया है वह केवल ६१-६२ में स्ट्रे हाउसेज स्कीम के अन्तर्गत था। दो तरह की योजना है। एक तो कोलोनीज की योजना है उसमें ७५०) रु० मिलता है। एग्जेक्टली मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि जो मेरे पास इन्फर्मेशन है उसमें ५००) रु० एक मकान के लिए दिये जाने के हिसाब से २५००) रु० की बात है। यह ७५० रु० की योजना के अन्तर्गत है या ५००) रु० की योजना के अन्तर्गत है, स्ट्रे हाउसेज स्कीम के अन्तर्गत है, उसमें कोई डिस्टिन्क्शन है या डिस्पेरिटी है, तो यह मैं देखूंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : सरकार ने गये अधिवेशन में यह कहा था कि ७५०) रुपये के बजाय एक हजार रुपये कर रहे हैं और आप वापिस जा रहे हैं; एक हजार के बजाय ५००) कर रहे हैं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि ५००) रुपये दिये जाते हैं या ७५०) रुपये दिये जाते हैं, वे किस श्रेणी के आदिवासियों को दिये जाते हैं और क्या आधार हैं देने का ? एक आदिवासी तो बड़े बड़े किसान होते हैं, फिर भी वे आदिवासी होते है और एक बिल्कुल छोटे छोटे लोग हैं। क्या आप छोटी श्रेणी के लोगों को देते हैं या बड़ी श्रेणी के लोगों को देते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जैसे आदिवासी आप खुद है।

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि हम तो लेते नहीं है। यह फंड पंचायत समितियों को ट्रान्सफर कर दिया है। Panchayats and Panchayat Samitis operate as agent to the State Government. इसलिये यह फण्ड उनको ट्रान्सफर किया है लेकिन अपेक्षा यही की जाती है जो दरअसल में जरूरतमन्द हैं उनको देना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपने इनके लिये नियमों का निर्माण किया है या आप अपनी इच्छा पर देते हैं ?

श्री भीखाभाई : ऐसा दें, ऐसा नहीं दें, ऐसे कोई नियम नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, कोई न कोई मुद्दा होना चाहिये आप दें, एक्सग्रेशिया एड होती है, ग्रान्ट दें लेकिन मकान की कीमत २०००) रुपये हैं तो कम से कम ५० पर्सेन्ट तो अनुदान रखिये और ५० पर्सेन्ट श्रमदान लीजिये। कोई न कोई विधान होना चाहिये, नीति निर्धारण होना चाहिये। ५००) रुपये देना नगण्य है। ५००) रुपये लेकर क्या कोई मकान बनायेगा ? सहायता हो तो सहायता के रूप में होनी चाहिये, नहीं तो नाममात्र देने से क्या होगा ?

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : प्रश्न (३) का उत्तर संतोषप्रद नहीं है।

श्री भीखाभाई : विरोधी दल के नेता ने भी फर्माया और उधर से भी प्रश्न पूछा गया, मैं किसका उत्तर दूं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी जैसी इच्छा हो वैसा दे दीजिये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा -सु.) : क्या यह सही नहीं है कि ६०--६१ में यह निर्णय किया गया था कि ७५०) रुपये से मकान पूरा नहीं हो सकता इसलिये १०००) रुपये कर दिया जाय ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि ७५०) रुपये देने का निर्णय जरूर लिया गया है, लेकिन मुझे याद नहीं कि कौनसी तारीख से लिया गया है। ६०-६१ को तो चार पांच साल हो गये। पहले शुरू में ५००) रुपये देते थे, कुओं के लिये भी इतना ही देते थे बाद में अनुदान की राशि आगे बढ़ाई है। मैं ठीक ढंग से तो कह नहीं सकता; लेकिन दो मकानों के लिये कहा है, उनका जल्दी निर्माण होगा।

Page No 4

प्रश्न संख्या ४३४

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ४३५

श्रीमती नगेन्द्रबाला ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ४३६

श्री उदयलाल वर्दिया ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ४३७

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ४३८

श्री नत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

श्री जुझारसिंह ।

विलीनीकरण के पूर्व की भूतपूर्व कोटा राज्य के देवस्थान विभाग की धनराशि

४३९. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व कोटा राज्य के विलीनिकरण के बाद से देवस्थान विभाग में रावनिधि में रु० ५०४४.४४ पैसे तथा दान-शादी निधि में रु० ३७७१.०० जमा है ?

(२) क्या यह सही है कि वलकृत समिति के सभापति जो इस निधि के वैधिक अभिरक्षक हैं, सरकार से इस राशि को लौटाये जाने की मांग कर रहे हैं ? यदि हां, तो यह निधि वलकृत समिति को अभी तक क्यों नहीं लौटाई गई है ?

उप-मन्त्री, देवस्थान (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) इस सम्बन्ध में रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता कि चेयरमैन वाल्टरकृत कमेटी इस फंड के लिये वैधानिक संरक्षक है या नहीं । चेयरमैन, वलकृत सभा कोटा की ओर से एक पत्र क्रमांक २९१ दिनांक २९-७-६४ कमिश्नर देवस्थान विभाग में प्राप्त हुआ था, इसकी पूर्ण रूप से जांच होने के अनन्तर ही इन फंडों की रकम लौटाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा इसके पूर्व रकम लौटाने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री जुझारसिंह : मर्जर से पहले वाल्टरकृत सभा के सेक्रेटरी और प्रेसिडेन्ट इसको ऑपरेट करते थे और यह रकम स्टेट में डिपोजिट रहती थी । उस वक्त जो व्यवस्था थी वह मर्जर के बाद भी कायम रहनी चाहिये थी, इसमें जानकारी करने का क्या प्रश्न है ?

Page No 5

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह कमेटी सन् ४६-५० में भंग हो गई।

श्री जुझारसिंह : उसके भंग होने के बाद भी फंड स्टेट में आया, उसी तरह के दूसरे फंड थे। दूसरे फंड्स की तरह इसे भी देना चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि जब आपके पास सोर्स है तो जो कमेटी मर्जर के पहले इसको ऑपरेट करती थी वही अब क्यों नहीं करती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निदवेन किया कि देवस्थान कमिश्नर के पास इस आशय का पत्र आया, उसके बाद छानबीन कर रहे हैं। सारे कागजात मिल जाने पर निर्णय होगा उसके अनुसार किया जायगा।

श्री जुझारसिंह : देवस्थान कमिश्नर ने सन् १९६२ में एक पत्र लिखा था उसमें यह भी लिखा था कि यह रकम है वह मेसर्स स्वदेशी कॉटन मिल्स कानपुर को जो ३० लाख रुपयों का ऋण दिया है, उसके साथ इसको भी दे दिया। उसके बाद इस पर जो इन्ट्रेस्ट मिला वे फिगर्स भी दिये थे। उस इन्ट्रेस्ट को केपिटल के साथ मिला कर उसी कॉटन मिल को दुबारा इन्स्टालमेन्ट दिया, उसके साथ दिया; वे इस बात को मंजूर करते हैं इसलिये कोई न कोई इन्सट्रक्शन्स तो थीं और यह फंड था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं कब कह रहा हूं कि इस प्रकार का फंड नहीं था। फंड था और राजस्थान बनने के बाद वह कमेटी भंग हो गई। यह रुपया बैंक में जमा था उसमें से यह बात सही है कि कुछ रुपया स्वदेशी कॉटन मिल्स को ३० लाख की रकम उधार दी गई, उसमें कुछ अमाउन्ट इस फंड का भी था जो ३० लाख में शामिल है। बाकी धन-राशि जो ब्याज से आई होगी, वह बैंक में जमा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): सन् १९४९ के बाद यह सभा भंग हो गई और ३० लाख रुपये स्वदेशी कॉटन मिल्स को दिये गये तो इसको ओपरेट किसने किया, इसको क्यों छिपा रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गवर्नमेन्ट फंड्स थे और वही ओपरेट करती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गवर्नमेन्ट ने जिम्मेदारी किसी पर तो डाली होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ओपरेट करने का अधिकार नहीं होता तो रुपये बैंक से विद्ड्रा कैसे होते ? अभी आपको शायद इसकी जानकारी नहीं है कि किसने बनाई, कितने रुपये इस फंड में थे। इसमें लाखों रुपये नहीं हैं। ७-८ हजार ही हैं।

श्री जुझारसिंह : शादी के टाइम कुछ पर्सेन्टेज बंधा हुआ होता था जो रख लिया करते थे, बच्चों की एज्युकेशन वगैरह के लिये यह रकम खर्च की जाती थी। इसको एक कमेटी ओपरेट करती थी। इसका स्टेट से संबंध नहीं है यह तो वॉलेन्टियरी कांट्रिब्युशन था जिसे लोग दिया करते थे। स्टेट्स के मर्ज होने के बाद राजस्थान गवर्नमेन्ट में यह रकम जमा हो गई। कोटा स्टेट में शादी के समय लोग वॉलेन्टियरी कांट्रिब्युशन दिया करते थे जिसे बाल-बच्चों की पढ़ाई के लिये और अच्छे कामों के लिये

(श्री जुझारसिंह)

खर्च किया जाता था और इसको एक बॉडी ओपरेट करती थी।......

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने कहा है कि जांच करके जो कुछ होगा वह करेंगे।

(विराम)

श्री जयनारायण सालोदिया।

एलॉट की गई भूमि के पट्टे

४४०. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील निवाई द्वारा उन लोगों को पट्टे दिये जा चुके हैं जिनको भूमि एलॉटमेंट कमेटी ने अलॉट की थी ?

(२) क्या यह सच है कि अधिकतर लोगों को दो दो, तीन तीन सालों से न तो पट्टे ही दिये गये हैं और न पटवारियों ने मौके पर जाकर कब्जे ही दिये हैं जिससे गलत कब्जों के कारण किसानों में आपस में लड़ाई-झगड़े व मुकदमे बाजी होती है ?

(३) कितने आदमियों को कब से पट्टे नहीं दिये गये है और क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) आंवटित भूमि के पट्टे वितरण करने संबंधी व्यवस्था २६ सितम्बर, १९६१ के परिपत्र संख्या एफ. ११ : ४७ : राज. ।ख। ६१ के द्वारा लागू हुई है जिसके अनुसार सन् १९६२ व उसके बाद के वर्षों में एलॉटमेंट एडवाइजरी कमेटी द्वारा जिन १६०५ व्यक्तियों को भूमि आवंटित हुई उनमें से ८२५ व्यक्तियों को तो पट्टे दे दिये गये हैं शेष ७८० व्यक्तियों को पट्टे नहीं दिये गये हैं कारण कि इनमें ३१६ व्यक्ति ऐसे हैं जो या तो भूमि से इस्तीफा पेश कर चुके हैं, या उनकी फाइल अपील में चल रही है या वे व्यक्ति भूमि का कब्जा लेना नहीं चाहते हैं। शेष ४६४ को इस कारण पट्टा नहीं मिला है कि उन्होंने निर्धारित शुल्क के ५ रुपये अभी तक जमा नहीं कराये हैं।

(२) पट्टे केवल उनको नहीं दिये गये है जिन्होंने निर्धारित फीस जमा नहीं कराई है। कब्जा सबको दे दिया गया है और सुपुर्दगी नामे लिखा लिये गये हैं और आंवटित भूमि के अलावा अन्य किसी भूमि पर कब्जा होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने जैसा बताया अपने उत्तर में कि सोलह सौ में से आठ सौ को पट्टे दिये गये हैं, क्या गवर्नमेंट इसको सीरियसली नहीं लेती है कि सोलह सौ को भूमि एलॉट हुई तीन चार साल पहले और उनमें से केवल आठ सौ को पट्टे मिले हैं ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : आपने कारण सुने नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बात यह है कि ४६४ आदमी ऐसे हैं, जिन्होंने पांच रुपये जमा नहीं कराये हैं। रूल में अमेंड हो गया है कि पांच रुपये पट्टे की फीस

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

देने के वाद पट्टा मिलेगा। वे पांच रुपये जमा करा दें तो उसी वक्त पट्टा हो जायगा। वैसे जमीन उनके कब्जे में है, इसलिए उनको हानि होने का प्रश्न नहीं है। केवल पट्टा मिलने का है। उसके लिए वह पांच रुपये जमा करा दें। बाकी कुछ की मिसलें अपील में चल रही हैं और कुछ मामलों में लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने जमीन कब्जे में ले ली है लेकिन वह कन्टीन्यू नहीं करना चाहते। तो फिर पट्टा देने का प्रश्न ही कहां है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने जवाब दिया है वह गलत है। वे पांच पांच रुपये लेकर तहसील में बीस मर्तबा गये हैं लेकिन वे जमा नहीं करते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वे कल ही पांच पांच रुपये जमा करा दें तो उनको पट्टा मिल जायगा। इन ४६४ केसेज़ के लिए मैं कह सकता हूं कि इनके बारे में मुझे सूचना दी गई है कि पट्टे की फीस जमा न होने के कारण इन्हें पट्टा नहीं दिया गया। इसकी वह फीस जमा करा दें तो उसी वक्त पट्टा इजरा कर दिया जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं आपको कह रहा हूं कि तहसील में रोज रुपये लेकर फिरते हैं लेकिन रुपया जमा नहीं होता है और उनको पट्टा नहीं दिया जाता है। आप बताइये वहां जमा करा देंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं नहीं समझ पाता; हमारी आमदनी पांच रुपये से होती है और उसको जमीन दे दी फिर हम क्यों नहीं पट्टे की फीस ले कर पट्टा दें? इसमें सरकार की आय का प्रश्न है। अगर तहसील में जमा नहीं होता तो आप कलेक्टर को कहिये। जो लोग रुपया जमा कराना चाहते हैं और वे नहीं कहते हैं तो हमें कहिये, हमें फहरिश्त दीजिये, हम उसके लिए आदेश देंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : फहरिश्त क्या, फहरिश्त तो आपके पास है। मैं जो कहता हूं वह पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वह आज रुपया लेकर तहसील में जाते हैं·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य खुद उन्हें साथ लेकर जायं, देखें वे कैसे मना करते हैं?

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं खुद लेकर जाता हूं। मैंने कलेक्टर से बातें की हैं लेकिन एलॉटशुदा जमीन का न पट्टा दिया गया है और न उनका कब्जा दिया जाता है। यह भी गलत बात है कि उनको कब्जा दिया जाता है। एक नम्बर का दूसरे नम्बर को कब्जा दे दिया है, दूसरे नम्बर का किसी तीसरे नम्बर को दिया है। उनमें आपस में झगड़े होते हैं वे कहते हैं, यह मुझे एलॉट हुई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो इस प्रकार के झगड़े हैं उनके बारे में मैंने अलग से निवेदन किया है कि उनके झगड़े अपील में चल

Page No 8

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रहे हैं । इसलिए जब तक कोर्ट उनके झगड़ों को डिसाइड न कर दे तब तक किसी का हक कायम नहीं होता है । एलॉटी का हक रहता है और उसी को हुक्म के मुताबिक पट्टा दे दिया जायगा । लेकिन जब तक कोर्ट में डिसाइड न हो जाय तब तक नहीं दे सकते ।

श्री जयनारायण सालोदिया : अपील में दस-बीस मामले होंगे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं, चालीस-पचास हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

अस्थायी सहायक नियोजन अधिकारियों की नियुक्तियां

४४१. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि कुछ अस्थाई सहायक नियोजन अधिकारियों को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अयोग्य घोषित करने पर उनको पद से हटा दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो कितने अधिकारियों को व कब हटाया गया ? उनके नामों की तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुने गये उम्मीदवारों को एवं राजस्थान एम्प्लॉयमेंट सर्विस रूल्स की धारा २६ । (ए) के तहत योग्य विभागीय कर्मचारियों को छोड़ कर उपरोक्त हटाये गये व्यक्तियों को पुनः लगा दिया गया है; यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें पुनः लगाने का इरादा रखती है ? यदि रखती है, तो क्यों ?

श्रम मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां ।

(२) निम्नांकित अधिकारियों को उनके नामों के आगे दी हुई तारीख से हटाया गया ।

१. श्री जे. पी. गुप्ता २१-१-६४
२. श्री लक्ष्मणस्वरूप २१-१-६४
३. श्रीमती विमला माथुर २१-१-६४

(३) हटाये गये उपरोक्त व्यक्तियों में से निम्नलिखित दो व्यक्तियों को उनके नामों के सामने दी हुई तारीख से पुनः लगाया गया ।

१. श्री जे. पी. गुप्ता १७-३-६४
२. श्री लक्ष्मणस्वरूप १७-३-६४

किन्तु उन्हें फिर हटा दिया गया और लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये हुए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को दस-बारह दिन चार्ज लिये जाने का आदेश दे दिया गया है और अन्य को लिये जाने के आदेश जेर-पेंडिंग हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जिन व्यक्तियों को हटाया था उनको वापिस नौकरी पर रखने का क्या कारण है ?

Page No 9

श्री भीखाभाई : इसलिए कि यह लीव वेकेंसी थी और एक व्यक्ति के डेपूटेशन पर जाने के कारण वेकेंसी थी। इन लोगों को एक्सपीरियेन्स था और इन्होंने चार, साढ़े चार साल की सर्विस भी की थी, इसलिए उनको फोर दी टाइम बीइंग लगा दिया गया क्योंकि जब तक पर्मानेंट वेकेन्सी नहीं होती है तब तक सिलेक्टेड पर्सन्स को लगाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि जितनी पोस्ट्स वेकेन्ट थीं उनको फिल–अप करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं लिखा गया ?

श्री भीखाभाई : इसके बारे में आपको पता नहीं है। प्रश्न का मतलब यह नहीं है। माननीय सदस्य को पता है, आपको नहीं। उनका ऑब्जेक्शन है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेक्टेड व्यक्तियों को क्यों नहीं लगाया। आप दूसरी बात कह रहे हैं। आपका कहना गलत है। यह सवाल के कॉन्ट्राडिक्टरी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सवाल क्या है, क्या नहीं है, यह मुझे पता है। जिन व्यक्तियों को आपने अयोग्य घोषित किया उन्हीं को अपने लगा दिया। तो मैंने प्रश्न रखा कि आपकी यह वेकेंसी थी, क्योंकि वह जगह खाली थी इस मजबूरी के कारण रिजेक्टेड व्यक्तियों को रखा, तो क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को कभी आपने नहीं लिखा कि हमारे यहां इतनी वेकेन्सीज है ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि माननीय सदस्य का सवाल यह है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य···

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करूंगा कि जो सिलेक्टेड केन्डीडेट···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि जिन पोस्ट्स पर उनको अपोइन्ट किया; क्या उनको फिल-अप करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा ?

श्री भीखाभाई : जरूरत नहीं थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपकी दलील यह है कि जब अयोग्य घोषित करने के कारण उनको हटा दिया गया और आपकी पोस्ट वेकेन्ट थी और आदमी नहीं मिल रहे थे तो इन अयोग्य आदमियों को रख लिया और वेकेन्सी को उसका कारण बताते हैं तो आप यह बतायें कि पब्लिक सर्विस कमीशन को आपने यह लिखा या नहीं कि इनको फिल-अप किया जाय। यह प्रश्न स्पष्ट है।

श्री भीखाभाई : प्रश्न स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह नहीं है। माननीय सदस्य की स्प्रिट यह है कि सिलेक्टेड केन्डीडेट्स थे इनको क्यों नहीं रखा जब कि यह सवाल पूछ रहे हैं···

श्री कृष्णकुमार गोयल : जवाब को अवोइड किया जा रहा है।

श्री भीखाभाई : इसमें दो–तीन चीजें हैं, आपको मालूम नहीं हैं।

Page No 10

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपको (श्री कृष्णकुमार गोयल से) मालूम है और आपको (श्री भीखाभाई से) मालूम नहीं है । दोनों कह रहे हैं कि मालूम नहीं है ।

श्री भीखाभाई : मुझे इसमें जो मालूम है वह मैं अर्ज कर रहा हूं । शोर्ट टर्म एडवर्टाइज़मेंट करके जिन लोगों को रखा था उनके लिए कहा कि इन लोगों को चार, साढ़े चार साल का एक्सपीरियेन्स है, इन लोगों को...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह जो आप एडवोकेट कर रहे हैं इसे आप अलग रखिये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न अयोग्यता का नहीं है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : पब्लिक सर्विस कमीशन ने अयोग्य घोषित किया है । मंत्री महोदय ने नहीं किया है ।

श्री भीखाभाई : लीव वैकेंसी को पूर्ण करने के लिए, अध्यक्ष महोदय, रखते हैं, एक आदमी एक महीने की छुट्टी पर जो इसलिए यह वैकेन्सी चल रही थी । कोई क्लीयर वैकेन्सी नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय यह बता दें कि किस तरह की वैकेन्सी थी, आज कन्टीन्यू कर रही है या नहीं, कितने अर्से तक इसको फाइनली कैसे भरेंगे ?

श्री भीखाभाई : सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है । मैंने सवाल का जवाब दे दिया...

श्री विजयसिंह झाला : आज भांग पीकर आये हैं ।

श्री भीखाभाई : भांग-वांग नहीं, आज तैयार होकर आया हूं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आज तिलक नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अजी बजरंग-बली के भक्त हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : रिजेक्टेड केन्डीडेट को नियुक्त कर दें और...

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, एक उमा जेटली थीं, वह कहीं गई थीं डेपुटेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में । एक लीव वेकेन्सी थी, जो दो-चार महीने वेकेन्ट रही थी । उनके लिए शोर्ट टर्म एडवर्टाइज़मेंट किया गया और पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं लिखा गया ।

श्री अध्यक्ष : उस पर एतराज नहीं है । किसी नये आदमी को रखें उससे तो एक्सपीरियेन्स्ड आदमी अच्छा रहता है । उसमें यह एतराज नहीं है । माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि जिन वैकेन्सी के अगेन्स्ट इनको लगाया गया था वह किस नेचर की थी । लोंग वैकेंसी थी तो उनको पर्मानेन्टली भरने के लिए क्या किया ?

श्री भीखाभाई : शोर्ट वैकेन्सी थी, एक लीव वैकेन्सी थी और एक डेपूटेशन पर जाने के कारण वैकेन्सी थी । उसके बाद सबको हटा दिया गया । मैंने यह निवेदन

Page No 11

(श्री भीखाभाई)

किया एक पर सिलेक्टेड केन्डीडेट की नियुक्ति हो गई है और एक-दो आदमी वेटिंग लिस्ट में हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार ?

अब तो जवाब ठीक आ गया।

श्री विजयसिंह झाला : टीका छुटता जा रहा है इसलिये साहब जवाब आ गया।

अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार !

बंजारों की बिला नाम काबिल काश्त भूमि से बेदखली-तहसील निम्बाहेड़ा

४४२. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गूंदा रेल पटवार हल्का सरसी, तहसील निम्बाहेड़ा में कुछ बंजारों ने सरकारी जमीन बिला नाम काबिल काश्त को आबाद कर उसको हांक जोत कर फसल बोई है ?

(२) क्या सरकार अब उन्हें बेदखल कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस प्रकार राजस्थान में कहीं और जिलों में भी बेदखली हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में उन लोगों ने दिनांक ४-१२-६४ को एक आवेदन पत्र राजस्व मंत्री को पेश किया है ? यदि हां, तो उसका क्या उत्तर दिया है ?

(४) क्या यह भी सही है कि इन बंजारों की फसल कुर्क की गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा कुर्क करने कौन गया था और अब वह फसल किसके कब्जे में है ?

(५) क्या यह भी सही है कि इन बंजारों से पटवारी सरसी ने तथा नायब तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने रिश्वत ली है और इनको उस वक्त बेदखल करने गए जब इनकी फसल खड़ी थी ? मौके पर न जाकर फर्जी कार्यवाही कर वापिस चले आए ?

(६) क्या इस सम्बन्ध में सरकार निष्पक्ष अधिकारी द्वारा जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। यह कब्जा जून सन् १९६३ के बाद किया गया है।

(२) जी हां। नाजायज़ कब्जा होने से कानूनी कार्यवाही बेदखली की गई।

(३) जी हां। प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन है।

(४) जी हां। फसल कुर्क की गई थी। सरकार के आदेश संख्या एफ ६ (८७) राजस्व (ख) ६३ दिनांक १७-७-६४ के अनुसार फसल कुर्क की गई। कुर्क करने नायब तहसीलदार श्री कनकमल को भेजा गया था।

Page No 12

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

खरीफ की कुर्क की गई फसल श्री किशनलाल चारण तथा रबी की श्री अमरसिंह राजपूत के सुपुर्दगी में है ।

(५) जी नहीं । पंचनामा दिनांक २२-६-६४ व २८-११-३४ को मुतिब किया गया एवं मौके पर फसलें मौजूद थीं कुर्क करने के लिये तहसीलदार ने नायब तहसीलदार को भेजा था ।

(६) इस सम्बन्ध में एस० डी० ओ० निम्बाहेड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह जो चार तारीख को आवेदन-पत्र आया है, उसके सम्बन्ध में बतलाया है कि वह पेंडिंग है। इसमें मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आवेदन-पत्र का जो पेज ३ है, इसमें लिखा है कि इनके ऊपर गोली चलाई गई और इनको डराया धमकाया गया; इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं तो यह सर्वप्रथम बार सुन रहा हूं। लेकिन जो कुछ जवाब के छठे भाग में उत्तर दे चुका हूं कि इस सारे मामले की जांच करने के लिए एस० डी० ओ० निम्बाहेड़ा को नियुक्त कर दिया है। जो कुछ वाकयात आप कहते हैं वे सही हैं तो वे इन्क्वायरी के दौरान में आ जायेंगे। उसके बाद रिपोर्ट आने पर जो कुछ मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी ।

माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि रेगुलराइजेशन के बारे में जो सक्युंलर ३१-१२-६२ का है उसमें नाजायज कब्जे का प्रावधान है कि उस सक्युंलर के बाद कोई व्यक्ति नाजायज कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती बरती जावेगी। इसके साथ साथ टीनेन्सी एक्ट में भी तरमीम कर दी गई कि यदि कोई इस प्रकार के कानून पास होने के बाद नाजायज कब्जा करेगा तो उनकी फसलें कुर्क की जावेगी। जहां तक इस प्रकार की कार्यवाही का सम्बन्ध है तो यह बिल्कुल नियमानुसार हुई है, और कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता। फिर भी इस बारे में यह कहा जाता है, हमने एस० डी० ओ० को लिख दिया है वह सारी छान बीन करके रिपोर्ट देगा ।

श्री अब्दुलजब्बार : सक्यूंलर अक्टूबर ५२ तक के लिये था...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप फिर गलतफहमी में हैं। गैर मुमकिन लेंड के लिये यह है, यह तो काबिल काश्त का मामला है। अगर वह गैर मुमकिन का है तो पता लग जाएगा। एस० डी० ओ० को लिखा गया है, उसका जबाब आने पर मुनासिब कार्यवाही की जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

आबादी भूमि जिला बीकानेर

४४३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 13

(श्री भीमसेन)

(१) राज्य सरकार किन किन शर्तों पर आबादी भूमि के लिए जमीन उपलब्ध करती है ? क्या विछवाल, तहसील बीकानेर एवं जेतपुर तहसील लूणकरणसर में उन शर्तों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) उक्त दोनों गांवों में आबादी भूमि के विकास हेतु किस एजेन्सी ने प्रयास किये ?

(३) गांव जेतपुर को जिन लोगों से आबाद किया है उस सम्बन्ध में स्थानीय लोगों की क्या आपत्तियां हैं तथा उनकी बात में कहां तक वजन है ? अगर उनकी बातों में सत्यान्श है तो ऐसे लोगों को एक ही स्थान पर न बसा कर अलग गांव में क्यों नहीं बसाया जाता ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (१) गांव में रहने वाले कृषकों, कारीगरों तथा खेती सम्बन्धी अन्य कार्य करने वालों को आबादी में भूमि राजस्थान टीनेन्सी गवर्नमेंट रूल्स १९५५ के नियम ८ से १५ के आधीन दी जाती है ।

आबादी के विस्तार के लिए पंचायतों तथा नगरपालिका या नगर विकास मंडल को भूमि देने के लिये धारा ९२ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में प्रावधान है तथा इसके अधीन ५०,००० से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वीकृत रेन्ट रेट का ४० गुणा तथा अन्य नगरों व गांवों में २० गुना तक पूंजीकृत मुख्य केपिटलाइज्ड वेल्यू लेकर सरकार सिवाय चक भूमि में से भूमि दी जाती है ।

ग्राम विछवाल व जेतपुर में इन्हीं के अनुसार कार्यवाही की गई है ।

(२) बीछवाल की भूमिके लिये सचिव, गोपालक समिति,बीकानेर ने तथा जेतपुर की भूमि के लिये ग्राम पंचायत जेतपुर ने प्रयास किये हैं ।

(३) इन लोगों के सम्बन्ध में गांव वालों का यह कहना है कि ये लोग उनकी कृषि को हानि पहुंचाते हैं एवं लड़ाई–दंगे करते हैं । ऐसी चेष्टायें करने पर विधिवत् कानूनी रोकथाम की जा सकती है ।

श्री भीमसेन : आपने बीछवाल के लिए बताया कि पंचायत ने डिमान्ड की । तो क्या जेतपुर में भी पंचायत ने इसके लिए कोई डिमान्ड की है और अगर की है तो कौनसी तारीख को ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी तारीख तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमने स्वीकृति दी उसके पहले की है तभी तो स्वीकृति दी गई है ।

श्री भीमसेन : क्या आबादी भूमि का २० गुना जमा हो गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी सूचना के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही हो चुकी है ।

Page No 14

श्री भीमसेन : ये लोग वहां पर तीन चार महीने रहते है और अपने मवेशियों को वहां रखते हैं जो इन चार महीनों में सारा तालाब का पानी खत्म कर देते हैं। यह सरकार इनको आबाद करना चाहती है तो किसी दूसरी जगह कर सकती है एक एक परिवार को अलग अलग बसा कर। वे लोग सारे गांव के लोगों को परेशान करते हैं और तालाब का पानी खत्म कर देते हैं और वहां पर सारी घास उनके मवेशी खराब कर देते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : केवल ११ परिवार हैं जिनको वहां पर जमीन दी है क्योंकि उनके नाम पर पहले ४६५ बीघा जमीन राज आराजी काश्त पर था। तो उनको यह मान कर कि वे खेती करते हैं इसलिए वहां पर ११ परिवारों को बसने के लिये जमीन दी है। यह बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पर २६,३४८ बीघा जमीन इसी एरिया में अभी खाली पड़ी है। जब वहां पर ३० हजार बीघा जमीन खाली है तो उनको ११ परिवारों को जमीन दी है तो मैं समझता हूं कि किसी को ज्यादा एतराज नहीं हो सकता। इसके अलावा ये घुमक्कड़ जाति के लोग हैं, घूमते रहते हैं।

श्री भीमसेन : ११ परिवार आपको छोटे लगते हैं, मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि सारे गांव वाले इनसे परेशान होते हैं। तालाब का पानी ये खत्म कर जाते हैं और सारी घास जानवर खा जाते हैं और खराब कर देते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : आपने उनको बसा कर बहुत अच्छा किया है।

श्री भीमसेन : उनके हजारों पशु वहां पर गांवों में रहते हैं और सारी घास को बरबाद कर देते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : उनको कहीं न कहीं तो बसाया जावे।

श्री भीमसेन : उनको अलग अलग गांवों में बांट दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : क्या वे लोग पर्मानेन्ट रहते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ४६५ बीघा भूमि आराजी काश्त उनके नाम पर दर्ज है। इस वजह से उनको उनके खेतों की जमीन के आसपास बसाने का प्रयत्न किया। ११ परिवारों का सवाल है। यह कोई ५०० बीघा में मकान बनाने के सम्बन्ध में नहीं है। यह थोड़ी सी जमीन है। यहां पर ३० हजार बीघा जमीन खुली पड़ी है और मैं समझता हूं कि यह कोई अनुचित बात नहीं है।

श्री भीमसेन : क्या सरकार इस बात की जांच करवायेगी कि ये कभी काश्त करते थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनके नाम की काश्त है तो फिर उनको हटा कैसे देंगे !

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तहसील नोहर में हरिजनों की भूमि का एलॉटमेंट

४४४. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नोहर तहसील में आरजी काश्त की जमीनें नियमानुसार तीसरे हिस्से की हरिजन परिवारों को एलॉट की गई है ?

(२) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? तथा नियम को भंग करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्डा) : (१) जी हां। परन्तु नियमानुसार यह तीसरे हिस्से की न होकर चौथे हिस्से की दी गई है।

(२) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

समाज कल्याण विभाग की प्रगति रिपोर्ट

४४५. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि भारत सरकार पूरे भारतवर्ष की अनुसूचित जन जातियों तथा अनुसूचित जातियों की प्रगति के बारे में प्रति वर्ष एक रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को लोक सभा में पेश कर उस पर वाद-विवाद का अवसर देती है ?

(२) यदि हां, तो राजस्थान सरकार पर यह पाबन्दी क्यों लगाई हुई है कि राजस्थान समाज कल्याण विभाग की प्रगति रिपोर्ट न निकाली जावे और राजस्थान विधान सभा में रिपोर्ट पर विचार न किया जावे ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई : (१) जी हां। यह संविधान की धारा ३३८ (२) के अन्तर्गत किया जाता है।

(२) विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट निकाली जाती है और रिपोर्ट निकालने पर कोई पाबन्दी नहीं है। जहां तक रिपोर्ट पर विधान सभा में पेश कर विचार करने का सम्बन्ध है इसके लिये संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जब यह रिपोर्ट निकाली जाती है तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं मिलती है। राजस्थान का समाज कल्याण विभाग हम लोगों को पता क्यों नहीं देते ?

श्री भीखाभाई : हर साल भेजते हैं और मैं माननीय सदस्यों से बता दूं कि हम इसके लिये मीटिंग बुलाने वाले हैं आदिम जाति मंत्रणा परिषद् की। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को यह जानना चाहिये कि यह भारत सरकार के कॉन्स्टीट्यूशन के अनुसार बनी है। आपको इस सम्बन्ध में जानकारी कम है। भारत सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई है।

Page No 16

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, बार बार मंत्रीजी हर एक सदस्य के लिये कहते हैं कि आपको जानकारी नहीं है। आप ही अक्ल का अजीर्ण लेकर चलते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप, संविधान में लिखा है, उसकी बात करते हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : संविधान में यह लिखा है कि साल में दो बार मीटिंग बुलाई जानी चाहिये। ये कहते हैं कि हमको जानकारी नहीं है। मैं यह कहूंगा कि आप मीटिंग बुलाते नहीं।

श्री अध्यक्ष : यह रिपोर्ट की बात है।

श्री भीखाभाई : समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट आती है और माननीय सदस्य को मिलती है। वह रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष, इनको दी जा चुकी है। माननीय सदस्य जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं वह अलग है। उस पर भी विचार होता है। इस सदन में कई बार यहां विचार हुए हैं। आपकी जानकारी में है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आदिम जाति मंत्रणा परिषद् में भी विचार होता है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : अभी तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में क्या काम किया है ? रिपोर्ट पर जरूर विचार विमर्श होता है। भारत सरकार की रिपोर्ट पर····

श्री अध्यक्ष : कराया है।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : जिस तरह भारत सरकार सालाना रिपोर्ट दिया करती है, उस पर हाउस में डिस्कशन होता है उसी तरह से राजस्थान सरकार को भी सालाना रिपोर्ट देनी चाहिये और उस पर हमारे यहां हाउस में चर्चा होनी चाहिये।

श्री भीखाभाई : यहां उसके लिये नहीं है क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर पालियामेंट में रिपोर्ट जाती है, वह भी भारत सरकार नहीं बनाती, यह तो संविधान में प्रोविज़न है जो विशेष अधिकारी राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है वह विशेष अधिकारी जो सरकार से ऊपर है, वह सभी सरकारों के बारे में रिपोर्ट भेजता है, उसमें राजस्थान का भी एक चेप्टर होता है।

श्री रावतराम : हमारे हाउस में भी उस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कहेंगे तो चर्चा नहीं करेंगे, पर रिपोर्ट तो भेजनी चाहिये।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट भेज दी है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : समाज कल्याण विभाग ने जो किताबें छापी हैं वे समाज कल्याण विभाग के दफ्तर में पड़ी हुई हैं; उन पर कितना खर्चा हुआ है, वे किताबें हमारे हाथ में नहीं आई तो फिर उनके छपाने से क्या फायदा, इतना पैसा क्यों बर्बाद किया गया ?

श्री अध्यक्ष : यह सलाहकार समिति में पूछना।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग की कोई डिमाण्ड हमारे यहां हाउस में नहीं आती जिससे कि हम कट मोशन रख कर उस पर चर्चा कर सकें। माननीय सदस्यों को समाज कल्याण विभाग पर चर्चा करने का कोई अवसर नहीं मिलता। यह रिपोर्ट सालाना देनी चाहिये और उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिये सदन में समय रखा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : पहले उस रिपोर्ट को पढ़ लीजिये, मन्त्री महोदय ने वह रिपोर्ट भेजी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : रिपोर्ट में कुछ नहीं है।

श्री अलदाराम मीणा (सुमेरपुर-सु०): रिपोर्ट तो आवे तब पढ़ें, बिना रिपोर्ट के आये कैसे पढ़ें ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय !

(विराम)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया। प्रश्न संख्या ४४६।

श्री अध्यक्ष : Sorry प्रश्न सं० ४४६।

भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का एलॉटमेंट

४४६. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार ने आज तक उदयपुर डिविजन में कितने भूतपूर्व सैनिकों को भूमि एलॉट की है और कितने ऐसे व्यक्ति बाकी हैं जिनको भूमि नहीं मिल सकी है ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को भूमि दी गई है, जिनकी दर्ख्वास्तें औरों से बाद में आई थीं ? यदि हां, तो ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या सरकार ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को जिनको भूमि नहीं मिली है कहीं अन्य स्थान पर भूमि देने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(१) उदयपुर डिस्ट्रिक्ट :

२५७ भूतपूर्व सैनिकों को भूमि एलॉट की गई। ६४ प्रार्थना-पत्र ऐसे हैं, जिनमें भूमि जिस ग्राम में चाही थी वहां उपलब्ध नहीं होने और दूसरे स्थान के लिये निशांदेही नहीं करने से खारिज हुए हैं। २६ प्रार्थना पत्र पेंडिंग हैं जिनमें कार्यवाही जारी है।

(२) जिला भीलवाड़ा :

१७१ भूतपूर्व सैनिकों को भूमि एलॉट की जा चुकी है एवं १२ व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पेंडिंग हैं।

(३) जिला बांसवाड़ा :

एक भूतपूर्व सैनिक को ४० एकड़ भूमि एलॉट की गई है और किसी का भी प्रार्थना

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पत्र पेश नहीं हुआ अतः एलॉटमेंट करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जिला डूंगरपुर :

पांच भूतपूर्व सैनिकों को भूमि २७२।।।१ बीघा एलॉट की है। अब किसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ है जिसको भूमि एलॉट करनी है।

(५) जिला चित्तौड़गढ़ :

कुल २० भूतपूर्व सैनिकों को भूमि एलॉट की गई है. ८ प्रार्थना पत्र पेंडिंग हैं।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां। प्रचलित नियमों के अनुसार जहां भी वे भूमि पाने के अधिकारी हों भूमि एलॉट की जा सकती है।

श्री जोधसिंह चौहान : जिनके प्रार्थना पत्र खारिज किये, मेरा निवेदन है कि उनके प्रार्थनापत्र क्यों खारिज किये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह भी बता दिया है। वे जहां चाहते थे वहां जमीनें थी नहीं और दूसरी जगह की निशांदेही उन्होंने बताई नहीं, इसलिये रिजेक्ट किये गये।

श्री जोधसिंह चौहान : उन लोगों को उनकी एप्लीकेशन्स खारिज करने की इत्तला नहीं की गई। मेरा निवेदन है कि एप्लीकेशन्स खारिज करने से पहले उनको लिखना चाहिये था?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यही तो उन्हें कहा गया कि यहां भूमि नहीं है, दूसरी जगह निशांदेही करो, उन्होंने दूसरी जगह निशांदेही नहीं की इसलिए रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट करने के बाद उनको इत्तला नहीं की।

श्री जोधसिंह चौहान : निम्बाहेड़ा तहसील में कितने प्रार्थना पत्र पेंडिंग हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एम. एल. ए. साहब की जरूर पेंडिंग है, बाकी का ध्यान नहीं।

श्री जोधसिंह चौहान : कौनसे एम. एल. ए. साहब ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री जोधसिंह चौहान : उनको क्यों नहीं मिली ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनकी भी यही कैफियत है, दूसरी जगह चाहते हैं।

प्रश्न संख्या ४४७

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४४८

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ४४६

श्री गोकुलप्रसाद !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भानुप्रसाद कराड़िया !

आमेर तहसील का कार्यालय

४५६. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमूं) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि आमेर तहसील का प्रधान कार्यालय आमेर खास में होने के कारण वह तहसील के एक कोने में पड़ गया है इस कारण इस कार्यालय तक पहुंचने में लोगों का काफी समय और पैसा खर्च होता है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्यालय को चौमूं में रखने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां, यह सही है कि आमेर तहसील का प्रधान कार्यालय आमेर खास में होने के कारण वह तहसील के एक कोने में पड़ गया है और इस कारण इस कार्यालय तक पहुंचने में लोगों को दिक्कत होती है।

(२) फिलहाल नहीं।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : कई दफा निवेदन कर चुके हैं, पंचायत समिति और विरोधी दल की तरफ से इसके प्रोपोजल्स गवर्नमेंट के पास आ चुके हैं, उन पर विचार किया जायगा क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि अभी तत्काल में इरादा नहीं है कि तहसील के हैड क्वार्टर आमेर से चौमूं ले जायें, लेकिन हम सोचते हैं कि एक जिले से दूसरे जिले का रीएड्जस्टमेंट ऑफ बाउन्डरीज करेंगे उस समय इस बात का ध्यान रखेंगे।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : इस समय जो जनता को तकलीफें हो रही हैं उन तकलीफों का आपको ध्यान नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तकलीफ का तो सवाल नहीं। राजस्थान में कई तहसीलें ऐसी हैं जो एक कोने में आ जाती हैं, पर सबको बदलना कोई बहुत आसान काम नहीं है। इस तरह के एड्जस्टमेंट के लिए कई एजिटेशन्स होते हैं, कई दिक्कतें आती हैं।

श्री अध्यक्ष : तहसीलों के री-एड्जस्टमेंट के बारे में सरकार ने पहले एक कमेटी बनाई थी उसकी रिकमन्डेशन्स थीं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी थी। बहुत वर्षों पहले बनी थी। उसकी इस सम्बन्ध में रिकमन्डेशन्स थीं या नहीं, मुझे इस समय मालूम नहीं।

प्रश्न संख्या ४५१

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल !

हनोतिया (कोटा) वन श्रमिक सहकारी समिति पर ठेके व ऋण की बकाया रकम

४५२. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) हनोतिया (कोटा) वन श्रमिक सहकारी समिति को प्रथम कूप किस वर्ष के लिये कब व कितने रुपये में दिया गया ?

(२) क्या यह सत्य है कि अभी तक ठेके व ऋण की रकम उक्त समिति में बकाया है ? अगर हां, तो कितनी कितनी व क्यों ?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त समिति के ठेके की मयाद बार बार बढ़ाई है जो नियम विरुद्ध है ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) प्रथम कूप दामोदरपुरा नं० ७ सन् १९५८–५९ के लिये १३,२००) रुपए में दिया गया।

(२) जी हां। केवल ठेकों की निम्नांकित रकम बकाया है।

इस सोसाइटी को ऋण नहीं दिया गया था। सन् १९५८–५९ के ठेके की मूल रकम ४६८६) रुपए, मुआवजा ५२९ रुपए २२ न. पै., सूद १५.२.६२ तक २१८२ रुपए ५७ न. पै.

सन् १९६१–६२ के ठेके की मूल रकम ८४००) रुपए।

सदस्यों द्वारा समिति के कार्य में पूर्ण रुचि न लेना बकाया रहने का मुख्य कारण है।

(३) जी नहीं। समिति के ठेकों की मयाद नियमानुसार बढ़ाई गई थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रारम्भ के अन्दर ५८-५९ में ठेका दिया गया था तो क्या यह सही है कि उस ठेकेदार ने ५८-५९ में जंगल का काम नहीं किया था ?

श्री भीखाभाई : लगता है काम नहीं किया, पर एक्स्टेन्शन मांगी तो मालूम होता है कि काम किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ५८-५९ में कूप दिया गया था, उसमें काम किया या नहीं ?

श्री भीखाभाई : काम करने न करने की इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है। आपने पूछा, कितना रुपया बकाया है; वह बता दिया। उसने मयाद चाही, जो इन्फोर्मेशन मेरे पास है उससे मेरा यह प्रिज़म्प्शन है कि काम किया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मयाद किस अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई ?

श्री भीखाभाई : मुझे मालूम नहीं, किसके अधिकार की बात थी। अलग अलग अधिकारी हैं, कन्जर्वेटर बढ़ा सकता है, सी० सी० एफ० बढ़ा सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि धारा १० के अनुसार एक साल से अधिक मयाद नहीं बढ़ाई जा सकती ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा प्रश्न ही यह है।

श्री भीखाभाई : प्रश्न यह नहीं है; कब बढ़ाई, कहां कितनी बढ़ाई, यह पूछते तो उसका उत्तर मैं देता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तीसरा सवाल मेरा बिल्कुल साफ है ? "क्या यह सत्य है कि उक्त समिति के ठेके की मयाद बार बार बढ़ाई गई है जो नियम के विरुद्ध है ?" उसके बाद आप क्या चाहते हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने जवाब दिया कि "जी नहीं" यह तो क्वेश्चन् ऑफ इन्क्वायरी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस ठेके की मयाद कब कब किन अधिकारियों द्वारा बढ़ाई गई और क्या वे अधिकारी कॉम्पीटेंट थे रूल्स के अन्तर्गत ?

श्री भीखाभाई : यदि नियम के विरुद्ध काम हुआ है तो उस अधिकारी के विरुद्ध एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन जो जानकारी मुझे है उसमें लिखा है....

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी कर लीजिए। तीसरे भाग को पोस्टपोन कर देते हैं।

प्रश्न संख्या ४५३

श्री सांवलियाराम।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ४५४

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री जोधसिंह चौहान।

मकानों की जमीनों के पट्टों की रकम, ग्राम सोभागपुरा

४५५. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सोभागपुरा में (उदयपुर, गिरवा तहसील) वहां के सरपंच महोदय ने कई ग्रामीणों से जिनमें भील आदि पिछड़ी जाति के निवासी हैं और जो वहां कई वर्षों से रह रहे हैं फिर भी उनके मकानों की जमीनों के बाकी पट्टे की रकम वसूल करली है ?

(श्री जोधसिंह चौहान)

(२) क्या यह भी सही है कि सोभागपुरा के सरपंच ने उन मकानों के बाकी पट्टों की रकम पंचायत की रोकड़ में जमा भी नहीं की है और ग्रामीणों से रकम वसूल कर ली है ?

(३) क्या सरकार वहां के गांव वालों से पता लगायेगी कि किनसे रकमें ली हैं और कहां जमा हुई हैं और जमा नहीं हुई हैं तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि कई ग्रामवासियों को जमीनें बेच दी गई और रकमें ले ली गईं; फिर भी तहसील वाले उनको मकान नहीं बनाने देते और उनसे पैसे लेने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक इसलिए नहीं करते कि वे कांग्रेसी है ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जो रकमें वसूल की गई वे रोकड़ में जमा हैं।

(४) सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही कर चेतावनी दी गई।

श्री जोधसिंह चौहान : आपने प्रश्न (२) के उत्तर में कहा है कि कोई गबन नहीं हुआ और फिर कहते हैं कि उनको चेतावनी दी गई।

श्री भीखाभाई : मेरा मतलब यह है कि जांच हुई है, लेकिन उस रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं निकली जिससे हम कहें कि गबन हुआ, इर्रेग्युलेरिटी थी; बेरू जमीन की बिक्री कर दी, उसके खिलाफ चार्ज था। रुपया जो जमा था, तहसील ने उसको रेग्युलर नहीं माना। यही कारण था जो कि चेतावनी दी गई।

श्री जोधसिंह चौहान : उसके खिलाफ चार्ज है, फिर भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री जोधसिंह चौहान : यह बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। लोगों से पैसे ले लिए हैं और मकान बनाने नहीं दे रहे हैं, उनके पास रसीदें हैं, आप जांच करें, सरकार जांच नहीं करना चाहती।

श्री अध्यक्ष : जांच की, तभी तो चेतावनी दी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या जिन लोगों को जमीनें अलॉट की हैं, उनको मकान बनाने का अधिकार है ?

श्री भीखाभाई : आपने दूसरा सवाल पूछ लिया।

श्री भैरोंसिंह : जिन लोगों को जमीनें मकान बनाने के लिए दी जाती हैं, उनको जमीनों पर मकान बनाने का अधिकार प्राप्त है ?

श्री भीखाभाई : जो बेरू हल्के हैं उनको वापिस कन्वर्ट करवाने के लिए कलेक्टर को लिखा जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : अधिकार प्राप्त है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : किसको ?

श्री भैरोंसिंह : आपको । जिन लोगों को जमीन दी गई है उन लोगों को जमीन पर मकान बनाने का अधिकार है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : मकान बनाने लग गए हैं और कन्वर्ट करने की कार्यवाही की जा रही हैं ।

श्री जोरसिंह चौहान : मकान नहीं बने हैं ।

श्री भीखाभाई : हो सकता है कि आपकी बात सही हो, क्योंकि मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मकान बनाने की इजाजत दी जाय और मंत्री महोदय कहते हैं कि कलेक्टर को लिखा गया है ।

(विराम)

श्री भीमसेन ।

खातेदारी हक

४५६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बिसरासर, तहसील नोहर, जिला गंगानगर के काश्तकारों को सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रमाणांकन के लिए पर्चेजात बांटे गए जिसमें संबंधित काश्तकारों को दफा १५ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, १९५५, के अंतर्गत खातेदारी के हकूकों के लिए हकदार दिखाया जाकर ग्रामीणों को जान-बूझ कर धोखा दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त ऐसे काश्तकारों को कार्यालय बन्दोबस्त बीकानेर में तैयार किये जाने वाले रजिस्टर में उपरोक्त जमीनों पर अतिक्रमी दर्ज किया गया ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(३) क्या सरकार इस मामले की जांच करवाकर सम्बंधित व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) नहीं । ग्राम बिसरासर, तहसील नोहर, जिला गंगानगर के काश्तकारों को तसदीक (प्रमाणांकन) के लिए पर्चेजात बांटे गए थे । जिनमें काश्तकारों के कब्जे की समस्त भूमि चाहे वह कब्जा जिस प्रकार का भी था दिखाई गई थी । तस्दीक के बाद आखिरी पर्चों में केवल वह भूमि दर्ज की गई जिस पर उनका खातेदारी अधिकार प्रमाणित हुआ ।

(२) जिन काश्तकारों का कब्जा काश्त सिवाय चक पर नाजायज़ पाया गया, वे अतिक्रमी दर्ज हुए ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यदि पर्चे बांट दिए गए तो बाद में अतिक्रमण कैसे दर्ज हो सकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फाइनल तस्दीक के वक्त ही होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अगर पर्चे भी जारी कर दिए हैं तो प्राइमाफेसी रिकॉर्ड के आधार पर तस्दीक करके जारी किए हैं, फिर ट्रेसपासर्स वे कैसे हुए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पर्चे शुरू में जरूर बने। जो जमीन उनकी खातेदारी सेक्शन १५ की थी प्लस जो उन्होंने नाजायज कब्जा किया था या कब्जे में थी दोनों का उन्होंने, कागज में उस आदमी का लिख दिया। कागज लिखने के बाद जब उनकी तस्दीक होती है उस वक्त सामने आया तो इतनी तो खातेदारी की जमीन है जो पहले से चली आ रही है उनको खाते में प्रमाणित मान लिया जाय लेकिन वह जमीन जो रिकॉर्ड्स में कहीं सम्वत् २०१२, २०१३, २०१४, २०१५ या कभी भी नहीं बताया गया था और न खातेदारी में थी; उस जमीन को अतिक्रमण मानकर दर्ज किया, इसलिए कोई धोखा किसी से नहीं हुआ।

श्री भीमसेन : प्रश्न इतना है कि काश्तकारों को तस्दीक के लिए पर्चे बांटे गए। उनके पर्चों के अन्दर जितनी भूमि थी चाहे सम्वत् २,००० से पहले थी या बाद की थी, सारी भूमि को उन्होंने खातेदार मानकर बांटा। अब सवाल है कि उसके बाद अपने आप वहां के अमीन और सैटलमेंट ऑफीसर्स ने कैसे अतिक्रमी दर्ज किया ? क्या उनके पास कोई हुक्म आ गया ? उनके पैसे हजम हो गए, बाद में उनको अतिक्रमी दर्ज किया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो पटवारी, अमीन वगैरह होते हैं वे लिखते हैं, उसके बाद ए० एस० ओ० सुपरवाइज़ करता है। उसे गल्ती मालूम होती है तो दुरुस्त कर सकता है। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कहा कि सैटलमेंट के नीचे के कुछ आदमियों ने रिश्वत खाकर उनको खातेदार दर्ज किया और उसके बाद अतिक्रमी दर्ज किया गया। इस तरह की रिश्वत अगर माननीय सदस्य स्पेसिफिक बताएं तो उन अधिकारियों के विरुद्ध मैं जांच कराऊंगा और जांच के निर्णय के अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही कराऊंगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उन्होंने प्राइमाफेसी दर्ज तो कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि अफसरों ने......

श्री अध्यक्ष : अगर बहुत ज्यादा है, तो कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सैकड़ों मामले हैं। ४० हज़ार मास क्लेक्शन हुआ है।

(१२ मध्यान्ह)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने नाजायज कब्जे शुदा जमीन को भी कानून के खिलाफ इब्तदाई एन्ट्री में लिख दिया गया है;

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

डिपार्टमेंटल कार्यवाही करने का जहां तक प्रश्न है वह मैं अलग से करवाऊंगा लेकिन रिश्वत वाला मामला माननीय सदस्य के ध्यान में कोई स्पेसिफिक हो तो बतावें। उस सम्बन्ध में भी कार्यवाही जांच के पश्चात् की जायगी।

श्री अध्यक्ष : होगा तो बता दिया जावेगा। यह भी हो सकता है कि गलत दर्ज कर लिया हो और नीचे वालों से मिल कर करा लिया हो। आप यह जांच करा लें। बहुत ज़्यादा केसेज़ नीचे वालों ने दिये हैं तो कुछ मोटिव हो सकता है।

श्री भीमसेन : अमीन से लेकर ए. एस. ओ. तक इसमें शामिल हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई भी होगा वह शामिल होगा।

श्री भीमसेन : मौके की रिपोर्ट बनती है, उसमें भी एन्ट्री फर्जी बाद में की।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ए० एस० ओ० शामिल है तो इन्क्वायरी से मुस्तसना नहीं होगा। वह भी उसमें शामिल होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

ग्राम खण्ड गांव के पशुओं की चराई आदि के लिये भूमि

४५७. **श्री जुझारसिंह (चेचट)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम खण्ड गांव के पशुओं को वर्तमान में खंडगांव की बंबूल रेडी में चरने की आज्ञा दी हुई है तथा इस बंबूल रेडी के अतिरिक्त कोई अन्य चराई क्षेत्र उनके लिए आरक्षित या उपलब्ध नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि यह रेडी केथून घरना हेड़ा सड़क के दाहिने तथा बांई ओर दो पृथक पृथक खंडों में स्थित है और इन दोनों क्षेत्रों के लिए पृथक् से बाड़ा या तारबन्दी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी ?

(३) क्या यह सही है कि सड़क के बांई ओर वाली रेडी जमीन साफ करने के लिये किराये पर दी हुई है तथा सड़क के दाहिनी ओर वाली रेडी भी शीघ्र ही नीलाम की जाने वाली है ? यदि हां, तो गांव के पशुओं को भविष्य में चराई की सुविधा प्रदान करने हेतु क्या व्यवस्था करने का विचार किया गया है ?

(४) क्या सरकार यह उचित समझेगी कि उस समय तक के लिए कि जब तक बांई ओर वाला क्षेत्र उनकी चराई एवं अन्य सुविधाओं के लिये खुला हुआ घोषित न कर दिया जाये सड़क के दाहिनी ओर वाली रेडी किसानों की ईंधन, खेती तथा चराई की आवश्यकताओं के लिये संरक्षित रखी जाये ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। खण्ड गांव की मवेशी के लिये रेड़ी खण्ड गांव में चरने की आज्ञा दी हुई

(श्री भीखाभाई)

है। इसके अतिरिक्त रेडी खजूरी भी चराई के लिए उपलब्ध है।

(२) जी हां। रेडी का जो भाग केथून घानाहेड़ा सड़क के बांई ओर स्थित है उसमें प्लान्टेशन होने के कारण खाई व तार द्वारा वाड़बंदी कर दी गई है। दाहिनी ओर के भाग में वाड़बन्दी करने का प्रावधान नहीं है।

(३) जी हां। बांई ओर के भाग में कूप बना कर गत वर्षों में पेड़ों की कटाई कराई गई है। दाहिनी ओर के भाग में कर्मकरण योजना के अनुसार १९६५-६६ में ७० एकड़ का एक कूप नीलाम किया जावेगा उसके बाद १९७०-७१ तक कूप नीलाम करने का कर्मकरण योजना में प्रावधान नहीं है।

पशुओं की चराई के लिए रेडी संडगांव के दाहिनी ओर वाले भाग में ४१३ एकड़ व रेडी खजूरी का ३२५ एकड़ क्षेत्र पशुओं की चराई के लिये उपलब्ध है।

(४) सड़क के दाहिनी ओर वाला भाग सुरक्षित रहेगा। उसमें से केवल ७० एकड़ का एक कूप १९६५-६६ में कटाने का प्रावधान है। जिसको भी यदि पंचायत ग्राम वासियों की ईंधन वगैरह की आवश्यकता के लिये चाहे तो दर्ख्वास्त देकर नियमानुसार प्राप्त कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्वेश्चन रिपीट न हो तो मैं पहले ४३७ नं० का क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, महिला मण्डल, उदयपुर के बारे में है।

महिला मंडल, उदयपुर

४३७. श्री भैरोंसिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(क) महिला मण्डल, उदयपुर को सन् ५७ से अब तक शिक्षा विभाग से किस किस कार्य के लिये कितना २ अनुदान प्राप्त हुआ है ?

(ख) इस अनुदान की उपयोगिता के प्रमाण-पत्र तथा हिसाब का वार्षिक लेखा-जोखा कब २ पेश हुआ है ?

(ग) इस संस्था के संचालक मण्डल के सदस्य कौन २ हैं और उनको इस संस्था से कितना २ रुपया मिलता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया है, इसलिए अगली टर्न पर इसका जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : Postponed.

गोचर भूमि पर अधिकार

४५८. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भैरोंसिंह)

(१) रतननगर, जिला चूरू में कितनी गोचर भूमि है ?

(२) क्या इस ग्राम की गोचर भूमि पर स्थानीय पंचायत ने अधिकार किया ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह सही है कि अब यह भूमि वन विभाग के अधिकार में ले ली गई है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(४) इस ग्राम में पशुओं की संख्या कितनी है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) ३६२३.३ बीघा भूमि गोचर है। (२) जी नहीं। (३) जी हां। दिनांक १८.५.६१ से वन विभाग के अधिकार में है। परन्तु उसके अनुसार गांव वालों के चराई अधिकार सुरक्षित हैं।

(४) १७५८ पशुओं की संख्या है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस संख्या के अनुपात के अन्दर चराई के लिए जितनी भूमि होनी चाहिये वह भूमि है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा १,७५८ पशु हैं और जो जमीन ३,६२३ बीघा बतायी, उनके अन्दर उनके चराई के पूरे अधिकार सुरक्षित हैं इसलिए चराई के काम में अकोर्डिंग टू दी प्लान आ रही है और इसके अलावा ६४१.१ जमीन और रहती है जो पंचायत को सौंपी हुई है और वह भी चरागाह के काम में ही आती है।

श्री भैरोंसिंह : जिस भूमि पर वन विभाग ने अधिकार किया था वह पहले पंचायत के अधिकार में नहीं थी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंचायत के अधिकार में उस वक्त सोंपी थी या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। चरागाह पंचायत को सौंपने के कानून कायदे बाद में आये। यह जरूर कह सकता हूं कि चरागाह के काम में आती थी।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न के भाग २ के उत्तर में आपने कहा, 'जी नहीं'। प्रश्न यह था कि क्या इस ग्राम की गोचर भूमि पर स्थानीय पंचायत ने अधिकार किया ? यदि हां, तो कब ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अधिकार तो किया ही नहीं। गवर्नमेन्ट ने वन विभाग को उन्हीं शर्तों के अनुसार सौंपी और उनमें चरागाह के सब अधिकार—लकड़ी के, घास काटने के सुरक्षित रख कर सौंपी।

एक माननीय सदस्य : क्या यह अभी का मामला है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बहुत पुराना मामला है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

Page No 28

स्थगित प्रश्न

(२.३.६५)

क्राफ्ट विषय के अध्यापक

१०७. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि हायर सैकन्डरी कक्षाओं में क्राफ्ट विषय पढ़ाया जाता है तथा उसके लिये संस्थाओं में अध्यापकगण नियुक्त हैं ?

(२) उक्त अध्यापकों में से कितने पी. एस. सी. द्वारा एप्रूव्ड हैं तथा उन्हें किस ग्रेड का वेतन दिया जा रहा है ?

(३) कितने क्राफ्ट अध्यापक बिना पी. एस. सी, की एप्रूवल के किस वेतन पर व ग्रेड पर काम कर रहे हैं।

(४) क्या यह सत्य है कि पी. एस. सी. अनएप्रूव्ड क्राफ्ट टीचर्स की अस्थायी नियुक्ति को समय समय पर बढ़ाया गया हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

(५) क्या यह सच है कि उक्त अध्यापकों को आरम्भ में ११०-२२५ व १५० से ३०० का ग्रेड दिया गया और अब ग्रेड समाप्त कर दिया गया है ? अगर हां तो कब से, व क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) उक्त अध्यापकों में से कोई भी पी० एस० सी० द्वारा एप्रूव्ड नहीं है। दिनांक १.६.६१ से पहले जो अध्यापक ७०-१५० की वेतन-श्रृंखला में थे उनको ७५-१६० की वेतन-श्रृंखला में वेतन दिया जा रहा है। इस तारीख को जो ६०-५-१४० की वेतन-श्रृंखला में थे उन्हें ११५-३३५ की वेतन-श्रृंखला में वेतन मिल रहा है।

(३) वे अध्यापक जो १-६-६१ से पहले ७०-१४० तथा ६०-१४० की श्रृंखला में थे उनके लिए लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया जाना आवश्यक नहीं था। १. ६. ६१ के बाद केवल उनकी वेतन श्रृंखला में परिवर्तन हुआ है।

(४) इन अध्यापकों में से अधिकतर वे हैं जिनके लिये पी. एस. सी. के एप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उनकी नियुक्ति के समय उनकी वेतन श्रृंखला का अधिकतम १५० से कम था; पी. एस. सी. की अनुमति सिर्फ उन्हीं अध्यापकों के लिये जरूरी है जिनकी नियुक्तियां पदोन्नति ११५-३३५ की ग्रेड में १. ६. ६१ या इसके बाद में हुई। सिर्फ ऐसे ही अध्यापकों की नियुक्ति को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है।

(५) कुछ अध्यापकों को गलती से ११०-२२५ व कुछ अध्यापकों की नियुक्ति व पदोन्नति ११०-२२५-व १५०-३०० की वेतन श्रृंखला में कर दी गई थी लेकिन इस भूल का आभास होने पर सुधार कर दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं सप्लीमेन्टरी करूं मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले जब यह प्रश्न आया था तो इसका उत्तर कुछ और ही था और आज जो उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल ही अलग है। प्रश्न के उत्तरों में ही अन्तर है जब कि सप्लीमेण्टरी तो दूर रहे।

मैं सूचना के लिए निवेदन करूंगा की प्रश्न के भाग (२) में अभी मंत्री महोदय ने कहा कि उक्त अध्यापकों में से कोई पी. एस. सी से एप्रूव्ड नहीं है। पिछली बार यह जवाब दिया था, जो हाउस की टेबल पर आ चुका है, कि जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार राजस्थान में केवल ६ अध्यापक पी. एस. सी. से एप्रूव्ड हैं। मेट्रिक पास को ७५-१६० व ग्रेजुएट को १३०-२५० की ग्रेड दी जाती है।" इसी प्रकार पहिले नं० ३ में यह जवबा दिया था, "जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ३०७ अध्यापक बिना पी. एस. सी. के एप्रूव्ड हैं। इनमें जो मेट्रिक पास हैं उनको ७५-१६० व ग्रेजुएट को १३०-२५० दिया जा रहा है।" जहां तक पी. एस. सी. से एप्रूव्ड और अन एप्रूव्ड का प्रश्न है आज का जबाब पहले वाले जवाब से बिल्कुल ही भिन्न है। आप यह कहते हैं कि गलती से कह दिया, उसमें भी फर्क है। भाग (४) में यह कहा था पहले, "जी हां, ऐसे अध्यापकों को जो ऐसे ग्रेडों में नियुक्त किये गये थे जिनकी एप्रूवल पी. एस. सी से आवश्यक थी" अब यह कह रहे हैं कि आवश्यकता नहीं थी। आगे कहते हैं, "पहले उनके पी. एस. सी. से एप्रूव्ड होने अथवा पी. एस. सी से एप्रूव्ड अध्यापक न मिलने के कारण समय समय पर नियुक्ति का समय बढ़ाया गया। जो पी. एस. सी. एप्रूव्ड नहीं हैं उन्हें स्थायी तौर पर नियुक्त नहीं किया गया है।" इसका मतलब यह है कि आपका अब जो जवाब आया है वह पहले वाले जबाब से बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार भाग (५) में पहले कहा था, "पहले ११०-२२५ की वेतन श्रृंखला में क्राफ्ट्स अध्यापकों को ऑफिशियेटिंग प्रमोशन दिये गये थे परन्तु नवीन वेतन श्रृंखला जो १-६-६१ से लागू की गई है उनके अनुसार ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड केवल उन्हीं अध्यापकों को दिया जा सकता है जो ट्रेन्ड ग्रेजुएट हों। अतः ऐसे क्राफ्ट्स अध्यापक जो केवल हाईस्कूल व डिप्लोमा प्राप्त हैं १-६-६१ से ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड पाने के अधिकारी नहीं हैं जब तक कि वे अपने आपको ग्रेजुएट्स न बना लें। नवीन वेतन श्रृंखला में ११०-२२५ व १५०-३०० की वेतन श्रृंखला क्रमशः ११५-२५० व १७०-३३५ में परिणत कर दी गई है।" इस प्रकार बिल्कुल दूसरा उत्तर है कृपया स्पष्ट करें कि कौनसा उत्तर सही हैं ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का निराकरण यों वहां नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि आप दोनों बैठकर एक जगह विचार-विमर्श कर लें और फिर भी उत्तर से आपको सन्तोष न हो और यहां पुनः लाने की आवश्यकता हो तो सदन को सूचित कर दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल हेराफेरी का ही सवाल नहीं है। इतना होता तो गनीमत थी। पर प्रश्न यह बड़ा गम्भीर है और जैसा कि

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आपने आदेश दिया, सम्भव है हम बैठकर कोई निर्णय कर लें पर मुझे लगता है किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पावेंगे। आप कहते हैं रेशनलाइज्ड ग्रेड कर दिया, डिप्टी डाइरेक्टर उठकर उदयपुर गया। कुछ हिस्से को उदयपुर के साथ लगा दिया और कुछ को जयपुर के साथ लगा दिया। जो उदयपुर के साथ लगा उसको तो रेशनलाइज्ड का स्केल कर दिया। पर जो कम्पीटेन्ट टीचर जयपुर के साथ लगे वे भाग रहे हैं। मिडल पास लोग जो उदयपुर और बिलासपुर में से केवल उदयपुर के हैं उनको ग्रेजुएट ग्रेड मिल रही है। इसके बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था और उप-मन्त्री महोदय ने कहा था, उस पर मैंने और स्पष्टीकरण चाहा था। उस स्पष्टीकरण के बाद भी मेरी यह धारणा बनी हुई है कि वास्तव में रेशनलाइजेशन नहीं हुआ है। कहीं कुछ पा रहे हैं, कहीं कुछ। मैं इसलिये निवेदन करता हूं कि सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। वैसे अध्यक्ष महोदय, मैं आपने जो आदेश दिया है उसका पालन करूंगा और उनके पास जाऊंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले जो उत्तर दिया गया वह अब से भिन्न है, यह बिल्कुल ठीक बात है। पहले उत्तर में जो बात थी, जिसकी वजह से माननीय सदस्य को सन्तोष नहीं हुआ, इसीलिये उसे स्थगित किया गया था उस समय। उसके बाद जो जानकारी लेटेस्ट मैंने इकट्ठी करके आपके सामने रखी है उसमें और पहली वाली में जो विरोधाभास है उसके बारे में आप मेरे से जैसा अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है मिलकर बात कर लीजिये, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सन्तोष दिला दूं; पर अगर न दिला सकूं तो आप किसी न किसी तरीके से यहां उठा सकते हैं फिर।

श्री भैरोंसिंह : आप पहले और सूचनाएं इकट्ठी करवा लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास सूचना है सब।

श्री अध्यक्ष : आप भी साथ बैठ जाइये।

श्री भैरोंसिंह : यह विरोधाभास जो मान लिया गया है, सदन में आना चाहिये। उपमन्त्री उसी विभाग के और जवाब दें और मन्त्री और जवाब दें; आखिर यह क्यों? गलती किसकी है और किसने सदन को गलत सूचना देकर गुमराह किया है। ये सारी सूचनाएं सदन में आनी चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो मेरे पास इत्तला है।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा विरोधाभास हो तो सदन के समक्ष ला सकते हैं। तो उसका उल्लेख कर दें, यह मैंने पहले ही कह दिया था।

स्थगित प्रश्न

(३-३-१९६५)

भांग का ठेका

१२८. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या आबकारी एवं कर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जोधसिंह चौहान)

(१) राजस्थान में राज्य सरकार को भांग सप्लाई करने का ठेका किस व्यक्ति को है तथा पिछले दस वर्षों में किस भाव से सरकार ने भांग खरीदी हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पंजाब सरकार ६) रुपये मन को निश्चित दर से ही भांग खरीदती है ?

(३) क्या यह सही है कि कुछ अन्य पार्टियों ने भी सरकार को सस्ते भाव में भांग सप्लाई करने का प्रस्ताव किया था ?

उप-मन्त्री, आबकारी (श्री परसराम मदेरणा) : (१) ४०० क्विन्टल । श्री माधोराम हिरामनी ने बाकी रामप्रकाश जगतराम ने सप्लाई की । पिछले दस वर्षों के भाव की सूची संलग्न है ।

(२) पंजाब में किसी जगह भांग की थोक की कीमत निर्धारित नहीं है ।

(३) प्रश्न में सस्ते भाव से भांग सप्लाई करने वाले का नाम व वर्ष जिसमें यह प्रस्ताव किया गया नहीं दिया गया है । इसके अभाव में निश्चित सूचना देना कठिन है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जोधसिंह चौहान : क्या आप यह बतावेंगे कि पंजाब में किस भाव खरीदते वे ?

श्री परसराम मदेरणा : पंजाब में इश्यू प्राइस रिटेल ८.५० पर किलो है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : खरीदने का बताइये ? पंजाब में क्या भाव खरीदते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : पंजाब की रेट राजस्थान से तो कम ही होगी क्योंकि भांग प्रोड्यूसिंग एरिया वह है और यहां पर जो भांग देते हैं और हम व्यापारियों से लेते हैं वे लाइसेसिंग फीस कुछ तो हेवी होती हैं इस कारण और कुछ ट्रान्सपोर्ट का खर्चा उनका होता है इसलिये रेट भी उसी हिसाब से रखते हैं और इस कारण पंजाब से राजस्थान में ज्यादा रेट पड़ती है ।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या आप यह बतावेंगे कि वहां सरकार ६ मण देती है और लाइसेंसिंग फीस और ट्रान्सपोर्टेशन कितना भी भारी हो तब भी सब मिला कर १२) रुपये, १३) रुपये मण से ज्यादा नहीं पड़नी चाहिये ।

पर फिर भी यह ७५) रुपये मण में मिलती है । आप इसकी जांच करिये ।

श्री परसराम मदेरणा : वे किस भाव खरीदते हैं यह सरकार को पता नहीं । हम तो टेन्डर इन्वाइट करते हैं । पर ६) रुपये मन की बात सही नहीं लगती ।

श्री भैरोंसिंह : आप कोटेशन मांगते हैं तो क्या राजस्थान के व्यापारियों से मांगते हैं या सबसे मांगते हैं ?

Page No 32

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान का प्रश्न ही नहीं हैं। राजस्थान से भी टेन्डर देना चाहें तो मना नहीं कर सकते। रेट कोई भी कोट करे; चाहे पंजाबी हो, चाहे राजस्थानी हो; चाहे कहीं का और स्टेट का हो। हम इसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह : रेट कम कोट की है राजस्थान के व्यापारियों ने ?

श्री परसराम मदेरणा : कौनसे साल में ?

श्री भैरोंसिंह : लेटेस्ट जो है।

श्री परसराम मदेरणा : ६४-६५ में राजस्थान के किसी भी व्यापारी ने कोई रेट कोट नहीं की।

श्री अध्यक्ष : और जिसकी मन्जूर की गई वह तो लोएस्ट है न ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां। उसी का टेन्डर एक्सेप्ट किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : इन्होंने मांग खा रखी है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने तो नहीं खा रखी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नागौर शहर में डिग्री कॉलेज

४३३. **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार नागौर शहर में डिग्री कॉलेज की आवश्यकता महसूस करती है ? अगर हां, तो शहर में डिग्री कक्षायें कब तक शुरू होने की सम्भावना है तथा सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है ?

(२) सरकार को कॉलेज के लिये कितना जन-सहयोग मिलने पर शेष रकम सरकार देकर कॉलेज शुरू करने को तैयार है ?

उत्तर

(१) सरकार की नीति है कि प्रत्येक जिले में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। नागौर जिले में डीडवाना में एक डिग्री कॉलेज पहले से है, अतएव जिले में दूसरे स्थान में डिग्री कॉलेज खोलने की कोई योजना नहीं है।

(२) एक क्लास एवं विज्ञान के विषयों में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए आरम्भ में १० लाख रुपये भवन एवं शिक्षा सामग्री के लिए नॉन रेकरिंग द्रव्य और १,२०,०००) रु० रेकरिंग द्रव्य की आवश्यकता होती है।

डबल सेट ऑफ-बुक्स के पकड़े जाने पर कोर्ट में चालान

४३४. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि निम्बाहेड़ा में मगनीराम बालचन्द (बालचन्द मगनीराम) की डबल-सेट-ऑफ बुक्स पकड़ी गई थीं ?

Page No 33

(सम्पत्तिलाल बोहरा)

(२) क्या यह सच है कि उसका केस कोर्ट में चालान किया गया था ?

(३) क्या यह सही है कि कोर्ट में पहली पेशी पर ही केस खारिज हो गया ?

(४) केस के खारिज होने के क्या कारण थे ? जजमेंट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ?

(५) क्या उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायगी, जिनकी गलती के कारण केस खारिज हुआ ?

उत्तर

१. जी हां। मगनीराम बालचन्द, निम्बाहेड़ा के बही खाते पकड़े गये थे।

२. जी हां।

३. जी हां।

४. जजमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

५. मुख्य मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। जिस कारण से तत्कालीन असिस्टेन्ट कमिश्नर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके उसकी जांच की जायगी।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

पंचायत क्षेत्रों की काबिल काश्त भूमि

४३५. श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार काबिल काश्त भूमि को जो पंचायतों के क्षेत्रों में सरकार के अधिकार में है उसे पंचायतों के सुपुर्द करने का विचार रखती है जिससे उनकी आमदनी बढ़े व समय समय पर भूमिहीन किसानों को या ऐसे काश्तकारों को जिनके पास बहुत कम जमीन है, इससे लाभ मिल सके ?

उत्तर

जी नहीं। सरकारी कृषि भूमि पंचायतों को सुपुर्द करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भूमिहीन व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र भूमि मिले, इसके लिये राज्य सरकार स्वयं जागरूक है। अभी हाल में ही दिनांक १८.१.६५ को आदेश प्रसारित किये गये हैं कि माह जून सन् १९६५ के अंत तक तमाम भूमिहीनों को भूमि अवश्य अलॉट कर दी जायें।

पंचायत समिति भीण्डर को सीमेन्ट तथा लोहे की चद्दरों का कोटा तथा उसका वितरण

४३६. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति भीण्डर, जिला उदयपुर को सीमेंट का व लोहे की चद्दरों का कोटा मिलता है ? यदि हां, तो वह किन-किन पंचायतों के किसानों को सन् १९६१-६२ व ६२-६३ एवं ६३-६४ में वितरण हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 34

(उदयलाल बंदिया)

(२) चद्दरें एवं सीमेंट का पंचायत वार वितरण कोई कमेटी करती है अथवा कोई अधिकारी करते हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि कुछ पंचायतों; जैसे अमरपुरा, लुणदा, मोतीदा कुंडई, चारगदीया, आकोला, पीतलपुरा, खेडी, सारंगपुरा को चद्दरों व सीमेंट का वितरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) चद्दरों के वितरण की स्वीकृति कमेटी द्वारा दी जाती हैं व सीमेन्ट वितरण की स्वीकृति प्रधान द्वारा दी जाती है।

(३) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भरतपुर जिले की तहसीलों में लगान की वसूली

४३८. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की कई तहसीलों में खातेदार काश्तकारों से राजस्थान टैनेन्सी एक्ट की धारा ६६ के खिलाफ निर्धारित लगान से अधिक लगान वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? तहसीलदार इस प्रकार अधिक वसूलशुदा लगान की रकम की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार में अधिक वसूल किये हुए लगान को किसानों को वापिस किये जाने के संबंध में कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट १९५५ की धारा ६६ के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। जिन काश्तकारों से टीनेन्सी अधिनियम की धारा ६६ के प्रावधानों का उल्लंघन कर लगान वसूल किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(२) 'क' भाग के प्रश्न के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुये यह प्रश्न इस तरह उत्पन्न ही नहीं होता।

आयुर्वेद कॉलेज, जयपुर का छात्रावास

४४७. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) आयुर्वेद कॉलेज, जयपुर में इस वर्ष छात्र संख्या कितनी है तथा उसके छात्रावास में रहने की कितने छात्रों की व्यवस्था है ?

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

(२) क्या यह सही है कि छात्रों की संख्या के अनुसार छात्रावास में स्थान नहीं है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या किया गया है तथा आगे क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

उत्तर

(१) आयुर्वेदिक कॉलिज, जयपुर में इस वर्ष ३२५ छात्र हैं तथा छात्रावास में केवल ४० की व्यवस्था है।

(२) जी हां। छात्रों की संख्या के अनुसार छात्रावास में स्थान नहीं हैं; कारण अभी छात्रावास के भवन का निर्माण नहीं हुआ है; धन की प्राप्ति पर छात्रावास का निर्माण किया जावेगा।

राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा

४४८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान साहित्य को बढ़ावा देने, प्रकाशित करने तथा संग्रह करने आदि कार्यों के लिये दो संस्थायें प्रांत विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में तथा राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थापित कर रखी है ?

(२) क्या यह सही है कि ये दोनों संस्थायें राजस्थान के लोक साहित्य के बारे में किसी प्रकार का कार्य नहीं करतीं ? और क्या इन दोनों का कहना है कि लोक साहित्य उसके कार्य क्षेत्र से परे हैं ?

(३) यदि हां, तो राजस्थान के लोक साहित्य के संबंध में तथा उसे विनिष्ट होने से बचाने के संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(४) क्या सरकार साहित्य के इस पक्ष पर भी कार्य किया जाना सिद्धान्ततः स्वीकार करती है ?

(५) यदि हां, तो क्या इसके लिये अलग संस्था कायम करने का अथवा उपरोक्त दोनों संस्थाओं में लोक साहित्य पर कार्य करने का विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं। दोनों ही संस्थाएं अपने सिमित साधनों के आधार पर लोक साहित्य को बढ़ावा देती है।

(३) लोक साहित्य को विनिष्ठ होने से बचने के सम्बन्ध में इन दोनों संस्थाओं ने निम्नलिखित कार्य किया है—

(१) साहित्य अकादमी दो पुस्तकें प्रकाशित कर रही है:—

(क) राजस्थानी लोकगीत व

(ख) हाडोती बोली और साहित्य

प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में अब तक सैकड़ों ही प्राचीन लिखित गीत,

(श्री शिक्षा मंत्री)

कथा और बातों आदि का संग्रह अन्य साहित्य के साथ किया है और यथाशक्य उनका प्रकाशन भी किया है । यह सत्य है कि प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान आधुनिकतम लोक साहित्य प्रतिष्ठान की प्रवृति से सम्बन्ध नहीं है। लोक साहित्य जहां भी लिखित रूप में प्राप्त होता है उसको यथा शक्य संग्रहीत कर लेना भी इस प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में से एक है ।

(४) जब दोनों संस्थाएं लोक साहित्य का कार्य कर रही हैं तो यह सिद्धान्ततः स्वतः स्वीकृत हैं ।

(५) लोक साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए अलग संस्था संस्थापित करने का विचार अभी नहीं है ।

तहसील अलवर में भूमि का अलॉटमेंट

४४६. श्री गोकुलचन्द (कठूमर–सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील अलवर (जिला अलवर) में स्थित रूंध सीरावास में कितनी भूमि काश्त के लिये कितने व्यक्तियों को अलॉट की गई ?

(२) यह भूमि किनकी आज्ञा से और किन किन नियमों के अन्तर्गत अलॉट की गई ?

(३) अब कितनी भूमि उक्त रूंध (सीरावास) में बाकी हैं और कितनी दर्ख्वास्तें उसे प्राप्त करने के लिये तहसील में आई हुई हैं ?

(४) क्या बाकी भूमि को भी सरकार काश्त के लिये देना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(१) रूंध सीरावास तहसील अलवर में मीणा सहकारी समिति को ४०० बीघा तथा बावरिया सहकारी समिति को ३०३॥ बीघा रकबा अलॉट किया गया था, जिनका दखल क्रमशः ३–८–५६, एवं २६–६–६३ को किया गया ।

(२) यह भूमि सरकारी आदेश दि० १८–५–५६ से मीणा सहकारी समिति को व दि० ८–५–६३ द्वारा बावरिया सहकारी समिति को अलॉटमेन्ट के लिये वन विभाग से रिलीज की गई थी ।

(३) वन विभाग के अधीन रूंध सीरावास का कुल रकबा १२५६२ बीघा है, जिसमें से २ सहकारी समितियों को ७०३॥) बीघा अलॉट किया जा चुका है । अब ११८५८॥) बीघा रकबा शेष है जिसे प्राप्त करने के लिए तहसील में ५३ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(४) इस विषय में तहसील एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस सम्बन्ध में बनी हुई कमेटियों को निर्णय लेने का अधिकार है ।

फसल को नुकसान

४४१. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु.) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री श्रवणलाल)

(१) क्या यह सच है कि तहसील हिण्डौन में अनावृष्टि तथा शीत लहर के कारण फसल नष्ट हो गई थी ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार पिलाई व लगान माफ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

१, तहसील हिण्डौन में कई स्थानों पर सम्वत् २०२० की रबी की फसल में व शीत लहर के कारण नुकसान हुआ था।

२. सम्बत् २०२० की रबी की फसल को अवश्य शीत लहर के कारण नुकसान हुआ था और भू-राजस्व में नियमानुसार छूट देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जिलाधीश कार्यालय, भरतपुर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या

४५३. श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भरतपुर जिलाधीश के कार्यालय में अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति अभी नियुक्त हैं और क्या वे उनके लिये सुरक्षित संख्या के अनुरूप हैं ?

उत्तर

एक भी नहीं। नई नियुक्ति करते समय ध्यान रखा जायगा।

सिकराय में मंडी का निर्माण

४५४. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सिकराय में सिकन्दरा रोड के चौराहे पर एक मण्डी का निर्माण किये जाने के लिये कई प्रार्थना-पत्र स्थानीय जनता द्वारा संबंधित कलेक्टर को पेश किये गये है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां। उन प्रार्थनापत्रों पर कोई कार्यवाही किया जाना इस कारण संभव नहीं हो सका कि संबंधित भूमि जिस पर मंडी बनाई जा रही थी उसके काश्तकारों ने राजस्थान राजस्व मंडल से स्थगन आदेश प्राप्त कर इस कार्यवाही को स्थगित करवा दिया। आगामी जो भी कार्यवाही होगी वह राजस्व मंडल के निर्णय के बाद हो सकेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गोमतीदास के मंदिर को सेवा पूजा के लिए धनराशि

१. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही हैं कि सरकार

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

करौली में होली की खिड़किया बाहर गोमतीदासजी के मन्दिर को १८५) रु० प्रति वर्ष सेवा पूजा के लिए देती थी ? यदि हां, तो कितने साल से यह रकम उक्त मन्दिर के पुजारी को दी जाती थी ?

(२) क्या यह सही है कि बगैर कारण बतलाये सन् ६२-६३ में वह रकम १८५) रु० की बजाये सिर्फ ९२) रु० सालाना कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि ९२) रु० की धनराशि सन् १९६३-६४ में बिलकुल बन्द कर दी गई है ?

(४) यदि हां, तो सेवा-पूजा की राशि बन्द करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी हां। एक लम्बे समय से यह रकम उक्त मन्दिर के पुजारी को दी जाती थी।

(२) यह सही है कि सन् ६२-६३ में यह रकम १८५) के बजाय सिर्फ ९२) रु० पास की गई। यह रकम टेम्पल फण्ड से दी जाती थी। टेम्पल फण्ड में गुन्जाइश न होने से पूरी रकम नहीं दी गई। जहां तक सम्भव होगा रकम आमद के माफिक निर्धारित धनराशि में ज्यादा से ज्यादा दिलाये जाने के प्रयत्न किये जायेंगे।

(३) यह सही है कि ९२) रु० की धनराशि सन् १९६३-६४ में पेमेन्ट नहीं की गई।

(४) टेम्पल फण्ड में गुन्जायश नहीं होने के कारण अदायगी नहीं हो सकी।

समाज कल्याण बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट

२. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड को सन् १९५७ से लेकर अब तक किस किस वर्ष में कितना कितना अनुदान दिया गया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस बोर्ड की किस किस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिटेड एकाउन्ट्स कब कब समाज कल्याण विभाग में पेश किया गया ?

(३) पूर्व वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट अथवा ऑडिटेड एकाउन्ट्स के पेश हुए बिना किस किस वर्ष में कितना कितना अनुदान दिया गया और किन नियमों के आधार पर ?

उत्तर

(१) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड को सन् १९५७ से अब तक निम्नलिखित धनराशि दी गई है :—

(१)	सन् १९५७-५८	१२५९२५.१४
(२)	सन् १९५८-५९	१७४१२२.०६
(३)	सन् १९५९-६०	२६९१९१.९२
(४)	सन् १९६०-६१	१९१८७२.३०

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

(५)	सन् १९६१-६२	८६८७३.२५
(६)	सन् १९६२-६३	१५००००.००
(७)	सन् १९६३-६४	१७५०००.००
(८)	सन् १९६४-६५	१२९५००००

(२) इस बोर्ड की ऑडिटेड रिपोर्ट अथवा ऑडिटेड एकाउन्ट्स विभाग में पेश नहीं होते हैं। प्रथा यह है कि बोर्ड और उसके द्वारा चलाये जाने वाले प्रोजेक्ट्स का अलग २ ऑडिट भी महालेखापाल द्वारा किया जाता है। बोर्ड की ऑडिटेड रिपोर्ट्स या ऑडिटेड एकाउन्ट्स आज तक इस विभाग में पेश नहीं हुये हैं। सन् १९६३-६४ से महालेखापाल से इस बोर्ड द्वारा संचालित कुल १९ प्रोजेक्ट्स में से निम्नांकित प्रोजेक्ट्स की ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं :

क्रमांक	प्रोजेक्ट का नाम	वर्ष
(१)	सवाई माधोपुर	१९६३-६४
(२)	सिकराय	१९६३-६४
(३)	राजगढ़	१९६३-६४
(४)	मावली	१९६३-६४
(५)	बेंगू	१९६३-६४
(६)	निम्बाहेड़ा	१९६३-६४
(७)	भीलवाड़ा	१९६३-६४

(३) अनुदान की विगत प्रश्न १ के उत्तर में दे दी गई है। इस संस्था को अनुदान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड सामुदायिक विकास योजना मंत्रालय व राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित अनुपात में प्राप्त होता है।

		राज्य सरकार	केन्द्रीय बोर्ड
(१) राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कार्यालय के लिये		५० प्रतिशत	५० प्रतिशत
		केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग	विकास विभाग
		समाज कल्याण बोर्ड	
(२) समाज कल्याण विकास परियोजनाओं के लिये	प्रथम स्टेज	१२	६
	द्वितीय स्टेज	२४	१२

(२) समाज कल्याण विकास परियोजनाओं के लिये	प्रथम स्टेज	१२	६	५
	द्वितीय स्टेज	२४	१२	५

उक्त अनुपात के अनुसार प्रावधान योजना आयोग द्वारा होता है।

सोजत सब-डिवीजन की जागीरें

३. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सोजत सब-डिवीजन की कौन कौनसी जागीरें सन् १९५४ में रिज्यूम की गई? उनकी सूची मय रिज़म्पशन की तारीख के संदन की मेज पर रखी जावें।

(२) प्रश्न के भाग (१) के उत्तर में दी जाने वाली सूची में किस किस जागीर का मूल वर्ष (बेसिक ईयर) सेटल्ड था व किन किन का मूल वर्ष (बेसिक ईयर) अन-सेटल्ड था ? यह सूचना जागीरदारों द्वारा भरे गये मुआवजे के दावों के आधार पर जिलाधीश द्वारा सेटल्ड या अनसेटल्ड मानी जाने के आधार पर दी जावे ?

Page No 40

(श्री तेजाराम गहलोत)

(३) प्रश्न के भाग न० २ में बताई गई अनसेटल्ड मूल वर्ष की जागीरों में से जागीर रिज़म्प्शन एक्ट की धारा ७ के अनुसार जिलाधीश ने किन किन की रेन्टल आमदनी कितनी मानी ?

(४) प्रश्न के भाग (३) में बताई गई जिन जागीरों की रेन्टल आमदनी जिलाधीश ने तय की उसके आधार पर किन किन जागीरदारों को मुआवजा जागीर कमिश्नर ने उसे (आधार मान कर) दिया, किन किन में जागीर कमिश्नर ने संशोधन किया, कितना कितना संशोधन किया और संशोधन करने का क्या कारण था ?

(५) प्रश्न के भाग (१) में दी गई सूची में दर्ज जागीरों में बन्दोवस्त के पर्चे लगान कब बांटे गये थे ? पर्चों में दर्ज शर्त के अनुसार बन्दोबस्त की अवधि कब से प्रारम्भ (कमेन्स) होने को थी ? हर जागीर की अलग अलग बतावें ।

(६) क्या यह सच है कि सरकारी आज्ञा दिनांक ११-२-५४ बावत सोजत सब-डिविज़न की रेन्ट रेट रिपोर्ट को मोडिफाई करने की जारी होने के बावजूद भी 'दी राजस्थान सेटलमेंन्ट रेन्ट रेट रिट्रोस्पेक्टिव (एप्लीकेशन) वैलीडेशन एक्ट, १९५९' के लागू होने से कम्पयूटेशन के प्रयोजनों के लिये कमेंन्समेंट ऑफ सेटलमेन्ट पर्चे लगान पर दर्ज शर्त के अनुसार ही माना जा सकता है जिससे प्रश्न (१) में दर्ज सभी जागीरों का मूल वर्ष सेटल्ड ही माना जा सकता है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) प्रश्न भाग (१) की सूची में वांछित सूचना का समावेश है ।

(३) केवल १ जागीर सिरियारी को कि जिसकी रेन्टल इन्कम आधे वर्ष की ८११२-०५ रुपए मानी गई है ।

(४) केवल १ जागीर सिरियारी के केस में संशोधन किया गया । सिर्फ यह एक ही मुआवजे का दावा राज्य सरकार की आज्ञा सं० एफ १२ (८७) एम० एल०।५३ दिनांक ११-२-५४ के आधार पर फाइनल किया गया, जिसमें खरीफ की आय अनसेटल्ड व रबी सेटल्ड मानी गई । दावा तारीख ३१-८-५९ को फाइनल किया गया था ।

(५) सोजत सब डिविज़न में दो तहसीलें सोजत व खारची हैं तथा दोनों तहसीलों के पर्चे लगानी सं० २०१० में वितरण किये गये थे । दोनों तहसीलों के पर्चे में अवधि बन्दोबस्त सं० २०१० से सं० २०१९ तक १० वर्षों की रखी गई है । वह जागीर, देहात का प्रथम बन्दोबस्त है । गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(६) जी हां ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 41

आदिम जाति सेवक संघ द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावास

४. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला सवाई माधोपुर में आदिम जाति सेवक संघ के द्वारा कितने छात्रावास किस किस स्थान पर चलाये जा रहे हैं ?

(२) इन छात्रावासों में छात्रों की संख्या कितनी २ है वह किस किस कक्षा के छात्र हैं तथा वे कहां कहां के निवासी हैं ?

(३) प्रत्येक छात्र पर कितना वार्षिक खर्चा होता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) आदिम जाति सेवा संघ द्वारा जिला सवाई माधोपुर में हिन्डौन, गंगापुर और टोडाभीम में तीन छात्रावास चलाये जा रहे हैं।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) प्रत्येक छात्र के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र के लिये २५) रु० माहवार सहायता दी जाती है। प्रति छात्र ओसतन २५० रुपये वार्षिक खर्चा होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नाजायज कब्जों के खातेदारी अधिकार

५. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील के जोतपुर पटवार मंडल के आमलवा गांव में केवल आदिवासी ही रहते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि आमलवा गांव के ११४ आदिवासियों के पास नाजायज कब्जे की जमीनें हैं व उन पर वे १५-२० वर्षों से खेती करते हैं और मौके के पटवारी कांकड़ काश्त का खसरा नहीं बना कर लगान के नाम पर रकम भिन्न २ आसामियों से प्रति वर्ष वसूल कर लेते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि सन् १९६२ में सभी ११४ व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करके पुराने कब्जे की जमीनों के मामले रेगुलराइज करने की मांग की थी, जिसकी भूतपूर्व तहसीलदार ने अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं होने से सुनवाई नहीं की और न जमीनों को मौके पर जाकर देखा ?

(४) क्या हमेशा की भांति इस वर्ष भी ११४ आदिवासियों ने उप-जिलाधीश सलुम्बर को १॥ माह पूर्व प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया और उस पर पन्द्रह दिन के अन्दर उक्त नाजायज कब्जों को रेगुलराइज करने के आदेश हो गये हैं और अब भी कर्मचारी उपरोक्त कार्य नहीं करना चाहते हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

Page No 42

(श्री उदयलाल वर्दिया)

(५) क्या यह सही है कि सैंकड़ों बीघा जमीन का भू-राजस्व जमा नहीं होने से राज्य सरकार को हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या अब भी शीघ्र नाजायज़ कब्जों के खातेदारी अधिकार देने का राज्य सरकार कोई प्रबन्ध करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं, सम्बत् २०१८ से पहले नाजायज़ कब्जा रेकॉर्ड में जाहिर नहीं है।

(३) जी नहीं। केवल आमलवा ग्राम के काश्तकारों के ४३ प्रार्थना-पत्र नाजायज़ कब्जे रेगुलराइज कराने बाबत पेश हुए है।

(४) जी हां, ११४ व्यक्तियों की एस. डी. ओ. सलूम्बर के यहां नाजायज़ कब्जे रेगुलराइज कराने की दर्ख्वास्त पेश हुई।

(५) जी हां। जिस भूमि पर नाजायज़ कब्जे काबिल रेगुलराइज़ थे कर दिये गये है, जो हटाने योग्य हैं उनको हटवाया जाकर लगान व पेनाल्टी नियमानुसार, होगी।

भीलों की बस्ती के लिए धनराशि

६. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या समाज कल्याण मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

(१) रंगवाड़ी, पंचायत समिति लाडपुरा में भीलों की बस्ती के लिए कितना रुपया दिया गया ?

(२) उक्त रुपया किसके माध्यम से कितने व्यक्तियों को कितनी कितनी राशि में बांटा गया ?

(३) उक्त रकम से कितने मकान तैयार होने थे ? आज कितने पूरे हैं व कितने अधूरे हैं ?

(४) क्या उपरोक्त मकानों का वास्तविक सत्यापन हो चुका है तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं ?

उत्तर

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा रंगवाड़ी, पंचायत समिति लाडपुरा में भीलों की बस्ती के लिए ४८,४०० रुपये दिये गये हैं।

(२) उक्त धनराशि का वितरण जिलाधीश कोटा द्वारा निम्न प्रकार से किया गया था :

(१) ५० मकानों के लिये सन् ५६-५७ में ३५० रुपये की दर से १७,५००)

(२) ४२ मकानों के लिये उन्हीं आदमियों को सन् ५८-५९ में ३४८ रुपये की दर से १४,६१६)

(३) ८ मकानों के लिये नये आदमियों को ५८-५९ में ३४८ रुपये की दर से २,७८४)

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

(४) ५० आदमियों को भूमि-सुधार के लिये १०० रुपये की दर से वर्ष १९५६-५७ में ५,०००)

(५) ५० आदमियों को कोऑपरेटिव शेयर के लिये वर्ष ५६-५७ में २५००)

(६) पंचायत घर बनाने के लिये ६०००) रु० ।

योग ४८४००

(३) इस प्रकार उक्त रकम से ५८ मकान तैयार होने थे । सत्यापन रिपोर्ट से विदित है कि २३ मकान पूरे हो चुके हैं, २४ मकान अधूरे हैं तथा ११ मकानों का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

(४) जी हां । ३०,०५० रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र-महालेखापाल, जयपुर को विकास अधिकारी, लाडपुरा द्वारा भेजा जा चुका है ।

एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज, चित्तौड़गढ़

७. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज चित्तौड़गढ़ ने सन् १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में कुल कितने उम्मीदवार इन्टरव्यू में भेजे या बुलवाए ?

(२) इन्टरव्यू में बुलवाने में प्राथमिकता देने का क्या तरीका अपना रखा है ?

(३) क्या यह सही है कि बाद में कई रजिस्टर्ड उम्मीदवार सिफारिशों के आधार पर बुला लिये जाते हैं और उनसे पहले के रजिस्टर्ड उम्मीदवार को नहीं बुलाया जाता है ?

(४) उक्त वर्षों में शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों के लिए भेजे गये उम्मीदवारों की एक सूची मय रजिस्ट्रेशन नम्बर व तारीख तथा नाम सदन की मेज पर रखी जावे ?

उत्तर

(१) इस कार्यालय द्वारा सन् १९६३-६४ (अप्रेल सन् १९६३ से मार्च १९६४) के अन्दर भेजे गये प्रार्थियों की संख्या ३६२८ है और सन् १९६४-६५ में जनवरी १९६५ तक ४,०३७ प्रार्थी भेजे जा चुके हैं ।

(२) इन्टरव्यू में बुलाने तथा अन्य कार्य का तरीका नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस मेन्युएल में दिये गये नियमों के अनुसार है ।

(३) जी नहीं ।

(४) इस विषय में सन् १९६३ की सूचना अब उपलब्ध नहीं है । सन् १९६४ के बारे में सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डेरी फार्मिंग के लिए धनराशि

८. श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)

(१) सन् १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में राज्य सरकार ने डेरी फार्मिंग के लिए कितनी कितनी रकम ऋण व अनुदान के रूप में दी ? कुल धनराशि का योग बतावें ।

(२) ऐसी धनराशि में से बिलाड़ा और भोपालगढ़ पंचायत समितियों को प्रत्येक के लिए प्रतिवर्ष के कितनी कितनी रकम दी ?

(३) पंचायत समिति, बिलाड़ा और भोपालगढ़ ने ऐसी रकम इस उपयोग हेतु किन किन को तथा कितनी कितनी दी ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(४) क्या इन्होंने इसका पूर्ण उपयोग कर लिया है ? यदि हां, तो इसकी पुष्टि किसने और कब कब की ?

(५) ऐसी पूंजी का उपयोग न करने की दशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१) कोई रकम नही दी गई ।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(५) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(१२. १७. म. प.)

शिक्षा की मांग पर राशियों में भिन्नता विषयक वाद-विवाद

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । शिक्षा पर डिमाण्ड की जो रकम मंजूर की है वह रकम हमने यहां पर कोट की है १७ करोड़, ६२ लाख ५० हजार और बजट एस्टीमेट के अन्दर जो रकम दी गई है उसके हिसाब से वह आती है १८ करोड़ ६२ लाख ४० हजार ।

एक माननीय सदस्य : एरेटा में भी देखा है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : देखा है । उसमें नहीं है । इसमें १९४ पेज पर है, सरकारी प्राथमिक विद्यालय के बारे में । उसमें सेकण्ड लाइन में लिखा है: १ करोड़ बीस लाख और इस सारी रकम का जोड़ है, ६८ लाख पचास हजार । तो इस तरह इसके जोड़ में एक करोड़ रुपया कम लिखा है । तो जो डिमाण्ड है वह १७ करोड़ की बजाय १८ करोड़ की होनी चाहिये थी, अगर इसमें जो फिगर्स छापे हैं वे सही हो तो ।

तो या तो डिमाण्ड की रकम जो पास करवाई है उसमें फर्क है या इसमें जो छपा है वह गलत है । तो अब जो डिमाण्ड हाउस से पास कराने के बाद में इस फर्क के बारे में आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में लिख कर दे दें, ताकि सब देखकर व्यवस्था दे दी जाय ।

(१२. १९ म. प,)

हमालों विषयक उठाये गये प्रश्न पर स्पष्टीकरण

श्री दयाचन्द सोन (बारां) : अध्यक्ष महोदय, कल मुख्य मन्त्री जी भी थे। हमालों के बारे में....

श्री अध्यक्ष : कृषि मन्त्रीजी जांच कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मैं आपको संतोष कराऊंगा।

श्री दयानन्द सोन : यह बड़ा महत्व-पूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में आज ही कुछ निवेदन किया जाना जरूरी है।

श्री नाथूराम मिर्धा ; कृषि की डिमांड भी तो परसों आ रही है। अब एक दिन में क्या हो जावेगा ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप जल्दी जवाब दे दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पोलिटिकल मोटिव का नहीं है। सवाल यह है कि हमाल अपनी मांगें लेकर अड़ रहे हैं। उनकी दस पैसे के बजाय आठ पैसा रेट कर दी है। गाड़ियां वहां आ रही हैं, किसान पड़े हैं, हैरान हैं, माल पड़ा है; इतना ही नहीं, वहां ऐसी जगह इतनी जल्दी में मण्डी ले जाई गई है कि वहां न पानी का प्रबन्ध है, न सुरक्षा का। लोग परेशान हैं। तो यह सारा विषय ऐसा है कि जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करें और इसका जवाब दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मंडी कानून जो सदन द्वारा पारित किया गया है उसी कानून के अनुसार रेगुलेटेड मण्डी बनी है। उसके लिए मण्डी कमेटी का निर्माण हुआ है, वह मन्डी कमेटी कानून के नीचे काम करती है। उस कमेटी ने वहां पर जो कुछ निर्णय लिया, जहां तक रेट्स का सवाल है वह अपने लिमिटेशन में फंक्शन करती हैं। वहां की वाकई स्थिति ऐसी है कि पानी वहां नहीं मिलता, शेड का प्रबन्ध नहीं है; यह सब व्यवस्था मन्डी कमेटी को करनी चाहिए, यह सारा काम कमेटी के जिम्मे है। आज जो स्थिति बताई गई है उसके लिए मैंने विभाग के लोगों को, जो मार्केटिंग सेक्शन को डील करते हैं, उनको मौके पर जाकर स्थिति के अध्ययन के लिए कहा है और उसकी रिपोर्ट मुझे जल्दी से जल्दी दी जाय, यह आज्ञा दी गई है। पहले मन्डी कमेटी से बात कर लें उसके बाद भी वे राजी न हो तो कानून के अनुसार जो कार्यवाही हो सकती है वह की जायगी। अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे एक–दो रोज में अध्ययन करके आपस में मिल–जुल कर बात को निपटाया जा सकता है तो वह किया जायगा। इस बारे में जब कृषि की मांग पर विचार होगा उस समय चर्चा कर लेंगे।

श्री दयाचन्द सोन : वहां ऐसी जगह मन्डी बना दी है जहां पानी का प्रबन्ध नहीं, शेड का प्रबन्ध नहीं....

श्री नाथूराम मिर्धा : मंडी कमेटियां अभी अभी बनी हुई हैं। एक दिन में ही

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सारा प्रवन्ध हो जाय, यह उम्मीद नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह : रेट्स को रिड्यूस क्यों कर दिया, इस वारे में तो आप कह सकते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सारी स्थिति की जानकारी के लिये अधिकारियों को भेजा है।

श्री दयाचन्द सोन : जब वहां पर पानी का इन्तजाम नहीं, छाया का इन्तजाम नहीं ; तो फिर मन्डी को वहां ले क्यों गये ?

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : आप एक तरफ तो कर्मचारियों की महंगाई को वढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हमालों के रेट्स घटा रहे हैं, यह कहां का न्याय है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार ने कोई रेट्स रिड्यूस नहीं की है ; जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हमने एक कानून पास किया है उसके अन्तर्गत कमेटी बनी है। वह कमेटी का काम है, उसमें क्या क्या सहूलियतें दे दीं, की जांय। उसके उपरांत भी मन्डी कमेटी नहीं करती है तो अधिकारी वर्ग गये हैं वे वहां से जानकारी करके मंत्री महोदय को जानकारी देंगे। वे, कृषि की मांग पर बहस होगी उस दिन उसका जवाब दे देंगे।

श्री दयाचन्द सोन : सरकार ने जंगल में मन्डी जाने ही क्यों दी बगैर इन्तजाम के ? जहां पानी का इन्तज़ाम नहीं, छाया का इन्तजाम नहीं; जबरदस्ती ले गये जंगल में।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको तकलीफ और है और कहना और चाहते हैं। मंडी कमेटियों का जो निर्माण हुआ है वह मार्केट को रेगुलेट करने के लिये, नये मार्केट बना कर, उसके लिए यार्ड बनाकर जो सहूलियत दी जाय वह वो देती है। अब फेसीलिटीज़ का जहां तक सवाल है वे उपलब्ध कराने का मंडी कमेटी का काम है। वे क्या कर रहे हैं, उनकी क्या मदद हो सकती है, अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे जानकारी करें। उनकी जानकारी आने पर ही मैं कुछ कह सकूंगा।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन दिया है मन्त्री महोदय ने, वे जल्दी ही कार्यवाही करेंगे।

(१२. २५. म. प.)

मांग संख्या १,३३ व १३-भू-राजस्व, वन एवं विविध विभाग

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,३५,४५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

Page No 47

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के आरम्भ के कुछ समय पहले नये राजस्व मन्त्री जी की नियुक्ति हुई है। अतः राजस्व मन्त्रीजी को अपनी मांग पेश करनी चाहिये। अगर वे किसी अन अबोइडेबल कार्य के कारण नहीं आ सके हैं तो सदन को सूचना देनी चाहिये। अब आ गये है, अतः उन्हीं को यह मांग पेश करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब तो पेश कर दी है।

(विराम)

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१६,३३,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

मांग संख्या १३

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९४,६२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

मांग संख्या ३३

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : (१) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन-सम्पदा की निरन्तर क्षति तथा उसके संरक्षण न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०)।

(२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बारां सब-डिविजन में हरिजन व अनुसूचित जाति के लोगों के व्यवसाय के लिये वन विभाग से बांस वगैरह न मिलने पर चर्चा के लिये)।

(३) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बारा सब डिविजन में वन विभाग द्वारा कटवाये व खरीदे हुए में घास गबन व घोटालों पर चर्चा के लिये)।

(४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) कम कर दिया जाय (मजदूर पेशा लोगों व काश्तकारों को जंगल से लकड़ी व घास वगैरह काटकर न लाने देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में से १००) रुपया कम कर

(श्री दयाचन्द सोन)

दिया जाय (अनुसूचित जाति के लोगों को लगान वगैरह में कुछ विशेष रियायत देने व किश्तों से लगान लेने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाडा) : (६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत भाड़ोली को घास बीड़विला ओसतन कीमत पर नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अम्बिका वन श्रमिक ठेका सहकारी समिति पिंडवाड़ा को मीमला कूप रेंज पिंड-वाड़ा ओसतन कीमत पर न मिलने पर चर्चा के लिये)।

(८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जंगलों के ठेके दिये जाने की गलत प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : (६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जंगलात के ठेके व पानरवा जंगल के ठेके देने में गड़बड़ी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(१०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गुड़ा में जमीन वितरण और लगान छोड़ने पर चर्चा के लिये)।

(११) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू–राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भूमि–हीनों को जमीन न देने पर चर्चा के लिये)।

(१२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भ-राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अनार्थिक जोतों से लगान हटाने पर चर्चा के लिये)।

(१३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक भू६-–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खड गावडी कोटा की जमीन की फर्जी बिक्री की, पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : (१४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चन्दन के वृक्षों की रक्षा करने में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(१५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्लान्टेशन की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(१६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गांवों के पास जंगलात की हद बन्दी से जनता को असुविधा पर चर्चा के लिये)।

(श्री गोविन्दसिंह)

(१७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (काश्तकार को अपनी फसल की रक्षा के लिए जंगलों से कांटे व झाड़ प्राप्त करने में कठिनाई पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

(१८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (काफी अर्से की पटेलाई की रसूम पटेलों को न दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

(१९) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील पचपहाड़ में भूमि एलॉटमेन्ट की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

(२०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील पिड़ावा में एलॉटमेंट की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

(२१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील पिड़ावा में बन्दोबस्त हो जाने पर भी लगान की दर की घोषणा न करने पर चर्चा के लिये) ।

(२२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (फॉर्मर झालावाड़ स्टेट के समय का काश्तकार फन्ड काश्तकारों को नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिये) ।

(२३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (फॉर्मर झालावाड़ स्टेट की तहसीलों में ६॥ बिस्वा चरनोट फी मवेशी दिए जाने पर चर्चा के लिये) ।

(२४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सुनेल में नायब तहसील भवन गिर जाने के डर से नायब तहसीलदार का ऑफिस सुनेल से हटा लेने पर चर्चा के लिये) ।

(२५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में चरनोट भूमि गांवों के सुपुर्द न किए जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री केसरीसिंह (पाली) : (२६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चकबन्दी की फीस निर्धारित करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १३

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

(२७) मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खाद्य तथा नागरिक रसद विभाग द्वारा भावों के कानून को लागू कराने में असमर्थता पर चर्चा के लिये) ।

Page No 50

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मांग संख्या ३३

(२८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा अपनी सीमाएं अनुचित तौर पर बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

(२९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा ग्रामों की बसावट के बीच में सैन्चूरी कायम करने पर चर्चा के लिये)।

(३०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भरतपुर डिवीजन में कूप कोडापुरा के ठेके में बरते गये पक्षपात पूर्ण तरीके पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(३१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा अनाधिकृत भूमि की काश्त को नियमित बनाने में कतिपय जिलों से भेदभाव–पूर्ण तरीकों पर चर्चा के लिये)।

(३२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू-रास्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा अलवर व भरतपुर जिलों के सं० २००३ से पूर्व के निष्क्रांत भूमि के काश्तकारों को खातेदारी हक़ूक़ न देने पर चर्चा के लिये)।

(३३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मई १९६१ में पुरुषार्थी किसान कॉन्फ्रेन्स से अलवर और भरतपुर जिलों में बसे पुरुषार्थी किसानों से किये गए समझौते पर अमल करने पर चर्चा के लिये)।

(३४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निष्क्रांत भूमि के देश के बंटवारे से पूर्व के काश्तकारों को जो खातेदारी हक़ूक़ देने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये)।

(३५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उमरैण ग्राम, जिला अलवर के किसान परिवारों की भूमि पर सरकार द्वारा गैर कानूनी कब्जा करने पर चर्चा के लिये)।

(३६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में हेलक ग्राम के पुरुषार्थी किसानों को अम्यूनिशन डिपो के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा न मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १३

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): (३७) मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २९-विविध विभाग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान विभाग द्वारा मन्दिरों की पूजा के सम्बन्ध में कमी पर चर्चा के लिये)।

Page No 51

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

मांग संख्या ३३

(३८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा काश्तकारों को तंग करना व ऊंटों की चराई का प्रबन्ध न होने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

(३९) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाया (भू-राजस्व विभाग द्वारा काश्तकारों की समस्याओं के निबटारे में ढिलाई पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १३

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : (४०) मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय बीमा योजना की स्कीम से मिलने वाले लाभ से जिला परिषद् व पंचायत समितियों के कर्मचारियों को वंचित रखा जा रहा है ; अतः इस उक्त योजना के अन्तर्गत लिया जाय, इस पर चर्चा के लिये) ।

(४१) मांग संख्या १३. मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (देवस्थान व धर्मपुरा के अधिकारी मन्दिरों की व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं ; अतः सुव्यवस्था की जाय, इस पर चर्चा के लिये) ।

४२. मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य नियन्त्रण के अन्तर्गत धर्मार्थ तथा अन्य विविध संस्थाओं का संधारण तथा देख–भाल में काफी पक्षपात और अनियमितताएं होती हैं, उसे रोके जाने पर चर्चा के लिये) ।

(४३) मांग संख्या १३,मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (देवस्थान विभाग में काफी अव्यवस्था है, इसे सुधारे जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

(४४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन के अन्तर्गत इस मांग में ५२००००) रु० कम कर दिये जायं (अग्रिम कार्यवाही में बिना विवरण के ५२००००) रु० की राशि चाही गई है, इसमें कमी की जाय, इस पर मितव्ययता) ।

(४५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन के अन्तर्गत इस मांग में २०२३०००) रुपया कम कर दिये जायं (नवीन व्यय में एक मुश्तदान की राशि में कमी की जाय, इस पर मितव्ययता) ।

(४६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को सहायतार्थ अनुदान दी जाने वाली राशि को घटा कर कतई बन्द कर दिया गया है; उसे वन पौध लगाने हेतु राशि दिलाई जाय, इस पर चर्चा के लिये)

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

(४७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पौध रोपण तथा संधारण पर होने वाला खर्च का सत्यापन नहीं होता है; इससे इस मद में काफी अनियमितताए हुई हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

(४८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम वनों की उन्नति की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(४९) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में ६०००००) रु०कम कर दिये जायें (भू-अभिलेख सुधार योजना के नाम पर खर्च होने वाली राशि को खर्च नहीं की जाय, इस पर मितव्ययता)।

(५०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में ३२०७००) रु० कम कर दिये जायें (राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय टोंक का खर्च अनावश्यक है इसे बन्द कर दिया जाय, इस पर मितव्ययता)।

(५१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में ३३३२००) रु० कम कर दिये जायें (अन्य कार्य में लेखन सामग्री के हेतु चाही हुई राशि को कम किया जाय, इस पर मितव्ययता)।

(५२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में ५०००००) रु० कम कर दिये जायें (भूतपूर्व जमींदारी भू-सम्पतियों के संबंध में व्यय में कमी की जाय, इस पर मितव्ययता)।

(५३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों को पटवारखानों के मकान की सुविधा नहीं के बराबर है, सो दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

(५४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों को काफी कम वेतन मिलता है, इससे वृद्धि कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

श्री जोरसिंह चौहान (गिरवां) :

(५५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चराई और चरनोट भूमि के उन्नति पर चर्चा के लिये)।

(५६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन-संरक्षण की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(५७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर डिवीजन में सरकार द्वारा वनों को बुरी तरह से कटाया जा रहा है, चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(५८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर

(श्री जोधसिंह चौहान)

दिया जाय (जिला प्रशासन की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : (५९) मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (संचालक, स्थानीय निकायों के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

(६०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जंगलात के ठेके देने में विभागीय गड़बड़ी पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

(६१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भूराजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भू–राजस्व के संग्रहण में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : (६२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में जंगल से जलाने की लकड़ी मिलने में कठिनाई पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

(६३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटपुतली में खेती के लिये खुदकाश्त के लिये जमीन देने में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : (६४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खेती योग्य जमीन को जंगलात से निकालने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(६५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू–राजस्व में से १००) रु०, कम कर दिया जाय (अलॉटमेन्ट की हुई जमीनों के कब्जे व पट्टे न दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : (६६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन–संरक्षण में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

(६७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चराई एवं चारण भूमि की उन्नति पर चर्चा के लिये)।

(६८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर जंगल में ऊंटों की चराई पर चर्चा के लिये) ।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(६९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पानरवा जंगल का ठेका देने में अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २

(७०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गंग नहर की जमीन का एलॉटमेन्ट नहीं हुआ इस पर चर्चा के लिये)।

(७१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(७२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नाथद्वारा तहसील के गांवों में वर्षा की कमी से फसल कम हुई, इसलिये लगान कम कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १३

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): (७३) मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक १६-विविध विभाग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नई मोटर गाड़ियों के खरीदी में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

(७४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जंगलात विभाग द्वारा रिजर्व फोरेस्ट कायम न करने पर चर्चा के लिये)।

(७५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १०० रु० कम कर दिया जाय (चित्तौड़ जिले में बुरी तरह से ठेकेदारों ने नाजायाज तौर पर जंगल काटे जिससे राज्य सरकार के हुए नुकसान पर चर्चा के लिये)।

(७६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पानरवा जंगल, जिला उदयपुर के ठेके से राज्य सरकार को हुए लाखों रुपयों के नुकसान पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(७७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बटवारे के खातों को रद्दोबदल करने पर चर्चा के लिये)।

(७८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलोटमेन्ट करने तथा एलॉट की हुई भूमि का समय पर कब्जा न देने पर चर्चा के लिये)।

(७९) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सीलिंग से भीलवाड़ा जिले में प्राप्त भूमि को भूमिहीनों को अलोट करने पर चर्चा के लिये)।

(८०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९--भू-राजस्व में से १००)रु० कम कर दिया

(श्री उमरावसिंह डावरिया)

जाय (पटवारियों की आर्थिक व काम की हालत पर चर्चा के लिये) ।

(८१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नए सेटलमेन्ट के कारण भू-राजस्व में होने वाली वढ़ोत्तरी पर चर्चा के लिये) ।

(८२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले में बिला नाम व खेती की जमीनों पर वनाये गये मकानों को रोकने पर चर्चा के लिये) ।

(८३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमि एकीकरण में होने वाली धांधलियों पर चर्चा के लिये) ।

(८४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों के फिक्सेशन तथा उन्हें हायर ग्रेड न मिलने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : (८५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रेन्ज चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा तथा विजयपुर में मवेशियों कि चराई कि असुविधा पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

(८६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील निम्बाहेड़ा में पटवारियों में से कुछ पटवारियों द्वारा राजनीति में भाग लेने पर चर्चा के लिये) ।

श्री अमरसिंह (दूदू) : (८७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी आज्ञा के विपरीत भरत के तालाबों का भू-राजस्व ¼ न लेकर पूरा वसूल करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

रावल श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा) : (८८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन–संपदा की सुरक्षा में राज्य सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री आलचन्द डागा (किशनगढ़) : (८९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में काफी रुपया लगाकर भी वृक्षारोपण कार्य सुचारु रूप से नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

(९०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमियों के संघ नीतक-ऋण में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

Page No 56

(श्री वालचन्द डागा)

मांग संख्या १

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : (६१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६--भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जालोर एवं बाड़मेर जिलों में पटवारियों और सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा कर्त्तव्यपरायणता नहीं बरतने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमूं) : (६२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०--वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जंगलात पनपाने में धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा--सु०) : (६३) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०--वन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (वन-रक्षा पर अनावश्यक खर्चे पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

(६४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमिहीन किसानों को भूमि न मिलने से उनमें व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

श्री भरतलाल (मलारना चौर) : (६५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा बामनवास, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर में हुई चकबन्दी की घोर अनियमितताओं व काश्तकारों को इस समय भी नाजायज परेशान करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १३

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : (६६) मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर की नगर कोन्सिल को सड़कों की मरम्मत तथा ड्रेनेज के लिये सहायता पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या ३३

(६७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के जोहड़ बीड़ के विकास हेतु तथा गायों पर चराई शुल्क कम किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १

(६८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पिछले साल अकाल के दौरान खारवारा आदि गांवों में लगान के अनुपात से 'मालिकाना' माफ न किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

(६९) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (काश्तकारों को उनके अधि-

(श्री भीमसेन)

कारों के इन्द्राजात के सम्बन्ध में 'पास बुक' शीघ्र देने पर चर्चा के लिए)।

(१००) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गांव विसरासर, तहसील नोहर के काश्तकारों को सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा धोखा देकर बन्दोबस्त रेकॉर्ड में हेरफेर किया गया है, उसकी जांच के सम्बन्ध में, चर्चा के लिए)।

(१०१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिकार की दफा १५ के अन्तर्गत खातेदारी हकों का इन्द्राजात में हुए विलम्ब पर चर्चा के लिए)।

(१०२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सेटलमेन्ट दरों में बढ़ौतरी करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़): (१०३) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को वन सम्बन्धी सुविधा समय पर न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(१०४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) कम कर दिया जाय (वन की डिमाकेशन में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

(१०५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भेड़, बकरी व ऊंट की चराई के लिये सुविधा देने में विभागीय अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(१०६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की भू–राजस्व कम वसूली हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

श्री दलपतसिंह (आबू): (१०७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हरे बांस की कटाई में किसानों को तकलीफ पर चर्चा के लिये)।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा-सु.): (१०८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डिवीजन उदयपुर में जंगलों का ठेका नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(१०९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर में वन मजदूर सहकारी समितियों को जंगलों का ठेका दिलाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : (११०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भेसरोड़गढ़ रेन्ज में कुन्डाल की जनता को जंगलात की असीयाय का भारी कष्ट है, इस पर चर्चा के लिये) ।

(१११) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नव–सम्पदा नष्ट होने से वारिश की कमी पर चर्चा के लिये) ।

(११२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००)रु० कम कर दिया जाय (ठेकेदारों द्वारा वन–सम्पदा नष्ट की जाती है, इस पर चर्चा के लिये) ।

(११३) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बे बेंगू में वारिश की मौसम में सूखी लकड़ी जंगल से लाने में रोक नहीं करने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये) ।

(११४) मांग संख्या ३३. मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेंगू तहसील में गांवों के नजदीक जो सीमा वन विभाग द्वारा कायम की वह दूर हटने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये)।

(११५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००)रु० कम कर दिया जाय (जंगलात की सीमा गांवों के बहुत नजदीक पहुंचा देने से जनता को भारी कष्ट हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

(११६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७० वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में जनता को वन विभाग से लकड़ी आदि नहीं मिलने से कष्ट है, वह दूर कराने पर चर्चा के लिये) ।

(११७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन विभाग में भारी भ्रष्टाचार है, इस पर चर्चा के लिये)।

(११८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में बनों का इन्तजाम करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

(११९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेंगू रेन्ज में वन सम्पदा ठेकेदारों द्वारा नष्ट की गई, इस पर चर्चा के लिये)।

(१२०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेंगू तहसील में जंगल की असी आय पुराने तरीके मुताबिक दिलाने के सम्बन्ध से चर्चा के लिये)

(१२१) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेगू तहसील में किसानों की घास, लकड़ी,हेल, धवाली के चेठिये (पास)गांव २ जाकर देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(१२२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

जाय (वैंगू तहसील में किसानों, उनके गांव के नजदीक जंगल से लकड़ी, हेल, धवाली दिलाने का इन्तज़ाम कराने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १३

श्री देवीलाल (सराड़ा-सु) : (१२३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २६- विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में डाक बंगले का नया भवन निर्माण कराने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३३

(१२४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०- वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर रेन्ज नाका परशाद तथा रेन्ज नाका उदयपुर के जंगलों से लकड़ी, कोयला आदि को नाजायज़ तरीके से लाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

(१२५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में काश्तकारों के कब्जे शुदा भूमि को चरणोट में दी है, जिसको चरणोट से निकलवाने पर चर्चा के लिए) ।

(१२६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६- भू- राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा काबिल-काश्त पहाड़ी भूमि को काबिल काश्त में दर्ज कराने पर चर्चा के लिए) ।

(१२७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर में तहसील सराड़ा में काश्तकारों के कब्जे शुदा भूमि का खातेदारी हक दिलाने पर चर्चा के लिए) ।

(१२८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में पहाड़ी व पथरीली भूमि को काबिल काश्त में बदलाने पर चर्चा के लिये) ।

(१२९) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में काश्तकारों पर अधिक जुर्माना तथा पेनेल्टी किया जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री डूंगाराम रा जोरिया (जमवा रामगढ़) : (१३०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर ज़िले में भूमिहीनों को भूमि न देने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १३

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : (१३१) मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६- विविध विभाग में से १००)

(श्री दुर्गाला बाढ़दार)

रुपया कम कर दिया जाय (स्टेट गैरेज की गाड़ियों का दुरुपयोग किया जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

(१३२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०- वन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जंगलात के ठेकों में वन विभाग में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

(१३३) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग ने आदि-वासियों की वन से लकड़ी आदि की सुविधा का ध्यान नहीं रखा, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

(१३४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू– राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा की जाने वाली गिरदावरी के बंद किये जाने से जो परिणाम हुआ, इस पर चर्चा के लिये) ।

(१३५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बन्दोबस्ती व सर्वेक्षण कार्य-वाहियों में बरती गई अनियमितताओं के कारण किसानों पर पड़े प्रभाव पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३३

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डौली) : (१३६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन बरबादी से रोके जाकर समय पर किसानों को लकड़ी न मिलने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

श्री गोकुलचन्द (कठूमर-सु०) : (१३७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन विभाग की भूमि को भूमिहीनों में आंवटन किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

(१३८) मांग संख्या १. मुख्य शीर्षक ६–भू- राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों के कृषकों द्वारा अन्य जातियों को अपनी कृषि भूमि को बेचे जाने के प्रतिबन्ध पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : (१३९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों को परेशान करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : (१४०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-

(श्री गोविन्दसिह)

वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में भैंसों की चराई के लिए वन विभाग द्वारा सुविधा न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १३

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): (१४१) मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६– विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सर्किट हाउस व डाक बंगलों के सामानों की उचित व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३३

(१४२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा बांध, कोटा ब्रिज में जल–गृह मृदा सरंक्षण पर चर्चा के लिये)।

(१४३) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वृक्षारोपण के नाम पर किये जाने वाले अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

(१४४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (माचिस की लकड़ी वाले पौधों का रोपण में किये गये अपव्यय पर चर्चा के लिये)

(१४५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन बन्दोबस्त के कारण होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

(१४६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन विभाग में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये)।

(१४७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) कर दिया जाय (जंगलों की बरबादी व नये जंगल उगाने के नाम पर किये जाने वाले अपव्यय पर चर्चा के लिये)

(१४८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०- वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय वन विभाग के द्वारा किसानों को काश्त की लकड़ी उपलब्ध नहीं करवाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(१४९) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू- राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिसमें भूमिहीन किसानों की अभी तक जमीनें एलॉट नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

(१५०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू– राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिसमें १५ बीघा तक की भूमि को लगान की वसूली से मुक्त रखने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३३

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): (१५१) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०- वन

(श्री हीराभाई)

में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जंगल सुरक्षा के साथ साथ तमाम चरागाह की जमीन वन क्षेत्र में शामिल होने से मवेशियान को चरने वास्ते जमीन नहीं है, सो जंगल से चारागाह देने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

(१५२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू– राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने लगान वसूली में किसानों से अलग से लगान के साथ ब्याज वसूल किया जिससे, किसानों को काफी धक्का पहुंचा ; ब्याज वसूली में मयाद मुकर्रर करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३३

श्री जयलाल (डग) : (१५३) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (किसानों को फसल की रक्षा के लिए झाड़, कांटे आदि न मिलने पर चर्चा के लिए) ।

(१५४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन विभाग के कर्मचारियों में बढ़ती हुई रिश्वतखोरी पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १

(१५५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू– राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा लगान वसूल करने में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : (१५६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू- राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (६ एकड़ तक की जमीन को लगान से मुक्त करने पर चर्चा के लिये) ।

(१५७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमिहीनों को सहकारी समिति बनाने पर ही राजस्थान केनाल में जमीन अलॉट की जाय, पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १३

श्री जुझारसिंह (चेचट) : (१५८) मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सप्लाई विभाग द्वारा कन्ट्रोल्ड चीजों के वितरण की ठीक व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

(१५९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा चराई भूमि की उन्नति हेतु पूरा ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

(१६०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सांगोद क्षेत्र में भूमि कटाव को रोकने

(श्री जुझारसिंह)

के लिये नदी किनारों पर जंगल लगाने आदि की व्यवस्था न कर सकने पर चर्चा के लिये)।

(१६१) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लोगों को जलाऊ व मकान की लकड़ी उपलब्ध नहीं हो सकने से होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये)।

(१६२) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सांगोद समितियों में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित बबूल राडियों में फिजूल खर्ची व कम आमदनी की ओर सरकार का ध्यान दिलाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(१६३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में सर्वे कार्य में की गई शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : (१६४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार भूमि–हीनों को ठीक ढंग से बसाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

(१६५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी खेती की ओर सरकार के दुर्लक्षपूर्ण रवैये से किसानों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़) : (१६६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों का काश्तकारों के प्रति अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : (१६७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (वन साधनों से आय–श्रोत बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये)।

(१६८) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (शाहबाद व किशनगंज में वन भूमि को राजस्व विभाग को हस्तान्तरण करने पर चर्चा के लिये)।

(१६९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (चम्बल भू-संरक्षण विभाग जो वन विभाग का अंग है द्वारा मनमानी अपव्यय करने पर चर्चा के लिये)।

(१७०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु. कम कर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

दिया जाय (स्ट्रॉ बोर्ड फेक्ट्री को घास का ठेका देने में पक्षपात–पूर्ण व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

(१७१) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शाहबाद व किशनगंज, बारां, कोटा में वन विभाग द्वारा अकाल-कार्य के लिये घास सप्लाई के मामले में घोटाले पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(१७२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमापन व्यवस्था और अभिलेख कार्यवाहियों में गड़बड़ पर चर्चा के लिये)।

(१७३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्ध में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सीपेज व लौगिंग से परेशान किसानों को लगान की छूट दिलाने पर चर्चा के लिये)

(१७३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमि–हीन किसानों को भूमि बेचे जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु) (१७५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय में रेवेन्यू कर्मचारियों की शिथिलता से कार्य में स्थिरता नहीं रहती है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद): (१७६) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चराई व चरनोट भूमि की उन्नति न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(१७७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पटवारी प्रशिक्षण विद्यालय की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़): (१७८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (टीनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी हक किसानों को नहीं दिये गये, उस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १३

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): (१७९) मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (देवस्थान विभाग में वृन्दावन में व बरसाने में स्थित जयपुर मंदिरों में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(१८०) मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग में से १०० रुपया

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

कम कर दिया जाय (बांदीकुई म्युनिसिपिल बोर्ड में हुई अनियमितताओं में सरकार के द्वारा जांच पर निर्णय न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

श्रीमती नगेन्द्र बाला (छबड़ा) :

(१८१) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को जलाने की व काश्त की लकड़ी समय पर न मिलने पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या १

(१८२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीनों को भूमि वितरण की उचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या ३३

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) :

(१८३) मांग संख्या, ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिले के नाकेदारों व रेंजर्स द्वारा जयपुर रेंज के जंगलों की बर्बादी की इस पर चर्चा के लिये)।

(१८४) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर रेंज में झालाना जंगल को गत वर्ष के ठेकेदारों द्वारा बर्बाद किया जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(१८५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जयपुर की तहसील सांगानेर व बस्सी के जिन ग्रामों में ओलों से अभी हाल ही में फसल रबी नष्ट हो गई है उनको इस फसल का लगान कतई माफ किया जाने पर चर्चा के लिये)।

(१८६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सांगानेर व बस्सी में जिन ग्रामों में ओलों द्वारा फसल नष्ट हो गई है उन ग्रामों में लगान माफ किया जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १३

श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर-पश्चिम) : (१८७) मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक–२६–विविध विभाग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (× बेकरी वालों को मैदा का कोटा दिये जाने में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

(१८८) मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विवध विभाग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर की जनता के लिये गेहूं व शक्कर अपर्याप्त देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) :

(१८९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (टोंक डिविजन में वन विभाग की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

(१६०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वनस्पति के विकास में समुचित ध्यान न देने के परिणामों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(१६१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६– भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पटेलाई (नम्बरदारी) व्यवस्था समाप्त कर पटवारियों पर अधिक कार्य एवं उत्तरदायित्व डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(१६२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों को एल०डी०सी० की ग्रेड देने पर चर्चा के लिये)।

(१६३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (आवंटन की हुई भूमि पर कुए बना लेने पर मुकदमा बनाने से होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

(१६४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक जिले में भू–राजस्व अधिकारियों को दलगत राजनीति में सक्रिय किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : (१६५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सांचोर के भवातड़ा जोड़ में वन विकास के संबंध में ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(१६६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६- भू–राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व वसूली के लिये राजस्व पटवारियों के खर्चे पर चर्चा के लिये)।

(१६७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जलोर में पटवार मंडल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उससे आम काश्तकारों में असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

(१६८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ट्रेसपासर किसानों की भूमि के रेग्यूलराइजेशन करने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये)।

(१६६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू–राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (म्युटेशन के मामलों में पटवारियों द्वारा की जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

श्री रामचन्द्र (श्रीमाधोपुर) : (२००) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खातेदारी के नामान्तरकरणों में काश्तकारों को परेशान किया जाता है उस पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामचन्द्र)

(२०१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सीकर जिला में गोचर भूमि-का एलॉटमेंट भूमिहीनों को न किया जाकर भूमि वालों को पक्षपात लेकर किया गया है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री रावतराम (सादुलपुर) : (२०२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (चूरू जिले में आराजी राज जमीन जो हर साल काश्तकारों को एलॉट की जाती है उसमें अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

(२०३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू–राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सम्वत् २०१८, २०१६ में चूरू जिले की सरदारशहर, श्री ईनारगढ़ तहसीलों में किसानों से १५ गुना तावान नाजायज़ वसूल किया गया है, पर चर्चा के लिये) ।

(२०४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (चूरू जिले की कतिपय तहसीलों में जोहड़, बणी, ओयण आदि के नाम से जमीनें बेकार पड़ी हैं जबकि वहां कोई जोहड़ आदि का निशान भी नहीं है, ऐसी जमीनों का सर्वे करवा कर उन्हें काश्तकाबिल जमीन घोषित किया जाकर भूमिहीन हरिजनों को दी जावे, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

श्री सागरमल (फुलेरा) : (२०५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रेंज किशनगढ़ ग्राम भादवा में जो प्लान्टेशन का निर्माण किये हुए ६ साल हो गये लेकिन कोई उन्नति न होने और वहां आसपास के काश्तकारों को परेशानी होने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

(२०६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सांभर तहसील में पटवारियों की धांधली पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०) : (२०७) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा किसानों को काश्त की लकड़ी उपलब्ध नहीं करवाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १३

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : (२०८) मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

श्री शंकरलाल (सादड़ी) : (२०९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन में से

(श्री शंकरलाल)

१००) रु० कम कर दिया जाय (जंगलात विभाग द्वारा किसानों को लकड़ी आदि की सुविधा नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

(२१०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६--भू-राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों का वेतन बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): (२११) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६--भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में राजस्व विभाग द्वारा लगान पर गलत ब्याज की वसूली पर चर्चा के लिये)।

(२१२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६--भू-राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में जागीर पुर्नग्रहण के वर्ष जागीरदारों द्वारा वसूल किये गये लगान की दुबारा वसूली की जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या

(२१३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६--भू-राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में लगातार २ वर्षों तक अकाल से प्रभावित होते हुए भी लगान की माफी की घोषणा न की जाने पर चर्चा के लिये)।

(२१४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में राजस्व विभाग द्वारा रिजम्पशन के वर्ष जागीरदार द्वारा वसूल किये गये लगान की दुबारा वसूली कृषकों से किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया): (२१५) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़): (२१६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६--भू-राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भूमि एलॉटमेंट के मामलों में फैली हुई धांधली पर चर्चा के लिये)।

(२१७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जलमग्न भूमि पर भू-राजस्व की गलत वसूली पर चर्चा के लिये)।

(२१८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (एवेक्यू कृषि भूमि के पट्टेदारों की समस्या पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३३

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु.): (२१९) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक

(श्री विजयपाल कटारा)

७०–वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जंगलात विभाग में डूंगरपुर के आदिवासियों के साथ पक्षपात करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३३

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा–सु०) : (२२०) मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा में किसानों को समय पर घास व लकड़ी नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : (२२१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९--भू-राजस्व में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमि अलॉटमेन्ट में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।]

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वनों का क्षेत्रफल १५-१६ हजार वर्ग मील है । यानी वनों का क्षेत्रफल राजस्थान कुल क्षेत्र के अनुपात में ११ प्रतिशत है । सम्मिलित वन क्षेत्रफल को यहां की खेती और बस्ती के अनुपात से देखा जाय तो ३० प्रतिशत होना चाहिये । अर्थात् वनों का क्षेत्रफल ३० प्रतिशत और खेती और वस्ती का क्षेत्रफल ७० प्रतिशत होना चाहिये ।

मान लिया जाय, अगर वनों का क्षेत्र २५ प्रतिशत है तो बस्ती और खेती का क्षेत्रफल ७५ प्रतिशत यानि ३।४ और १।४ अनुपात यदि खेती और वनों के दर्मियान है तब भी वह सन्तुलित मानी जा सकती है । लेकिन जो यहां ११ प्रतिशत वनों का क्षेत्रफल है वह मेरे ख्याल से असन्तुलित है ।

इसके साथ साथ अगर यह देखा जाय राजस्थान में जिस प्रकार से वनों का ह्रास हो रहा है जिस रफ्तार से हो रहा है वह मेरे ख्याल से बड़ी चिन्ताजनक बात है । सरकार द्वारा जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं सरकार ने खुद ने यह माना है कि तीन हजार वर्ग मील का क्षेत्रफल का जो वन था वह ह्रास हो चुका है । यह आंकड़े किसी हद तक ठीक हैं निश्चित रूप से मेरा अनुमान है कि तीन हजार वर्ग मील के अनुसार वनों का ह्रास होता जा रहा है ।

वनों का जहां तक ताल्लुक है राजस्थान के अन्दर सबसे अच्छे वन राजस्थान के, दक्षिणी पूर्वी भागों में स्थित है । जो दक्षिणी पूर्वी भागों के वन है ज्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ है, यह सर्व विदित बात है । सरकार इस सम्बन्ध में रोकथाम करने की कोशिश करती हो यह दिखायी नहीं देता । मेरे ख्याल में दिन प्रतिदिन नुकसान बढ़ता जा रहा है ।

मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में यह उल्लेख किया है कि सरकार २०० वर्ग मील वनों को री-क्लेम री-ग्रो करेगी । जहां वनों का ह्रास हो चुका है वहां पर २०० वर्ग मील में री-ग्रो करेंगे । जहां तीन हजार

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

वर्ग मील के नष्ट होने का अनुमान लगा रहे हैं वहां २००/वर्ग मील री-ग्रो करने से क्या होगा ?

मेरे ख्याल में नुकसान के मुकाबिले में जो आप लाभ करना चाहते हैं, वनों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं वह नगण्य है और मखौल है। आप पौध-शाला में और वन महोत्सवों में हजारों रुपये सालाना खर्च करते हैं वह मेरे ख्याल में सब अकारथ जाता है। आप वन महोत्सवों में अपने कर्मचारियों के द्वारा यह उल्लेख कराते हैं कि कितने वृक्ष लगाये गये किन्तु आप इसकी भी जांच कराते हैं कि जो वृक्ष लगाये गये उनमें कितने पनपे और कितने नष्ट हुए ? आपकी जो पौध-शालायें हैं उनका भी कोई ठिकाना नहीं। उसमें अधिकांश रूप में देखा गया है बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में अगर पौधे पनपते हैं तो उनके मुकाबिले में गर्मी की मौसम में तिहाई हिस्सा याने ७५ प्रतिशत पौधे नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं अगर सरकार के ऊपर यह आरोप लगाऊं कि सरकार राजस्थान के वनों की सबसे बड़ी शत्रु है तो मेरे ख्याल में यह आरोप उचित होगा। आपने जितनी वन सम्पत्ति का १७ वर्षों में राजस्थान में ह्रास किया है शायद १०० वर्षों में उतनी वन सम्पत्ति का नुकसान नहीं हुआ होगा।

आपके समक्ष कहा जाता है, आप इस बात को मानते आ रहे हैं कि आप वन रक्षण के संबंध में कोई न कोई ठोस कदम। लेंगे लेकिन ठोस कदम अभी तक तो दिखाई नहीं देता। अभी तक तो जो भी दिखाई देता है उससे तो यही अनुमान किया जा सकता है कि आपकी नीति धीरे धीरे वनों को सर्वनाश करने की है। अगर यह नहीं है तो आपकी नीति गैर जिम्मेदार नीति की पराकाष्ठा है। मैंने आपको यह निवेदन किया और मैं फिर भी कुछ सुझाव आपके जरिये, अध्यक्ष महोदय, सरकार के विचार के लिए रखना चाहूंगा कि आपको जंगलों की और खास करके बड़े जंगलों की हदबन्दी करनी चाहिए। आप कहते हैं कि आपने इतने हजार मील लम्बी हदबन्दी की। मैं समझता हूं कि इसमें अधिकांश जो हदबन्दी है वह ऊटपटांग है। मकानों के पास में आपने जंगलों की हदबन्दी कर रखी है और वहां पर असंतोष और भ्रष्टाचार आप व्याप्त करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर पांच, पचास, सौ बीघा जमीन गांवई जंगल में जायें तो जहां भी आप हदबन्दी करें, सरकार की ओर से कर्मचारियों को व फारेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को आप आदेश दें कि गांव के कम से कम १५ आदमियों की राय लिये बिना ऐसा काम न करें। हर एक गांव में सरपंच नहीं हुआ करते हैं लेकिन हर गांव में इन्सान हैं, बस्तियां हैं। आप उनको बुलाकर नम्रता के साथ, समझाइश के साथ कहें कि जो वन हैं वे उन्हीं के लाभ के लिए हैं तो मेरे ख्याल में कोई कारण नहीं है कि आप कोई समझौते के द्वारा इस कठिन समस्या का हल नहीं निकाल सकें। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होता प्रतीत नहीं होता।

बालरा की खेती करके हमारे उदयपुर डिवीजन के जो आदिवासी लोग हैं वे करते

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हैं। उनके साथ में सरकार की सहानुभूतिपूर्ण नीति होनी चाहिये। आप समझाइश करें और वालरा की खेती के द्वारा उनको नुकसान अधिक है। वह गेंती से जमीन खोदते हैं, पहाड़ी जमीन खोदते हैं या हल भी जोतते हैं तो वहां पर जो भी खेड़ी जाती है, जहां जमीन लूज सॉइल होती है वह वर्षा के कारण वह जाती है और चट्टानें निकल जाती हैं उसमें खेती तो दरकिनार रही भविष्य में १० वर्ष या बाज़ बाज़ वक्त सदा के लिए घास तक नहीं उगती। तो यह वालरा की खेती प्रचार के द्वारा, समझाइश के द्वारा लोगों को संतोष करायें कि इसमें लाभ नहीं हैं हानि अधिक है। आपको चाहिए कि बड़े जंगलों की यह स्थिति आ चुकी कि आप उनका संरक्षण नहीं कर सकते सिवाय पत्थर गड़ी के और फेन्सिंग के। अगर आप पत्थरगड़ी के द्वारा व्यवस्था करके हदबन्दी कायम करें तब तो आपको एक हदबन्दी नियत रूप से दिखाई पड़ेगी, विज़िबल चीज होगी। उसके ऊपर जो कुछ भी आपका है आप डटकर अपना कब्ज़ा कायम कर सकते हैं। जहां पर हदबन्दी ऊटपटांग है, मनमानी है और अधिकांश रूप से यह हदबन्दी मनमानी है जिससे असंतोष व्याप्त होता है तो मेरा निवेदन है कि इस समस्या को आप खत्म करें ताकि आपके कर्मचारियों को भी यह अधिकार है, उनका उत्तरदायित्व है कि हदबन्दी पत्थरगड़ी या तार के द्वारा कायम हो उसके बाद सरकारी जंगल हों और उसके आगे से जंगल न हों, मुकदमेबाजी भी न हो, गलतफहमी भी न हो, भ्रष्टाचार भी न हो। तो यह तकलीफ आप तय कीजिए फाइनली और जितनी देर तक आप इस समस्या को आगे धकेलते हुए चले जायेंगे उतनी ही यह समस्या विषम होगी और उतना ही सरकार का नुकसान होगा और उतना ही जो यह जंगल जनता का धन है उसका ह्रास होता चला जायेगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चराई के सम्बन्ध में आप कूप सिस्टम करें। इसके द्वारा चराई को रेगुलेट करें, चराई को रोटेट करें। अमुक आपके कूप हों दीवाली से होली तक चराई रखें और बाकी के कूप में होली से वारिश तक चराई की व्यवस्था करें तो अवश्यमेव इसमें आपको लाभ होगा और जंगलों की तरक्की होगी। अध्यक्ष महोदय, यह भी सरकार के द्वारा एक आजमाइशी रूप से व्यवस्था की गई थी कि पंचायत समितियों में पंचायतों को यदि कोई पंचायत ८ एकड़ जमीन के अन्दर पड़त जमीन या पहाड़ी रकबे में खास का वीड़ रख सकती है तो उसको अनुदान या सब्सिडी ३०० रुपये दी जायेगी। जहां तक डूंगरपुर जिले का प्रश्न है मेरे ख्याल में यह व्यवस्था विफल रही कोई सफल नहीं हुई। अब अधिकांश डूंगरपुर जिले की पंचायतें आप ही के कांग्रेस के हाथ में हैं यदि आप इसी व्यवस्था को आजमाइशी तौर पर प्रोत्साहन पंचायत को देकर करें और अगर १० एकड़, ८ एकड़ भूमि बीड़ के रूप में संरक्षण करें तो ३०० की जगह उनको १००० रुपया अनुदान के रूप में दें। आप १०–१२ या १५ पंचायतों में इसको एक्सपेरीमेन्टल तौर पर, आजमाइशी तौर पर इस योजना को अगर आप लागू

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करेंगे तो आप किस हद तक सफल हो सकते हैं, यह भी आपको अनुमान हो जायेगा। जो योग्य सरपंच हैं, जो निष्ठावान् सरपंच हैं उनको आप यह काम सौंपे तो मेरे ख्याल से आपको इस योजना का मापदण्ड का अनुमान होगा कि किस मद तक योजना सफल होती है। अगर आप ग्राम पंचायतें और ग्रामवासियों के दिलों के अन्दर यह सिद्धान्त और यह बात स्थिरता के रूप से स्थापित कर दें कि यह व्यवस्था सरकार के हित के लिए नहीं है, इस व्यवस्था का संचालन उन्हीं के हाथ में होना चाहिए, सरकार का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, सरकार का कोई स्वार्थ नहीं है, सरकार का कोई सरोकार नहीं है और सरकार केवल मात्र पंचायतों को अनुदान के रूप में मदद देना चाहती है।

मेरे ख्याल में आपका ध्येय अगर यहां पर साफ होता है तब भी घास और जंगल के संरक्षण के लिए कोई न कोई कोऑपरेटिव मेजर, कोई न कोई सहकारिता के द्वारा, जनता के सहयोग के द्वारा; आप इस रूप से योजना स्थापना कर सकते हैं जो कि आगे बढ़ सकती है।

गंवई जंगल में ग्राम निस्तार के हकूक मध्यप्रदेश में सब जगह हैं। आपके रजिस्टर को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, क्या नाम है हिन्दी भाषा में वह मैं नहीं जानता लेकिन ढालबाचा रजिस्टर के अन्दर हकूक जंगल के आम निस्तार के सम्बन्ध में सब लिखित रूप से होता है। आप अगर [illegible] में आसामियों के हकूक के सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था करेंगे राजस्व और वन विभाग के बीच कोऑपरेशन और सहयोग के द्वारा तो मेरे ख्याल से यह भी एक लाभदायक योजना हो सकती है। इसमें सहकारिता की भावना उत्पन्न हो सकती है और सारे गांव का सम्मिलित रूप में उत्तरदायित्व रखें। एक से अधिक गांव हों या जैसी भी स्थिति हो तो उस तरह से आप उत्तरदायित्व रखें, एक या दो गांव का वन उनका हो और वन का संरक्षण उनका हो और उस वन के अन्दर जो आप उनको सौंपें उसमें ठेके की बात कतई नहीं होनी चाहिए। यह बिलकुल पवित्र भावना को लेकर अगर आप आगे चलते हैं तो मुझे विश्वास है कि कोई न कोई हद तक आपको सफलता मिल सकती है।

अभी उदयपुर के आसपास एक आंदोलन हुआ, सैकड़ों आदिवासियों के ऊंटों को आपने रोक दिया। उनकी रोजी-रोटी के सम्बन्ध में आपने ठोकर मारी। इस सदन के एक माननीय सदस्य को भी इस आंदोलन के परिणामस्वरूप जेल जाना पड़ा और वहां पर माननीय माणिक्यलालजी वर्मा बैठकर थोथी बातें करें और एक नाम मात्र की कागजी कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम करने के सम्बन्ध में व्यवस्था करते हैं, तो वह बंगले में बैठकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज कभी कायम नहीं हो सकती हैं। आपको मौके पर जाना होगा। आपको लोगों को समझाइश करनी होगी, आपको उनके ऊपर उत्तरदायित्व जंगल के संरक्षण का डालना होगा, तभी कुछ न कुछ व्यवस्था आप कर सकते हैं। अगर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नहीं तो उदयपुर शहर में बंगले में बैठकर कोऑपरेटिव सोसाइटी आदिवासियों की स्थापित हो कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे; यह आदिवासियों के समझ में नहीं आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारिता समिति क्या चीज होती है। आप उनको समझाइश करें तब तो वे मानेंगे कि यह अच्छी चीज है या बुरी चीज है। बहस करिये. उनको संतोष दिलाइये तब कोऑपरेटिव योजना सफलतापूर्वक स्थापित हो सकती है, वर्ना कभी नहीं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर पानरवा के ठेके के सम्बन्ध में चर्चा होती चली आ रही है और सरकार इस सम्बन्ध में कोई साफ नीति नहीं बताती है। मैं तो मोटी मोटी एक दो बातें हैं उस सम्बन्ध में ही निवेदन करना चाहूंगा। पानरवा का जगल मैंने अच्छी तरह से देखा है, घूम करके देखा है। वह लाखों रुपयों का जंगल है। मैं समझता हूं कि ५० लाख रुपये की मालियत से कम का वह जंगल नहीं है और ३०० वर्गमील जंगल आपने ठेके में दिया १८ हजार रुपये सालाना के नजराने पर। उसके अन्दर से कितने ट्रक्स बाहर गये? यह जंगल जितना भी बाहर गया वह गुजरात में गया है। खेड ब्रह्मा स्टेशन के ऊपर ट्रक्स जाते थे। कितनी तादाद में ट्रक्स गये, कितने गये, मुझे तो आशंका है कि सरकार जानते हुए भी इस बारे में जवाब नहीं देती है ताकि कोई अनुमान भी हो सके कि इतने ट्रक जाने के पश्चात् अमुक लागत का जंगल गुजरात में राजस्थान से इस ठेके के देने के फलस्वरूप गया है।

इस सदन के एक माननीय सदस्य ने जब पानरवा की चर्चा चल रही थी तो शरियतनामे के अन्तर्गत, एक मोटी सी बात सरकार के समक्ष रखी। वह यह थी कि ठेके के अन्दर ठेकेदार को बताया गया कि अमुक मील लम्बी सड़कें सालाना ठेके के रकबे के अन्दर, क्षेत्र के अन्दर बनाई जायेंगी। सरकार मैं समझता हूं कि उत्तर नहीं देती है। यह सम्भव है, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार को ऐसी मोटी बात की जानकारी न हो। यह सब लहतलाली और लाटा-टोला है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): जवाब तो यह दिया है कि वह काम उस शर्त के मुताबिक हो गया है और वास्तव में हुआ नहीं। इनका जवाब है कि हो गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: ये फिर भी कहेंगे तो मेरे ख्याल में चार आदमियों की एक निष्पक्ष रूप से कमेटी वहां पर भेजी जाये और मौका तो देखें कि यह बार बार कोयल की रट जो है वह होगई है; यह भी हो गया है, वह भी हो गया है, क्या हो गया है? पत्थर हो गया, मेरा सिर भी नहीं हुआ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: इनकी आवाज तो कुछ और मालूम होती हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैंने देखा है कि सड़कें नहीं-सी है। अगर सड़क

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

भी हैं तो धुल गई है। उनमें खड्डे पड़ गये हैं। और माननीय सदस्य जो गोगूंदा से आते हैं उन्होंने देखा हैं। सड़कें बनी भी होंगी तो वे नगण्य हैं। तो मेरे ख्याल से जितने मील की ठेके के अन्तर्गत सड़कें बनाने का उल्लेख है उसके मुताबिक इतनी लम्बी-चौड़ी सड़कें बनी हों, यह मुझे कहीं नजर नहीं आई हैं।

श्री भीखाभाई (वन मन्त्री) : ४० हजार रुपये की प्रति वर्ष करने का है.......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप खुद जाकर देखें तो पता चले।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं तो नहीं गया, लेकिन ४०,०००) रुपये के बारेमें जो शर्त है उसके बारे में जवाब होगा तो निवेदन करूंगा।

श्री ललितमोहन (गोगूंदा) : सड़कें नहीं बनी हैं। मैं वहां रहता था, मैंने देखा है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): एक दिन भीखाभाई के शिकार का कार्यक्रम हो जाये वहां।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मन्त्रीजी से तो मेरी सहानुभूति है कि उनमें फ़िजीकल एफ़मिटी है इसलिए वह चल फिर नहीं सकते लेकिन अगर देखा जाय तो सरकारी कर्मचारियों में डी० एफ० ओ० या छोटे कर्मचारियों के पास जीपें हैं और जंगल के काम के लिए साइकिलें हैं, जहां पर कि पैदल उनको चलना चाहिए। उन व्यक्तियों को जहां खोरे और नाले हैं वहांके जंगलों में जाकर उन जंगलों की जांच करनी चाहिए कि कितने वांस अमुक गोलाई के होंगे। अगर वृक्ष काटे गये तो उन सब की तादाद दर्ज होनी चाहिए। उसकी जगह जीप के अन्दर आराम से घूमते हैं। साइकिलों पर इधर-उधर घूमते हैं, साइकिलों से इधर-उधर घूमते फिरते हैं। पहाड़ों पर और जो कुछ खोरे हैं उस पर कौन जाये ? कोई भी वर्क नहीं है। सब बिल्कुल लाटा। टोली है और मौन में बैठे हुए हैं। यह व्यवस्था आपकी जंगल की होगी तो जंगल का ह्रास नहीं होगा तो क्या होगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जंगल में जंगल मना रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जंगल में मगल और वस्ती में बड़का।

अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना है कि वहां पर स्टैण्डर्ड ट्रीज़ भी काट डाले गये हैं। २०० वर्ष पुराने बड़ के पेड़ तक काट डाले गये हैं, आंवला, दहेड़ा, टीमरू जैसे फलदार वृक्ष भी काट दिये गये हैं। कोई भी ठेकेदार के ठेके के अन्दर ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि स्टेण्डर्ड वृक्ष भी काट डाले जायें और उसके ऊपर एक भी एतराज न हो। मेरे ख्याल से कोई प्रश्न भी नहीं पूछा गया है कि वे स्टैण्डर्ड ट्रीज़ कहां गये ? सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ऐसे बड़े घोटाले के सम्बन्ध में आपका उत्तरदायित्व है। यह एन्टी-सोशियल बात है और मैं समझता हूं कि यह काबिले सख्त ऐतराज की बात है। आप इस पर विचार करें और मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाता, लेकिन इसमें सरकार की जो खामियों से भरपूर व्यवस्था है उस बारे में भी आप विचार करें कि यह क्या बात है ?

बांसवाड़े में एक चिप बोर्ड की फैक्ट्री के सम्बन्ध में बातचीत हुई। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने सुना है बांसवाड़े में चिपबोर्ड फैक्ट्री को ३० वर्ष की मोनोपोली के लिए जंगल दिया है। उसके बारे में पहले भी चर्चा हुई, वाद-विवाद भी हुआ। खैर, इसके अन्दर मैं नहीं पड़ता किसी व्यक्ति को लेकर के, लेकिन २० साल की यदि मोनोपोली भी दी गई है तो एन्टी-सोशियल मोनोपोली है और काबिले एतराज है। अगर मोनोपोली भी है, मैं समझता हूं कि मोनोपोलो सोशियेलिज्म के सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है, तो वह ५—१० वर्षों के लिए हो। यदि ३० वर्षों की मोनोपोफी आपने दी है तो मेरे ख्याल में आपने यह अच्छा काम नहीं किया है।

इसके साथ साथ ६४०० एकड़ भूमि प्रति वर्ष आप इन मोनोपोलिस्ट को काटने की इजाजत देंगे, ऐसा भी आपके साहित्य में प्रावधान है, मैंने देखा है। यदि आप ऐसी व्यवस्था करते हैं तो १० वर्ष में आप वहां के आदिवासियों के हकूकों पर कुठाराघात ही नहीं करते बल्कि जितनी बस्तियां हैं जिन पर ठेकेदार ऑपरेट करेंगे, जितने वर्गमील में ऑपरेट करेंगे, मेरे ख्याल से उन जंगलों के रहने वाले आदिवासी लोगों के गले पर छुरी फेरी जा रही है। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि चिप बोर्ड फैक्ट्री कोजो मोनोपोली दी गई कम से कम आप उसको तो रिव्यू करिये।

अध्यक्ष महोदय, चंबल रेवेन्ज के संबंध में आपका यह कहना है कि ८ लाख एकड़ भूमि है उसमें से आप चाहते हैं ५/७ अर्थात्५।।। लाख एकड़ भूमि में सोइल को रोकने के लिये आप वृक्षारोपण करेंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे। मेरे ख्याल से आपकी जिस रूप से प्रगति हुई उसको देखते हुए मैं स्पष्ट कहूंगा कि पौने छः लाख तो क्या, आप केवल २ लाख एकड़ भूमि में ही यदि एफोरस्टेशन कर पाये तो भी आपको शाबासी देने को तैयार हूं और यह भी कहूंगा कि आपने अपनी योजना को सफलतापूर्वक पूरा किया।

राजस्थान केनाल के संबंध में भी इसी तरह की आपने ओवर एम्बिसस बातें लिखी है, उल्लेख किया है। ७५००० एकड़ में १०० से ३०० फीट गहरा डीप यानी चौड़ाई में केनाल के दोनों तरफ राजस्थान केनाल के कमान्ड एरिया में वृक्षारोपण करेंगे। आज यदि देखा जाय तो गगं केनाल के ऊपर सिर्फ दो ही कतारें वृक्षों की लगी हुई है, एक केनाल के इस किनारे पर और दूसरी उस किनारे पर। यदि इसमें आप १० कतारें भी समझें तो मैं कहूंगा कि यह सौभाग्य का विषय है। आपने योजना निर्धारित की है वह एक अच्छी योजना है, आप उसको पूरी कर सकते हैं लेकिन किस हैं तरह ३००

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

फीट डीप एफोरेस्टेशन करेंगे, यह ऐसी बात है जिसको मैं मानने को तैयार होऊं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे निवेदन किया कि आपके मुलाजिम साइकलों पर जीपों में घूमते हैं आप उनको पैदल चलाइये। पहले भी यह आवश्यक था, ब्रिटिश जमाने में भी जब कि गोरे डी. एफ. ओ. होते थे उनको आदेश था कि कम से कम २००-३०० मील हर महीने में वे पैदल चलें तभी वे पूरी सफलता से काम कर सकते थे। आज मेरे ख्याल से उनकी डायरीज़ दौरे के संबंध में आपके पास नहीं आती। आज, मैं समझता हूं, कि थोथो डीड्स और वर्ड्स की जरूरत नहीं है, आप डीड्स या काम करके बताइये। थोथी बात करके हमको भरमाते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भ्रम में आयगा नहीं आप भरमा नहीं पायेंगे। जो व्यवस्था आज है उससे मुझे लगता है कि जंगलों का अधोपतन और सर्वनाश होने वाला है। आपसे मेरा यह भी निवेदन है कि आप बांस उगाइये। बांस उगाने की व्यवस्था कर सकेंगे तो प्रसाधन बनता रहेगा। एक दूसरे किस्म की बांस उदयपुर की तरफ उग सकती है यदि वह बांस उगायेंगे तो कुटीर उद्योग हो सकता है, हर साल बांस काटते हैं और हर साल बांस पैदा हो सकता है। बांस में यह खासियत है कि ऊपर से इसको काटेंगे तो फिर से उग आयगा। लेकिन जिस जगह बांस उगता है वहां आपने कत्थे का ठेका दिया है और ये कत्थे के ठेकेवाले बांस की जड़ें तक काट कर ले जाते हैं इसके कारण बांस उग नहीं सकता। बांस की जड़ें रहनी चाहिए। जड़ से एक फुट ऊपर तक काट दिया जाय तब भी बांस उग जाते हैं। लेकिन ये कत्थे के ठेकेदार जड़ों तक उखाड़ कर ले गये मुझे यह देखकर बड़ा दुःख होता है। यह आदिवासियों के हितों पर कुठाराघात है।

इसके अलावा आप आदिवासियों के लिए फलदार वृक्ष जैसे टिंबरू, बेर, आम, महुआ, आंवला, भेड़ा आदि लगावें ये लाभप्रद होते हैं लेकिन इस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। माननीय मंत्री महोदय का ध्यान किधर है? चीफ कंज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट को लेकर सरकारी जीप में बिराज कर पंचायतों के चुनाव के समय डूंगरपुर में पधारते हैं...

श्री भीखाभाई : मैं आपको विश्वास दिला कर कह सकता हूं कि मैंने सरकारी जीप चुनाव से बहुत समय पहले छोड़ दी थी, जिस समय पंचायत के चुनाव हुए नहीं थे उससे पहले २६ तारीख को छोड़ दी थी इसलिए यह कहना गलत है कि मैं सरकारी जीप में घूमा। दूसरी बात यह है कि सी. सी. एफ. तो है ही नहीं इसलिये मैं आपसे निवेदन करूं कि आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। मैं किस तरह से घूमा हूं यह माननीय सदस्य को मालूम ही नहीं है ...

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : किस तरह घूमे आप बता दीजिये पैर ऊंचे किये और सिर नीचे किया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उन्होंने कहा, "पलट तेरा ध्यान किधर है।"

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : किसी ने आकर कुछ भी कहा हो, लेकिन जो जानकारी मुझे प्राप्त है....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : वह सही नहीं है।

श्री भीखाभाई : आप इसको प्रूव नहीं कर सकते।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सी. सी. एफ. ने वन विभाग के कर्मचारियों को इकट्ठा किया और उनसे यह कहा कि विपक्षियों को हराना है।

(शेम-शेम)

श्री भीखाभाई : चीफ कंजर्वेटर ऑफ फोरेस्ट तो कोई है ही नहीं। पंचायत चुनावों से पहले ही वे रवाना हो गये थे इसलिए इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, यह बात सही नहीं है। आपका स्वयं का दौरा हुआ हो तो मुझे जानकारी नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मंत्री महोदय की मोटर मैंने देखी है; मैं उनसे मिला भी हूं।

श्री भीखाभाई : वह प्राइवेट गाड़ी थी। आसपुर के उत्तर की तरफ पधारते हुए मैंने आपको नमस्कार किया था। आपके सामने मैं उतर कर नमस्कार नहीं करूं, यह नहीं हो सकता।....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : हारने के बाद ही यह नाराजगी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हारने-जीतने का प्रश्न नहीं है। माननीय मंत्रीजी की जो काबिले ऐतराज बातें हैं उनकी मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ये सुनी हुई बातें हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभी देखी हुई बातें नहीं हैं। एक-दो देखी हुई हैं; बाकी सुनी हुई हैं विश्वस्त सूत्रों से।

अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पूर्व मैं सिरिस्का वन विहार गया था। पुराने समय में सन् १६३२ में भी मैं एक बार वहां गया था। जब मैंने उस समय की स्थिति देखी वह और थी और आज की स्थिति जो मैंने देखी वह कुछ और ही है। मैं इस बारे में सरकार को दोषी एक हद तक नहीं मानता। मुझे जो जानकारी मिली उसके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध में गोरिल्ला वार फेयर ट्रेनिंग कैंप कायम हुए थे उसमें बहुत सांभर मारे गये लेकिन सिरिस्का जब मैंने सन् १६३२ में देखा मैं समझता हूं उसके समान सारे संसार में दूसरी कोई भी सुन्दर सेन्चुरी और गेम्स प्रिजर्व नहीं होगा। वह बात शायद उस हद तक वापिस नहीं आ सकती लेकिन यदि सरकार इस बात का कोई विचार करे, ठोस कदम ले तो मेरे ख्याल से यह सिरिस्का वन विहार पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र हो सकता है और लाखों रुपयों की आमदनी इससे हो सकती है....

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : वह सेंक्चुरी आप अपने इलाके में बनवा लीजिये।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हमारे यहां तो जो लोग इसके पास में रहते हैं उनको शेर खा जाते हैं इसलिये हम नहीं चाहते ।

(१. म. प.)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं यदि माननीय सदस्य उसको ठीक नहीं समझते हैं तो उसको हटा दिया जाय । लेकिन यह जो हौच-पौच चल रहा है कि आप सैंक्चुरी उसको करार दें, उसके अन्दर बस्ती भी आप रखें और उसके अन्दर बावरियों को भी बसायें— ये सब चीजें इकट्ठी नहीं हो सकतीं । और उसी वन-विहार के अन्दर कत्थे का ठेका भी दे रखा है— ये सब चीजें नहीं हो सकतीं । आज जो १६० वर्ग मील क्षेत्रफल है, उसको भले ही आप ६० वर्ग मील करें, लेकिन ६० वर्ग मील करे तो वहां पर बस्ती नहीं होनी चाहिए । अगर वहां पर बस्ती होगी तो जैसा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की, अवश्य ही भैंसें मरेंगी । और वहां पर भैंसे आम तौर पर चरती हैं । आप आज १५ हजार रुपया चराई का टैक्स वसूल करते हैं । अगर आप ६० मील, ८० मील, वर्ग मील रखें, जैसा इलाका पांडूपोल नाम का स्थान है, वह बहुत सुन्दर स्थान है, लेकिन वहां पर कोई बस्ती नहीं है, वहां पर चराई बन्द करदी है और दूसरे सब क्षेत्रों को आप चराई के लिए खुला रखें । तब तो आपका वनविहार कायम रह सकता है और जंगली पशु दिन में भी देखे जा सकते हैं । बजाय इसके टोर्च की लाइट में ले जाकर रात भर चलाना और पर्यटकों को रात भर वहां चलाना— यह गेम सैंक्चुरी के विपरीत है । मैं कहता हूं कि कम खर्ची करें तो पत्थरगड़ी के द्वारा या फेंसिंग के द्वारा आप एक दो रकबा कायम करें, जहां पर बस्ती नहीं हो, जहां चराई नहीं हैं और जहां पर कोई खेती की भूमि नहीं हो तब तो आपकी सैंक्चुरी सफल रूप से चल सकेगी, नहीं तो क्या, वही हौच-पौच, जिस तरह खेती की भूमि और आपके सैंक्चुरी का एरिया ओवर लेप करता है, और सैंक्चुरी के दूसरी ओर खेत हैं, जहां सैंकड़ों भैंसें किसानों की जंगलों में चरती हैं तो अवश्यमेव नुकसान होगा और लोगों को परेशानी होगी और लोगों को परेशानी हो तो आपकी इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक सर्वप्रथम कर्त्तव्य है कि लोगों की परेशानी दूर करे ; तो मेरा यह सुझाव है कि आप कम से कम वहां पर एक-दो रकबा कायम करें और फेंसिंग और पत्थरगढ़ी के द्वारा हदबन्दी करें जिससे वहां पर चराई नहीं हो ।

अगर पांच हजार रुपये चराई में खोते है तो मेरे ख्याल से लाखों रुपये आप पर्यटकों के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे । वहां पर आप एक डाक बंगला बनायें, तीस कमरों का एक डाक बंगला, जो नेशनल हाईवे के दो सौ, तीन सौ कदम पर बनायें, तो मेरे ख्याल से जो पर्यटक दिल्ली और आगरे आते हैं वह अवश्यमेव इस सिरिस्का वन-विहार में भी आयेंगे और अगर आप चराई बन्द करें तो निश्चित रूप से दिन में फोटोग्राफ के लिए पर्यटक जायेंगे, क्योंकि दिन में साइनिंग सीन वाइल्ड लाइफ का होगा, दिन में विचरते हुए वन-पशु दिखाई देंगे तो मेरे ख्याल से आपको अवश्यमेव लाभ होगा ।

Page No 79

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मैं इतना ही, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस सिरिस्का वन-विहार के बारे में कोई व्यवस्थित ढंग से, प्लान्ड बेसिस के ऊपर व्यवस्था करने के लिए सोचेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द !

श्री दयाचन्द सोन (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आज वन की मांग के सम्बन्ध में तीन कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोटा जिले के जंगलों के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोटा जिले के जंगल ऐसे जंगल हैं कि अगर सरकार इनसे फायदा उठाना चाहे तो लाखों रुपयों का फायदा उठा सकती है। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण वे जंगल बरबाद हो गये हैं। उनसे फायदा होना तो दूर रहा बल्कि सारे जंगल ऐसे ही बरबाद हो गये हैं और उनका फायदा इस सरकार के कर्मचारियों के रिश्तेदारों ने उठाया है। यह भी हो सकता है कि उनका फायदा मंत्रियों के रिश्तेदारों ने उठाया हो...

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : कहां पर ?

श्री दयाचन्द सोन : कोटा जिले का नाम ले रहा हूं।

श्री भीखाभाई : आप नाम लें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : स्ट्रॉ बोर फैक्ट्री !

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह कौनसी फैक्ट्री है ?

श्री दयाचन्द सोन : अध्यक्ष महोदय, जो बेपढ़े-लिखे लोग हैं और जो जंगल से रोजी-रोटी कमाते हैं, उन लाखों लोगों के परिवार की ओर उनकी जिन्दगी बेकार हो रही है। अभी दस-बारह साल पहले की ही बात है कि उन जंगलो से बहुत से लोग घास काटकर लाते थे और जंगलों में जो सूखी लकड़ियां होती हैं उनको इकट्ठा करके ले आते थे और उस घास और लकड़ी को लाकर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। लेकिन आज सरकार के कारण, और मैं कहता हूं कि भीखाभाई जी के मंत्री होने के बाद उनकी जिन्दगी बेकार होगई है।

इनकी गलत नीतियों के कारण वे लोग परेशान हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इनको वन की ए. बी. सी. डी. मालूम नहीं है, ये फिर मंत्री कैसे बन गये...

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : जंगल का तो खूब मालूम है क्योंकि जंगल में रहे हैं।

श्री दयाचन्द सोन : और ये सरकारी कर्मचारियों के इशारे पर नाचते हैं। मेरे ख्याल से अभी डेढ़, दो साल पहले यह शाहबाद की तरफ गये थे। उस समय मैंने

(श्री दयाचन्द सोन)

सोचा था कि मंत्रीजी से मिल कर मैं यहां के जंगलों के बारे में बताऊं और इनसे मिल कर मैं सारी बातें कहना चाहता था। लेकिन इन्हें वहां मिलने की फुर्सत कहां थी ? ये तो किशनगंज और शाहबाद में दावतें खाते रहे और शिकार करते रहे....

श्री भीखाभाई : कौन शिकार करता रहा ? कौन गया वहां पर ? डेढ़-दो साल पहले मैं उधर नहीं गया. I take strong objection.

श्री दयाचन्द सोन : आप सुनें तो !

श्री भीखाभाई : मैं कहता हूं, कौन शिकार करना चाहता है ?

श्री विजयसिंह झाला : आपको ऐसा गुस्सा क्यों आ रहा है ? शिकार करते नहीं हैं तो खाते तो हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : शिकार करते नहीं हैं।

श्री भीखाभाई : खाने—वाने की बात नहीं है। मैं शिकार करता नहीं हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (आसपुर) खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मुर्गा खाते हैं ।

श्री भीखाभाई : मैं शिकार करने वाली बात पर ऑब्जेक्शन करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मछली खाते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मछली, रोहू मछली !

श्री भीखाभाई : मैं कहता हूं, मैं कभी गया नहीं ।

श्री दयाचन्द सोन : आप किशनगंज गये, वह याद नहीं है। वहां ऐसे ऐसे पशु हैं कि हर एक आदमी के मुंह में उन्हें देख कर पानी आ जाय।

श्री भीखाभाई : मैं किशनगंज गया नहीं। सेवा संघ का कार्यकर्ता था उस वक्त गया था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : (नसीराबाद) आप इसकी शिकायत इन्कम टैक्स वालों से कीजिये।

श्री दयाचन्द सोन : मैं तो मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप वहां पर किन्हीं चार-पांच आदमियों की ऐसी कमेटी बनायें जो सही राय दे सके जंगलों के बारे में। हजारों आदमी ऐसे हैं और हजारों परिवार ऐसे हैं जो जंगलों से खाते कमाते हैं, वे आजकल बेकार बैठे हैं। यह कमेटी आपको सही सुझाव देगी तो उससे हजारों परिवारों का फायदा होगा और आपको भी कम से कम दस लाख रुपये का सालाना फायदा होगा। इन जंगलों के अन्दर जो घास होती है और जो पेड़ों की सूखी लकड़ी होती है, वह पहले के समय में लोग इकट्ठी करके लाकर बाजार में बेच देते थे और अपना जीवन-

(श्री दयाचन्द सोन)

निर्वाह करते थे। लेकिन आपको उनके बारे में सोचने-समझने की फुर्सत नहीं है और इस कारण जो इस काम को करते; थे वे बिल्कुल वेकार रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी पिछली साल जब घास वन विभाग द्वारा खरीदी गई थी, कटवाई गई थी उस समय लाखों रुपयों का घोटाला हुआ। अकाल के समय जो घास कटवाई थी तो मजदूरों को दो रुपया, ढाई रुपया दिया गया था और दस रुपये की उनसे रसीद ली गई थी। मेरी समझ में नहीं आता कि बाकी का रुपया कहां गया ? इसकी वहां के कार्यकर्त्ताओं ने शिकायत की कि मजदूरों को यहां पर दो–ढाई रुपया दे रहे हैं और दस–दस रुपये का इनसे बिल लिया जा रहा है। इस तरह के वहां के मजदूरों ने एस. डी. ओ. साहब के सामने बयान दिये हैं, हलफनामा दिया है कि हमसे बेगन-मराई कराने के लिए हमको दो, ढाई रुपया या तीन रुपया दिया है लेकिन हमसे दस–दस रुपये की रसीद ली गई है। इस तरह के सारे कागज मेरे पास मौजूद हैं, हलफनामा वगैरह।

इसी तरह से जो रस्सी वगैरह खरीदी गई वह दस-बारह हजार की थी। मैं यह नहीं कह सकता कि कितने रुपये की थी। लेकिन उसमें भी गोलमाल हुआ है। जब बाजार में उसका दो रुपये सेर, एक रुपये चौदह आने सेर का भाव था, वहां तीन रुपये सेर में खरीदी गई और उसके टेन्डर नहीं लिये। इसके अन्दर कम से कम दो चार हजार रुपये का इस तरह गोलमाल किया गया है। कल–परसों एक प्रश्न आया घास की खरीद के बारे में लेकिन मंत्री महोदय ने उसे टालमटोल कर दिया कि इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस तरह पैसे का दुरुपयोग हो और मंत्री महोदय मौन रहें, यह शर्म की बात है। अभी पिछले तीन साल पहले वहां पर लाखों रुपये का घास कटवाया गया था वहां घास आधे पैसे की भी नहीं थी, लेकिन सरकार के कागजों में पूर्ति कर दी इसके बारे में भी हमने सदन में प्रश्न पूछे थे मगर माननीय मंत्री जी उसका भी सही उत्तर नहीं दे सके। भगवान जाने उस घास का क्या किया गया। कौन खा गया; उसे जलाया गया या उसे अकाल के समय काम में लिया या यों ही पड़ी पड़ी गोदामों में वह घास सड़ती रही। अध्यक्ष महोदय, इस विभाग में कोई ध्यान देने वाला नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या वन मंत्री जी घास खाते हैं ?

श्री दयाचन्द सोन : यह तो मैं नहीं कहता कि वन मंत्री जी घास खाते हैं।

श्री भीखाभाई : एक तरफ तो आप मछली खिलाते हैं और दूसरी तरफ घास खिलाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपको कभी वेजीटेरियन और कभी नॉन वेजीटेरियन बनाते है।

श्री दयाचन्द सोन : इससे कोई खास आदमियों को जो मुखिया होते हैं, उनको ही लाभ होता है परन्तु गरीब लोगों को

(श्री दयाचन्द सोन)

किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता। हालांकि सोसाइटी में बहुत से आदमियों के नाम होते हैं मगर उसमें से सिर्फ दो चार आदमियों को ही फायदा उनसे होता है। इस सिलेसिले में हम माननीय मंत्री जी से मिले कि आपने जो ठेके दिये हैं इनसे गरीबों को लाभ नहीं हो रहा है। आप बतावें कि कितनी सोसाइटीज़ को आपने ठेके दिये और कितनी सोसाइटीज़ कामयाब हुई और उससे कितने लोगों को फायदा हुआ। मैं यह कहूंगा कि इससे सिवाय दो चार आदमियों के किसी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सोसाइटी में बहुत से आदमी अनपढ़ होने के कारण केवल अंगूठा लगाते हैं। इसलिए उन लोगों को लाभ होता है जो लोग पढ़े-लिखे और समझदार होते हैं। दूसरे लोगों को कोई हिसाब नहीं बताते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर भीलवाड़ा में इतने जंगल हैं और वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि लोग बांस और लकड़ी से भी पैसा पैदा कर सकते हैं। उधर शाहबाद की तरफ देखें तो आपको मालूम होगा कि आज जो लोग वहां रहते हैं उनके दादा पर-दादा जंगलों से बांस वगैरह की लकड़ी लाकर उनकी टोकरियां बना-बना कर अपना निर्वाह किया करते थे। आज उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। वहां बांस बहुत पैदा होता है और बांस में एक खास बात यह है कि हर साल पैदा होता है और अगर उसे काम में नहीं लिया जाए तो यह जल्दी ही बिगड़ जाता है।

एक माननीय सदस्य : वे तो बरेली जा रहे हैं।

श्री दयाचन्द सोन : इस प्रकार मैं निवेदन करूंगा कि बांस हर साल पैदा होते हैं और बहुत पैदा होते हैं और हर साल ही खत्म हो जाते हैं।

इसके अलावा सैकड़ों परिवार जंगल से घास और लकड़ी की भारी वगैरह भी उठा कर पहले लाते थे और उसको दो-दो, चार-चार आने में बेच कर अपना गुजर करते थे मगर उसको भी आपने अब बन्द कर दिया है। घास में भी एक घास ऐसी है जिसको बनवासी इकट्ठी करते हैं और उसे पीस कर खाते हैं; मगर इस साल वन के कर्मचारियों ने वह भी नहीं लेने दी।

अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में देखा जावे तो जितने बड़े बड़े जमीदार हैं वे सारे के सारे जंगलों का फायदा उठाते हैं और छोटे छोटे आदमी जंगलों के फायदे से महरूम रह जाते हैं। उन लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ठेका मिल जाता है और वे ठीक फायदा उठा लेती हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है और कुछ पैसा उनको राज्य सरकार से मिल जाता है। मंत्री जी से भी कुछ फायदा उन लोगों को मिल सकता है।

शाहबाद में लाखों रुपयों का घोटाला है। जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो अध्यक्ष वगैरह सोसाइटीज़ के हैं वे ही लोग लाखों रुपया डकार गये। दूसरे जो लोग हैं वे दस्तखत करना भी नहीं जानते वे तो अंगूठा लगाना जानते हैं, उन लोगों को यह भी पता नहीं लगता कि कितनों का काम हुआ और कितना बाकी रहा। वहां वास्तव में लाखों

(श्री दयाचन्द सोन)

रुपयों का घोटाला है। यदि इस स्कीम की जांच करावें तो आपको मालूम होगा कि हजारों ऐसे आदमी हैं जिनको कोई लाभ नहीं हुआ और चन्द आदमियों को ही इससे लाभ मिला है।

अध्यक्ष महोदय, आज वन विभाग से जो जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एलॉट की गई है उसमें छोटी छोटी जातियों के लोगों को जो जमीनें एलॉट हुई हैं उनको तो अभी तक अधिकारी टिला ही रहे हैं और कब्जा नहीं दिया है और दूसरे लोग हैं जिनको अलॉट हुई हैं वे लोग लकड़ी काट कर उसका फायदा उठा रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास न तो इतना रुपया है कि वे लोग काम कर सकें। इसी प्रकार कोटा में भी लाखों रुपयों का घोटाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कोटा जिले में ५-६ सदस्यों की एक कमेटी बनावें जो सुझाव समय समय पर दे।

इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। एक तो ग्राम पंचायत झाड़ोली को घास बीड़ विला औसतन कीमत पर नहीं दिया गया उसके बारे में है। आज से ८ साल पहले सरकार ने यह नियम बनाया और निर्णय लिया था कि जितने घास के बीड़ हैं अगर पंचायत मांगे तो उनको तीन वर्ष की औसत रेट से दे दिये जावें। इसी तरह झाड़ोली पंचायत है उसकी मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसको घास बीड़ हमेशा औसत रेट में मिलती रहती थी लेकिन गत साल डी. एफ. ओ. सिरोही की क्या धांधली थी कि उन्होंने उस बीड़ को नीलाम कर दिया जबकि पंचायत उसको हर साल के माफिक लेने को तैयार थी और लेने के लिए मांग भी की थी। अक्टूबर ३ को एक रजिस्टर्ड लैटर पंचायत समिति को भेजते हैं जिसमें लिखा था कि अगर बीड़ लेना हो तो ६ तारीख को हाजिर हों। मगर वह पत्र पंचायत को ७ तारीख को मिलता है और उसी रोज सरपंच वहां पर जाते हैं। मगर डी० एफ० ओ० साहब कहते हैं कि हमने तो बीड़ को कल नीलाम कर दिया। उसमें उनका खास हाथ था और वे किसी अपने ही ठेकेदार को देना चाहते थे। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब उन्होंने रजिस्टर्ड लैटर भेजा तो उनको चाहिये यह था कि उस रजिस्टर्ड लैटर का जब तक एकनोलेजमेंट नहीं आए तब तक तो उन्हें ठहरना चाहिये था। लेकिन वे नहीं ठहरे और उन्होंने बीड को नीलाम कर दिया। जब वह नीलाम हो गया तो सरपंच यहां आए। मैं इस सम्बन्ध में सी०सी०एफ० से मिला तो बड़ी मुश्किल से वे इस बात के लिये राजी हुए कि नीलाम की बोली पर ले लिया जाए। जब पंचायत ने इस बात की कोशिश की तो डी० एफ० ओ० नहीं माने और आखिर हमें मन्त्री के पास पहुंचना पड़ा। हम मन्त्री के पास पहुंचे तो उन्होंने अर्जी पर नोट लिखा कि :

"C. C. F. may fix reasonable price."

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

उन्होंने कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स को लिखा और डी० एफ० ओ० को लिखा, मगर उनके लिखने का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने मन्त्री महोदय के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फिर भी पंचायत ने देखा कि मवेशी भूखों मरेंगी इसलिए बीड़ लेना ही है तो जिस बीड़ को २॥ हजार में लेते थे उसको ५॥ हजार में लिया। इस तरह से पंचायतों को ३ हजार रुपयों का नुकसान हुआ। इसलिये इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जिन व्यक्तियों ने आदेश को नहीं माना और जिस डी० एफ० ओ० ने इस प्रकार की कार्यवाही की और हुक्म को नहीं माना उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि उसको डिस्मिस करना चाहिये। मगर वैसा आदमी आज भी डी० एफ० ओ० के पद पर है और आज भी वैसे ही कार्य करता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो मेरा कटौती प्रस्ताव है वह पिंडवाड़ा में अम्बिका वन श्रमिक ठेका सहकारी समिति बनी है, उसके बारे में है। डिपार्टमेंट का नियम है कि लकड़ी के कूप आदि नीलाम हों वे पहले सहकारी समितियों को दिये जावें। वहां की सहकारी समिति ने वहां कूप के लिये मांग रखी और मांग रखने के बाद उदयपुर सी. सी. एफ. पहुंचे तो सहकारी समिति के लोग उनसे मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि आज तो २४ तारीख है २७ तारीख को हम कर देंगे। पर २७ तारीख को वे लोग वहां पहुंचते हैं उससे पहले ही उसे नीलाम कर देते हैं, ३६ हजार की बोली लगती है। सेक्रेटरी आते हैं, उनसे मैं मिलता हूं, दूसरे अधिकारियों से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि अब तो नीलाम कर दिया, अब क्या हो सकता है? नीलाम होने के बाद कहते हैं कि अब क्या कर सकते हैं? नीलाम में अच्छी बोली आये इसमें हमें एतराज नहीं पर अम्बिका सहकारी समिति के साथ में जिस० सी० एफ० ने इस तरह की कार्यवाही की, जिस डी० एफ० ओ० ने जाली कार्यवाही की उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि ऐसे लोगों को इस डिपार्टमेंट से हटा देना चाहिये। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण है। वह कारण यह है कि जो जंगल सहकारी समितियां लेती हैं अथवा जिन जंगलों को पंचायत समितियां लेती हैं, उनसे अधिकारियों को पैसा नहीं मिलता है। ठेकेदारों को जंगल ठेके पर देते हैं तो उन ठेकेदारों से अधिकारियों को पैसा मिलता है, ठेकेदार लोग हरे वृक्षों को काट लेते हैं, और दूसरी नाजायज़ कार्यवाहियां करते हैं इस कारण अधिकारियों को रिश्वत देते हैं, इस प्रकार अधिकारियों को पैसे मिल जाते हैं। यही एक मूल कारण इस सारी गड़बड़ी का है इस वजह से यह कार्यवाही होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर देना चाहिये। वैसे भी इससे कोई फायदा तो सरकार को है नहीं, ६० लाख की इससे आमदनी होती है और ६४ लाख एक्स्पेन्डीचर होता है, फायदा तो कुछ होता नहीं है। ऐसी दशा में क्यों नहीं ऐसा नियम बना दिया जावे कि तमाम

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

जंगल ठेकेदारों को न देकर श्रमिक सहकारी समितियों को दिये जावें या पंचायतों अथवा पंचायत समितियों को दिये जावें। यही मेरा निवेदन है।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्व की डिमाण्ड पर बहस हो रही है। राजस्व मन्त्रीजी स्वयं तो यहां उपस्थित नहीं है, उप-मन्त्री महोदय हैं। मैं चाहता था कि राजस्व विभाग में परिवर्तन हुआ है एक बड़े लम्बे अर्से के बाद, राजस्व मंत्रीजी यहां उपस्थित होते........

श्री अध्यक्ष : वे आये तब बोल लेना आप।

श्री मुरलीधर व्यास : वे अभी बैठे थे, अभी निकल गये; पर हम ऐसा समझे हुए थे कि नया परिवर्तन राजस्व विभाग के अन्दर आवेगा........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपको यह गलत फहमी कब से होने लग गई ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): परिवर्तन सभी तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : गत बजट अधिवेशन के समय राजस्व विभाग के बारे में मैंने कुछ बातें रखी थीं, मुख्य मन्त्रीजी ने कुछ जवाब भी दिया था। मुख्य मंत्रीजी आज स्वयं उपस्थित नहीं हैं फिर भी मैं ऐसा समझता हूं कि आज एक सबसे बड़ी बात सदन के अंदर विरोधी पक्ष की ओर से कही जाती है, उसका उत्तर सरकारी पक्ष की ओर से दिया जाता है, उसमें फरक होने से जनता में और हम सदस्यों में बड़ा भ्रम फैलता है।

मैंने कुछ मुद्दे अध्यक्ष महोदय के सामने रखे और निवेदन किया कि इन पर दो घण्टे बहस हो, पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कोई जुडिशियल जैसा ही मुद्दा हो जाय, पर इस प्रकार की बहस से कोई हल नहीं निकलने वाला है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं खास बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां राजस्व विभाग के जरिये जो जमीनें गुड़ा के अंदर मुख्य मंत्रीजी के साले और उनके परिवार के लोगों को दी गई थीं, उसका उल्लेख मैंने किया था। उसका प्रत्युत्तर मुख्य मंत्री महोदय ने अपने जवाब में दिया कि २०० बीघा जमीन ही दी गई। जैसी कि मेरे पास रिपोर्ट है विधान सभा की मानिकचंदजी ने, भैरोंसिहजी ने, उमरावसिहजी ने एतराज किया पर मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैंने जो कहा है वह ठीक है। अब मुख्य मंत्रीजी २०० बीघा बतायें, उस दिन मैं था नहीं, यह मुझे अफसोस है, मुझे ऐसा पता चला कि बाद में रेकर्ड में

(श्री मुरलीधर व्यास)

गड़बड़ी हो सकती है तो मैंने देखा कि सब चीजें स्पोट पर जाकर देखूं तो वहां जाकर देखता हूं तो ऐसा पता पड़ता है कि यहां की बहस के बाद में चीफ सैक्रेटरी या कोई और अधिकारी वहां सूचना भेजते हैं, मैं रघुनाथपुरा जाता हूं तो वहां १६ तारीख को एस० डी० एम० हिंडौली के तहसीदार, नेनवा के पटवारी वहां पहुंचते हैं, उनके पास वह सारा रेकॉर्ड होता है; मुन्नालाल, वसंतकुमार, दीनानाथ जिनको वहां देखता हूं, उस स्पोट पर पहुंचे । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी तो जैसा कि रेकॉर्ड के आधार पर उनको बताया जाता है, उसके आधार पर कहते हैं, मेरे पास तो कोई रेकॉर्ड आता नहीं है । पर मुख्य मंत्री जी का कहना कि २०० बीघा जमीन है ज्यादा नहीं है, बार बार माननीय सदस्य एतराज करते हैं फिर भी कहते हैं । मैं उस जमीन के सिलसिले में दस्तावेज जो मैंने प्राप्त किया है वह सदन की मेज पर रखना चाहता हूं, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जमीन इसमें दिखाई गई है, मुख्य मंत्रीजी २०० बीघा रघुनाथपुरा की जमीन के बारे में कहते हैं ।.......

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : यह तो उन्होंने केवल उन २०० बीघा के बारे में कहा था जिसके लिए माननीय सदस्य ने कहा था कि कमिश्नर का हुक्म हो गया था कि २०० बीघा की ट्रान्सफर न किया जाय । वह २०० बीघा जमीन डिटर्मिन की कलेक्टर के हुक्म से, उसके बारे में कहा था ।

श्री मुरलीधर व्यास : यहां तो प्रोसीडिंग्ज पड़ी हैं, मुख्य मंत्रीजी ने रिश्तेदारों की जमीन का हवाला देते हुए कहा था, यह कागज उसमें रखा है :

"मुझे बताया गया कि २०० बीघा जमीन होती है ।" उसके बाद श्री उमराव सिंह, श्री मानिकचन्द एतराज करते हैं । श्री उमरावसिंह—"आपने २०० बीघा की जमीन का कहा, आपने पहले कहा था कि मेरे रिश्तेदारों की नहीं है, अब आप कहते हैं कि २०० बीघा है ।"

फिर भैरोंसिंहजी ने भी पूछा । फिर उन्होंने कहा कि "मेरा कन्टेन्शन जो मैंने कहा वही होता है ।"

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह कहां है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कृपा करके इसे पढ़ें ।

श्री मुरलीधर व्यास : तहसीलदार से दस्तखत करा कर मैं यह डॉक्यूमेंट यहां लाया हूं, १८ तारीख का, इस तारीख से है, १८-३-६५, बिल्कुल नकल लाया हूं जिसमें नाम दिये हुए हैं, वसंत कुमार, वसंत कुमार, वसंत कुमार, मुन्नालाल, दीनानाथजी, ये सारे नाम दिये हैं इनकी टोटल जमीन रघुनाथपुरा में दी है ३३० बीघा आधा बिस्वा है । मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि उनके पास सारा रेकॉर्ड आ सकता है, मेरे पास तो रेकॉर्ड नहीं, मुख्य मंत्रीजी बार बार कहते हैं कि २०० बीघा है ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

यह ३३० बीघा और आधा विस्वा है। नाम मौजूद हैं, जहां तक जमीन लेने-देने का है जमीन ले सकते हैं पर 'ग्रो मोर फूड' के अन्दर यह जमीन दी गई। और 'ग्रो मोर फूड' में यह स्पष्ट था कि वह उसको जोते। वह जमीन नहीं जोती गई। जब मैंने कहा कि नहीं जोती जा रही है, तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बताना चाहता हूं जिसके अन्दर वह जमीन है। मुझसे कहा जाता है कि हम फोर्ज्ड कार्यवाही करते हैं। मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार, जिनको जमीन दी गई है और बताया गया है कि यह 'ग्रो मोर फूड' के अन्तर्गत आ गई थी, उनके लिए वह डॉक्यूमेंट सुबूत है। कॉलम ८ के अन्दर जांच कर लें किसने और किसके लिए फोर्जरी की गई है। वहां २०१० लिखा है जिसके अन्दर जमीन कितनी है दिखानी चाहिए थी परन्तु फिर कॉलम २३ में बराबर साफ लिखा है कि ४६ बीघा और ३ बिस्वा जमीन है। उसमें यह बताया गया है कि यह जमीन बंजर बदस्तूर नहीं जोती गई, शून्य क्षेत्रफल का विवरण। पांचों–सातों के नाम देख लीजिए। पहले दिया गया था कि नहीं जोती गई उसके बाद उसको काट कर यहां पर बता दिया तिल्ली। उस पर किसके हस्ताक्षर नहीं, किसके हुक्म से कार्यवाही हुई है, टोटल भी आप देख लीजिए, टोटल जमीन जो दी गई है ३३० बीघा नहीं जोती गई है और उसके बाद में टोटल भी काटा गया और ऊपर से परिवर्तन किए गए। मुख्य मन्त्री महोदय कहते हैं कि फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, मैं कहता हूं कि यह आपके अधिकारियों ने आपके इशारे से कार्यवाही की है और जांच कर लीजिए तो आपको पता चलेगा। आप २०० बीघा कहते हैं, इस डॉक्यूमेंट में ३३० हैं, इसके अतिरिक्त यदि दूसरी आस–पास की जमीन का टोटल लगाते हैं तो ७-८ सौ रघुनाथपुरा में ही हो जाती है। मैं तो एक सदस्य हूं, मेरे पास सरकारी साधन नहीं हैं लेकिन हुकूमत के पास तो सारे साधन हैं, पूछ कर जवाब देते हैं तो फिर उनकी बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। इस सदन में अगर इस प्रकार की कार्यवाही किसके जरिए होती है और मैंने गलत बात कही है तो मैं लिखकर देने को तैयार हूं, सदन छोड़ने को तैयार हूं; नहीं तो मुख्य मंत्रीजी बार बार कहते हैं कि इस मामले में मैं त्यागपत्र दे दूंगा, मैं चैलेंज करता हूं, इस प्रकार की बात उनको नहीं करनी चाहिए।

दूसरी बात उन्होंने कही कि वहां पर पोद्दार का कोई ट्रैक्टर चला हो तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। मैंने पोद्दार उद्योग का खास हवाला दिया था कि उनके जरिए जमीन जोती जाती है और सारा फायदा मुख्य मन्त्री के पास पहुंचता है। यह हवाला मैंने दिया था। मुख्य मन्त्री ने कहा कि जमीन पर पोद्दार ट्रैक्टर कोई नहीं चला। अब पोद्दार उद्योग और रामनाथ पोद्दार में शब्द का फर्क हो सकता है लेकिन मुख्य मन्त्री कहते हैं कि ट्रैक्टर नहीं चला। मैं प्रमाणित कर दूंगा, मैं लिखकर देने को तैयार हूं। मुख्य मन्त्री अपने चैलेंज के अनुसार त्याग–पत्र देने के लिए तैयार हैं? वह लिख कर दे दें। मैं जहां पर गया, मैंने फोटो ३६) रु० खर्च

(श्री मुरलीधर व्यास)

करके ले ली। इस फोटो में ट्रॉली दिखाई गई है, ट्रॉली बिना ट्रेक्टर के नहीं चलती, वह अभी भी मौजूद है और आप पता लगाए कि वहां पर पोद्दार का ट्रेक्टर चला या नहीं। १६ तारीख को एस. डी. एम. दूसरे एस. डी. एम. तहसीलदार वहां पर पहुंचे और ये पांचों महानुभाव वहां पर पहुंचे। मेरी समझ मेंनहीं आता कि यहां बात आती है तो फिर अफसरों को वहां भेज कर मुख्य मन्त्रीजी क्या कार्यवाही करवाना चाहते हैं? क्या कोई चेन्ज करवाना चाहता हैं; उसको २०० बीघा दिखाना चाहता है। आप कहते है कि कानून के अन्तर्गत दी है क्योंकि वह जोत की नहीं थी, कांट-छांट करके दी है। 'ग्रो मोरफूड' के अन्तर्गत अगर वह जमीन जोती तो उसके बाद में दो साल ऐसे दिखाइ गई उसके बाद तीन साल दिखाई, कोई जमीन जोती नहीं गई। आपने खातेदार भी बना दिया। मेरे पास इस प्रकार की इन्फोर्मेशन है कि यह खातेदारी श्री दामोदरलाल व्यास के विशेष हुक्म से हुई है. आप रिकॉर्ड को देखिए। मेरी धारणा है कि मुख्य मन्त्री ने पद का दुरुपयोग किया, अफसरों ने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए, उनको सही करने के लिए आप सारी कांट-छांट करें। किसी भी देश या प्रान्त के मन्त्री के लिए यह शोभा नहीं देता। यह बात यदि साबित हो जाय तो मुख्य मन्त्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए, अपनी कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए।

श्री रघुनाथ बिशनोई : कांट-छांट कौनसी तारीख की है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह देखलो, डरो मत, मुलाहिजा फर्माओ, हाथ में छाले नहीं पड़ेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : ऐसे चोरी के मामले में तारीफ कौन करेगा?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अटेस्टेड कॉपी है। लाल अक्षरों में जमीन सारी बंजर दिखाई गई है बाद में तिल किया है।

श्री मुरलीधर व्यास : कोटा के अन्दर जो जमीन गांव खंडगांवड़ी में दी गई है उसमें सरकार को काफी नुकसान हुआ है। यह कोटा से मिला हुआ कस्बा है। नवम्बर १९५८ के अन्दर पंचायत समाप्त होने के बाद म्यूनिसिपल को दे दिया गया उसके बाद में कुछ लोगों ने मिल कर झूठे फोर्ज्ड पट्टे बनवाए। उस जमीन के एक-एक प्लॉट की आज कीमत १० हजार रुपए आती है वे प्लाट्स लोगों ने २००), १००), ४०) और ३३) रुपये में ले लिए। लेने वाले कौन? उसका पूरा रिकार्ड लाया हूं, सर्टीफाइड कॉपी लाया हूं, उसके अन्दर नाथूलाल जैन जो कोटा कांग्रेस के....

श्री अध्यक्ष : नाम बताना आवश्यक नहीं। किस तरह आप गलत बताते हैं, वह बताएं।

श्री मुरलीधर व्यास : अब २०० पट्टे हैं। अब क्या है कि फर्जी कार्यवाही हो गई, पट्टे लोगों को मिल गए। एक आदमी आया उसको १००) रुपए में दिया, दूसरे को इससे थोड़ा ज्यादा में दिया, दोनों में झगड़ा

(श्री मुरलीधर व्यास)

हुआ, मामला पहले छोटी कोर्ट में गया फिर सेशन्स में गया। सैशन्स कोर्ट का फैसला आपके सामने रखना चाहता हूं, वह आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा।

सैशन्स कोर्ट का फैसला है, In the Ccurt of Shri Dharmendra Parihar M. A., LL.B., District & Sessions Judge, Kota." इनका यह फैसला है। इस मामले में स्पष्ट लिखा है। दो का झगड़ा हुआ। हमारे पास में आये। आये तो पंचायत के डॉक्युमेन्ट्स मंगाये गये, पंचायत के रिकॉर्ड को देखा। पट्टों को देखा। कहां से पट्टे खरीदे गये, कहां से किस तरह से कागजखरीदा गया और कब पट्टे छपे हैं, यहसारा हवाला इसके अन्दर दिया गया है। १६५६ के बाद पट्टे खरीदे जब कि १६५८ में ही पंचायत समाप्त हो गई थी। एक साल के बाद कागज खरीदा गया। फोर्ज्ड पट्टे बने, लोगों ने पट्टे खरीदे। जिस दूकान से कागज खरीदा उस दूकान का नाम है "राजेन्द्र स्टोर"। वहां से कागज खरीदा। उसने भी बेक डेट में एन्ट्री बतायी कि कागज दिया। वाउचर दिया तो पता लगा कि पुरानी डेट का वाउचर दे दिया। इससे पता लगता है कि राजस्थान के खजाने को चालीस लाख रुपयों की रेवेन्यू का नुकसान हुआ। कोटा से सिविल लाइन्स लगा हुआ एरिया है। यहां का एक प्लाट किस प्रकार बिका उसकी कुछ बातें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

"There is of course a cash memo of Messrs Rajendra General stores No. 1651 dated 25.8.58."

२५. ८. ५८. का केश मीमो दिया। "......showing that paper for patta forms was purchased on that date when the panchayat was functioning."

यह दिखाने के लिये "But this cash memo has also been got ante-dated. All cash memos, issued before this date bear the dates of February, 1959."

यह दिया तो १६५६ में और डाल दी पुरानी तारीख। फिर दूसरी बार पंचायत ने सारा हिसाब दे दिया ५८ में कि यह देखिये हमारे पास इतना रुपया जमा है, इतना खर्च हुआ। यह दिखा दिया। जब पंचायत समाप्त हुई तो म्युनिसिपेलिटी को यह सब सौंप दिया। यह सब उसमें दर्ज है। परन्तु उसके बाद साल, डेढ़ साल बाद पट्टे बनाये। पट्टे बनाने वाला कौन ? मदनलाल पाटनी। इसने बनाये। दूसरों को पट्टे मिल गये। उसके अन्दर कहते हैं मदनलाल पाटनी पी. सी. सी. के मेम्बर और खास खास मुख्य मुख्य लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने पीछे जाकर फैसले में कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। फैसले में सैशन्स जज महोदय कहते हैं "The most important fact, which alone is conclusive proof of the fabrication is that in the audit report for 1958 conducted at the of the year, none of these sales havebeen shown." जब ऑडिट हुआ तब भीकहीं यह जमीन बेची गयी हो, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं; न ही उसका कहीं पैसा जमा है। परन्तु यह सारी कार्यवाही बाद में हुई।

(श्री मुरलीधर व्यास)

यदि पहले यह सब होता तो ऑडिट में भी वह सब आ जाता लेकिन आया नहीं। अन्त में जज महोदय ने कहा है : "The reticence shown by the State Government in not taking any steps for confiscating all such land which has been fraudulently transferred and which fact has been in the knowledge of the Government at least from 3. 5. 1961." ३. ५. ६१ को ये फैक्ट्स गवर्नमेन्ट के पास भी पहुंचे कि यह सब जाली कार्यवाही हुई है। हाईकोर्ट में किसीमें रिट की तो सरकार ने जवाब दिया कि जाली बने हैं। जवाब भी मौजूद है। परन्तु यह सब कुछ होने के बावजूद भी यह लाखों रुपयों की जमीन, जिसमें बड़े बड़े आदमी शामिल हैं, किसी ने ३७)रु. में पट्टा खरीदा और किसी ने २२५ रु० में खरीदा, दस दस हजार की जमीन को ३७)-२५) रुपये में खरीदा गया। फर्जी पट्टे थे। किसने बनाये ? मैं नहीं कह रहा हूं, सेशन जज कहते हैं कि यह फर्जी पट्टे बने हैं। बनाने वाला कौन है ? चीफ सेक्रेटरी साहब के एक भाई गोवर्धनसिंह, उनके लड़के ने एक दर्ख्वास्त दी है। उसके अन्दर यह कहा जाता है; विश्वस्त सूत्र से मुझे पता चला है कि यहां पर जमीन है। उनका विश्वस्त सूत्र कौनसा है ? सरकारी सूत्र ही हो सकता है। दूसरे जो दौलतमल मेहता हैं जिनके लड़के खुशालसिंह हैं उन्होंने भी विश्वस्त सूत्र को लेकर जमीन का पट्टा खरीदा। पी. सी. सी. और डी. सी. सी. के बड़े बड़े लोगों को मिले हैं।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : आप कैसे पीछे रह गये ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यहां लाता हूं मामले।

मुख्य मंत्री कहते हैं कि फर्जी कार्यवाही कौन करता है, जाली पट्टे कौन बनाता है ? मैंसदन की मेज पर अपना यह त्यागपत्र रखने के लिये तैयार हूं और आपको कहना चाहता हूं कि मुझे इस जगह की कोई परवाह नहीं है, मैं इसीलिए इस्तीफा भी लिख कर लाया हूं और सदन की मेज पर रखता हूं। मैं यह इस्तीफा इसलिए लिख कर लाया हूं कि इस प्रकार जब आप पर चार्ज लगाया जाता है, बात-चीत होती है तो कहा जाता है कि झूंठी बात कही जाती है। मैं यह अपना त्याग-पत्र सदन की मेज पर रखना चाहता हूं और मुख्य मंत्रीजी एवं राजस्व मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि यदि आप सच्चे हैं या आपके चेले सच्चे हैं, जिन्होंने जाली पट्टे बनाये, मुकदमा चला कर जेल में बन्द कर दो, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिये जो जवाब दिया है उसके लिये।

एक माननीय सदस्य : मेज पर तो रखा ही नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास : आज मैं यह निर्णय लेकर आया हूं कि मुझे इस बात का महत्व ज्यादा है बनिस्पत इस पद के।

(त्याग-पत्र प्रस्तुत किया गया)

श्री विजयसिंह झाला : इसके साथ साथ ही मुख्य मंत्रीजी का भी इस्तीफा ले लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्रीजी का भी त्याग-पत्र लिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुख्य मंत्रीजी का इस्तीफा लीजिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उनका भी लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये निगाहें आपने (श्री रामप्रसाद लड्ढा से) क्यों नीची कर रखी हैं? जरा खड़े होकर तो बताइये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उन्हें सब पता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सारी उन्हीं के नीचे कार्यवाही हो रही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उनका क्या ताल्लुक है?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वे इन्कार हो गये हैं कि उनकी कोई जमीन नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर कोई नैतिकता है तो पहले मुख्य मंत्रीजी से भी इस्तीफा रखाओ।

श्री मुरलीधर व्यास : मुख्य मंत्रीजी उपस्थित नहीं हैं। वे इस्तीफा रखें या नहीं। मैं तो अपना नैतिक फर्ज समझता हूं और इसलिए समझता हूं कि सदन में बैठने के बाद में मुख्य मंत्रीजी की तरफ से कोई बात कह दी जाती है, चूंकि मुख्य मंत्रीजी बड़े पद पर बैठे हुए है, उनको सरकारी कार्यवाही की रिपोर्ट मिल सकती है लेकिन बिना किसी जांच के उनके द्वारा यह कह दिया जाय कि यह तो फर्जी था, उनको अधिकार है, मुझे कोई हर्ज नहीं; मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके रिश्तेदारों को जमीन दी गई, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बने, उनकी आप जांच करें, पट्टे बने हैं वे फर्जी बने हैं, उनकी आप जांच करें और जांच से साबित हो जाय कि यह सही है तो आप उन लोगों को दंड दें। आप दंड किसको दें? श्री भगवत्‌सिंह मेहता चीफ सेक्रेटरी हैं। यदि आप उनकी पोल खोलते हैं और उनके खिलाफ आपने कुछ किया तो वे आपका भी भंडा-फोड़ देंगे। मैं इस विषय पर कई दिनों से सोचता था। मुझे इन मुद्दों पर प्रिजुडिस होकर कोई बात नहीं कहनी है। मैं तो एक नैतिक भावना और नैतिक कर्त्तव्य के आधार पर कहना चाहता हूं। भावना मेरी एक ही है कि प्रशासन में शुद्धता आये। आज यह भावना मेरे दिल में आई है कि जो बड़े पदों पर बैठे हैं, सरकार के मंत्री हैं, सरकार के बड़े बड़े कर्मचारी हैं यदि वे अपने इन ऊंचे पदों पर बैठ कर भी उनका दुरुपयोग करते हैं तो नीचे से भी दुरुपयोग होगा और इससे देश नहीं बढ़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो भी डॉक्यूमेन्ट्स एक सरोजनी देवी के सिलसिले में रखे थे वे एक ही धारणा को लेकर रखे थे कि इस तरह के कि पाकिस्तान से सांठ गांठ की कोई बात सामने आयी है तो मैं इस ओर सरकार का ध्यान खींच लूं। सरकार इस बारे में जवाब देगी। भैरोंसिंह जी ने जब प्रश्न पूछा कि क्या आपने उनके दस्तखतों की जांच कर ली है उस पर कहा

(श्री मुरलीधर व्यास)

गया कि इसमें जांच करने की क्या आवश्यकता थी ? यह तो उनकी आदत है किसी भी बात को किस तरह से टाला जाय। हमारे लिये कहा गया कि पत्रों में छपवाने के लिये बातें कही जाती हैं। यह शौक तो मुख्य मंत्रीजी को है जो अपनी इस फोटो छपवाने के कारण डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स को, जिसके खिलाफ मिसएप्रोप्रियेशन के मामले हैं अनको चार्जेज हैं। फोर्ज्ड कार्यवाही करके उनको गले लगा कर बैठे हैं ताकि मुख्य मंत्री के फोटो खूब छप सकें। आज इस विभाग पर २० लाख रुपया सालाना खर्च हो रहा है। यह शौक तो उनको है, हमें नहीं है। हमको तो सच्चाई के साथ काम करने का शौक है। हम अपनी इसी में शान समझते हैं कि सत्य बात कहें। इसी ध्येय से सारी बातों को मैंने रखा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : (सांचोर) जो कागज रेफर किये गये हैं उन सब को रख दिया जाय।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कल जब मुख्य मंत्री से कहा गया रिपोर्ट रखने को तब तो कह दिया हमारी मर्जी और आज आप हमें बाध्य कर रहे हैं,

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में घोषणा की थी कि इस सारे मामले को सदन के तीन माननीय सदस्य मिल कर जांच कर लें। आज माननीय सदस्य ने इतनी बड़ी चुनौती दी, उस दिन मुरलीधरजी की अनुपस्थिति में मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया, आज माननीय सदस्य चुनौती दे रहे हैं। इस सारे विवाद को मिटाने के लिए जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि तीन सदस्य इसकी जांच कर लें। आज मुख्य मंत्रीजी हैं नहीं, अतः मैं ट्रेजरी बेन्चेज से निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री के इस आश्वाशन को पूरा किया जाय और तीन सदस्यों की समिति नियुक्त की जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : जुडिशियल इन्क्वायरी बिठायी जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिप्लाई का समय आयगा तो जो कुछ भी कहा गया है उसके बारे में बताया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : यह केवल बताने का सवाल नहीं है, मुख्य मंत्री ने स्पष्ट चुनौती दी थी कि इस संबंध में तीन सदस्य जांच कर लें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो रिप्लाई की स्टेज पर मैं बता दूंगा कि माननीय सदस्य के समझने में गलती हुई है या क्या।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो तीन माननीय सदस्य जांच कर सकते हैं। आज इन्होंने कुछ प्रमाण सहित तथ्य रखे हैं; आपको चाहिये कि इनकी चुनौती को स्वीकार कर लें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तथ्यों का जवाब सुन लें।

श्री भैरोंसिंह : सुनने के पहले ही मैं कह दूं आप यही कहेंगे कि मुरलीधरजी ने जो कुछ कहा है वह गलत है; इसके अलावा आप कुछ नहीं कहेंगे...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आप कैसे कहते है, जवाब तो पहले सुन लें।

श्री भैरोंसिंह : आप तो यही कहेंगे कि मुरलीधरजी ने जो कुछ कहा गलत कहा है। आज विवाद खड़ा कर दिया गया है इसलिये आवश्यक हो गया है कि मुख्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया है उसको पूरा किया जाय और तीन सदस्यों की जांच कमेटी नियुक्त की जाय। जांच कमेटी यह कह दे कि पद का दुरुपयोग नहीं किया गया है तो हम मान लेंगे, अन्यथा निश्चित रूप से पद का दुरुपयोग किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, एक तथ्य तो सामने है कि जिस तथ्य की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया था उसके बारे में प्रोसीडिंग में साफ है; मुख्य मंत्री ने कहा कि इस जमीन को १२०० बीघा कहा गया, उसको इन्होंने २०० बीघा माना है। उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदारों की दुहाई दी जाती है, उन्होंने जमीन ले ली; मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि २०० बीघा होती होगी। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है, १२०० बीघा की बात कही गई है।

इसमें उन्होंने २०० बीघा जमीन को सिंचित माना है। इसलिये ये तथ्य जो रखे गये उनके मुकाबले दूसरे तथ्य सामने आये हैं। इसके अलावा माननीय सदस्य ने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पेश किये हैं इसलिये उचित होगा और मुख्य मंत्री के हित में होगा, जबकि बार बार उनके रिश्तेदारों के लिये कहा और इस प्रकार की बातें उठती हैं तो यह उनके व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं राजस्थान प्रान्त की प्रतिष्ठा का सवाल है, माननीय सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए उस पर कायम रहते यह आशा करूंगा और आग्रह करूंगा। मुख्य मंत्रीजी हैं नहीं, उनके रिप्रेजेन्टेटिव इस बात को स्वीकार करेंगे जैसा कि माननीय भैरोंसिंहजी ने कहा है, तीन आदमियों की हाउस की कमेटी नियुक्त की जाय जो इस तमाम बात को देखे।

इसके साथ और महत्वपूर्ण इसलिये हो जाता है कि इसके साथ एक माननीय सदस्य ने इस्तीफा पेश किया है अगर ये तथ्य गलत हों तो वे इस सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं। यह इस हद तक गम्भीर प्रश्न हो गया है। सदन के सदस्यों की एक कमेटी को इसके अन्दर जाना चाहिये और इसके निर्णय से सदन को अवगत कराया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस की आवश्यकता नहीं।

(२.० म. प.)

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में मेरे आठ कटौती के प्रस्ताव हैं, उनमें से पहला कटौती का

(श्री गोविन्दसिंह)

प्रस्ताव यह है कि काफी अर्से से पटेलाई की रसूम पटेलों को न दिये जाने पर चर्चा करने के लिये है।

अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आया हूं उसमें तीन भूतपूर्व रियासतों के क्षेत्र हैं, पचपहाड़, झालावाड़ का सुनेल-इन्दौर का और पिड़ावा-टोंक का है। इन तीनों की अलग अलग समस्यायें हैं। मैंने उन समस्याओं का हल प्रश्नों द्वारा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक तहसील पिड़ावा का सवाल है राजस्थान के बनने के पूर्व से, जहां तक राजस्थान सरकार ने पटेलाई प्रथा बन्द न कर दी तब तक वहां पर पटेल बदस्तूर काम करते रहे हैं। वहां के पटेलों को रसूम पटेलाई अभी तक नहीं दी गई है। मैंने जानकारी करने की कोशिश की प्रश्नों द्वारा लेकिन मुझे कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। राजस्थान द्वारा पटेलाई प्रथा समाप्त हो जाने के बाद कम से कम पचास प्रतिशत पटेल ऐसे हैं जिनको रसूम पटेलाई नहीं दी गई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि रसूम पटेलाई इनको जल्दी से जल्दी दिलायी जाय। १४० गांवों के करीब २०० पटेल रसूम पटेलाई के बिना काम कर रहे थे। मेरे सुनने में ऐसा आया है कि राजस्थान बनने से पहले जो रियासत टोंक का क्षेत्र था पिड़ावा उसमें रसूम पटेलाई रियासत टोंक ने रोक ली थी और वह इस बिना पर कि रियासत टोंक ने वह रकम किसी और जगह लगा दी थी। अब अर्सा काफी हो गया, पन्द्रह बीस-साल का अर्सा हो गया है, हजारों रुपया रसूम पटेलाई का बाकी है, वह जल्दी से जल्दी देने की व्यवस्था की जाय।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, बन्दोबस्त का सवाल है; बन्दोबस्त का काम तहसील पिड़ावा में इब्तदाई बन्दोबस्त १६४६ में हुआ, ५५ में हुआ और ५६ में हुआ। करीब पन्द्रह साल से बन्दोबस्त का कार्य चल रहा है। नये रेट्स अनाउन्स नहीं किये गये; विशेष कारण यह मालूम पड़ता है कि कुछ साल पहले रियासत टोंक में बेसी लगान रियासत टोंक ने वहां के काश्तकारों पर लगाया था जो करीब दो आना-तीन आना प्रति रुपया पड़ता था। अब बन्दोबस्त की रेट्स अनाउन्स करते हैं तो काश्तकारों से फी रुपये पर दो आना-तीन आना कम होता है। उनके लगान को कम करके किसी तरह नहीं छोड़ना पड़े इसलिये रियासत टोंक के समय का अवैज्ञानिक तरीके से लगाये हुए लगान को ही कायम रखना चाहते हैं और इसी बिना पर, बन्दोबस्त हो जाने पर भी, रियासत टोंक द्वारा लगाया हुआ लगान वसूल करते रहना चाहते हैं जो सर्वथा अनुचित है, काश्तकारों पर अन्याय है। अगर पहले ही रेट्स अनाउन्स हो गई होतीं तो पचास-साठ हजार रुपया सालाना का फायदा काश्तकारों को होता। यह जो अव्यवस्था रखी जा रही है उससे काश्तकारों को नुकसान हो रहा है, जो वाजिब नहीं है।

तहसील पिड़ावा में रियासत टोंक के समय काफी जागीरदारी थी। बन्दोबस्त

(श्री गोविन्दसिंह)

की नई रेन्ट रेट्स की घोषणा नहीं होने के कारण सबसे ज्यादा परेशान जागीर के गांव के काश्तकार हैं। कुछ गांवों में जागीर के गांवों में गांव का रकवा काश्त का नहीं लिखा हुआ है सिर्फ कितना लगान वसूल होना है लिखा हुआ है। इससे यह भी नहीं मालूम हो सकता है कि अमुक लगान देने वाले के पास कितनी जमीन है। होशियार काश्तकारों ने अपना रकबा काश्त बढ़ा लिया है और लगान जो इनके खाते में दर्ज है दे रहे हैं, इससे सबल काश्तकारों ने अपना मनचाहा रकवा बढ़ा लिया है और भूमिहीन, भूमिहीन ही रह गया है। इतना ही नहीं ऐसे गांवों में चरनोट भी निर्धारित नहीं है; मिसाल के तौर पर उस गांव का नाम उल्लेख करता हूं वह है ओड़िया खेड़ी। इसी प्रकार जागीर के गांव में काश्तकार के स्थान पर जागीरदार का नाम लिखा हुआ है और वह काफी बड़ा खाता है। नियमानुसार उस जागीरदार से ५० प्रतिशत सरचार्ज लिया जा रहा है और वह जागीरदार छोटे छोटे काश्तकारों से, जिनका खाता १५-२० रुपये का है ५० प्रतिशत सरचार्ज वसूल करता है, जो गलत है। इससे न फायदा जागीरदार को है और न काश्तकार को ही है। यदि बन्दोबस्त की घोषणा हो जाती है तो जागीर के गांवों के काश्तकारों को बहुत राहत मिलेगी।

आपने अगर सेटलमेन्ट की नई रेन्ट रेट्स की घोषणा कर दी होती तो यह जो रवैया चल रहा है बन्द हो गया होता। इससे न जागीरदारों को फायदा है और न किसानों को। इसके विपरीत ७५ रु० से कम खाते वालों से आप सरचार्ज ले रहे हैं और दस बीस वालों से ड्योढ़ा और सवैया सरचार्ज ले रहे हैं। इन सारी असुविधाओं को मिटाने का एक ही रास्ता है कि जो जमीन काश्तकारों के पास बीस-पच्चीस साल से या अधिक से कब्जे में हैं उन काश्तकारों के खाते बांध देने चाहिये। यह सब सेटलमेन्ट की घोषणा होने पर ही संभव हो सकेगा।

दूसरी अड़चन आती है जमीन के अलॉटमेन्ट की। इसमें चरणोट का प्रश्न आता है; सेटलमेन्ट ने कौन सी जमीन दी है इसका पता नहीं चलता। आप जब पक्के पट्टे सेटलमेन्ट के दे देंगे तब पता लगेगा कि चरणोट की क्या हालत होगी? हमने दो गांवों में काबिल काश्त जमीन अलॉट की। अब मालूम पड़ा कि चरणोट की जमीन उसमें आ गई है।

तो जो काबिल काश्त के नाम से अलॉट हुई है वह चरणोट में आ गई, अब उन काश्तकारों की क्या हालत होगी? कब्जा उन्होंने कर लिया है। तो यह भी एक विशेष समस्या है जिसका हल आपको निकालना है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम आखा तीज के पहले पहले पिड़ावा की समस्या को आप सम्भाल लें तो अच्छा होगा। आपने एक आज्ञा निकाली कि ३१-१२-६२ के पहले पहले जिन जिन काश्तकारों ने अनाधिकार कब्जा कर रक्खा हो अपना कब्जा रेगुलराइज करवा लें। दर्ख्वास्तें आपने इस तरह की मांगीं।

(श्री गोविन्दसिंह)

दर्ख्वास्तें आईं कि हमारे पास १५-१५ सालों से जमीन कब्जे में है। पर रिकॉर्ड में देखा गया तो कोई कब्जा दर्ज नहीं मिला। अब इतने सालों से उनका लगान कौन ले रहा था, कहां जा रहा था; कुछ पता नहीं। रेगुलराइज़ करने की दर्ख्वास्तें दीं तो रिकॉर्ड नहीं मिलता। ऐसे कई गांव हैं। इसलिये पिड़ावा की इस विशेष समस्या को देखते हुए मैं निवेदन करता हूं कि आप वहां कोई स्पेशल तहसीलदार मुकर्रर करके इसे दिखावें। १४० गांव करीब हैं जिनकी यह अजीब सी हालत है। पटवारियों ने फर्जी चिट्ठियां बना दीं और उन पर जो लगान आया वह उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। अब वे पटवारी नहीं रहे हैं, पर यह सब घोटाला मिटाने के लिये आपको वहां विशेष स्टाफ लगाना चाहिये। इससे काश्तकारों को फायदा होगा, आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अलॉटमेन्ट का अजीब रवैया है, पट्टे लोगों को नहीं मिल रहे हैं।

दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, सुनेल-टप्पा का है। वहां पर क्या हुआ, सन् ५६ में यह राजस्थान में मिला। सुनेल में नायब-तहसीलदार और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का कोर्ट था। उसकी बड़ी अच्छी बिल्डिंग थी। डेढ़ दो लाख की होगी। पर जब से राजस्थान में आई उसकी मरम्मत नहीं कराई और ६१ में उसका एक हिस्सा गिर भी गया। रिपोर्ट होने पर मरम्मत करना दूर रहा नायब तहसील को वहां से पिड़ावा भेज दिया। नायब-तहसीलदार का हैड क्वॉर्टर पिड़ावा कर दिया। सुनेल और पिड़ावा में वैसे १६ मील का फासला है। पक्की सड़क भी बन चुकी है। पर उसमें १४ पुलियायें पड़ती हैं जो बननी बाकी हैं, जिनके नहीं बनने से बरसात में वह सड़क बिल्कुल बन्द हो जाती है और उस हालत में सुनेल से पिड़ावा आने के लिये ८० मील का चक्कर खाकर आना पड़ता है, तो यह हालत है।

पंचायत समिति का हैड ऑफिस सुनेल में है और तहसील पिड़ावा में है, दोनों का एक दूसरे से रोज काम पड़ता है। आवागमन के साधन के नहीं होने से बड़ी अड़चन पड़ती है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि कृपया नायब-तहसीलदार का हैडक्वार्टर वापस सुनेल कीजिये। नायब तहसील का जो हिस्सा गिर चुका है मरम्मत कराइये, थोड़ी सी मरम्मत के बिना दो लाख की इमारत को बरबाद होने से रोकिये। हाल-फिलहाल आप नायब-तहसीलदार को वेअर हाउस, जो अभी खाली हुआ है और आपने अपने कब्जे में ले लिया है, रख देने की व्यवस्था कर दें।

आज सुनेल टप्पा वाले यह महसूस करते हैं कि राजस्थान में आने से उनको हानि हुई है, कोई लाभ नहीं मिला। कृपया उनको ऐसा महसूस मत होने दीजिये।

सुनेल में ग्रो मोर फूड के लिये कुछ काश्तकारों को तकावी दी थी उसमें शर्त यह रक्खी गई थी कि जो काश्तकार उस तकावी को उसी साल काम में ले लेगा

(श्री गोविन्दसिंह)

उससे ५ परसेन्ट ब्याज लिया जावेगा। पर बिना जांच के कि उनमें से किन ने काम पूरा किया, या न किया तब भी सबसे ६ परसेन्ट का ब्याज लिया गया है। आज इसका रिकॉर्ड मध्यप्रदेश में है। इस ओर राजस्थान सरकार का ध्यान जाना चाहिये। यह रकम मध्य भारत ने दी थी तो वसूली के पहले मध्य भारत से सब रिकॉर्ड लेना चाहिये था और उस समय की शर्तों के अनुसार वसूली करनी चाहिये थी।

तहसील पचपहाड़ फोर्मर झालावाड़ स्टेट का भाग है। फोर्मर झालावाड़ स्टेट के समय लगान के साथ साथ एक आना या दो पैसा प्रति रुपया काश्तकार फण्ड के नाम से रकम वसूल की जाती थी। यह रकम अलग काश्तकार फण्ड में जमा होती थी। इस रकम के मालिक काश्तकार थे; स्टेट को इस रकम से कोई मतलब नहीं था। यह रकम गरीब या जरूरत वाले काश्तकारों को तकाबी के रूप में दी जाती थी। इस प्रकार की व्यवस्था झालावाड़ स्टेट के समय में थी। प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि यह रकम २,६०८७५) है। अब राजस्थान सरकार इस रकम को पकड़ कर बैठी हुई है। इस रकम के मालिक फोर्मर झालावाड़ के काश्तकार हैं।

अत: मैं अर्ज करता हूं कि कृपया इस रकम को वापिस उनको लौटावें; यह रकम किस प्रकार काम में ली जावेगी इसका निर्णय स्वयं काश्तकार कर लेंगे। आशा है अब तुरन्त यह रकम काश्तकारों को वापिस कर दी जावेगी।

एक प्रश्न और है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। चरणोट जो दी जाती है फी जानवर, वह १० बिस्वा दी जाती है-जो आधा होती है। फोर्मर झालावाड़ स्टेट में यह ६।। स्वा बिही दी जाती है क्योंकि झालावाड़ का बीघा १३ बिस्वा का है और इस बीघे का आधा बीघा ६।। बिस्वा ही होता है। इस प्रकार फोर्मर झालावाड़ के गांवों में चरणोट मिली हुई है वह ६।। बिस्वा के हिसाब से मिली हुई है। इसको प्रश्न द्वारा हल करने की कोशिश की, पर विभाग ने गलत उत्तर दे दिया और असलियत छिपा ली। उसका कलेक्टर के पास से जवाब भी गलत आया। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो ३।। बिस्वा फी मवेशी चरनोट कम मिली है, उसके लिए खास तौर से मैं कहूंगा कि उसकी व्यवस्था आप जल्द करें। इसके अलावा भूमिहीनों को जो भूमि अलॉट की है उसमें भी इसका फर्क पड़ता है—उसकी ओर भी आप ध्यान दें।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में और कह दूं, वह है भैंसों की चराई के बारे में। दो साल हुए वन विभाग ने नियम बना दिया है कि जिसके पास ५ से ज्यादा भैंसें होंगी उससे भैंसों की चराई ली जावेगी। इस नियम से ५ भैंसों तक कोई चराई नहीं ली जाती है पर जिसके पास ६ भैंसें हैं तो उससे ६ भैंसों की ही चराई ली जाती है। मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि ५ भैंसों से जितनी ज्यादा भैंसे होंगी उनसे उतनी ही भैंसों की चराई ली जायेगी। लेकिन अभी तक उसका निर्णय नहीं हो सका है। अगर ५ के ऊपर १ भैंस है तो १ भैंस की ही चराई उससे ली जानी चाहिए, यदि २

(श्री गोविन्दसिंह)

ज्यादा हैं तो २ भैंसों की चराई ली जानी चाहिए। एक विशेष बात इसमें और है कि जो खेती करते हैं और जिनके पास जमीनें हैं उनको ५ भैंसे तक रखने की छूट है और उनसे किसी प्रकार की चराई नहीं ली जाती है और यदि ५ भैंसों से ऊपर किसी के पास हैं तो उससे चाराई ली जाती है, लेकिन जिनके पास जमीनें नहीं हैं, जो काश्तकार नहीं हैं और किसी ने अपने गुजर-बसर के लिए भैंसें रख रक्खी हैं और वह गरीब है, उनके पास जमीनें भी नहीं हैं तो ऐसे ग्रामीणों से यदि उनके पास एक भी भैंस है तो उसकी चराई वसूल की जाती है। वे जमीन मांगते हैं, उनको जमीन आप देते नहीं हैं और उनके पास यदि १ भैंस भी है तो उनसे १ भैंस की भी चराई ली जाती है, तो यह जो असमानता है इसको दूर करना चाहिए। यह नियम गलत है, भूमिहीन ग्रामीण जनता पर अन्याय है।

एक प्लान्टेशन का और महत्वपूर्ण सवाल है। गवर्नमेन्ट इसमें लाखों रुपया खर्च कर रही है। पंचायत समिति डग में चंदन के वृक्ष अपने आप पैदा होते हैं। राजस्थान सरकार उनकी रक्षा करे तो मैं समझता हूं कि लाखों रुपयों का फायदा हो सकता है। लेकिन प्लान्टेशन अलग अलग जगह कर रखा है और सरकार उस पर लाखों रुपया खर्च कर रही है और जो जमीन काबिल काश्त है उसमें ही प्लान्टेशन कर लिया है। अगर वहां देखा जाये तो एक भी पेड़ नहीं मिलेगा। तो कम से कम प्लान्टेशन करने के पहले डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ में पंचायत समिति डग में कुदरती तौर पर चन्दन के वृक्ष पैदा होते हैं तो आप उन्हीं की रक्षा कर लें, इससे लाखों रुपये का सरकार को फायदा होगा और गरीबों को जमीन भी अलॉट की जा सकेगी, अतः इस तरफ इस हालत को देखते हुए सरकार जिला झालावाड़ में प्लान्टेशन की नीति पलटे।

अब क्योंकि घंटी बज चुकी है और ज्यादा समय न लेकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह।

श्री केसरीसिंह (पाली) : अध्यक्ष महोदय, चकबन्दी के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए मैंने भी कटमोशन रखा था। आम चुनावों के बाद पहले ही सेशन में मैंने निवेदन किया था कि जो चकबन्दी यानी कन्सोलीडेशन ऑफ होल्डिंग है वह खास तौर पर उस जमीन के लिए बहुत अच्छी है जो कि एकसार है और नहरी है, वहां पर यह आवश्यक है और काश्तकार भी इसे चाहते हैं। लेकिन राजस्थान में कई इलाके ऐसे भी हैं कि जहां इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हमारा पाली का इलाका है। वहां पर जो चकबन्दी की गई वह केवल अनावश्यक ही नहीं थी बल्कि इसके परिणाम में यह हुआ कि जो जमीन की अदला-बदली हुई उसमें गरीब आदमी नुकसान में रहे और चलते पुर्जे आदमी फायदे में रहे और भ्रष्टाचार पनपा। मंत्री महोदय को यह मैंने कहा था तो उत्तर में यह कहा गया था कि आइन्दा से चकबन्दी

(श्री केसरीसिंह)

नहीं करेंगे जहां कि लोग इसको चाहेंगे और लोग जहां इसको नहीं चाहेंगे वहां नहीं करेंगे। या जिला परिषद या पंचायत समितियों के प्रस्तावों से जहां लोग कहेंगे हमारे यहां चकबन्दी हो, वहीं पर हम करेंगे। तो इस निर्णय से तो मुझे खुशी हुई और मैं समझता हूं कि इसी निर्णय के अनुसार चकबन्दी का काम होता होगा। लेकिन जहां चकबन्दी हो गई, जैसे पाली में, वहां कई कठिनाइयां सामने आती हैं।

एक बात तो यह थी कि उसकी जो फीस रखी गई है वह बहुत ही ज्यादा रख दी गई है। और दूसरी बात यह थी कि जैसे मेरे जमीन के दो टुकड़े हैं एक तो १०० बीघे का और दूसरा १० बीघे का है। यदि वह इसके साथ ही मिलाया जाता है तो ख्याल ऐसा था कि सिर्फ १० बीघा ही इधर-उधर हुआ उस पर ही वह फीस लगनी चाहिए थी लेकिन फीस पूरे ११० बीघा पर ही फैलाई गई। यह जो कठिनाई थी यह मैंने निवेदन की थी और बाद में उप-मंत्रीजी के सामने विशेष रूप से ये बातें रखी थीं। तो उन्होंने यह फरमाया कि जहां तक फीस का सवाल है वह तो केबीनेट डिसीज़न हो गया था। राजस्थान को हमने ३ क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया था। एक तो प्रोजेक्ट एरिया जिसमें राजस्थान नहर है, चम्बल के नीचे आने वाली जमीन है और बाकी राजस्थान को आर्बीट्रेरिली दो हिस्सों में बांट दिया; एक तो डेज़र्ट और दूसरा फर्टाइल। फर्टाइल एरिया जिसको मान लिया उसमें तो यह चकबन्दी की फीस ज्यादा रख दी और डेज़र्ट एरिया में यह फीस कम रखी गई। अब यह जो डिवीजन किया गया यह बहुत ही आर्बीट्रेरिली किया गया है। हमारे यहां इलाके के पास ही जो अभोर तहसील है वहां चकबन्दी की फीस २० नये पैसे प्रति बीघा रखी है जब कि हमारे यहां पर ८० नये पैसे प्रति बीघा रखी गई है। जब कि वस्तुतस्थिति यह है कि अभोर का इलाका पाली जिले से कहीं ज्यादा फर्टाइल है। पाली कम्पेरेटिवली ज्यादा डेज़र्ट है और जो दोनों जिलों की चकबन्दी में फर्क है, यह नाजायज़ बात सामने आती है। यह बात जब मैंने निवेदन की तो उप-मंत्रीजी ने कहा कि यह केबीनेट का फैसला है और बदलना मुश्किल है। मैंने कहा कि यह सही है या नहीं; अगर सही है तो it is never too late to right a wrong. और अब भी इस विषय को आप दुबारा कन्सीडर करें। उन्होंने बड़ी महरबानी करके रीकन्सीडर किया और मुझे बताया गया कि वह जो रूल्स थे कन्सोलीडेशन के और वह फीस और वह कौनसी जमीन पर लगनी चाहिए किस पर नहीं, उन सब को हम रिवाइज़ कर रहे हैं। अभी काफी अर्सा हो गया है इसका फैसला मेरे सामने नहीं आया। मैं कई बार पूछता रहता हूं और मुझे आश्वासन दिया जाता है कि तुम जल्दी क्यों कर रहे हो, फीस तो वसूल नहीं हो रही है क्योंकि अकाल है और लैण्ड रेवेन्यू की रिकवरी और दूसरी रिकवरीज भी नहीं हो रही हैं।

तो यह ३ साल इस बात को हो गए हैं और अब की बार हमारे यहां ऐसा हुआ कि पिछले दो-तीन साल से अकाल पड़

(श्री केसरीसिंह)

रहा था और अब की बार भी कई गांवों में अकाल घोषित हुआ है, लेकिन कई गांवों में नहीं है फिर भी वहां की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो वहां पर लैण्ड रेवेन्यू पिछले तीन साल की एक साथ वसूल की जा रही है और साथ ही चकबन्दी की फीस भी वसूल करने की बात सामने आ रही है। यह ठीक है कहा जाता है कि हम रोक देंगे लेकिन कई जगह पटवारी लोग वसूल कर रहे हैं और वह भी ८० नये पैसे प्रति बीघा, जो कि हमारे लैण्ड रेवेन्यू से दुगुना और तिगुना हम पाते हैं, तो ३ साल की लैण्ड रेवेन्यू वसूल करें और फिर तिगुनी जो लैण्ड रेवेन्यू से चकबन्दी की फीस होती है वह भी वसूल कर रहे हैं। तो इसके वसूल करने से भी बड़ी मुश्किल सामने आ रही है। यह बात जब मैंने निवेदन की तो मुझे यह बताया गया कि रूल्स बने हैं उनमें अभी रेट्स रिड्यूस कर दी गई हैं, हालांकि उसकी कॉपी नहीं मिली है और न यहां सदन की मेज पर भी कॉपी आई है, लेकिन फिर भी ऐसा मालूम हुआ है कि फीस कम कर दी गई है, और पाली में मैंने सुना है कि ४० नये पैसे रखी गई है। पहले बिलाड़े में ८० नये पैसे थी और पाली में भी ८० नये पैसे थी। अब बिलाड़े में २० नये पैसे कर दिये गये हैं, लेकिन पाली में अब भी ४० नये पैसे हैं। मुझे मालूम नहीं है, चूंकि फाइनल निकला नहीं है, रूल्स रिवाइज होकर छपे नहीं हैं। बिलाड़ा पाली के मुकाबले में फर्टाइल इलाका है। पाली तहसील का जो वेस्टर्न ट्रैक्ट वह एक सेमी-डेजर्ट है, तो पाली में यह फीस रखी जाय, ४० नये पैसे, वह अनुचित होगा। पाली की तहसील में तो सिवाना तहसील में जो फीस रखी जाय उससे किसी भी सूरत में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब आप उत्तर दें तो मैं जानना चाहूंगा कि रूल्स क्या बने हैं, कौनसी जमीन पर कन्सोलिडेशन फीस लगी और कौनसी पर नहीं लगी है, और पाली के लिए विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि वहां पर कितनी फीस रखी गई है।

दूसरी बात जो मैंने अर्ज कर दी थी कि इस तहसील में हमारी तरफ अकाल पड़ा है। इस बार भी कई गांवों में अकाल घोषित किया गया है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं कि जहां अच्छा जमाना तो नहीं है लेकिन अकाल घोषित नहीं हुआ है, और कुछ गांवों में जमाना बहुत अच्छा है, कुछ गांवों में अकाल घोषित नहीं हुआ है लेकिन जमाना ज्यादा अच्छा नहीं है; वहां पर पाली में २–३ साल की बीघोड़ी एकदम वसूल की जा रही है और कन्सोलिडेशन की फीस भी उगहाई जा रही है और साथ में पिछली बीघोड़ी पर ब्याज भी लगाया जा रहा है। ये चीजें सारी की सारी एक साथ आ रही हैं वे काश्तकार को भारी मालूम होंगी। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि जिन गांवों में लगातार दो साल से अकाल पड़ा है वहां पर पिछले साल की बीघोड़ी का सस्पेन्शन ही नहीं रहना चाहिए बल्कि उसका रेमिशन होना चाहिए। जहां तक मेरा ख्याल है हमारे जिलाधीश की तरफ से जो रिकमन्डेशन आई है, वहां की हालात जैसी थी उसको देखते हुए, रेमिशन की आ सकती है। दूसरा सुझाव नहीं हो सकता है। दूसरी रिकमन्डेशन नहीं हो सकती है सिवाय रेमि-

(श्री केसरीसिंह)

शान की, क्योंकि वहां के कई गांवों में तो यह तीसरा साल अकाल का है। तो दो साल तक जहां बराबर अकाल पड़ा है वहां पर पिछले साल की बीघोड़ी का रेमिशन होना चाहिए।

दूसरी बात यह अर्ज कर रहा था कि जहां एक ही साल अकाल पड़ा था और इस साल अकाल नहीं है वहां पर वसूल करें तो पिछली बीघोड़ी पर ब्याज नहीं लिया जाय।

और तीसरी बात यह है कि एक मुश्त वसूल करने की बात नहीं रखें। उसको किश्तों में वसूल कर लें तो काश्तकारों को सहूलियत रहेगी।

फेमिन के लिए मैं तारीफ किये बिना नहीं रह सकता गवर्नमेंट की उन्होंने कम से कम पाली के लिए जहां तक सहायता, धन मन्जूर करने की बात थी, उन्होंने खुले दिल से काम लिया, उदारता से काम लिया और वहां पर उन्होंने बहुत धन अकाल सहायता के लिए प्रोवाइड किया था। गल्तियां-वल्तियां रहीं। कई बार पेमेंट २-३ हफ्ते तक नहीं हुआ, इत्यादि। लेकिन वे वहां की लोकल गल्तियां थीं, जिसके लिए सरकार की नीयत के बारे में किसी तरह का ओलम्भा नहीं दिया जा सकता है।

एक और मुश्किल हमारे वहां हमारे सामने यह आ रही है कि यद्यपि यह कहा जाता है कि घासमारी माफ कर दी गई है, परन्तु वास्तव में वहां क्या हो रहा है कि जो जमीन गैरबापी की थी, पड़त थी, काश्त नहीं होती थी, गैरमुमकिन थी, काश्त नहीं हो सकती थीं, खड्डे वगैरह हैं, इस तरह की सारी जमीनों की उन सब की कितनी बीघोड़ी हो सकती है, यह फीगर्स कम्पाइल किये जायें और जो गैरमुमकिन की जमीन है उन पर जो बीघोड़ी लगाई जाती है तो जो दूसरे सारे गांवों की जमीनें हैं जो किस्म की जमीनों से कमजोर जमीन है; उस गैर-मुमकिन जमीन है उस पर बीघोड़ी लगा दी जाती है। उसका टोटल जो आता है वह सारे के सारे को लेकर दूसरों पर डिस्ट्रि-ब्यूट किया जाता है, लेकिन यह ग्रेज़िंग की फीस दी जाय, घासमारी तो माफ है, तो यह घासमारी से भी ज्यादा मुश्किल पड़ती है।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, यह है कि पिछले दो साल से अकाल पड़ रहा है यह गवर्नमेंट से छाने की बात नहीं है। वहां पर घास का प्रबन्ध किया था, जहां अच्छी जमीन पर भी घास पैदा नहीं हुआ था, वहां पिछले दो-तीन साल में क्या घास पैदा हुआ होगा, जिसकी कि चराई लेना चाहते हैं। यह वास्तव में समझ में नहीं आता है। यह मैंने सुना है कि चराई माफ कर दी गई है, लेकिन केटेगोरिकली रिप्लाई चाहता हूं गवर्नमेंट की तरफ से कि माफ कर दी गई या नहीं, लेकिन माफी की यह सूचना जिले के अधिकारियों, पटवारियों तक बाकायदा पहुंचाई जानी चाहिए ताकि वहां पर हैरेस-मेंट लोगों का न हो।

इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर जो तीन बातें—एक चकबन्दी की फीस की

(श्री केसरीसिंह)

बाबत आपने रूल्स रिवाइज़ किये हैं, आखिर क्या रिवाइज़ किये गये हैं और विशेष रूप से पाली के लिए आपने क्या रेट रखी है ? दूसरी चीज मैंने अर्ज की थी कि जहां लगातार दो साल से अकाल पड़ रहा है वहां पर बीघोड़ी का सस्पेन्शन काफी नहीं है, लेकिन रेमिशन होना चाहिए पिछले एक साल का। और जहां पर केवल एक साल अकाल पड़ा है और जहां पर अब तक अकाल घोषित तो नहीं है लेकिन जमाना ज्यादा अच्छा नहीं है, वहां पर लगातार एक मुश्त सारी रकम वसूल नहीं करें, आप किश्तों में वसूल करें और पिछले साल की जो रकम थी उस पर ब्याज आप मत लगाइये। यह दूसरी चीज मैं आपसे अर्ज करता हूं।

और तीसरी चीज मैं अर्ज करता हूं चराई के बावत। उसके बावत जो निवेदन है वह सबसे पहले हमें बताई जाय और नीचे भी कॉम्युनिकेट की जाय। जहां कोई चीज पैदा नहीं होती है बड्ड़ जैसी जमीन में, फिर अकाल में कोई घास पैदा नहीं है वहां पर जमीन की चराई की फीस लेना बिल्कुल गैरवाजिब है।

ये तीन बातें आपके सामने रखते हुए और उत्तर की अपेक्षा करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, आज राजस्व विभाग, वन विभाग और विविध विभागों की मांगों पर चर्चाएं हो रही हैं। जहां तक राजस्व विभाग का ताल्लुक है यह हमारे देश में सारे शासन की धुरी मानी जाती है और विशेषत: हमारे राजस्थान में जहां पर हमारी अर्थ-व्यवस्था अभी भी अधिकतर खेती पर ही निर्भर है वहां तो यह विभाग और भी अधिक महत्वपूर्ण काम करता है और आज-कल खास तौर पर जब कि खाद्यान्नों की इतनी भारी मंहगाई हो रही है, देश में खाद्यों का संकट बढ़ता जा रहा है। हमें विदेशी मुद्रा को बहुत सा खाद्यान्न आयात करने में बहुत बड़ा खर्च करना पड़ रहा है। सारे देश के सामने यह गम्भीर समस्या पैदा हो रही है कि आखिर हमारी नीतियों में कहां गलती है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार क्यों नहीं बढ़ रही है और इस संदर्भ में हमारे देश के नेतागण इस बात पर चर्चा बराबर कर रहे हैं कि जो भूमि-सुधार का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया, उस भूमि-सुधार के कार्यक्रम में कहीं बुनियादी गलती तो नहीं रह गई हो, या जो भूमि-सुधार हो रहे हैं उन पर सही अमल नहीं किया जा रहा हो, ऐसी बात तो नहीं है। इस दृष्टिकोण से, अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल डेवलपमेंट कौन्सिल की मीटिंग को प्रिसाइड करते हुए सारे देश के मुख्य मंत्रियों का ध्यान इस ओर दिलाया था कि वह अपनी अपनी स्टेट्स में जहां तक लैण्ड रिफॉर्म्स का प्रश्न है इस पर गहराई से विचार करें क्योंकि आज प्लानिंग कमीशन को यह संदेह उत्पन्न हो रहा है कि इस लैंड प्रोब्लम को सही तरीके से हल नहीं किया जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लानिंग कमीशन की जो नीति है उसके अनुसार भी लैंड रिफॉर्म्स नहीं किये गये हैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और इस दृष्टि से अध्यक्ष महोदय, सारे देश की सारी प्रान्तीय सरकारें अपने अपने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पुनः विचार कर रही हैं और उनका एसेसमेंट कर रहे हैं और हमारी राजस्थान सरकार ने भी एक लैंड रेवेन्यू कमीशन मुकर्रर करके इसका प्रयत्न किया है। वह रिपोर्ट सदन के सामने आयगी तब वह कमीशन किस नतीजे पर पहुंचता है, वह सामने आयेगा। लेकिन अभी कुछ तथ्य सामने आये हैं उस ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। यह समस्या ऐसी है जिसको पार्टी की दृष्टि से ध्यान देने के बजाय जो ऑब्जेक्टिव है उस ओर ध्यान देने की जरूरत है। हम यह मानकर चलते हैं कि कांग्रेस सरकार है उसने प्लानिंग कमीशन के जरिये जिस ऑब्जेक्टिव को सामने रखा है उसको पूरा करने के लिए कानून भी बनाये हैं, वे ऑब्जेक्ट कहां तक पूरे हुए हैं, मकसद कहां तक पूरा हुआ है, उसका एसेसमेंट किया जाय और उस ओर नजर डाली जाय।

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ महानुभावों ने उस तरफ कुछ प्रयास किया है और जो तथ्य हमारे सामने आये हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे बहुत स्टार्टलिंग है, भयावह हैं। वे इस प्रकार का चित्र पेश करते हैं जिससे यह स्थिति सामने आती है कि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में शायद स्टेट गवर्नमेंट और हमारे नेता बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेन्ट एटीट्यूड ले रहे हैं। उन्होंने शायद समझ लिया है कि हमने बहुत बड़ा लैंड रिफॉर्म्स कर लिया, जो भी कदम उठाने थे वे उठा लिए; चाहे खातेदारी के सम्बन्ध में हों, चाहे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के सम्बन्ध में हों, चाहे लगान के सम्बन्ध में हों, चाहे जमीन के बंटवारे का प्रश्न हों, ऐसी मान्यता हमारे सरकारी क्षेत्र में है और ऐसा समझ कर बैठे हैं कि सारी समस्याओं को हल कर चुके हैं और आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और मौजूदा पोज़ीशन को स्टेबिलाइज़ करने की कोशिश है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार केज़ रिप्रज़ेन्टेटिव्ज से और सदन से कि यदि वास्तविक तौर पर लैंड रिफॉर्म्स की तस्वीर देखें तो दूसरी ही चीज नजर आती है।

अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि जो आज लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आवश्यक है कि इन्टरमीजियरीज़ या बिचोलियों को वास्तव में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाय, आवश्यकता इस बात की है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की गारन्टी पूरी तरह से दी जाय और जिनके जरिये शोषण होता है उनको समाप्त किया जाय और भूमिहीनों की समस्या को खत्म किया जाय, इस ओर हमारी सरकार बिल्कुल उदासीन ही नहीं है बल्कि राजस्थान में इस समस्या के एग्जिस्टेन्स से इन्कार करती है। हमारी सरकार यह मान कर चलती है कि राजस्थान में बिचोलिये नहीं हैं, सरकार यह मानकर चलती है कि सीक्योरिटी ऑफ दी टेन्योर राजस्थान में हो चुका है, वह यह भी मानकर चलती है कि रेक रेन्टिंग नहीं होता है और यह मानकर चलती है कि जमीन का बंटवारा इस ढंग से हो गया है कि किसान की समस्या हल होती जा रही है। प्लानिंग कमीशन ने बार बार जो

Page No 104

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ध्यान दिलाया है उसकी तरफ, सरकार की उदासीनता के कारण बताये हैं उनको मानने से सरकार ने इन्कार किया है और जो प्रोब्लम्स हैं उनको टेकल करने के बजाय, उनको हल करने के बजाय, उससे स्किप ओवर करने की कोशिश की जा रही है।

इसमें संदेह नहीं कि भूमि सुधार कानून पास किये हैं, स्टेचुटरी लैंड रिफॉर्म्स लागू किये हैं, जागीरदारी खत्म हो गई है। इसका मतलब यह नहीं कि जमींदार, बिस्वेदार या अजमेर के इस्तमरारदार खत्म हो गये तो सारे बिचोलिये ही खत्म हो गये और जो टिलर्स ऑफ दी सोइल अन्न पैदा करते हैं उनका सीधा संबंध सरकार से है या नहीं और उनका शोषण करने वाले बीच में हैं या नहीं, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाल ही में जब भारत सरकार ने यह देखा कि राजस्थान सरकार कॉम्प्लीसेन्ट एटिट्यूड अपना रही है तो उन्होंने अपने एक ऑफिसर को सर्वे करने और जानकारी करने को भेजा और प्लानिंग कमीशन में लैंड रिफॉर्म्स के जोइन्ट सेक्रेटरी अमीर रज़ा यहां आये और उन्होंने भारत सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसके कुछ एक्सट्रेक्ट्स पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने हमारे प्रान्त के बारे रिपोर्ट दी है। सब टिनेन्ट्स की पोजीशन के बारे में उन्होंने कहा है :–

"However the position with regard to tenants admitted after the commencement of the law is disturbing. The Rajasthan Law seeks to regulate rents (the maximum permissible rent being 1 6th of the gross produce) but it does not provide for security of tenants. It is not surprising that in the absence of any provision for security, the Povision for maximum rent is ineffective. The tenants are in actual fact, racle rented tenants-at-will paying rent amounting to half of the produce in many cases..."

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं उन्होंने आगे जाकर इस संबंध में अपनी रिपोर्ट में यह कहा है :

"It is freely admitted that there is a common practice for leasing but land to share-croppers, but the restrictions imposed by law are not effective. In the villages visited, the prevailing custom is for the share cropper to give half the produce to the land holder though in some cases when the land is poor the land holder's share may be about 1/3 or 1/4th of the produce. Where the land holder supplies the bullocks and bears the entire cost of cultivation, the share croppers' share may be as little as about 1/4th of the produce, 3/4th being appropriated by the landholder. While previously such lessees were allowed to remain in possession of the same area of land for considerable periods."

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, पहले वह काश्तकार सब-टिनेन्ट था तब उस जमीन पर उसका कब्जा भी रहता था उसको कोई हटाता नहीं था, लेकिन अब अमीर रज़ा इसके बारे में कहते है:—

the land holders now change the share croppers pretty frequently out of the fear that if they are allowed to retain the same land for any length of time they may claim tenancy rights in the land. In order to avoid this danger the landholders sometimes get the share croppers to sign documents to the effect that they are attached labourers or servants. Most of such share croppers are not recorded in the khasra girdawari which is a quardrennial record and contains column showing changes in possession. On account of the misuse made by the patwaris of the power to record changes in possession instructions were recently issued withdrawing the power of recording changes from the patwari. In the same districts visited viz. Tonk, Udaipur and Jaipur the instructions seem to have been misunderstood by revenue officials to mean that the sub-tenants are not to be recorded at all."

और अध्यक्ष महोदय, अंत में सम-अप करते हुए अमीर रज़ा साहब ने कहा है :

"It would thus appear that the lessees have no security of tenure at all. (The law itself does not seek to confer this). They are also obliged to pay excessive rents amounting in some cases to as much as half the produce. The law intends to regulate rents; but this is simply not possible unless at the same time security is also given."

तो अध्यक्ष महोदय, यह बात श्री अमीर रजा ने कोई बहुत वर्षो पहले कही हो यह बात नहीं है। पिछले साल में शायद अक्टूबर की यह उनकी रिपोर्ट है जो उन्होंने सब्मिट की है और उसमें उन्होंने इस बात को कहा है। इस बात को कहने वाला, बाहर से आये हुए अमीर रजा हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे प्रान्त में भूमिसुधारों के बारे में एक और रिसर्च करवाई हमारे पिलानी के डॉक्टर दूलेसिंह हैं उनसे गवंनमेन्ट ऑफ इंडिया के प्लानिंग कमीशन ने एक सेम्पल सर्वे करवाया और उसके जरिये कुछ नतीजे निकाले हैं और वे नतीजे इस रूप में है। मैं उसकी समेरी के एक्स्ट्रेक्ट्स पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बताया है कि राजस्थान में जो सब-लेटिंग है, सब टिनेंट्स हैं उनकी पोजीशन बढ़ती जा रही है और उन्होंने यह कहा है कि करीब १८ परसेन्ट तक सब-लेटिंग हमारे यहां मौजूद है, इस रूप में कि उन्होंने जगह जगह के, कितने ही डिस्ट्रिक्ट्स के टीनेन्ट्स का सर्वे किया तो उन १,१२० टीनेन्ट्स में से उन्हें ११८ सब टीनेन्ट्स रिकॉर्डेड मिले और ७७ ऐसे मिले जिनसे नौकरनामा लिखा कर तीन चौथाई पैसा लगाते हैं। इतने इस तरीके के मिले। इस तरीके से १,१२० टीनेन्ट्स में से १६५ टीनेन्ट्स ऐसे मिले जो शेयर-क्रोपर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और इस रूप में थे। वे इस रूप में १८ परसेन्ट इसमें होते हैं। इन्होंने अपनी समेरी के पैरा चार, पार्ट (३) में कहा है :—

Most of them were in the Jagir districts. There is a tendency in such tenants to conceal the sub-letting done by them. The practice of sub-letting by the Khatedar tenants is slightly on the increase.

इसके बारे में उन्होंने कहा है :

"Sub-letting is either resorted to by very influential persons of the village community or by the weaker sections of the society.The former take a share in the produce, usually half, and get the Gasht-Girdawari recorded in theire own name while the latter sub-let their tiny holdings on cash-rent-cum-mortgage type of arrangement and in many cases eventually lose the holding. Thus the influential persons having substantial holdings do succeed inevading the law while the weaker sections do not get even the protection due to them. Of 1, 120 tenants, 118 were sub-tenants. Of the latter, 72 were share-croppers."

यानि जो सब टीनेन्ट्स हैं उनके ७५ परसेन्ट हैं, अध्यक्ष महोदय, वे शेअर-क्रोपर हैं। उन्होंने यह कहा कि गरीब अगर किसी को काश्त के ऊपर देता है वह केश पर देता है और जो इन्फ्लुएन्शियल आदमी है वह बटाई पर देता है। बटाई पर देने वालों की तादाद १९५४ मे ६६ परसेन्ट थी और १९६१ में, उन्होंने कहा है, उनकी तादाद बढ़ कर ७५ परसेन्ट हो गई। इस तरह से सब लेटिंग की तादाद बढ़ती जा रही है। उसमें जो एक्सटोर्शन होता हैं, लूट होती है किसान की-वह बढ़ती जा रही है। यह रीसेन्ट रिपोर्ट है जो डाक्टर दूलेसिंह ने सबमिट की है उसमें उन्होंने यह बताया है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये, उनका इन डाक्टर दूलेसिंहजी की रिपोर्ट या अमीर रजा की रिपोर्ट से साफ पता लगता है कि राजस्थान में जो सब-टीनेन्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, उनसे जितना लगान है, उससे ज्यादा लगान लिया जाता है और उनके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में इन्द्राज नहीं किये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जरूरत इस बात की थी कि सब-टीनेन्ट्स को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं दिया जाय तो उनको जमीन से हटाया भी नहीं जाय और जो लगान फिक्स्ड है उससे ज्यादा उनसे नहीं लिया जाय, और उन्हें खातेदारी हकूक दिये जायं। यह राजस्थान के टीनेन्ट्स की प्रोब्लम है, इसे राजस्थान सरकार को हल करना चाहिए था; लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार उल्टे क्या कदम उठा रही है कि जो रेकॉर्ड पहले ही नहीं होता है, अब सरकार ने कानून बना कर, नोटिफिकेशन निकाल कर, यह कह दिया कि खाने १६, २४, ३२, ३६, ४० के अन्दर इन्द्राज बन्द कर दें। उनको लिखो मत। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। सब टीनेन्ट्स के नाम नहीं आयेंगे तो खूब खेलो तथा खूब खाओ। चाहे शेअर-क्रोपर कितना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ही चिल्लाये, उसका इन्द्राज नहीं होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे रहनुमा हैं, एडवाइजर्स हैं रेवेन्यू के-वह इस बात का एग्जिस्टेन्स नहीं मानते हैं कि हमारे यहां पर इन्टरमीजियरीज हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १८ परसेन्ट राजस्थान की पोपुलेशन, जो करीब हमारी पोपुलेशन के ३० लाख-३५ लाख को कवर करेगी, वह एक बटे पांच हिस्सा हमारा सब टीनेन्ट का है, उस तबके के साथ में लूट-कबड्डी हो रही है तो फिर उसको हम प्रोब्लम नहीं मानें और इस तरीके से चलें, वह एक खतरेनाक बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरीके से एक और बात है। हमारे यहां जो भूमि सुधार हुए उनमें यह ख्याल किया जाता है, कुछ ओवर एम्फेसिस था और उसके रिज़ल्ट्स के बारे में वास्तविकता से ज्यादा नतीजों के बारे में बातें की जाती हैं। भारत सरकार ने पूछा कि क्या आपके यहां पर बहुत ज्यादा इस तरीके से हाई स्केल पर सरेन्डर हुए हैं, लोगों को बेदखल किया गया है? लेकिन हमारी सरकार ने जवाब दे दिया है कोई मास स्केल पर सरेन्डर नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कोटा के फीगर्स हैं, मैं आपको पढ़ कर सुनाऊंगा। यह कोटा के कलेक्टर का स्टेटमेंट है, इसके अनुसार १५ अक्टूबर, १९५५ को जो सब टीनेन्ट्स या खुद-काश्त के टीनेन्ट्स रिकॉर्डेड थे, उन रिकॉर्डेड को छोड़ दीजिये जो रिकॉर्डेड दूसरे थे, तो उनकी कुल तादाद २७,१५४ और १७,५९० थी, इस तरीके से कुल मिला कर ४४,७४४ लिखी हुई है। लेकिन जब आपने संशोधन कर दिया, तो यह १९५५ में तो रिकॉर्डेड थे, अध्यक्ष महोदय, ४४,७४४ इनके पास जमीन थी, ३७,११,१२७ एकड़ जमीन थी इनके पास और १९५५ में दफा १९ के तहत.......

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : ये कहां के फीगर्स बता रहे हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोटा जिले के।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोटा जिले में ३७ एकड़ जमीन उनके पास थी?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : ४५ लाख कुल थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एकड़ में हैं या बीघा में है? एकड़ है। ये फीगर्स कलेक्टर के हैं और साइन्ड हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : २ लाख एकड़ होगी।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन) : बीघा नहीं होगी बिस्वा होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई बात नहीं आगे चलिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ४४,७४४ थे सब टीनेन्ट्स और खुद काश्त की दफा १९ के अन्दर संशोधन करने के बाद केवल ४,३९७ किसानों को खातेदारी हकूक मिले।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बाकी कहां चले गये ? और जमीन इनके कुल कब्जे में थी, यह १६,७६६ एकड़ जमीन इनको कब्जे में मिली। इसका सीधा मतलब यह है कि जो सब-टीनेन्ट्स या खुदकाश्त के टीनेन्ट्स १९५५ में थे यानी उस वक्त जमीन के ऊपर बैठे थे, उनको, जब तक कि आप कानून के अन्दर संशोधन करें, मार मार कर निकाल दिया गया और १९५९-१९६० के अन्दर जब दफा १९ के अन्दर संशोधन आया तो एक्चुअली वहां पर ४,३६७ बाकी रह गये जिनको जमीन का कब्जा मिला। इसका मतलब है कि अकेले कोटा जिले के अन्दर ४०,००० किसानों को वेदखल कर दिया गया जिनके पास लाखों बीघा जमीन थी, तो और जिलों की हालत क्या होगी? अध्यक्ष महोदय, जब एक जिले की स्थिति यह है तो उसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन आंकड़ों से पता चलता है, सरकार यह कहती है कि हमने टीनेन्सी एक्ट के अनुसार सब लोगों को खातेदार बना दिया, यह वास्तविकता नहीं है। हम अगर देखें कि यह टीनेन्सी एक्ट आने से पहले कितने लोग खातेदार थे, जोधपुर में मारवाड़ टीनेन्सी एक्ट था, जयपुर में जयपुर टीनेन्सी एक्ट था, भरतपुर में ऑक्यूपेंसी टीनेन्सी होल्डर्स था और अलवर में ऑक्यूपेंसी टीनेन्सी होल्डर्स था, उनके अनुसार जो थे तो वह तो उनका क्रेडिट था। उनको शामिल करके यदि कहें कि उनको खातेदार बना दिया तो, वह सही नहीं है। आपका जो ड्यू क्रेडिट है, जो सरकार ने किया है उसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन उस फीगर को देखें, टीनेन्सी एक्ट आने से पहले कितने खातेदार थे और टीनेन्सी एक्ट आने के बाद कितने खातेदार बने और कितनी जमीन के ऊपर असर पड़ा तो अध्यक्ष महोदय, बड़ा अजीब फीगर आपके सामने आयेगा। मैंने दो जिलों के फीगर्स इकट्ठे किये हैं, जयपुर के और कोटा के। टीनेन्सी एक्ट आने से पहले जयपुर जिले में २,२३,७६६ के ऊपर पर्सन्स थे जिन्हें ऑक्यूपेंसी राइट था। यह भी जयपुर के कलेक्टर की रिपोर्ट है और उनके ही आंकड़े हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऑनरेबल मेम्बर रेवेन्यू लॉज कमीशन के सदस्य हैं और वहां पर मिनिट्स और मीटिंग के अन्दर जो कोई चीजें आई, उनको इस कमीशन की रिपोर्ट आने के पहले सदन में रखना, मैं समझता हूं, न्यायसंगत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ये तथ्य हैं। यह न केवल सच है, बल्कि रेकॉर्ड में देखे जा सकते हैं और दूसरे लोगों के पास गये हैं। न इसे कमीशन ने कॉन्फीडेंशियल माना है। एज़ तथ्य, मैं समझता हूं, ये...

(२. ५० म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वास्तविकतायें हैं जिनसे लाइट मिल सकती है, इनको देने से गुरेज क्यों कर सकते हैं ? तो, जयपुर में....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, उप-मंत्री, राजस्व ने एक प्रश्न उठाया है और वह यह कि माननीय सदस्य जो रेफरेन्स दे रहे हैं, उनको इस प्रकार के रेफरेन्स देने की इजाजत है क्या, जबकि माननीय सदस्य रेवेन्यू लॉ कमीशन के सदस्य हैं और अभी तक उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सब्मिट नहीं की है; तो ऐसी हालत में यह प्रश्न उठाया है कि माननीय सदस्य जो आंकड़े कोट कर रहे हैं उस रेकॉर्ड के आधार पर जो उनको दिया गया, कोट नहीं कर सकते। यह प्रश्न आपकी व्यवस्था के लिए उपस्थित है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस समय मैंने यह प्रश्न उठाया था माननीय उपाध्यक्ष जी, आप यहां मौजूद नहीं थे। इसलिए मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराता हूं। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य रेवेन्यू लॉ कमीशन के सदस्य हैं। इस सिलसिले में जो मीटिंग होती है उसमें कलेक्टरों को एग्ज़ामिन किया जाता है और उसके लिये आपस में कुछ पेपर्स सरक्यूलेट किये जाते हैं। अब यहां पर जो रेफरेन्स माननीय सदस्य कोट कर रहे हैं वह उस रेकॉर्ड और मीटिंग से सम्बन्धित है। चूंकि रेवेन्यू लॉ कमीशन की रिपोर्ट अभी तक सब्मिट नहीं हुई है इसलिए उससे जो जानकारी माननीय सदस्य को प्राप्त हुई है वह जानकारी रिपोर्ट के सब्मिट होने से पहले सदन में प्रस्तुत करना कोई शोभाजनक बात नहीं है और न इसके लिए इजाजत ही दी जानी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने यह जाहिर नहीं किया है कि मैं कहां से आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने यही कहा है कि ये आंकड़े ऑथोराइज़्ड हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप उसके सदस्य हैं। इसके अलावा जब ये आंकड़े कलेक्टर के सामने आये और उन्हें क्रोस किया तो ये आंकड़े गलत थे और दुबारा उनको करेक्ट आंकड़े भेजने की बात-चीत हुई थी। उन्हीं आंकड़ों को आप सदन में रख कर माननीय सदस्यों के दिमाग को और यहां सदन के वातावरण को दूसरी ओर ले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है और स्वस्थ परम्परा नहीं है। यह तो कमीशन के सामने डिस्कस होने वाली चीज है। इसलिए उसका हवाला देकर कहें तो, मैं समझता हूं कि ऐसा करना न तो मैं उचित समझता हूं और न आप उचित समझेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करूंगा कि करेक्ट होने के बाद जो फीगर्स प्राप्त हुए हैं वे ही हैं।

(शोरगुल)

इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उप-मंत्री ने जो प्रश्न उठाया है उसके विषय में मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन की परम्परा के अनुसार सदन में भी जो पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी, सिलेक्ट कमेटी और दूसरी समितियां होती हैं उनके अन्दर जो कुछ भी वाद-विवाद होता है और जो भी रेकॉर्ड उपलब्ध होता है और चर्चाएं होती हैं, उनका अगर रेफरेन्स दिया जावे तो जब तक वह फाइनेलाइज्ड

(श्री उपाध्यक्ष)

होकर नहीं आवे तब तक उसका रेफरेन्स अलग से नहीं दिया जाता है और जब तक मीटिंग हो रही हो, उस सम्बन्ध में जो भी तथ्य सामने आवें और जानकारी प्राप्त हो तो उनकी चर्चा नहीं की जानी चाहिये, जब तक कि रिपोर्ट फाइनल न हो जावे। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यदि भावना के दौरान में कोई बात आई भी हो तो उसे बचा कर कहें तो उचित रहेगा, आम नीति पर ही प्रकाश डालना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उस कमेटी का एक सदस्य हूं और अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से महसूस करता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इसके लिए कोई एतराज हो तो कमीशन में उठा सकते हैं। लेकिन ये तो आंकड़े हैं, ये तो तथ्य हैं जिसे गवर्नमेंट के सामने रख रहा हूं। गवर्नमेंट कुछ करना चाहे तो करे। मैं तो तथ्यों की बुनियाद पर बात कह रहा हूं; I take the risk, if I am divulging any secrets of the commission. इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तथ्य हैं जैसा कि कमीशन की रिपोर्ट पहले आने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूं।

जो लोग पहले से खातेदार थे उनकी तादाद २,२३,७८९ थी।

टीनेन्सी एक्ट आने के बाद उनकी तादाद २,२८,१०३ हो गई। केवल ६४,३०४ आदमियों को ज्यादा खातेदारी मिली, यानी जयपुर में २८ परसेन्ट बढ़ोत्तरी हुई और उपाध्यक्ष महोदय, कोटा में १४ परसेन्ट हुई। जिस जमीन पर ....

श्री उपाध्यक्ष : यह आपकी स्वतन्त्र जानकारी पर कह रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आपकी स्वतन्त्र जानकारी नहीं है। यह तो उनको रेवेन्यू लॉ कमीशन समिति के सदस्य होने के नाते जो सूचना है वह दे रहे हैं। यदि यह आपकी स्वतन्त्र जानकारी है तो आप अलवर की अभी बता दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने यह कहा है कि ऑथोराइज्ड जानकारी पर ये आंकड़े हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह गलत परम्परा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी पार्लियामेंट में टोमस ने रिपोर्ट का रेफरेन्स दिया और इस बारे में स्पीकर ने रूलिंग दी थी कि कॉन्फीडेन्शियल रेकॉर्ड का भी हवाला दे सकते हैं। यह रेवेन्यू लॉ कमीशन का कॉन्फीडेन्शियल रिकॉर्ड नहीं है। यदि मैं कोई प्रिविलेज का ब्रीच कर रहा हूं तो वे मेरे खिलाफ एक्शन लें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! ऑर्डर!! यह जो रिपोर्ट है कॉन्फीडेन्शियल है। माननीय सदस्य को उसके सदस्य होने के नाते वह रेकॉर्ड मिला है और उनको इसकी जानकारी होने से वे इसका रेफरेन्स देते हैं, जो नहीं दिया जा सकता। यह सदन की

(श्री उपाध्यक्ष)

परम्परा है कि जब हम स्वयं कमेटी में सदस्य हों तो उसकी बात नहीं कह सकते। हां, अगर कोई दूसरे माननीय सदस्य इस प्रकार की बात कहें तो वह अलग बात है। उनकी यह रिपोर्ट अभी तक फाइनेलाइज नहीं हुई है, इसलिए जहां तक हो सके हमें सदस्य की हैसियत से, अपनी जिम्मेदारी से, अलग नहीं होना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने आंकड़े रखे और उन्होंने कोई हवाला नहीं दिया कि उनके पास आंकड़े कहां से प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत उसको चैलेंज किया है। माननीय उप-मंत्री जी ने खड़े होकर कहा है कि उन्होंने यह रेफरेन्स फलां में से दिया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप उनसे पूछ लीजिये। कलेक्टरों को एग्जामिन किया उस समय यहां तक कहा गया कि आंकड़े गलत हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इससे सरकार को एक तरफ तो सबक लेना चाहिये कि आयन्दा किस प्रकार के सदस्यों को नोमीनेट करें। आप अपनी जिम्मेदारी पर नोमीनेट करें।

प्रश्न यह है कि एक पेपर कमेटी के सदस्यों को सर्क्युलेट होता है और एक कमेटी में यह भी तय हो चुका था कि ये फीगर्स गलत हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये फीगर्स रोंग हैं, यह तय हुआ था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो ऐसी हालत में सदन को जब यह मालूम हो गया है कि ये फीगर्स जो आप कोट कर रहे हैं सही नहीं हैं तो आपकी यह सच्चाई भी गई। ये फीगर्स इन्कम्पलीट हैं। मगर आयन्दा के लिए तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों से सबक लेना चाहिये कि किन किन को अपॉइन्टमेंट किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। माननीय उप-मंत्री ने प्रश्न उठाया वह यह है कि किसी कमेटी में ऑलरेडी माननीय सदस्य मेम्बर हैं, उन सदस्यों को उस रेकॉर्ड का रेफरेन्स नहीं देना चाहिये जब तक रिपोर्ट न निकल जाये। इस सम्बन्ध में आप अपने विचार और इसके अलावा जो आप आंकड़े दे रहे हैं वे आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, जिम्मेदारी पर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जहां तक हो सके अन्दरूनी बात को बचाते हुए कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह तो माननीय मंत्री का बोलना ही मुश्किल हो जायगा। वहां पर जो फैक्ट्स आते हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप मेरे बारे में कह रहे हैं, वही मैं आपके बारे में कह रहा हूं।

Page No 112

(३.०० म० प०)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल(बयाना): जो तथ्य वहां दिये हैं वे और कहीं नहीं बोले जा सकते तो कॉन्फीडेन्शियल नेचर होनी चाहिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोटा और जयपुर के फीगर्स साइट करके उसके आधार पर बोल रहे थे । फीगर्स आपको जाते ही मिल गये थे, पर वे गलत साबित हुए इसलिये हिदायत हुई कि दूसरे बना कर पेश किये जायं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके दिमाग में तथ्य हों तो जरूर रखें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे आगे आपकी बात मैं पूरी कर दूं । फीगर्स दुबारा मंगाये गये, जो दुबारा मंगाये गये उनकी रिवाइज्ड कॉपी मैंने ले ली है, गलत वाले फीगर्स भी मेरे पास रखे हैं । इसलिये गलत बयान करने के लिये नहीं हैं, ऑथोराइज्ड स्टेटमेंट है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी आपने व्यवस्था दी है कि कोई कमेटी की प्रोसीडिंग्ज हों उनको यह मर्यादा रही है कि उनको सदनमें उद्धृत न करें । उसमें मुझे आपत्ति नहीं है जो आपने व्यवस्था दी है........

श्री गिरधारीलाल व्यास : समय का ध्यान रखना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर माननीय सदस्य उठा रहे हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सरकार द्वारा निर्धारित कमेटी हो अथवा कोई कमीशन हो उस पर भी यही व्यवस्था लागू होती है जो कि सदन द्वारा निर्धारित कमेटी पर लागू होती है ।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लागू होने का प्रश्न नहीं है, यहां की परम्परा रही है । परम्परा का सवाल है ।

हां, आप प्रारम्भ करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस तरह से इस टीनेन्सी एक्ट के आने से जो खातेदारी राइट्स नये लोगों को दिये गये, उससे जितनी लैंड इफेक्ट हुई है वह ६ परसेन्ट है और जो लोग इफेक्ट हुए हैं, एक जिले में २८ परसेन्ट और दूसरे जिले में १४ परसेंट इफेक्ट हुए हैं, तो कुल मिलाकर २१ परसेन्ट इससे इफेक्ट होते हैं । तो सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि टीनेन्सी एक्ट ने सब लोगों को खातेदारी राइट्स दिये हैं, यह सही नहीं है । यह तो लोगों ने पहले से ही समय समय संघर्ष करके, अंग्रेजों तक के जमाने में लोगों ने संघर्ष करके, यह अधिकार हासिल कर लिये थे ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ३५ मिनिट हो गये हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय मुझे अभी बहुत सी बातें कहनी हैं मुझे १५ मिनट भी अभी नहीं हुए होंगे ।

एक माननीय सदस्य : आधा घंटा हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : ५ मिनिट भी ले लें तो २० मिनिट हो गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था कि इन भूमि सुधारों को इस दृष्टिकोण से देख कर इस तरह से लेजिस्लेशन गवर्नमेंट को बनाने की आवश्यकता है जिससे कि रेक रेंटिंग खत्म हो जाय, जिन लोगों को खातेदारी राइट्स मिलने चाहिये उनको खातेदारी राइट्स मिल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे यहां डायार्की चल रही है, इधर पंचायतें, उधर रेवेन्यू के अधिकारी हैं, कलेक्टर्स हैं, तहसीलदार हैं। अगर हमने डेमोक्रेटिक डिसेन्टरेलाइज़ेशन किया है तो इन संस्थाओं को यह अधिकार देने में गुरेज नहीं करना चाहिये। ब्यूरोक्रेसी की तरफ से यह आवाज उठाई जाती है कि इनको लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के, म्युटेशन के अधिकार मत दो, अगर इनको ये अधिकार दे दिये गये तो ये चुने हुए लोग सारा मामला खराब कर देंगे। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इन चुने हुए लोगों को, इन चुनी हुई संस्थाओं को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर अधिकार नहीं देंगे, गांव की पंचायत में वी० एल० डब्ल्यू को, पंचायत समिति में एग्ज़ीक्यूटिव फंक्शन बी० डी० ओ० को जुडिशियल फंक्शन तहसीलदार को, जिले में जुडिशियल फंक्शन कलेक्टर को, एग्ज़ीक्यूटिव फंक्शन एडीशनल कलेक्टर को इन चुनी हुई संस्थाओं के नीचे देकर दे दें इससे जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव फंक्शन्स अलग अलग हो जायेंगे। यह पॉइलॉट ऑफ दी रेवेन्यू एड्मिनिस्ट्रेशन है, इसलिये पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टरको चुने हुए लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के नीचे नहीं करेंगे तब तक यह एड्मिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से नहीं चल सकेगा, डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइज़ेशन का मकसद हल न हो सकेगा।

अब मैं अपने जिले की एक-दो समस्याओं के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं। मुख्य मन्त्रीजी ने सदन में आश्वासन दिया था कि इवेक्यूई लैंड पर प्री-पार्टिशन टीनेन्ट्स हैं, खास तौर से अलवर और भरतपुर में हैं, उनको खातेदारी राइट्स दे दिये जायेंगे। १६ अप्रेल, १९६२ को इस सदन में उन्होंने यह आश्वासन दिया था.......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं, इसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सारी लैंड राजस्थान सरकार को ट्रान्सफर हो चुकी है, इसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट एड्मिनिस्टर कर रहा है।

रिफ्यूजीज़ का अलवर और भरतपुर के रिफ्यूजीज़ का २६ मई, १९६२ को एग्रीमेंट हुआ कि उनको पहली किश्त देने के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बाद, उनसे सवाई जमा वसूल नहीं की जायगी, उनको खातेदारी राइट्स दे दिये जायेंगे ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : यह एग्रीमेंट किया किसने था, किस किस के बीच में हुआ, पार्टीज कौन कौन थीं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : टाइम का समीकरण नहीं हुआ तो बाद में गड़बड़ पड़ेगी, टाइम बढ़ाना पड़ेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां यह निर्णय हुआ उसमें राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, एक दो और सेक्रेटरीज़ थे, रिफ्यूजीज़ की तरफ से राजस्थान रिफ्यूजीज़ कान्फ्रेन्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ थे, मैं मौजूद था, उसके मिनिट्स मेरे पास साइन्ड मौजूद हैं, उस तरीके से जो फैसला हुआ था उसको लागू किया जाना चाहिये ।

श्री परसराम मदेरणा : वह एग्रीमेंट काहे का था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने बताया उसका ।

उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का है कि तीन किसान हैं उनकी ३ बीघा जमीन, उमरेण में अलवर के पास, उमरेण पंचायत भवन बनाने के लिये ले लिया गई। तीन बीघा तीन बिस्वा जमीन जो तीन किसानों की थी, उस पर १९६० में सरकार ने कब्जा कर लिया, उनको न कोई दूसरी जमीन दी, न मुआवजा दिया, न एक्वीजिशन की कार्यवाही की, तो मैं कहूंगा कि उन लोगों को उस जमीन का मुआवजा दिया जाय। जिन लोगों के साथ ऐसा अन्याय किया गया है उनको उसका वापिस कब्जा दिलाया जाय ।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा नाम पुकारा है !

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : भू-राजस्व की जो मांग प्रस्तुत की गई है उस बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले कॉम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कहा कि जिस प्रकार राजस्थान में भूमि सुधार हुए हैं उनसे न तो उत्पादन बढ़ा है, न किसानों को राहत मिली है। जहां तक उत्पादन बढ़ने का सवाल है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह बढ़ा है और किसानों को भी राहत मिली है। जहां तक खातेदारी अधिकार देने का सवाल था, राजस्थान में बहुत कम ऐसे किसान थे जिनको खातेदारी के अधिकार मिले थे और यह इस सरकार की देन है कि

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

उनको खातेदारी अधिकार मिले और उन्हें स्वयं जमीन का मालिक बनाया और कई तरह के भूमि सुधार किए गए। थोड़े दिन पहले जिन जमीनों पर नाजायज कब्जा था, उनको सरकार ने रेग्यूलराइज़ करके किसानों को अधिकार दिया स्वामित्व का।

श्री चौसरसिंह बावेल (बंगू) : अभी भी हजारों किसान चिल्ला रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : करोड़ों किसानों को इस तरह का फायदा दिया है। सबसे बड़ी देन इस सरकार की है कि जागीरदारों को खत्म करके और जो काश्तकार सैकड़ों वर्षों से अपने खातेदारी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए चिल्ला रहे थे उनको वे अधिकार देकर बड़ा काम किया है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : और जो नए जागीरदार बनाए हैं; सुखाड़ियाजी के साले को ३०० बीघा जमीन दी....

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यदि विक्षेप कम किया जाय तो माननीय सदस्य अपने समय में बोल सकते हैं, नहीं तो संतुलन बिगड़ जाता है और फिर एतराज होते हैं कि हमको समय नहीं मिला।

श्री गिरधारीलाल व्यास : राजस्थान सरकार ने नम्बरदारी प्रथा खत्म की और जिससे भ्रष्टाचार का जो तरीका था वह बंद किया। एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर भूमि सुधार करने हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, पटवारी से लेकर कलेक्टर तक कुछ न कुछ सुधार करना चाहिए। मेरा नम्र निवेदन है कि लगान वसूली के सम्बन्ध में, पटवारियों के सम्बन्ध में जगह जगह से लोग शिकायत करते हैं कि पटवारी लोग काश्तकारों से नाजायज तरीके से लाभ प्राप्त करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर लगान की वसूली का काम भी पंचायतों को देंगे तो एक स्टैप आगे बढ़ेंगे और जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि गिरदावरी सिस्टम को बंद करने से काश्तकारों को दिक्कत पैदा हो गई है, लेकिन जब तक यह सिस्टम एडॉप्ट किया हुआ था एक किसान को दूसरे किसान से लड़ाने की भावना थी, मुकदमेबाजी होती थी; इसलिए सरकार ने जो अब व्यवस्था की है उसके द्वारा उस पर आधिपत्य अपने आप मिल जाता है। इससे लाभ हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। जहां तक एलॉटमेंट का सवाल है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो दो मिनट भी नहीं हुए हैं। सरकार की तरफ से जो जमीनें अलॉट की जाती हैं उनका नामांतर न करने से किसानों को परेशानी होती है। इसलिए जो भी एलॉटमेंट किया जाय, उसका नामांतर करना जल्दी से जल्दी हो जाय।

इसी प्रकार चरागाह का प्रश्न है। चाहे आपने चरागाह पंचायतों को सुपुर्द किए हैं

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

लेकिन बहुत सी जगह नहीं हुए । उन पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है,कब्जों को हटाने के लिए सरकार ने थोड़ा बहुत प्रावधान भी किया है की तहसीलदार सुओ मोटो उस पर एक्शन लेकर नाजायज कब्जों को हटाएं। मगर इस प्रकार की कार्यवाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और चरागाहों पर नाजायज़ कब्जा बढ़ता जा रहा है ।

इसी प्रकार दाखिल खारिज के बारे में जो इन्सट्रक्शन्स हैं तो उनका पालन नहीं होता; रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कोई पॉलिसी एडॉप्ट करनी पड़ेगी ।

जागीरदारों ने जो तालाब बनाए थे, अब जागीरदारी प्रथा खत्म होने के बाद में भी पालों पर उनका अधिकार हैं ।

इसी प्रकर सीलिंग का कानून बनया उनके बनने के बाद में भी सीलिंग को आपने लागू नहीं किया । जिन लोगों के पास जमीनें हैं वे बेचते जा रहे हैं । इसे आपको सही तरीके से लागू करना चाहिए, ऐसे आदमियों को आपको कानून के द्वारा रोकना चाहिए। हम कहते हैं कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं,आपने देखा होगा छोटी छोटी होल्डिंग्ज़ तीन-तीन, चार-चार बीधा अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज़ हैं, उन पर लगान न लगाए। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां २०-३० रुपए फी बीघा लगान लगा रहे हैं; तो इस प्रकार काश्तकारों पर ज्यादा से ज्यादा दबाव पड़ता जा रहा है । ऐसी छोटी-छोटी होल्डिंग्ज पर लगान माफ करें। जिस प्रकार ४,३००) रु. सालाना कमाई के ऊपर इन्कम टैक्स लिया जाता है उसी प्रकार से जिनकी आमदनी जमीनों से चार हजार के करीब हो उनसे ही लगान वसूल किया जाय ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

देवस्थान के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि मंदिरों को मुआवजा नहीं दिया गया है, कोई व्यवस्था नहीं है, पाठ-पूजा नहीं होता, मंदिर वीरान पड़े हुए हैं, विभाग को इस तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्व की यह हालत है कि रेवेन्यू का पचास परसेन्ट का खर्चा तो वसूल करने में जाता है, इस खर्चे को कम करना चाहिए । यह खर्चा कम हो सकता था यदि आप पटवारी पंचायत समितियों के आधीन कर देते; तो पंचायतों की कर वसूली का काम भी पटवारी कर लेते और पटवारी का वेतन भी बढ़ता और कम खर्चे में काम चल सकता था। लेकिन चाहे आपकी जानकारी से या अनजाने से या आपका प्रशासन इस तरह की आज्ञा आपको नहीं देता कि आप उन लोगों पर विश्वास करें....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पंचायतों को देने से खर्चा कम कैसे होगा ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप अपना दिमाग लगाइये । मेरे टाइम में आप

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

अपना दिमाग खर्च करते हैं इसलिये आप इसको जमा रख लीजिये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : बिश्नोईजी को इस सदन से बाहर निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान न करें, जिससे अधिक से अधिक माननीय सदस्य भाग ले सकें बहस में।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : चुने हुए लोग पंचायतों और पंचायत समितियों में आते हैं। आप उन पर विश्वास नहीं करते। आपको उन्हें अधिकार देना चाहिये, पटवारी उनके साथ चला जाय। क्या इससे आपकी हुकूमत छिन जायगी ? जिस तहसीलदार को आपने यह अधिकार दिया है, क्या वह खुदा का फरिश्ता हो गया ? "तहसील" शब्द का नाम है वसूल करना। तहसील–दार वसूली अधिकारी हो गया ; राज्य का लगान वसूल करे। वसूली ऑफिसर पंचायत समितियों में आप बना दीजिये। इससे आपको खर्चा काफी कम होगा और सहूलियत भी रहेगी, लेकिन आप यह करना नहीं चाहते। मैं समझता हूं आप इस सम्बन्ध में ध्यान देंगे तो आपका काम भी अच्छा चलेगा और पंचायतें भी अच्छी चलेंगी।

राजस्व प्रशिक्षण टोंक के लिए ३ लाख की डिमाण्ड है और मैंने कहा है कि इसको बंद कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य जब संसार में जन्म लेता है तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जब विद्यालय में विद्या प्राप्त करने के लिए जाता है तो उसको ज्ञान वहीं से प्राप्त होता है, वह मानव समाज में रहने के लिए वहीं से बनता है। आप समाजवादी समाज चलाने का दावा करते है, लेकिन स्कूल के मास्टर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वे अपने पास से खर्चा करके जांय। यदि किसी अधिकारी को ट्रेनिंग देनी है और वह ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उसको हर तरह की सुविधायें दी जाती हैं। उसको वेतन दिया जाता है,उसको भत्ते आदि दिये जाते हैं और हर प्रकार की सहूलियतें दी जाती है। उनको ट्रेनिंग दिलानी है तो सब तरह की फेसिलिटीज आप नहीं देते। कम पैसे पाने वाले मास्टरों को कहा जाता है कि अपने पैसे से ही ट्रेनिंग लो, फीस भी दो। मास्टर ट्रेनिंग में जाता है तो अपने पास से फीस भी देता है और सब तरह खर्चा करने के बाद आता है जब रखते हो। यदि तहसीलदार को भी ट्रेनिंग लेनी है तो अपने पैसों से ट्रेनिंग ले और पहले ट्रेनिंग लेकर ही आये। नहीं लेकर आवे तो नौकरी में ट्रेनिंग तो नहीं लें। लेकिन नहीं, आप तो उन पर लाखों रुपया खर्च करेंगे। यदि इनको आप ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं सरकारी पैसे से तो आप थोड़े पैसा पाने वाले मास्टर को भी अपने सरकारी कोष से ही ट्रेनिंग दिलाइये; नहीं तो आप इस कलंक को ही मिटा दीजिये कि बड़े आदमियों की ट्रेनिंग पर तो सरकार खर्चा करे और छोटे आदमियों पर नहीं।

जमींदारों की भू–सम्पत्तियों पर कब तक खर्चा उठाते रहेंगे। जमींदारिया आपने ले ली हैं। दस लाख रुपया हर साल का

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

खर्चा का उठाते जा रहे हैं। संपत्ति का निर्णय नहीं कर पाये हैं। क्या यह जागीरदार की सम्पति ही कहलायेगी ? ४ करोड़ ८० लाख रुपया जागीरदारों से ली हुई सम्पति के लगान का अब तक जमा में क्यों लिखा जाता है ? उनका फैसला करना है। वह फैसला नहीं हो पाया है वर्षों से। उनका जल्दी से जल्दी फैसला कीजिये। आयन्दा साल यह खर्चा बजट में नहीं आया। यह खर्चा आया है वह है तो भू-राजस्व का ही लेकिन १०३ की डिमान्ड में रखा है। पांच लाख रुपया भू-राजस्व में भवन बनाने के लिए है। बनायेंगे कहां ? १०३ की डिमान्ड में आप अपने विभाग के लिए पांच लाख के मकान बनाना चाहते हैं। कहां बनाना चाहते हैं ? सिविल लाइन्स में या कलेक्टरी में ? कहां बनाना चाहते हैं ? एक प्रशासन के मद में भी ३२.८० हजार की डिमान्ड रखी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में और बाद में अजमेर में काफी मकान बने हैं। अजमेर में इस वर्ष २८ लाख खर्चा हो जाय लेकिन आप उन पटवारियों के मकान नहीं बनायेंगे जो गांव में उन कच्चे और टूटे-फूटे मकानों में पड़े रहते हैं। आपके मिसमेनेजमेन्ट के कारण यदि एक कागज भी खो जाय तो वह बेचारा नौकरी से चला जाय। आप उसको अच्छा मकान नहीं दे सकते। ३२ लाख में से २८ लाख तो आप अजमेर में खर्चा करेंगे। एक शहर में खर्च करने के लिए आप को पैसा मिल जाय लेकिन उन सात-आठ हजार पटवारियों के लिए मकान की जो आज गांवों में दुर्दशा है कि जिसके कारण बेचारे पटवारी को नींद नहीं आती रात को, उसको बराबर डर रहता है कि कहीं कोई कागज नहीं खो जाय, इसलिए वह गांव वालों की खुशामद करता है कि भैया कहीं कागज न खो जाय ख्याल रखें।

पटवारी एल. डी. सी. से बहुत अधिक काम करता है, फिर भी उसको एल. डी. सी. का भी वेतन नहीं मिलता। उसको वेतन मिलता है तीसरी शृंखला वाले को जो मिलता है, उतना वेतन जितना जमादार को मिलता है। एल. डी. सी. से वह ज्यादा काम करता है, ज्यादा रिपोर्ट देता है। उसके वेतन में आप एक पैसा बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। उसको आप एल. डी. सी. का भी वेतन नहीं देंगे। आखिर क्यों ? मैं समझता हूं, आसने उन सात-आठ हजार पटवारियों की ओर ध्यान नहीं दिया। उनमें असंतोष फैल रहा है। उनको वेतन कम मिलना और रहने के लिए बहुत असुविधाओं के कारण उनमें असंतोष फैल रहा है और वह कहीं ज्यादा न बढ़ जाय इसलिए आप उनको कुछ दीजिये और ऊपरी खर्चों को कम कर लीजिये।

लेखन सामग्री की बात है। ७०-८० लाख प्रेस पर खर्च करते हैं छपाई आदि के लिए। जिला व्यय पर ४।। लाख। स्टेशनरी व अन्य चीजें हैं, अदर चार्जेज़ में ३।। लाख रुपया। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, ये खर्चा होता नहीं है। अदर चार्जेज़ में यह खर्चा लिख दिया जाता है। स्टेशनरी का सामान नहीं आया। दूसरे के लिए यह खर्च कर दिया जाता है। क्यों नहीं अलग अलग मद के हैड रखे जाते हैं ?

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

यह नहीं रखने का मतलब यह है कि यह फिजूल खर्ची करने का एक तरीका है। ४।। लाख रुपये का सामान पटवारियों को देना है। ३।। लाख आप यह और कहां देंगे ? इससे क्या होता है कि कलेक्टर साहब स्पेशल खर्चा करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। इसलिए हर मद का अलग अलग हैड हो तो पता लग जाता है और इससे फिजूल खर्ची भी रुक सकती है। लेकिन आप सब-हैड हर मद में खर्च इस तरह से करते हैं तो बता दीजिये कि अदर चार्जेज़ की कुल रकम उसके किसी भी सब-हैड में खर्च कर देते हैं; जिस सब-हैड के लिये मांगते हैं उसमें खर्च नहीं करते हैं। इस तरह की रखते हैं इसलिए अनियमिततायें अधिक होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, याद दिलाऊं कि यहां ऐसे कांड हो जाते हैं कि बड़ा दुख और आश्चर्य होता है। एक साहब ने एक जागीरदार से जमीन ले ली और तहसीलदार के पास गये कि मेरे नाम पर इसको लिख दीजिये। तहसीलदार ईमानदार था, उसने इन्कार कर दिया; एस. डी. ओ. के पास गया, उसने भी इन्कार कर दिया। कलेक्टर ने और कमिश्नर ने भी मना कर दिया। यहां तक रेवेन्यू बोर्ड में गया और वहां भी उसने इन्कार कर दिया। लेकिन दुबारा क्या हुआ ? न जाने किस सिफारिश से तहसीलदार से मिल कर जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। वह जमीन लाखों रुपयों की है और मैंने डेढ़ साल पहले राजस्थान सरकार को उप-राजस्व मंत्री जी को लिख कर दिया, मैं उनके नोटिस में लाया। आपने कहा कि फाइल मंगानी है : डेढ़ साल में भी फाइल पैदल चल कर अभी तक आ सकती थी परन्तु नहीं आयी है। यदि किसी आदमी को फाइल दे दी जाती तो डेढ़ साल में तो वह पैदल चल करके भी आ जाता, लेकिन वह फाइल अभी तक नहीं आयी। हीरालाल मालीराम नाम है। वह फाइल आज तक नहीं आयी है। एक महीने के बाद ही कलेक्टर साहब, भीलवाड़ा आज्ञा देते हैं कि इसमें से इतनी जमीन इस कीमत पर विद्युत् बोर्ड को दे दी जाय : उसके लिए तो मैं कृपा मानता हूं। उसने लोगों को बेचना शुरू कर दिया है। आपका ध्यान नहीं जाता। हमारे यहां अनियमितता रहेंगी तो काम का बड़ा नुकसान करेंगे।

अब मैं देवस्थान के बारे में अर्ज करना चाहता हूं, देवस्थान मंत्री महोदय से कि देवस्थान में जितनी अनियमिततायें हैं उतनी नहीं होनी चाहिये। देवस्थानों में अनियमितता हो, यह बर्दाश्त के बाहर की चीज हैं ......

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) यह धर्म निरपेक्ष राज्य है !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको देवस्थान का पता नहीं हो सकता, चर्मस्थान का हो सकता है।

श्री लक्ष्मीनाथजी का मन्दिर बीकानेर शहर में है जब से बीकानेर बसा है, महाराजा बीकाजी ने बसाया, तब से मन्दिर बना हुआ है। जब से राजस्थान बना। लाखों-करोड़ों रुपयों के जेवरात को ताले में बन्द कर लिया गया और वे आज तक बन्द हैं।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

लक्ष्मीनाथजी को प्रत्येक दिन अलग अलग वस्त्राभूषण श्रृंगार कराया जाता है, लेकिन वह जेवर आजकल बन्द है। आज तक किसी ने देखा नहीं कि उसमें कितने जेवरात हैं। हमारा नियम है कि बसंत पंचमी के रोज यह श्रृंगार होगा, फलांदिन यह होगा, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं। समय पर भोग का इन्तजाम नहीं, किसी भी मन्दिर में नहीं। विभाग में धर्म के जानकार लोग नहीं है। आई. ए. एस. और आर. ए. एस. अधिकारी बैठे हुए हैं वे लापरवाह हैं, जो यह सोचते हैं कि आज यहां बैठे हैं, कल दूसरी जगह चले जायेंगे। धर्म के मामलों में राज्य का हस्तक्षेप अच्छा नहीं है।

नाथद्वारे का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहां से फैसला होकर आया है, वहां की पूजा की पद्धत्ति तिलकायतजी महाराज की आज्ञानुसार चलेगी। कमेटी जो आपने बना रखी है उसमें वैष्ण-अवैष्णव दोनों हैं। आज उस मन्दिर में कोई भी वैष्णव जाने को तैयार नहीं होगा, उसका परिणाम भी अच्छा नहीं समझते। आप लोग वहां की व्यवस्था ठीक नहीं करते। महाराज श्री आज्ञा देते हैं तभी वहां की पूजा हो सकती है। हुकूमत के लोग उनकी बगैर आज्ञा के वहां बैठे हुए हैं। मन्दिर है नहीं वह श्रीनाथजी की हवेली की तरह है, वहां पर मूर्ति नहीं है वैष्णवों का ऐसा मत है कि श्रीनाथजी और गोविन्ददेव जी जो राजस्थान में दो प्रतिमायें हैं वे रास के समय अन्तर्ध्यान हो गये थे और प्रतिमायें रह गई। वह मानव कृत मूर्ति नहीं है, ईश्वर की देन है। वहां पर श्रीनाथजी की प्रतिष्ठा कम हुई है। वहां पर आज शराब पीने वाले, मांसाहारी लोग बैठे हुए हैं जो मन्दिर का इन्तजाम कर रहे हैं। आप धर्म के मामलों में अड़चन डालेंगे, देवस्थान के नाम पर आप धर्म में आड़े आयेंगे तो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है।

गोगामेडी मेले की लाखों रुपयों की आय है, उस आय के लिये कहा जाता है यह कृषि विभाग की आय है। देवस्थान की यह आय कृषि विभाग ले लेता है।

तेजाजी के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं; एक ग्रामीण भील जिनके आचरण से शिक्षा लेता है; तेजाजी के मेले की आय भी आपका कृषि विभाग ले लेता है। गोगामेड़ी के लाखों रुपयों की आय वहीं के पुजारियों-ब्राह्मण, मुसलमान और हरिजन को मिलती थी। आज मुसलमान पुजारी तो पाकिस्तान चला गया, उसकी आय तो सरकारी खजाने में चली गई, ब्राह्मण और हरिजन दोनों हैं, उनकी भी आय आप क्यों ले लेते हैं ? आज लाखों की आय हजारों में रह गई है। लोग कृषि विभाग को नहीं देते हैं, धर्म के नाम से देते हैं। धीरे २ लोग देना बन्द कर देंगे।

एक माननीय सदस्य : यह धर्म निरपेक्ष राज्य है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आज लाखों रुपये की जायदाद देवस्थान की राजाओं के पास में है, उनसे लेकर अच्छे काम में लगाई जाय, महल के एक हिस्से में जहां गणेशजी को बिठा दिया वह देवस्थान को अर्पण कर लिया। बाकी महल को राजा अपने काम में

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

लेते हैं। बड़ी चौपड़ के पास एक मन्दिर है जहां पर पीताम्बर पहिन कर श्रीमद्भगवत् के पाठ किया करते थे। वहां पर आज लोग जूते पहिन कर जाते हैं, देवताओं की प्रतिष्ठा हमारे देवस्थान विभाग ने गिरायी हैं। वहां पर पोस्ट ऑफिस खोल रखा है। मैंने पूछा, यहां पहले क्या होता था तो वहां वाले कहते हैं कि यहां कोई बेवकूफ भागवत् का पाठ किया करते थे। भागवत् पढ़ने वाले को बेवकूफ कहा जाता है !

धर्म के मामले में देवस्थान विभाग द्वारा एक कमेटी बनी है जिसकी तीन साल से मीटिंग नहीं हुई है। कमेटी उन लोगों की बनी है जिनकी धर्म में निष्ठा नहीं, जो हां में हां मिलाने वाले हैं। आप इस तरह से दस आदमियों की देवस्थान की कमेटी बना दें, यह आप धर्म का अपमान मत करिये।

(अनवरत घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कई माननीय सदस्य इस पर बोलने वाले हैं, वे उतावले हो रहे हैं; आप कृपया खत्म करिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : दो आदमियों की पार्टी को आप तीस मिनट दे सकते हैं तो मैं तो धर्म के मामले में बोल रहा हूं, उसे तो आप सुन लें। आप तो निष्पक्ष हैं, महाराज आपका तो हम बड़ा आदर करते हैं और आप भी धर्मों का आदर करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : और भी माननीय सदस्य धर्म की बातें बतायेंगे। आप बैठ जाइये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं मंदिरों की बातें बता रहा हूं। आपने यह किया है कि राजाओं के ऐसे मन्दिर थे वह भी ले लिये जिसमें ! मूर्ति आपकी और सारा महल-प्रांगण उनका। आपको केवल मन्दिर दिया गया तो सारी इमारत आपकी होनी चाहिये। क्योंकि यह राजाओं के पास है इसलिये ले नहीं सकते, किसी गरीब के पास होता तो ले लेते। सारे मकान की मरम्मत आप करवाते हैं। माननीय मन्त्री महोदय के पास, जो अभी नये नये आये हैं, उनके पास यह विभाग है, आर्य समाजी होते हुए भी देश की रीति को नहीं भूल सकते और आदर करते हैं।

एक माननीय सदस्य : ऐसा कौनसा राजा है, बतलाइये ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सब जानते हैं, उनको मालूम है। उपाध्यक्ष महोदय, मन्दिरों के पुजारियों को जितना वेतन मिलता है वह फोर्थ क्लास सर्वेन्ट से भी बहुत कम है। क्योंकि देवस्थान विभाग में पंडित लोग, संस्कृत के पंडित काम करते हैं इसलिये इनका मूल्य हमारी सरकार इतना ही मानती है। इस तरह से धर्म के नाम पर कलंक क्यों लगाते हो ? आपने यह सोच रखा है कि धर्म अपाहिजों का है। धर्म आज नहीं होता तो आप अपनी बहन को बहन नहीं समझते। धर्म को मत बिगाड़िये। अनैतिक आचरणों से देश डूब जायगा। हृदय में ईश्वर होगा तो सब भला होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर ! !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सिर्फ दो मिनट ।

नाथद्वारा के बारे में अगर आपने तय नहीं किया और महाराजश्री को बुला कर वैष्णव मर्यादा के अनुसार पूजा नहीं करवाई और हस्तक्षेप किया तो वैष्णव इसके लिये किसी प्रकार का आन्दोलन चलायेंगे तो बहुत बुरा होगा । हम आपके साथ बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम इस मामले में किसी तरह का आन्दोलन नहीं करेंगे । आप यह समझिये कि वैष्णव लोग अहिंसा में ही नहीं, बल्कि हथियारों में भी विश्वास रखते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : धर्म के अनुसार आपके दो मिनट समाप्त हो गये ।

(विराम)

श्री जोधसिंह ।

श्री जोधसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : आप केवल १० मिनिट में समाप्त करें ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर नगर के निवासियों को और वहां के आदिवासियों को यह सरकार बराबर तंग करती आ रही है । इसके उदाहरण मैं सदन में पेश करना चाहता हूं ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज आदिवासियों के पास जमीन नहीं है । उनका प्रधान व्यवसाय जंगल से सूखी लकड़ी काट कर लाकर शहर में बेचना और अपनी आजीविका कमाना है । जमीन उनके पास अगर है भी थोड़ों के पास तो बहुत कम; किसी के पास एक बीघा, तो किसी के पास दो बीघा है । वे भी वर्षा के मौसम में खेती करते हैं और बाकी समय में लकड़ी बेच कर अपनी आजीविका चलाते हैं । पर आज सरकार ने उनकी यह लकड़ी बेच कर आजीविका का साधन बन्द कर दिया है । वे ऊंट पर पहले लेकर आते थे और सूखी लकड़ी लेकर आते थे, उसे भी भीखाभाई ने बन्द कर दिया है । सरकार पहले आठ आने लेकर आने देती थी । पर जब रोक दिया तो मैंने सरकार से पूछा कि कौनसी आज्ञा से आपने इनको रोक दिया है, कोई आज्ञा नहीं बताई गई । कलेक्टर को हमने पूछा । कलेक्टर ने भी पूछा कि किस आज्ञा के द्वारा इनको रोका गया है । पर सरकार ने आज्ञा नहीं बताई । इसके विरोध में सैकड़ों आदिवासी लोग ऊंटों पर लकड़ी लेकर बेचने आये । पर सरकार ने उन पर भी जुल्म किया ।

जबर्दस्ती उनके ऊंटों को पकड़ कर उनको जेल में ठूंस दिया । ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जेलों में गये । सरकार उनको आज दिन तक जलील कर रही है । आज मैं नहीं समझ पाया कि क्यों सरकार उन आदिवासियों को जीविकोपार्जन नहीं करने दे रही है ? यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं । मैंने पूछा सरकार से कि आपके किस हुक्म से आपने ऐसा किया, उसकी कॉपी हमें दो । यहां आने के पश्चात् भी टेलीफोन किया । कहा, हमारा आज्ञा-पत्र है और ४-१२-६४ का है । हमने कॉपी मांगी, पर कॉपी देने से इन्कार हो गये ।

मैं नहीं समझता कि किस तरह से यह सरकार अपना शासनतन्त्र चलाना चाहती है । आज्ञा-पत्र की कॉपी नहीं देती । ऊंट वालों को जेलों में ठूंस दिया । ऊंट उनके

(श्री जोधसिंह चौहान)

ले लिये और सारी की सारी लकड़ियां जब्त कर लीं। आज उनका जीविकोपार्जन बन्द है ।

सरकार इससे शायद समझती होगी कि उसके वन रक्षित हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इससे वन रक्षित नहीं हुए। वे तो जंगल से सूखी लकड़ी बीन कर लाते थे । पर आज क्या होता है, सरकार के पिट्ठू, मुंह लगे ठेकेदारों से परमिट लेकर ट्रकों वाले लाते हैं । आज तक ऊंटों से एक रुपया लेते थे आपने उसे बन्द कर दिया इस वर्ष । दूसरी ओर ठेकेदारों ने एक ऊंट का दो–दो रुपया लिया और ट्रकों का ४) रुपया लेकर बेचना शुरू किया । इस प्रकार इन पैसे वालों को आमदनी हुई और वे गरीब मोहताज बन गये । आपने उनके बच्चों को भीख मांगने के लिये मजबूर कर दिया है । हम भीखाभाई के पास गये, लेकिन उन्होंने हमारी आवाज नहीं सुनी । आज सरकार ने रोक लगा रखी है कि सिर बोझा वे ला सकते हैं । पर दो–तीन मील से सिर बोझा लाया जा सकता है, जो दूर रहते हैं पन्द्रह–बीस मील दूर, वे कैसे ला सकते हैं, उनकी आजीविका इससे कैसे चल सकती है ? इसका मंत्री महोदय जवाब दें ।

सरकार कहती है कि सहकारी समिति बनाओ । पर इसमें भी वे आदिवासियों के साथ ज्यादती करते हैं। आज क्या हाल है, पहले आदिवासी जंगल से सूखी लकड़ी बीन कर ऊंट पर लाते थे, और शहर में उनको एक–दो रुपया मिल जाता था, पर जब से ऊंट बन्द कर दिया उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, बड़े–बड़े पैसे वाले ठेकेदार जो सरकार के मुंह लगे हैं । आज मजबूर हो कर उनको एक ऊंट दो–दो आने में बेचना पड़ता है । ट्रक वाले जंगल से ठेकेदार की चिट्ठी लेकर लाते हैं तो आज वह सारी लकड़ी, जिसका फायदा वनवासी को मिलना था और जिनको मिलना चाहिये था उनको नहीं मिला । सरकार के जंगल इससे बच गये हों, ऐसा भी नहीं हुआ । ट्रकावले ठेकेदारों के भर–भर कर लकड़ी उदयपुर शहर में लाते हैं । बेचते हैं, जितनी टालें हैं सब भरी पड़ी हैं । पर सरकार आदिवासियों से दुश्मनी रखती है, उनको नहीं लाने देना चाहती । कहती है, सहकारिता के थ्रू लाने देंगे । सहकारिता की आड़ में आदिवासियों को रोका जाता है । गुलाम अब्बास के लिये सहकारिता नहीं है । उनके पिट्ठू लोगों के लिये नहीं है ।

मैं पानरवा की बात कहता हूं । राजस्थान में एक भी बीघा ऐसी भूमि नहीं होगी जिससे लगान की दर चार आने से कम हो । पर पानरवा का जंगल १.२० हजार एकड़ का जंगल, उसका १८ हजार में ठेका दे रखा है । इस हिसाब से उसकी क्या रेवेन्यू होती है सरकार को, यह मैं बताना चाहता हूं । चार आना प्रति एकड़ होती है । सरकार को डूब मरना चाहिये कि जंगल लगाने में एक एकड़ के लिए २००) मंजूर कर रखा है । अब यह सरकार २०) एकड़ का खर्च करे और चार आना एकड़ के हिसाब से वसूल करे । यह उसके लिये शर्म की बात है ।

ये हैं हमारी सरकार के कारनामे । यह हमारे जंगलों को इस तरह से नष्ट करवाती है और इस प्रकार अपने पिट्ठुओं के घरों को भरती है । सरकार आदिवासियों

(श्री जोधसिंह चौहान)

पर सहकारिता थोपना चाहती है । मैं कहता हूं, वे नहीं चाहते इसे क्योंकि वे पढ़े–लिखे नहीं हैं; इसलिये वे इससे लाभ नहीं ले सकते । आदिवासी भाइयों की वहां एक सहकारी समिति चलती है । उसका क्या हुआ, मैं सुनाता हूं उसकी बात । उनकी इस सहकारी समिति ने एक जंगल का ठेका लिया । उन्होंने लाभ किया और २८ हजार रुपया सहकारी बैंक में जमा करा रखा है । और इधर हमारी सरकार उन को रकम नहीं निकालने देती इसलिए कि वे पढ़े-लिखे नहीं हैं । वे हुकूमत नहीं कर सकते और कहती है सरकार कि वनवासियो, तुम जो १३ गाड़ियां काट कर लाये हो तो गांव में बेचने के लिये रक्खो । वे लकड़ियां वहां पड़ी-पड़ी सड़ गई वर्षा में । अब सरकार कहती है उनकी रकम जमा कराओ । दो साल से उनका सारा काम बन्द करवा दिया और उनकी सारी पूंजी उसमें लगी रह गई । लकड़ियां सड़ गईं ।

दूसरी ओर देखिये । उनके चाटुकार धनाढ्य कांग्रेसियों की एक सहकारी समिति बनी है । उसके चेयरमैन कांग्रेसी सरपंच है । उस समिति में सारा का सारा घोटाला है । उसमें कई हजार का गबन है । ८ हजार सरकार का बाकी है । इनके खिलाफ इनकम टैक्स वालों की रिपोर्ट है । मैं बता दूं उसका नाम गुजरां की सहकारी समिति । पर सरकार उनका चालान नहीं करती । उधर गरीबों को चलने नहीं देती । तो यह भ्रष्ट सरकार इस प्रकार गरीबों के गले काट कर इन कुर्सियों पर नहीं बैठी रह सकती । सरकार समझती होगी कि वह आदिवासियों को इस प्रकार रौंद कर, उनके गलों पर छुरी चला कर बनी रह सकेगी । मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि उनको खींच कर नीचे खड़ा कर दिया जावेगा । सरकार समझती होगी कि इस प्रकार जंगल सुरक्षित रह सकेंगे । इस प्रकार वे सुरक्षित नहीं रह सकते । मेरा निवेदन है कि अगर आप जंगल पनपाना चाहते हैं तो सरकार को चाहिये कि जितने हमारे यहां पर जंगल हैं आप उनको आदिवासियों को ही वापिस कर दो । इसके बाद सरकार उनके टुकड़े करके अलग अलग बांट दे और तय कर दे कि इतने इतने सालों के बाद ये जंगल कटेंगे और तब तक ये बढ़ेंगे । इससे जंगलों की रक्षा भी होगी और पनपेंगे भी ।

(समय–समाप्त-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री जोधसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा । आपने पहले भी कहा था कि जब डिमाण्ड का मौका आये तो बोल लें...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! और भी व्यक्ति हैं बोलने के लिये । आपकी पार्टी को और समय दे देंगे...

श्री जोधसिंह चौहान उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! इस प्रकार से फिर कोई व्यवस्था नहीं रह सकती । मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, वे कन्क्लूड करना चाहते हैं इसलिए उनको कम से कम कन्क्लूड तो करने दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, आप बोल लें।

श्री जोधसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इसी प्रकार की नीति हमारी सरकार की रही तो हमारे जंगल नष्ट हो जायेंगे, हमारे जंगल दिन-ब-दिन रेतीले टीले बनते जा रहे हैं और इस प्रकार से हमारी गरीब जनता, जो आदिवासी क्षेत्र में है, उनको लकड़ी लाने दें और जो वह सूखी लकड़ियां बीन कर लाते हैं उसके लिए उन्हें छूट देनी चाहिए। मैं यही निवेदन करना करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, ये आज फोरेस्ट और रेवेन्यू की दोनों ही मांगें बहुत महत्वपूर्ण हैं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य व्यवस्था भंग ना करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : क्योंकि फोरेस्ट और रेवेन्यू की डिमाण्ड्स हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मुक्तिलाल मोदी ! ऑर्डर प्लीज !!

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, पोइंट ऑफ ऑर्डर...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मुक्तिलाल मोदी ! ऑर्डर प्लीज ! आप बहुत जिम्मेदार सदस्य हैं...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मुक्तिलालजी की इन्सल्ट हुई है, इसलिए उनको बोलने दिया जाये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार के कानूनों का ताल्लुक है और इस सदन ने जो कानून बनाये हैं रेवेन्यू के बारे में उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है ...

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लो....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आप ही के पक्ष के सदस्य बोल रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कम से कम मुझे भी तो टाइम मिलना चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जब मेरा नाम आ चुका तो मुझे बोलने दीजिए। मैं क्या इस तरह से आपको बोलने दूंगा ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों डिमान्ड्स रेवेन्यू और फोरेस्ट की ....

श्री उपाध्यक्ष : No. I can't permit this way. Please sit pown.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : He is raising a point of order, Sir.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नहीं, नहीं, यह आप सिखा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य श्री मुक्तिलालजी मोदी ने एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया है; उसको रेज करने का मौका उनको मिलना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दोनों डिमाण्ड्स ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बोलना बहुत जरूरी है...

श्री उपाध्यक्ष : अगर समय होगा तो आपको मौका मिल जायेगा। इस समय जिनका नाम कॉल किया गया है उनको बोलने दिया जाये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस सरकार ने जो कानूनी बदलाव रेवेन्यू में किये हैं वे कांग्रेस सरकार की तरफ से क्रांतिकारी हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता और उसके अन्दर टीनेन्सी के अन्दर क्या होता था और आज कांग्रेस ने क्या किया है ; किसान इसको बखूबी जानता हैं, लेकिन इसके साथ ही यह कहने में कोई एतराज नहीं है कि जो मशीनरी है इस कानून को लागू करने की उसकी मंशा को पूरी तरह से लागू करने में कई मर्तबा ऐसे ऐसे ग्लेयरिंग इन्सटान्सेज़ हैं और ऐसी ऐसी बातें हैं जिनको खुद जो लोग उस कानून को मनवाने वाले थे और जिन की एग्ज़ीक्यूट करना था, सदन की मन्शा को इम्प्लीमेंट करना था, जो रक्षा करने वाले थे वही भक्षक बन गये और एक जगह ही नहीं कई जगह भक्षक बने हैं और इस सदन के फ्लोर के ऊपर कई मर्तबा इस तरह की चीजें आती है ,उनके बारे में सरकार की तरफ से यह कह दिया जाता है कि इसकी जांच कर ली जायेगी, लेकिन उनकी जांच के नतीजे क्या निकले, इसके बारे में सदन में कोई इत्तला नहीं दी जाती है।

इसके साथ साथ मैं देखता हूं कि कई मर्तबा विरोधी दल के लोग इसलिए उलझ जाते हैं कि क्योंकि कोई आदमी किसी का रिश्तेदार है इसलिए उनको गर्ज यह है, लेकिन रिश्तेदारी से निकला जाये और अपनी निगाहें दूसरी तरफ को। जायें तो आपको अपनी व्यक्तिगत बातों से हट कर अगर सरकार को पोइन्ट आउट करें तो सबसे ज्यादा ग्लेयरिंग केसेज़ इन ऑफिसर्स के किए हुए मैं बता सकता हूं। हमारे यहां पर मालविया इन्जीनियरिंग कॉलेज खुला। उसके लिए हमारी सरकार ने ईयरमार्क किया। उस जमीन को कॉलेज के लिए मार्क कर दिया गया। उसके साथ क्या किया ? एक आदमी खड़ा हुआ, उसने अलॉटमेंट के लिए अर्जी दी। अब देखिये लाखों रुपयों की जमीन है वह उसने उस जमीन के लिए अर्जी दी। आपके तहसीलदार श्री व्यास, जिनका मैं पूरा नाम नहीं जानता, उन्होंने, उसको रिजेक्ट कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : जेठमल व्यास।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अच्छा, तो आप भी जानते हैं ? श्री जेठमल व्यास ने उस अर्जी को रिजेक्ट कर दिया। उस अर्जी के रिजेक्ट करने के बाद में वे छुट्टी पर जाते हैं किसी काम से। उस समय रेवेन्यू बोर्ड जैसी संस्था जो कि जुडीशियल हाई कोर्ट के स्टेटस की है उसने वहां से एक दूसरे व्यक्ति को उनके स्थान पर भेजा। हालांकि इतनी छुट्टी के लिए जो नीचे ऑफिसर्स होते हैं उनको चार्ज देकर जाया जाता है. लेकिन रेवेन्यू बोर्ड से दूसरा व्यक्ति आया, लेकिन रेवेन्यू बोर्ड ने उसको पॉवर्स दे दीं कि वह जुडीशियल तरीके से उसको यूज़ करे। क्या होता है कि एक तहसीलदार को अपॉइन्ट किया जाता है और वह तहसीलदार दस-बीस दिन के अन्दर लाखों का घोटाला करके साहनी नाम के आदमी को उस जमीन को अलॉट करता है। सरकार उस जमीन को जनता के लिए मांगती

Page No 127

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है, एक कॉलेज बनाने के लिए मांगती है और उसके अलॉटमेंट की अर्जी लगती है। पहले वाला तहसीलदार उसकी अर्जी को रिजेक्ट करता है और जब वह छुट्टी पर जाता है तो बाद में जो दूसरे आते हैं वे उसको अलॉट कर देते हैं। उसके बाद में इन्जीनियरिंग कॉलेज बन जाता है और आज मिस्टर साहनी लाखों रुपयों के दावेदार बन रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि उन तहसीलदार का क्या हुआ ? रेवेन्यू बोर्ड का क्या हुआ ? कहते हैं कि वे रिटायर होकर चले गये। आप इन केसेज़ को इतना डिले करते हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं वे आपको कागजों का चक्कर देकर, इन जमीनों का इस तरह से करके, रिटायरमेंट ले लेते हैं, तब तक आपकी नींद नहीं खुलती है। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कदम उठाना चाहते हैं, आप किस तरह से हमारी रक्षा करने वाले हैं, किस तरह से कॉलेज की जमीन और सरकार की जमीन के पीछे जो दावेदार पैदा हो गये उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं और उनको क्या सजा देना चाहते हैं, हम यह जानना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिस मामले की आप कह रहे हैं उसकी फाइलें तो कलेक्टर से चोरी चली गई और वह अकेली फाइल ही नहीं गई उसके साथ २०० फाइलें और चली गई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अब देखिये यह ऐसा कमाल हासिल है। यह आपने ताईं, अच्छी बात है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में और आज भी सोलेमिटी ऑफ रेकॉर्ड पर चलते हैं, रेकॉर्ड की पवित्रता पर चलते हैं और दस्तावेज दूसरों के पास हैं तो माना जा सकता है, लेकिन सरकार की कस्टडी में जो फाइलें हैं उनकी सोलेमिटी के बारे में आज जनता में यह बात होने लगे कि यह रेकॉर्ड रहेगा या नहीं, सरकार इसकी रक्षा कर सकेगी या नहीं, तो इसमें कितनी तवालत जनता के दिमाग में हो सकती है। आज प्रोपर्टी राइट्स के बारे में आपके पास रेकॉर्ड हैं; उनकी चोरी हो जाये और उसके बाद पुलिस जवाब नहीं दे कि किस तरह से चोरी हुई।

(४.०० म. प.)

आपकी सीक्रेट फाइल्स चाहते हैं तो उसकी तो आपको चिन्ता होती है और यह कहते हैं कि हमारा प्रिविलेज है और प्रिविलेज के मातहत हम दिखाना नहीं चाहते हैं। उनको चुरा कर ले जायें तो आपके खून में गर्मी नहीं आती है ; यह भी एक शर्म की बात है।

एक साहब खादी भंडार का उद्धार कर रहे हैं। उनका नाम है जैन कुमार जैन, जैसे कि डबल जानवर होता है...

श्री भैरोंसिंह : जैन कुमार नहीं जयकुमार जैन।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जयकुमार जैन सही। तो मैं अर्ज कर रहा था इस केस के बारे में कि इन साहब ने एक गरीब आदमी की लाखों की जमीन है, लेकिन वह रिक्शा चलाता है उसकी तो यह हालत पटक दी, एक मिल्ट्रि रीमेन की बगीची थी वह रिक्शा चलाता है। यह जनाब जब बी० डी० ओ० या तहसीलदार थे तो उन्होंने वह जमीन अपने बाप के नाम कर दी। उस

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जमीन से उस आदमी का नाम बदल कर यह कर दिया। जहां आप रक्षा करने जा रहे हैं उसके मालिकाना हकूक की वहां रक्षा करने वाला भक्षक बन गया। ये जैन साहब किस तरह से एल० डी० सी० से तहसीलदार बन गये; आपके कई ट्रेनिंग स्कूल चला रखे हैं तो यह कारीगरी आप उसमें सिखाते हैं कि एक एल० डी० सी० कैसे एक तहसीलदार बन जाये और तहसीलदार बन कर कैसे अपने बाप को लाखों की जमीन दे देता है और जो उसका मालिक है मिलिटरीमैन वह रिक्शा चलाता है।

मैंने कहा कि जहां पहले ४८ हजार टीनेन्ट्स थे जो कि खेती करते थे और हमने कानून बदला, इस सदन ने....

श्री भैरोंसिंह : इन्हीं जयकुमार जैन के बारे में इन्होंने तो बताया, लेकिन आप जवाब देंगे उसके लिए एक और निवेदन करना चाहता हूं कि एक पुरोहित की जमीन है जो कि कोर्ट ऑफ वर्ड्स में थी और कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नाते गवर्नमेंट के अधिकार में थी, उसमें से १३५ बीघा जमीन को उस ब्राह्मण से लेकर इन्हीं जयकुमारजी ने अपने कब्जे में किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह जो उन्होंने मेरे लिए हैं यह उनकी पार्टी में डाल दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं समझा, न जाने क्या मामला है ?

मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने कुछ ऑफिसर्स का कहा है। अभी कोटा के बारे में बाकी है। ये ऑफिसर्स कितने घोटाले करते हैं, मैं सब का नहीं कहता हूं। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है इसमें बड़े ईमानदार आदमी भी हैं, जैसे यह नदी बहाया करते हैं, सैलाब लाया करते है, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको पोइन्ट आउट किया है कि तीन आदमियों को रगड़ देंगे तो ३० आदमी बेईमानी करना छोड़ देंगे। आपको जन ता पर रहम करना चाहिए और राजस्थान राज्य में इस प्रकार एक्शन लेकर सब चीजों को खत्म करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बातें रेकॉर्ड के बारे में कहना चाहता हूं उप-मंत्री जी से। ४८ हजार जहां पर टीनेन्ट्स हैं वहां पर ४ हजार रह जायें तो जो हमारी मन्शा थी उसको मार डाला है। ४८ हजार को बेकाबिज करके ४ हजार रह जाते हैं तो जो जोते उसकी भूमि, यह जो हमारी मन्शा थी वह पूरी नहीं हो सकी है और जो किसान जमीन पर खेती करता था उसको जमीन नहीं मिली है और जब नहीं मिलती है तो कानून में कोई भी तब्दीली करें तो उसको करने को यह सदन तैयार है। वह जमीन उसको मिलनी चाहिये। कानून में ऐसी तब्दीली करनी चाहिए कि उन टीनेन्ट्स को जमीन मिल जाय।

अभी जो पोइन्ट मैंने यहां रखा है तो मेरे क्षेत्र के अन्दर स्केयर्सिटी है वहां पर अकाल पड़ा है, आप दूसरी जगह दौड़ कर जा रहे हैं, जो पहले अकाल पड़ा है वह बहुत बड़ा अकाल है, इसका हमें दुःख है; लेकिन मेरे अजमेर-मेरवाड़े के अन्दर जिस तरह की स्थिति हो रही है जिसको कि मैंने डिप्टी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मिनिस्टर साहब को दिखाया है कि वहां की हालत क्या है तो बात करते हैं कि भगवान ने आठ आना फसल बनाई है। हालत यह है कि पूरा रेकॉर्ड नहीं भरने देते हैं। तो रेकॉर्ड के अन्दर पानी नहीं होने की वजह से जहां पर वे १० बीघा बोते थे यहां अब २ बीघा ही बोते हैं और दो बीघे में भी चार आन,आठ आना फसल है तो दो बीघे से आप अन्दाजा लगाते हैं, और यह नहीं सोचते हैं कि अगर पानी होता तो १० बीघा जमीन बोता और अपने बाल-बच्चों का काम चलाता। तो ८ बीघे की बात नहीं करते हैं और खाली अपने कन्सीडरेशन में दो बीघे को ही लेते हैं। अंग्रेजों के वक्त में यह हो सकता था कि वे हमारे अकाल-पीड़ित किसानों की परवाह नहीं करते। आप किसानों के बल पर बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप खुद उस इलाके को देख कर आये हैं कि सारे इलाके में भुखमरी और अकाल पड़ रहा है और रेकॉर्ड में क्या करना चाहते हैं। आपने चार गांवों को डिक्लेयर किया है। आप देखें, आपकी मशीनरी देखे, आपकी आंखें देखें, मैं नहीं कहता कि गल्ती किसी की है। सारे अजमेर—मेरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की यह हालत है।

मैं और किसी की बात नहीं करता, पर मुझे पता चला है कि उदयपुर में भी यही हालत है। मैं आपको खबर करता हूं कि उदयपुर से २० नवम्बर को यह रिपोर्ट आनी चाहिए थी, वह १५ फरवरी को रिपोर्ट आती है।

आपका कलेक्टोरेट काम नहीं करता है ठीक से। वह रिपोर्ट २० नवम्बर तक आनी चाहिए थी वह फरवरी तक आ रही है जिसकी वजह से आप डिक्लेयर नहीं कर सके। सारे राजस्थान में टुकड़े टुकड़े करके बरसात होने की वजह से अकाल पड़ा हुआ है और आपका फेमीन डिपार्टमेंट निरस्त बैठा हुआ है। आप कुछ नहीं करते हैं। हमारे भूखों मरने की एन्क्वायरी नहीं करते हैं। कलेक्टर्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पाये कहलाते हैं, वे इन-टाइम खबर नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप पर जूं नहीं रेंगती है, आप नहीं सोचते हैं; २० तारीख को नवम्बर की रिपोर्ट आ गई है या नहीं। आप नहीं दबाते हैं उन अधिकारियों को जिनका काम कम्प्लीट नहीं होता है तो। फरवरी लग जाती है तब तक कम्प्लीट फीगर्स नहीं हैं और आप अधिकारियों से नहीं पूछते हैं कि आपके पास कलेक्टोरेट में सारे फीगर्स मौजूद हैं क्या और फीगर्स मौजूद हों तो क्या आपने फेमीन डिपार्टमेंट को, फेमीन मिनिस्टर को वे भेज दिये क्या? मैं इसके लिए यह अपील करूंगा कि आप इन गरीबों पर रहम करिये और महरबानी करके इनको भूखों मरने से बचाइये। राजस्थान में यह बात होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो-एक बातें और कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मैं आपसे कहना चाहता था इस सिलसिले में कि जो यह आपका देवस्थान डिपार्टमेंट है, मैं इस बात को बहुत संक्षेप में कहता हूं, बहुत अच्छी तरह से गौर करना चाहिए। ऐसे लोगों को उसमें रखा जाय जो कि धार्मिक भावनाओं के हों। जो मुस्लिम वक्फ हैं या हिन्दू वक्फ हैं, सेक्युलेरिज्म हमारे यहां चल रहा है तो सेक्युलेरिज़्म में क्या यह पाप हो गया कि हमारे बाप-दादा ने हमको हिन्दू रखा। हम सब हिन्दू हैं लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक है सरकार इस सिद्धान्त को मानती है कि सब का देश है, लेकिन जो कानून आयेगा वह हिन्दू के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है, और अगर उनके लिए कानून बनाया जायगा तो वह उनकी मन्शा के अनुसार होगा, सुन्नी होगा वह सिया में नहीं जा सकता और जो सिया होगा वह सुन्नी में नहीं जा सकता। हमारे यहां आई० ए० एस ऑफिसर लाकर रखे हैं जिनमें कि कोई धार्मिक भावना नहीं है और वे न हमारी संस्कृति को समझते हैं; उनको इन्चार्ज बनाते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। आप अगर किसी को रखें तो उनको रखें जो हमारी भावनाओं की, धार्मिक भावनाओं की उचित ढंग से रक्षा कर सकें, हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाएं। आप क्यों डरते हैं? मैं कहता हूं कि जनता का पैसा है। मैं हिन्दू-मुस्लिम में फर्क नहीं समझता हूं। जहांतक मानव की सेवा का ताल्लुक है, यह हर सम्प्रदाय का धर्म है, फिर फर्क क्यों?

जहां भी रुपया है और जिन बातों के लिए दिया है, चाहे धर्मादा का दिया हो और चाहे जिस क्षेत्र में हो, वह लोकवाणी को भी डोनेट कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। रुपया लेने के बाद जब रुपया मांगते हैं तो अपना कर्जा दिखा सकते हैं। आपके कानून पर विचार कीजिये। बड़े बड़े लोगों के नाम से बड़े बड़े लोग जो रुपया है उसको रख सकते हैं और चेरीटेबल में दे सकते हैं और कर्जा दिखा सकते हैं और उसकी नौकरी करने वाले हैं उनको दर दर का भिखारी बना दिया जाय और भूखों मार दिया जाय और कुछ कहें तो कहते हैं कि सारे ट्रस्ट को ले लो और कर्जा इसका दे दो। इस स्थिति से लोगों की रक्षा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और उस पर रिसीवर बिठाना चाहिए और कानून नहीं हो तो कानून बनाकर काम करना चाहिए और चेरीटेबल सोसाइटीज के जरिये जो लूट हो रही है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। आपको सरकार के नीचे रोकना चाहिए। मन्दिरों में कमेटियां बना दें। यह चेरीटेबल लूट खत्म होनी चाहिए सफेद पोशों के जरिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, टाइम बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी। आप ५ मिनट बोलें।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : उपाध्यक्षजी, यह जो आज रेवेन्यू की डिमांड संख्या १ रखी गई है उसमें दो करोड़ जनता का सवाल है। राजस्थान बनाने के बाद हमने इस बात के लिये सोचा था कि सारे राजस्थान के अन्दर जो लगान का सिस्टम है अलग अलग तरीके का, जागीरदारों और राजाओं के जमाने का जहां खालसा राज्य था वहां भोमियों का, सारा सिस्टम एक हो जायगा जमीन के किस्म के आधार पर जो अलग अलग होना उचित था, परन्तु माननीय उपाध्यक्षजी, आज भी वह सिस्टम·····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप कुंवारे-हत्यारों को दो करोड़ की क्यों चिन्ता है? आप तो एक करोड़ की बात करिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण जारी रखें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आज किसानों से जिस तरह जागीरदार लोग लगान वसूल करते थे, उसी तरह सरकार भी वसूल कर रही है। वह सिस्टम उसी तरह चल रहा है। हम उम्मीद करते थे कि राजस्थान के अन्दर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का लगान वसूल होता था वह एक हो जायगा, परन्तु आज तक भी एकजाई रेट अभी नहीं हुआ है।

दूसरी बात रेवेन्यू के अन्दर कोई भी कानून बनाया जाता है उसका पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता। सरकार वाले तो ऑर्डर निकाल देते हैं, परन्तु नीचे के अफसर उनका पूरी तरह से पालन नहीं करते। आज किसान लोग बहुत परेशान हैं और वे परेशान क्यों हैं कि हम लोग जो यहां बैठे हैं, मैं भी शामिल हूं, तहसीलदारों और एस. डी. ओ के ट्रान्सफर में ज्यादा इन्टरेस्ट रखते हैं·······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इतने चिंतित क्यों हैं? कुम्भारामजी आ गए हैं, वे ठीक कर देंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप तो बैठिये। बैठिये, बैठिये।

आज हम कितना भी हाउस के अन्दर सोच लें, आज जो शासन के अन्दर गवर्नमेंट सर्वेंट्स और हम लोग भी बैठे हैं, हम सभी इस बात के लिये सोच लें कि आज कानून बना हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का और दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी कि तीन साल के अन्दर किसी का ट्रान्सफर नहीं होगा। परन्तु माननीय उपाध्यक्षजी, एक साल के अन्दर अन्दर तहसीलदार का ६ दफा ट्रान्सफर होता है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : कौन से तहसीलदार का?

श्री मुक्तिलाल मोदी : कोटपुतली का। मैं कोटपुतली का ही हूं। पर करने वाले तो आप ही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपने कराया होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने तो नहीं कराया । इस तरह से कई एस. डी. ओज़ हैं जिनका ट्रान्सफर हुआ है । पटवारी यह समझते है कि एस. डी. ओ. से कह कर ट्रांन्सफर करा देंगे, तो तहसीलदार विचारे की क्या हैसियत ? और मिनिस्टर से कह कर करा देंगे, तो कलेक्टर की क्या पूछ है ? मैं कहता हूं कि हम लोग शासन वालों को काम नहीं करने देते । उनको भी हक है कि अगर मिनिस्टर पांच गलतियां करे, एम. एल. ए. दस गलतियां करे, तो हम भी १५ गलतियां कर सकते हैं । जब तक यह शासन नहीं सुधरेगा, तब तक कोई भी डिपार्टमेंट नहीं सुधरेगा ।

फोरेस्ट के अन्दर राजस्थान सरकार से मैं करीब ६ वर्ष से पुकारता रहा हूं कि चराई के रेट्स राजस्थान के अन्दर एक होने चाहिये, परन्तु आज उदयपुर में कुछ रेट नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : कौन कहता है नहीं है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मामूली है । और बीकानेर के अन्दर और उदयपुर के अन्दर जहां जागीरदारों के गांव थे वहां बहुत ज्यादा है । खालसा गांवों में बहुत कम है । जयपुर रियासत में भी कई तरह के रेट्स हैं और बीकानेर में तो बहुत ज्यादा रेट्स है । तो फोरेस्ट के अन्दर में ६ साल से पुकार रहा हूं कि चराई के रेट्स एक होने चाहिये, जो सेटलमेंट है राजस्थान के अन्दर एक होना चाहिये । आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां बिल्कुल चराई माफ है । जहां जागीरदारों का इलाका था, उनको पट्टा दे रखा था । एक गांव में चराई माफ और उसके पास ही दूसरे गांव में चराई चार्ज होती है । तो सेटलमेंट हुआ है वह गलत हुआ है ।

(समय समाप्ति घंटी)

दो मिनट ।

तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि हजारों रुपये खर्च करते हैं आप फोरेस्ट्स पर और आप कहते है कि जल्दी से जल्दी उस एरिया को कैबीनेट के अन्दर लाकर, हाउस के अन्दर कर देंगे, परन्तु आज तक उस एरिया में कुछ नहीं हुआ । मेरी समझ में नहीं आता कि मैं ६ साल से पुकार रहा हूं कि सारे राजस्थान के अन्दर सेटलमेंट एक तरह का हो, चराई के रेट्स एक तरह को हों और सारे राजस्थान में जो जमीन फोरेस्ट् के अन्दर में है जो काश्त में है वह फोरेस्ट से हटा कर रेवेन्यू में लानी चाहिए । लेकिन वह अभी नहीं हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सालोदिया ।

श्री जयनारायण सलोदिया (निवाई) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मांग पर जो मेरे कटौती के प्रस्ताव है उन पर मैं बोल रहा हूं·······

श्री उपाध्यक्ष : अब केवल जो खास खास बातें हैं उन्हीं को लेकर पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री जयनारायण सालोदिया : बिल्कुल नई और खास बातें कह रहा हूं । इस पर

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मैं ज्यादा मुद्दों और आंकड़ों में न जाकर, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय का मुझे आदेश हुआ है कि मैं जल्दी अपना भाषण समाप्त करूं, मैं अनुशासन में रहते हुए कुछ बातें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की हैं वही बातें करूं तो अच्छा रहेगा, और अगर समय होगा तो फिर मैं और बातें बताऊंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो राजस्थान में इस कांग्रेस शासन में सर्वत्र भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, कुनबा-परस्ती, रिश्वतखोरी, बेरोजगारी का बोलबाला है लेकिन इसके बावजूद हमारी डिस्ट्रिक्ट टोंक में हालत और भी ज्यादा खराब हैं। इसके बारे में जब हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों है तो मुझे एक ही बात मालूम होती है और वह बात यह हो सकती है कि गये आम चुनावों में टोंक डिस्ट्रिक्ट में, पूरी डिस्ट्रिक्ट में से कांग्रेस एक भी विधान सभाई सदस्य, एक भी लोक सभाई सदस्य को जिता कर नहीं ला सकी।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : पंचायत ?

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : पंचायत चुनाव में क्या हुआ ?

श्री जयनारायण सालोदिया : शायद उससे रुष्ट होकर कांग्रेस ने यह भावना बनाई है, यह विचार रखा है, यह प्रतिशोध की भावना को जन्म दिया है कि उस डिस्ट्रिक्ट के साथ वह हमेशा सौतेला व्यवहार करे। और जो बातें यहां पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उठाई जायं, उन पर गौर नहीं करे। हमारे यहां पहले शासन में टोंक डिस्ट्रिक्ट से एक मंत्री महोदय सदस्य थे, उनके द्वारा, उनके विभाग के द्वारा डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का चक्रव्यूह रचा गया था और वह चक्रव्यूह आज भी उनकी कृपा से, उनके इशारों से चल रहा है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : कौन अभिमन्यु फंसा उस चक्रव्यूह में ?

श्री जयनारायण सालोदिया : उसमें अभिमन्यु फंसने के बजाय स्वयं चक्रव्यूह निर्माण करने वाला फंस गया है। यह मुझे दुःख है। उसमें उन्होंने अपने शासन–काल में इस तरह के ऑफिसर्स को वहां रखा। चपरासी से लेकर जिलाधीश तक, इस तरह के आदमियों को नियुक्त किया, चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जो "उनकी जी हुजूरी" करते रहें, उनकी हां में हां मिलाते रहें और उनके गलत टेलीफोन के मार्ग-दर्शन में ऐसे कार्य, जिनसे पब्लिक को विशेष नुकसान हो, कराते रहे। मैं समझता हूं कि यह काम उनका उनके लिए ही खराब हुआ और जो रिजल्ट निकला वह था कि उनके वहां रेवेन्यू मिनिस्टर होते हुए, उनके पास सरकार की ताकत रहते हुए और उनके पास ट्रान्स्फर और प्रमोशन के अधिकार होते हुए वे उस डिस्ट्रिक्ट में इतनी बुरी तरह से हारे–यह एक एग्जाम्प्ल है, जो बुरे कामों के लिए हर आदमी को रखनी चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा सरकार से कि वह इस तरह की भावना को न रखे, इस तरह बदले की, प्रतिशोध की भावना से

(श्री जयनारायण सालोदिया)

ऊपर उठ कर वे हर क्षेत्र के विकास में पूरा सहयोग दें, जो एक प्रजातांत्रिक सरकार का पुण्य कर्त्तव्य है। वहां जितनी भी तहसीलें हैं उनमें ऐसे तहसीलदार साहब मौजूद हैं आज भी, जो करीब आठ-आठ साल से वहां हैं और वे तहसील का कोई काम नहीं करके उन महाशय के इशारों पर पूर्ण राजनैतिक काम करते हैं। मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि पंचायत इलेक्शन के दिनों में सारी तहसील में जो कुछ हुआ, तहसीलदार साहबान के द्वारा, तहसील के स्टाफ के द्वारा–चाहे वह पटवारी हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे नायब तहसीलदार हो और चाहे तहसीलदार को–खुल्लमखुल्ला उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, हमारे खिलाफ पूरी सरकार की ताकत का उपयोग करते हुए पार्टी विशेष के हित में प्रचार किया। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी मालपुरा तहसील में वहां के तहसीलदार गेंदासिंह, जो यहां पर आठ साल से विराजमान हैं, ने पंचायत चुनाव के पहले दो हाजर नोटिस बेदखली के किसानों को दिये। आपको मालूम होना चाहिए

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक तहसील में दो हजार नोटिस तहसीलदार द्वारा वहां के किसानों को दिये जायं, वह इसलिए कि सम्भवतः वे भयभीत होंगे और तहसीलदार साहब के पास जायेंगे, उनसे जाकर मिलेंगे और उनसे मिलने पर एकमात्र बात बता देंगे कि अगर आप लोग अमुक पार्टी के अमुक आदमी को पंचायत चुनाव में मदद करेंगे तो नोटिस वापिस ले लेंगे। इससे ज्यादा प्रजातन्त्र में और शर्म की बात नहीं है। आज-कल भी उन तहसीलदार साहब के द्वारा, जो मालपुरा से विधान सभाई सदस्य चुन कर आये हैं और उनके खिलाफ रिट पिटीशन चल रही है, उनके गवाहों को किस तरह से दबाया जाय, किस तरह से फुसलाया जाय, साम–दाम-दंड-भेद से जितने भी गवाह हैं उनको अपनी तरफ करने का उनका एक ही काम है। वे तहसील में दौरे के बहाने जाते हैं, वहां जाकर गवाहों से बातें करते हैं, उनको फुसलाते हैं, उनको डर दिखाते हैं और इस तरह उन गवाहों को बदलने की कोशिश में लग रहे हैं।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट मैं और अर्ज करूंगा; इसी के साथ में निवाई तहसील का थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। हमारी तहसील निवाई में जो माननीय तहसीलदार साहब बिराजमान हैं वे उन्हीं महाशय के, उन्हीं भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर के निकटतम सम्बन्धी हैं। मेरे पास और ज्यादा टाइम होता तो मैं उनकी पूरी हिस्ट्री सदन के सामने रखता, लेकिन फिलहाल मैं इतनी जानकारी देता हूं कि इस पद की योग्यता में फिट न होते हुए भी वे पहले जब कि टौंक में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था, उसमें एक छोटी सी पोस्ट पर रेवेन्यू ऑफिसर था, वह भी उन्हीं की महरबानी से था, लेकिन उसके बाद कैसे उसका प्रमोशन हुआ और कैसे तहसीलदारी में आया, लेकिन अब भी मुझे उनके तहसीलदार रहने में कोई आपत्ति

(श्री जयनारायण सालोदिया)

नहीं है, उनको तहसीलदार से प्रमोट करके कलेक्टर बना दीजिये, लेकिन निवाई में बैठ कर वह कोई काम नहीं करता है । मुझे जानकारी मिली हैं, निवाई तहसील में कम से कम चार हजार फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं और एक फाइल पर भी फैसला नहीं लिखते । फैसला लिखें भी क्या ? उनको लिखना आता भी नहीं है । कोई आकर बात करता है, कोई जाकर कागज टेबल पर रखता है तो वह छः छः महीने तक पड़ी रहे, उसको वे देखते नहीं हैं और बस पेशियां बदलते रहते हैं । किसान झुंड के झुंड वहां आते हैं और पेशियां बदलवा कर चले जाते हैं । और आठ साल से तहसीलदार वही चले आ रहे हैं । अगर वे फ़ैसला करेंगे.......

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

तो एक-दो फाइल पर मुश्किल से फैसला करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला !

अब तो समय हो चुका है और बढ़ नहीं सकेगा । श्री झाला के बाद, मैं समझता हूं, सरकारी पक्ष से जवाब दिया जाय ।

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : कितना टाइम गवर्नमेंट रिप्लाई के लिए रहेगा, यह मालूम हो जाना चाहिए !

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में अपने विचार रखें ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा समय तो बहुत बाकी है ।

श्री उपाध्यक्ष : समय तो किसी का बाकी नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला : कुछ समय बढ़ा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ाया हुआ है ऑलरेडी ।

श्री विजयसिंह झाला : मैं संक्षेप में बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि उदयपुर जिले में कोई भी ठेका किसी भी प्रकार का नीलाम नहीं होता है, तो मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार का कानून है उसमें विधान सभा में कोई ऐसा संशोधन ले आया जाय कि चाहे जंगल हो, चाहे मछलियों का ठेका हो, जयसमन्द का क्योंकि वह मुख्य मन्त्री का क्षेत्र है इसलिए उनमें किसी प्रकार कोई नीलाम नहीं होगा, तो समझ में भी आ सकता है । दरअसल १९४७ के बाद से आज दिन तक उदयपुर जिले में वन विभाग में या जयसमन्द में, जो मछलियों का ठेका होकर आमदनी हो सकती है, उसका नुकसान करते जा रहे हैं । और उपाध्यक्ष महोदय, वह करीब पचास लाख रुपये का नुकसान होता है । और हमारा चालीस लाख रुपये का नुकसान केवल जंगल का है । मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे माननीय भीखाभाई भी इससे सम्बन्धित हैं । मैं····

श्री भीखाभाई : किससे सम्बन्धित हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : मछलियों से सम्बन्धित हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : मैं समझता हूं कि जिस समय पानरवा के भूतपूर्व जागीरदार ने वहां के ठेके को गुलाबअब्बास को दिया तो सन्१९४७ में वन विभाग के अधिकारी ने यह राय दी थी कि गवर्नमेंट के द्वारा उस ठेके को इससे ले लिया जाय-इस प्रकार का प्रावधान है । लेकिन उस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए आपने १८ हजार में वह ठेका दे दिया जब कि अस्सी हजार और १ लाख ५ हजार की ऑफर दूसरे की थी । इस बात को जाने दीजिये । इसके बाद भी ५४ से लेकर, ५७ तक........

श्री भीखाभाई : यह सन् १९४७ में किस अधिकारी ने कहा, आप बता दें ?

श्री विजयसिंह झाला : जिस वक्त आपकी सरकार बनी थी उस समय यह रिपोर्टथी । वर्माजी की रिपोर्ट ! यह मैं आपको बता दूंगा । उस समय पर जब चार्ज लिया गया था उस समय की रिपोर्ट दी गई थी । इस बात को भी जाने दीजिये । लेकिन जब १९५७ में ठेका समाप्त हो गया तो आपको जब यह मालूम था कि सन् ५४ में ८० हजार और एक लाख ५ हजार की डिमान्ड थी तो आपने उसको उस समय नीलाम क्यों नहीं किया ? उसकी टर्म एक अक्टूबर को समाप्त होती थी, मगर आपने उसको अप्रेल में ही टाइम एक्स्टेन्ड कर दिया ? इसकी क्या आवश्यकता थी? उस समय उसकी १ लाख ५ हजार की ऑफर थी और उसने ३७।। हजार रुपयों का चैक दिया था उसको भी आपने एडमिट नहीं किया और आपने फिर उसी ठेके को १८ हजार में वापिस पांच वर्षों के लिये और बढ़ा दिया । मैं कहूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया ? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बेशर्मी की और अपमान की बात कौनसी हो सकती है ? खैर, इसको भी जाने दीजिए. ६२ में एक साल के लिये और बढ़ाया गया । जब सन् ५६ में समझौता हुआ तो आपने ले लिया और सन् ५९ में उसने आप पर दावा किया । दो साल ७ माह के बाद दावा करता है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतने अर्से तक आपकी सर-कार क्या करती रही ? मैं तो यह कहूंगा कि आपने और आपकी सरकार ने उनको दावा करने का मौका दिया और आपके मन्त्रियों ने और अधिकारियों ने उनको सिखला कर दावा कराया ।

श्री भीखाभाई : हमने तो रोक दिया । ५७ में रोक दिया था । बाद में सैशन्स कोर्ट में दावा हुआ । इंजंक्शन आया और मामला हाई कोर्ट में गया ।

श्री विजयसिंह झाला : इंजंक्शन कब आया, यह आप बता दें ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह इन्जंक्शन किसकी गलती से आया ? यह भी सरकार की गलती से आया था ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इन्टरप्शन्स नहीं हों और जो कहना है वह जवाब देते समय कह दें ।

श्री विजयसिंह झाला : मैं यह कहूंगा कि वह सब वन विभाग के अधिकारियों

(श्री विजयसिंह झाला)

की शरारत से हुआ, हमारे वन मन्त्री की शरारत और माननीय भीखाभाई की शरारत से यह सब हुआ।

श्री भीखाभाई : मैं बीच में उस समय कहां आता हूं ?

श्री विजयसिंह झाला : मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो लोस हुआ है वह सब उनकी निजी प्रोपर्टी को नीलाम करके वसूल किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उदयपुर में ऊंटों की चराई के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। ऊंटों की चराई के लिये फीस मुकर्रर है और एक प्रेस्क्राइब्ड फीस ली जाती है। मगर उनको चरने के लिये कोई जंगल नहीं बताया गया है। वे वहीं उस जंगल में चरते हैं। उनसे जो फीस मुकर्रर है उसके अलावा ३) रु० फी मवेशी ज्यादा लिया जाता। यह आपके फोरेस्ट के अधिकारी वसूल करते हैं और वह रुपया जंगल विभाग में जमा नहीं होता है। यह पैसा आपस में ही आखिर बांट लिया जाता है। इसके लिये मैं तीन बार आपके पास गया और आपके नोटिस में लाया था और आपसे कहा था कि आप इसके लिये कोई ऐसी कमेटी बनाइये जो जांच करके आपको सारा हाल बताए। मैं समझता हूं कि आपके अधिकारी इस पैसे का बंटवारा करते हैं और आप तक भी इसका बंटवारा होना चाहिये।

श्री भीखाभाई : आपने क्या कहा ? आप एक तरफ व्यक्तिगत आक्षेप लगाते है और दूसरी तरफ.......

श्री विजयसिंह झाला : मैं व्यक्तिगत आक्षेप लगाता हूं और वह इसलिये कि मैं आपके पास तीन बार जाने के बाद भी और कहने के बाद भी १० हजार रुपया आपके बीच के अधिकारी हजम कर जाते हैं, आप कुछ नहीं करते। आप उनसे पूछ तक नहीं सकते। ये रुपये गरीब लोगों के जाते हैं। यदि आप इस तरह से सारे फोरेस्ट के नुकसान को देखें और आंकें तो मालूम होगा कि ५० लाख का नुकसान होता है। खैर, इसको भी जाने दीजिये लिटिगेशन में खर्चा होगा। मगर कॉन्ट्रेक्ट में जो शर्तें थीं उसमें से एक भी शर्त का कॉन्ट्रेक्टर ने पालन नहीं किया। आपने लास्ट तारीख तक उनको मौका दिया कि वे हजारों रुपयों की लकड़ी काट लें और उन्होंने काटी है। इसके लिये मैं कलेक्टर के पास गया और कहा कि आपका ठेका खत्म होने के बाद भी हजारों रुपयों की लकड़ी कटती है और मैं आपको रेड हैन्डेड पकड़ सकता हूं। आप किसी अधिकारी को भेजें। तीन बार जाने के बाद भी आपने कोई ध्यान नहीं दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि वहां के लोग तो उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी को वन मन्त्री नहीं समझते वे तो उनको ही मन्त्री समझते हैं।

श्री भीखाभाई : एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि वे लोग मुझे मन्त्री नहीं समझते और दूसरी और आप यह कहते हैं

(श्री भीखाभाई)

कि पैसे खाते हैं। आप देख लीजिये न्याय की बात हैं क्या ?

श्री विजयसिंह झाला : गुलाम अब्बास आप जैसों को जेब में रखते हैं। उनके जैक दूसरे हैं और आपके दूसरे हैं।

श्री भीखाभाई : फिर आप कैसे कहते हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री विजयसिंह झाला : मैं इस विषय को बन्द करके रेवेन्यू विभाग की ओर आता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां उदयपुर में पानी की कमी है। इसके बारे में विरोधी दल की ओर के माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा और भीलवाड़ा और मांडल की सूची आई, लेकिन उदयपुर के गांव की अभी सूची नहीं आई। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर शीघ्र ही उदयपुर के गांवों की ओर इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो हम विधान सभा में ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे, केवल हमें ऑपोजिशन पार्टी के ही समझ कर कोई काम नहीं करें, यह तो उचित नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री-राजस्व) : सारी ही पार्टी है क्या ?

श्री विजयसिंह झाला : नाथद्वारा के ही।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : हम आपका भूख हड़ताल में साथ देंगे।

श्री विजयसिंह झाला : कई बार निवेदन करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की; महज यह उदयपुर नाथद्वारा का प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस सम्बन्ध में है कि पूजा का अधिकार वैष्णव सम्प्रदाय को है और होना चाहिये। मगर आज तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सही रूप से कार्य हो सके, क्या आपने कार्य किया है ? अभी कुछ समय पहले लखनऊ में पुष्टिमार्गी सम्प्रदाय की बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि श्रीनाथजी की मूर्ति को नाथद्वारा से हटा कर वृन्दावन में विठाया जावे। इसके लिये दो लाख का चन्दा भी उन्होंने इसके लिये किया है। इसके अलावा टैम्पल बोर्ड बनने के बाद भी श्रीनाथजी की सम्पत्ति है उसमें भी गड़बड़ियां जारी हैं। मैं यह कहूंगा कि पहले जो कमीशन बैठा था और उस समय गहनों की कीमत आंकी थी उससे आधी भी दूसरी बार अभी कुछ महीने पहले कीमत आंकी नहीं गई थी। टैम्पल बोर्ड के मार्फत वहां की मर्यादा है उसको भी भंग किया है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

पाकिस्तान के बोर्डर पर जिन गांवों का सैटलमेंट हो रहा है वहां जैसलमेर की सीमा में पाकिस्तान बोर्डर की सीमा के गांव हैं उनको छोड़ दिया है, क्योंकि सेटलमेंट विभाग के कर्मचारी हैं वे वहां सेटलमेंट करने से डरते हैं और इसका नतीजा आज यह है कि जैसलमेर रियासत के समय के जो नक्शे हैं उन नक्शों को यदि हम देखें

(श्री विजयसिंह झाला)

और आज राजस्थान की जिस सीमा पर हमारा कब्जा है उनको देखें तो आपको बहुत फर्क मालूम होगा, हमारी बहुत सी जमीन पाकिस्तान के नीचे दबी हुई है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि कोई फिक्स सर्वे करवा कर वहां ऐसे निश्चित चिन्ह स्थापित किये जायं जो पक्के हों।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं समझता हूं कि समय काफी हो चुका है। सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर के लिए कम समय रहता है, इसलिये अगर ५ मिनट में समाप्त कर सकें तो बोल लें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मैं ४ मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ढाबरिया। इसके पश्चात् गवर्नमेंट रिप्लाई होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा)। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं वन विभाग की जो मांग है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। वन विभाग के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने, पानरवा जंगल के ठेके के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, उन सारी बातों को हम बार बार जितनी दफा कहते हैं हर बार एक न एक नई बात हमारे सामने इस ठेके के सम्बन्ध में आती है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं बहुत अदब से आपके जरिये मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस जंगल के ठेके के ५ साल के दौरान में, जैसा कि इस अखबार पांचजन्य के ७ सितम्बर, १९६४ के अंक में साफ लिखा है कि गुलाम अब्बास ने ऐसे काम किये हैं जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं हैं। इसकी आखिरी ४ लाइनें मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :—

"पानरवा जंगल में बीमारी के कारण २०० मजदूरों की मृत्यु हो गई और १० मजदूर जंगली जानवरों के शिकार हो गये, किन्तु न तो उसने इनकी सूचना सरकार को दी और न क्षतिपूर्ति के रूप में मृत श्रमिकों के सम्बन्ध में इन्तजाम किया है।"

मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिस जंगल में २१० मजदूर मर जायं काम करते हुए और यह सरकार सोती रहे, डिपार्टमेंट सारा का सारा सोता रहे, मैं पूछता हूं मन्त्री महोदय से कि २१० मजदूर मर गये, क्या एक भी आदमी को कम्पेन्सेशन दिलाया है ?

दूसरी बात मैं इस जंगल के बारे में यह कहना चाहता हूं ; इस जंगल के बारे में यह साफ कहा गया है कि १८,००० रुपए साल में इसका ठेका दिया है। यहां मन्त्री महोदय ने कल एक प्रश्न का जवाब दिया उसमें बताया है कि इस वक्त उस जंगल में कटी हुई लकड़ी पड़ी है, वह ९०,९०० क्विन्टल लकड़ी वहां पड़ी है। आज राजस्थान में जो भाव लकड़ी के हैं ढोने, काटने के, ये सारे के सारे खर्चे हैं उनको काटने के बाद ४ रुपया क्विन्टल लकड़ी का तय करें तो ३ लाख ९० हजार

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

रुपए की लकड़ी आज के दिन उस जंगल में पड़ी है जब कि पांच साल में कुल ठेके के ६० हजार रुपए इस सरकार ने वसूल किये हैं। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि इन पांच सालों में इस जंगल से कितनी लकड़ी निकली होगी, वह कितनी कीमत की होगी, जब कि आज उसकी मयाद खत्म हो गई है, उसका ठेका खत्म हो गया है उस दिन ३ लाख ६० हजार की लकड़ी वहां कटी हुई मौजूद है।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके लिये यह साफ बताना चाहता हूं कि शरायतनामें की ७ वीं धारा में साफ लिखा हुआ है : "शरायतनामा २६ जनवरी, १६६५ तक खत्म हो जायगा। और फिर लिखा है।

"२६ जनवरी, १६६५ के बाद जो माल जंगल में रह जायगा उस पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।"

इस तरह ३,६०,००० रुपए की लकड़ी वहां पड़ी हुई है जैसा कि कल मंत्री महोदय ने कहा कि हमने इस लकड़ी को उठाने के लिये अप्रेल तक उसको इजाजत दे दी है। यह ३ लाख ६० हजार का फिर उसको घोटाला करने का, सरकार को नुकसान पहुंचाने का मन्त्री महोदय ने मौका दिया है। जब कि शरायतनामें में साफ लिखा हुआ है कि २६ जनवरी, १६६५ के बाद कटी हुई लकड़ी जो पड़ी होगी, उसको वह आदमी नहीं उठा सकेगा। ये मंत्रीजी जो अपने आपको हनुमान भक्त और सहकारितावादी कहते हैं, ३ लाख ६० हजार का घोटाला और नुकसान राज्य को कर देने का फैसला करते हैं।

इतना ही नहीं, इस मामले के अलावा मैं भू-राजस्व विभाग के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। अभी बहुत सी बातें हुईं; कहा गया कि हमने बड़े बड़े जागीरदारों की जागीरदारियां खत्म कर दीं, जमींदारों की जमींदारियां खत्म कर दीं, सारी जमीनें हमने ले लीं। भीलवाड़ा जिले में कोठियां गांव है; रघुनार्थसिंह, मानसिंह जो भीलवाड़ा के बहुत बड़े जागीरदार हैं, बड़े केपिटलिस्ट और उद्योगपति हैं उन्होंने ५० के पहले कोठियां में जमीन ली थी, जिसका एरिया हजारों बीघा है, इसलिये उनको जमीन दी थी कि वहां गन्ना काश्त किया जायगा और वह जमीन "ग्रो मोर फूड" के काम में आयेगी। मैंने इस बारे में इस सदन में प्रश्न किया था। सरकार कहती है कि जमीनें उसकी जो जोते, यह भी कहा कि हमने सीलिंग लागू कर दिया, ३० एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रहेगी। यह एक फैसला उस जमीन के बारे में अड़वड़ तहसील के तहसीलदार थे उन्होंने २१-८-५० को, १५ साल पहले दिया है। उसके जजमेंट की आखिरी लाइनें, क्योंकि मैं जरूरी समझता हूं, इसलिये पढ़ कर सुनाता हूं :

"चूंकि उपरोक्त हालात से शूगर फैक्टरी को गन्ने की काश्त के लिये देना तजवीज हुआ, मगर शूगर फैक्ट्री सेठजी ने नहीं लगाई और अकस्मात् और पाबल सेठजी वाजिब तनव्वर नहीं करते, जैसा

Page No 141

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कि अभी कह रहे हैं, इस तरह उसके उपयोग के लिये जो जमीन देना तय किया, अगर रियासत में काबिज ने पट्टा नहीं किया व राजस्थान सरकार के कायम होने के बाद नीचे के अधिकारियों द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया और कब्जा हुआ वह बिला स्वीकृति गवर्नमेंट के हुआ है।"

आखिर में कहते हैं,

"जब यह फैक्ट्री के लिए दी थी तो उसको कैंसिल करके वहां की सहकारी समिति को दी जाय।"

आगे यह लिखा है :

"चूंकि मेरे अधिकार की बात नहीं है इसलिये, एस. डी. ओ. को वास्ते आॅर्डर के भेजा जाय।"

जो सरकार कहती है कि जमींदारी को खत्म करना चाहते हैं, सीलिंग करना चाहते हैं, दो साल पहले मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, इस जमीन को शूगर फैक्टरी के लिये, ग्रो मोर फूड के लिये, गन्ने की काश्त के लिये नहीं दिया, मन्त्री महोदय यह फैसला सुन लें, १९५० में यह फैसला हुआ, फाइल मन्त्री महोदय के पास पड़ी है। १५ साल में इस जमीन का कोई फैसला नहीं हुआ है, जमींदार जो इस जमीन का मालिक है उसको इसका ४०० रुपया कम कर दिया और १५–२० हजार रुपया सालाना घास के ठेके का इस जमीन से वह वसूल करता है। क्यों नहीं उप मंत्री महोदय इसका फैसला करना चाहते ? क्योंकि वे जिस वक्त इस हाउस में नहीं आये थे, इन सेठ साहब के वकील थे, उनके पैसों से पले हैं इसलिए कब्जा नहीं करना चाहते और इस सदन को भी गलत रिपोर्ट उन्होंने दी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : मेरी जिंदगी में मैं उस सेठ का कभी वकील नहीं रहा, मेरी बीस वर्ष की जिन्दगी (वकालत की) में कभी उसका वकील नहीं रहा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप नहीं रहे हैं, यह मैं बताऊंगा। आपने तो हमेशा यही कहा है कि मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह नहीं किया; यह नहीं हुआ, दूसरे दिन सुबूत सामने लाकर रखते हैं तो हाथ घुमा कर नाक पकड़ कर कहते हैं कि सही है।

श्री उपाध्यक्ष : शीघ्र समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : दूसरे केस में वकालतनामा भरा होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह भी उप मंत्री महोदय ने कहा कि किसी आदमी ने मेरे पास इस जमीन को लेने के लिए रिप्रेजेन्टेशन नहीं किया। ये तीन-चार कागज मेरे पास हैं; रामस्वरूपअग्रवाल, शाखा अधिकारी, श्री विजयशंकर, मंत्री, कांग्रेस कमेटी, कोठियां, दामोदरलाल मानसिंहका, इन्होंने राजस्थान सरकार को लिखा है....

श्री उपाध्यक्ष : पत्र पढ़ें नहीं, सदन की मेज पर रख दें। क्योंकि समय की कमी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इन्होंने २५ सितम्बर, १९६२ को चिट्ठी लिखी है, उसके उत्तर में रामप्रसादजी लड्ढा के स्वयं के दस्तखतों से चिट्ठी लिखी गई है जिसे मैं पेश करता हूं, जिसमें श्री लड्ढा ने लिखा है :

"आपका पत्र क्रम संख्या ९१३ दिनांक ६-८-६२ का प्राप्त हुआ। खत पर उचित कार्यवाही की जा रही है।"

यह १९६२ में इन्होंने जवाब दिया है और इस हाउस में आप कहते हैं कि मुझे कोई पत्र किसी के द्वारा नहीं मिला। मैं कहता हूं कि सीलिंग करनी चाहिए। उस आदमी को जमीन देनी चाहिए जो जमीन को जोतता है। नहीं तो सुखाड़ियाजी का क्या होगा क्योंकि वह जमीन पर खेती नहीं करता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सिद्धांत तो वहां से शुरू होता है। जब आप खुद भ्रष्ट हों तो फिर सिद्धांत का पालन कैसे होगा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह घोटाला जो सरकार कर रही है उसको नहीं रोका तो यह सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक सकती।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मैं सिर्फ पांच मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : No. Government reply has started. जब तक मांगें स्वीकार न हो जांय तब तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : टाइम लिमिट होनी चाहिए; एक घंटा, आधा घंटा। समय बढ़ाने का यह कोई तरीका नहीं है। जो ऑफीशिएटिंग लीडर ऑफ. दी हाउस हैं वे मूव करें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : जब उपाध्यक्षजी खुद कह रहे हैं कि इस मामले में इन्साफ के लिए जरूरी है कि समय बढ़ाया जाय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आखिर हम भी तो कोई सुझाव दे सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आखिर कितना बढ़ाया जाय या द्रोपदी के चीर की तरह बढ़ाया जाय। जब राजस्व मंत्री स्वयं विराजमान हैं और दिव्य मूर्ति मौजूद है तो क्यों वे उत्तर नहीं देते ?

श्री मथुरादास माथुर : मामूली मामले हैं, इसलिए उप-मन्त्री जवाब दे रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह नीति का प्रश्न है। जब वे सदन में उपस्थित हैं और नीति निर्धारित करने में उनका मुख्य हाथ है इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि राजस्व मन्त्री के मुखारबिन्द से उत्तर हो तो बड़ा उत्तम होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : मैं भी वही बोलूंगा। भू-राजस्व

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पर जो मांगे रखी गई उन पर कई कटौती प्रस्ताव आए, लगभग १०५ प्रस्ताव आए। उन प्रस्तावों के जरिये रेवेन्यू के सम्बन्ध में जितनी संभावित समस्याएं हो सकती थीं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। हो सकता है कि समस्याएं इससे भी अधिक हों लेकिन जो कुछ खास समस्याएं थीं वे बताई गई। राजस्व विभाग ऐसा विभाग है जिसका आम जनता से संबंध है, लगभग ८० प्रतिशत से अधिक लोग इस विभाग से संबंधित होते हैं। आम जनता की समस्याएं इस विभाग के जरिए आती हैं। इसलिए अधिक समस्याओं का होना या अधिक कटौती प्रस्तावों का होना स्वाभाविक है। फिर भी और वर्षों के मुकाबले में काफी कम कटौती के प्रस्ताव आए हैं। मेरा अनुमान है कि अब तक की व्यवस्था से माननीय सदस्यों को और जनता को संतोष हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पोइंट ऑफ आर्डर, पालियामेंट में इसी बात पर इस प्रकार का सवाल आया कि जिस समय मंत्री स्वयं उपस्थित हों तो उन को ही जवाब देना चाहिए। रूलिंग भी ऐसी हो चुकी है। ऐसी हालत में उपमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रश्न नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप व्यवस्था दें कि क्या होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस सदन में जिस प्रकार से रिवाज रहा है उसी प्रकार से चल रहे हैं और इस विषय में कई व्यवस्थाएं इस सदन में हो चुकी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप व्यवस्था नहीं सुन रहे हैं। सम्मिलित जिम्मेवारी है। इसलिए उपमंत्री जवाब देते हैं। वह केवल सरकारी पक्ष का जवाब है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सदन में अभी तक जितने उत्तर हुए हैं, सारे मंत्रियों के द्वारा हुए हैं। पालियामेंट में भी रूलिंग हो चुकी है। जब राजस्व मंत्री स्वयं उपस्थित हैं और उपमंत्री से बहुत अधिक विद्वान हैं तो वे क्यों न जवाब दें ?

श्री उपाध्यक्ष : परम्परा के अनुसार हो रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन कर रहा था कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में, रेवेन्यू के तहत जितने विभाग आते हैं चाहे कन्सोलीडेशन, चाहे सेटलमेंट, चाहे एलाटमेंट ऑफ लैंड, चाहे अन्य किस्म के एडिमिन्स्ट्रेशन के मामले हों, उन सब के संबंध में या तो खोलकर बताया गया है या जो प्रस्ताव आए हैं उनसे जाहिर होता है। जो बातें सदन में कही गई हैं अथवा जिनको कटौती प्रस्तावों में शामिल किया गया है लेकिन समय के अभाव में नहीं कहा जा सका है। उनके सम्बन्ध में भी मुझसे जितना सम्भव हो सकेगा, मैं सबको संतोष

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

देने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन जिन मुद्दों पर मैं न बोलूं तो इसका मतलब यह नहीं कि सरकार का उस ओर ध्यान नहीं।

सबसे पहले कन्सोलीडेशन को लेता हूं। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कन्सोलीडेशन के सम्बन्ध में कुछ दिक्कतें बताई; चाहे वह ज़ोन्स का क्लासीफिकेशन हो, चाहे रेट्स हों, चाहे प्रोसीजर हो, चाहे अनियमतिताएं की। वास्तव में भारत सरकार इस कन्सोलीडेशन पर बड़ा जोर देती है और प्लान के अन्दर इसके टार्गेट्स निश्चित किए जाते हैं। उन टार्गेट्स को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरी योजना में हमारे टार्गेट्स जहां कम थे वहां १४ लाख एकड़ पर कन्सोलीडेशन किया। तीसरी योजना में १५ लाख के टार्गेट्स थे लेकिन हमने २५ लाख एकड़ पर कन्सोलीडेशन किया। इस तरह से हमने अब तक ४० लाख एकड़ पर कन्सोलीडेशन किया है। इतने बड़े एरिया में कन्सोलीडेशन के सम्बन्ध में और साथ ही साथ इसका एक वॉलंटरी प्रोसीजर न होने की वजह से और सरकार की तरफ से होने की वजह से कई दिक्कतें इसमें आईं और समय समय पर वे दिक्कतें जो हमारे सामने आईं तो हमने इनको हल करने का प्रयत्न किया। जो कुछ प्रयत्न किया उसके आधार पर हाल ही में हमने सारे नियमों में परिवर्तन किया। उसके अनुसार क्लासीफिकेशन में परिवर्तन किया। जहां पर रेट पहले तीन रुपया, दो रुपया और एक रुपया थी उसके बजाय हमने दो रुपया और डेढ़ रुपया किया।

(५ म. प.)

इस तरह से चार क्लासिफिकेशन्स उस लैंड के फर्टीलाइज्ड, डेज़र्ट, सेमीडेज़र्ट वग़ैरह का की। इससे एक ही मतलब था कि क्लासिफिकेशन दो साल पहले जो था उसमें कई माननीय सदस्यों और खास कर पाली से आने वाले माननीय सदस्य का एतराज था कि एक सी भूमि होते हुए, एक की बढ़िया भूमि होते हुए और एक की कमजोर भूमि होते हुए, उनकी रेट्स में क्लासिफिकेशन एक ही तरह का हो, यह न्याय संगत नहीं है। इसलिए अब यह झगड़ा जिसके बारे में माननीय सदस्य कहा करते हैं वह नहीं रहेगा।

उसके साथ साथ हमको रेट्स को भी रिवाइज़ करना पड़ा। दो रुपया, डेढ़ रुपया, १ रुपया, पचास नये पैसे अब हमने कर दिये। इसलिए रेट्स अधिक हैं अथवा घटिया जमीन पर अधिक रेट हैं, वह प्रश्न भी हमने हल किया। साथ ही साथ वॉलन्टरी बनाने का प्रयास किया है। जब पंचायत समितियों की ओर से इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार प्राप्त न कर ले कि उनके यहां कन्सोलिडेशन होना चाहिये, हम नये हिस्सों में कन्सोलिडेशन नहीं करते हैं, वहीं करते हैं जहां से पंचायत समितियों के प्रस्ताव होते है। कई टुकड़ों को एक जगह लाने में किसान को भी लाभ होता है, पैदावार भी बढ़ती है और कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होती है। इसके बावजूद भी जमीन का मोह ऐसा होता है कि चाहे घटिया जगह हो, वह बदले में जाती है तो दर्द होता है। इसलिए इस स्कीम का और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ के कारण से विरोध होता है, उसको कम करने की कोशिश की है। जहां आदमी का एक ही प्लॉट है उसको कन्सोलिडेशन में

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

न लिया जाय, उसको डिस्टर्ब न किया जाय जिससे चन्द आदमी प्रभावित हो जाते थे उसको रोकने की कोशिश की है। साथ ही साथ यह भी आदेश जारी किये हैं कि जहां पर एक ही आदमी की होल्डिंग बड़ी होने के लिए कई लोगों पर असर पड़ता हो और कुछ लोग अपसेट होते हों और अलग अलग जगहों पर जाना पड़ना हो तो उस बात में भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम असर उन छोटी होल्डिंग्ज़ वालों पर पड़े जो बड़ी होल्डिंग्ज़ में मिलाने से डिस्टर्ब हों।

इन व्यवस्थाओं के लिए माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये कि आज यह कर रहे हैं, पिछला कन्सोलिडेशन जो हो गया उस पर क्या असर पड़ेगा और खास तौर से पाली डिस्ट्रिक्ट में उसका क्या असर पड़ेगा? मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि जोन्स का क्लासिफिकेशन किया, रेट्स और प्रोसीजर को ठीक किया, वह रीज़नेबल और इक्विटेबल और जस्टिस के लिए आवश्यक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब राजस्व मन्त्री यहां इस सदन में उपस्थित हैं...

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): आप लेट आये हैं। यह प्रश्न उठ चुका है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: वह तो हो गया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: यह तो नीति की बात है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री राजस्व): मैं निवेदन कर रहा था कि हम इस बात पर भी विचार करें कि ये जो रेट्स हम लागू करें इसको हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करें, जिससे पुराने जो अनरिकवर्ड एरियर्स हैं उनको हम इस रेट से फोलो करें, जो रकम बने उसका विचार कर रहे हैं जिससे जिनका कन्सोलिडेशन समाप्त हो गया है उन पर अनुकूल असर पड़ेगा और जिनसे ज्यादा रकम ली जाने वाली है, रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने की बात सोच रहे हैं इस कारण, तो उनको भी फायदा मिलेगा। मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस कन्सोलिडेशन के फीस की रिकवरी स्टे कर रखी है। स्टे का मतलब यह है कि यह स्टेच्यूट से लागू नहीं होगी। साथ ही साथ यह फैसला किया है कि जिन पर कन्सोलिडेशन का प्रभाव नहीं पड़ा है उनसे फीस नहीं ली जाय। ये मैंने दो चार मुद्दे उठाये उनको हल करने का जो अब तक प्रयत्न किया गया है वह सदन के सम्मुख रखा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कन्सोलिडेशन फीस भीलवाड़ा में वसूल कर ली है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैं आपके हर पोइन्ट का जवाब देना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैं यह जानकारी करना चाहता हूं ...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं उनकी हर बात का जवाब जो मेरी स्पीच के अन्त में पूछेंगे, जितनी मेरे पास नोलेज और इन्फोर्मेशन होगी उससे उनको संतोष देने की कोशिश करूंगा । इसलिए एक बार मैं बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने दिया जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धन्यवाद ! स्वीकृत है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, कन्सोलिडेशन के बाद सेटलमेन्ट पर आता हूं ।

सेटलमेंट के सम्बन्ध में इस सदन में माननीय सदस्यों ने ज्यादा बातें नहीं कही हैं लेकिन जो कटौती के प्रस्ताव रखे गये हैं उनमें इस ओर संकेत किया गया है इसलिए मैं मुनासिब समझता हूं कि इस बारे में इस सदन में कुछ कहूं । जैसा कि सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान का एरिया स्क्वायर माइल्स में १,३१,००० स्क्वायर माइल्स है । जिस वक्त राजस्थान बना उस समय ६० हजार स्क्वायर माइल्स का एरिया ऐसा था जिसमें सेटलमेंट कभी हुआ ही नहीं था और जहां पर मनमाने ढंग से, कैश में या काइन्ड में, लगान या बांटा लिया जाता और वहां करीब करीब यह टेन्डेन्सी थी कि जब चाहते थे तब टिनेन्ट्स को बे-दखल कर दिया जाता था । राजस्थान बनने के बाद सबसे पहले और सबसे प्रथम सवाल सिक्योरिटी ऑफ टिनेन्ट्स और सिक्योरिटी ऑफ रेन्ट देने का सवाल आया । जो एरिया सैटल्ड नहीं था और जहां रेन्ट का प्रोबलम था वहां पर सेटलमेंट किया और आज इन सत्रह वर्षों के बाद अगर हम राजस्थान के नक्शे की ओर ध्यान लगाते हैं तो हमें मालूम होगा कि सारा राजस्थान आज सैटल्ड है सिवाय जैसलमेर के उन ३४८ गांवों के, जिनका एरिया चार हजार, पांच हजार वर्ग मील के करीब होगा । उसके अलावा बाकी सारा एरिया सैटल्ड हो चुका है । जैसलमेर के कुछ गांव अन्डर ओपरेशन है और ३४८ गांव ऐसे हैं जिनमें अब सेटलमेंट होगा । जिनमें अब सेटलमेन्ट होगा वहां भी समेरी-सैटलमेन्ट के जरिये राहत देने का प्रयत्न किया है । चाहे उसमें गलतियां रही होंगी, चाहे उसमें लाभ या नुकसान हुआ हो, किन्तु प्रयास यह किया गया है कि एक दफा जमीन सैटल्ड हो जाय । ये जितने हमारे गांव हैं जो खालसा एरिया कहलाते हैं, ६० हजार स्क्वायर माइल्स में सैटलमेंट कराने के बाद भी हमारे पास करीब ३०, १७६ स्क्वायर माइल्स का एरिया ऐसा है आज की तारीख में, संवत् २०२१ तक की तारीख में, कि जहां पर सेटलमेन्ट पहले हो गया था, कहीं रिविजन ड्यू था, कहीं सेकन्ड रिविज़न ड्यू था, तो २०,१७६ मील एरिया और ६।। हजार गांव ऐसे हैं जिनमें रिविज़न करना है । पहले बहुत सारी पार्टीज़ थी क्योंकि उनको जागीर एरिया का सैटलमेन्ट समाप्त करना था, किन्तु अब पार्टीज़ की संख्या कम हो गई है और ५ की संख्या रही है । इस साल एक पार्टी बढ़ाई है । इस तरह से ६ पार्टीज़ हो गई हैं । यदि रिविज़न करना ही चाहते हैं तो १५ पार्टीज़ लगायें तो फोर्थ प्लान के एन्ड में इस कार्य को समाप्त कर सकती हैं ।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

यह तो मैंने एक जनरल तस्वीर बतायी। हम आज जो सेंटलमेन्ट करवाने जाते हैं तो हमारा यह व्यू नहीं है कि किसी तरह लगान बढ़ाना है। रेश्नेलाइज़ेशन ऑफ रेन्ट ऑफ लैन्ड्स की कई स्टेप्स होती है; बाकी के सवाल आगे जबाव देने के लिए मैं छोड़ देता हूं, किन्तु यहां इतना ही कहना चाहूंगा कि जो स्टैप्स लिये गये हैं उनमें से यह एक है। रिविज़न कराना चाहिये इस बात की इच्छा न रखते हुए कि रेन्ट ज्यादा बढ़े, यह हमारे दिमाग में नहीं है। रेन्ट बढ़ता है तो इसलिए बढ़ता है कि भूमि सिंचित हो जाती है, नयी भूमि एलॉट हो जाती है। इससे जमीन का मानचित्र, नक्शा स्पष्ट हो जाता है।

एलॉटमेन्ट की कई बार चर्चायें आती हैं। ये भी चर्चायें आती हैं कि एलॉटमेन्ट हो गया, लेकिन पत्थर गड़ी नहीं की गई, कब्जा नहीं किया। दूसरे भी कारण दे सकते हैं, लेकिन एक कारण यह हो सकता है कि पट्टा हो या नहीं मिलता हो। उस काम में दिक्कतें आती हैं।

हम कोशिश कर रहे हैं कि रिवीजन के काम को जल्दी से जल्दी करें। साथ ही साथ हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जहां नक्शे फट गये हैं वहां सबस्टीट्यूट दूसरे दे दें तो झट एलॉटमेन्ट का काम प्रारम्भ हो सकता है।

सैंटलमेन्ट की अनियमितता के बारे में स्पेसिफिक तौरसे मैं कट मोशन्स से जो स्मेल कर पाया हूं वह यह कि इन्द्राज बाप के नाम पर है, चार भाई के नाम पर हैं, लैन्ड रेकॉर्ड के कम्प्लीशन के बारे में और और तरह की अनियमितताओं के बारे में माननीय सदस्य बातें सामने लाये होते तो मैं माननीय सदस्यों को बताता। फिर भी उनकी कठिनाइयों को एन्टीसिपेट करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको हल करने के लिये जल्दी से जल्दी आदेश दे रहे हैं जिससे सैंटलमेन्ट के वक्त रेकॉर्डेड लैन्ड रेकॉर्ड कम्प्लीट और अपटूडेट हो जाय, कब्जे के मुताबिक हो जाय। म्युटेशन की बात लैंड रेकॉर्ड के कम्प्लीशन में आ जाती है। पचास वर्ष के बाद भी सैंटेलमेन्ट हो तो परदादे के नाम पर जमीन है, ऐसी शिकायत नहीं मिले। निश्चित आदेश इस सम्बन्ध में जल्दी ही दे रहे हैं जिससे ये सब कठिनाइयों दूर हो जांयगी।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने लैन्ड रेकॉर्ड की बात करते हुए बेसिक प्रिन्सिपलस के आधार मुद्दे उठाये। डा० धुलेसिंह को कोट किया, प्लानिंग कमीशन के अमीर रजा की रिपोर्ट कोट की। मैंने भी अमीर रजा की रिपोर्ट को देखा। उन्होंने प्रिन्सिपल के ऊपर जो रिपोर्ट में इन्द्रजात थे उनको पढ़कर सुनाये। मिसाल के तौर सबटीनेन्ट को गारन्टी नहीं उसकी जमीन की यह बात प्लानिंग कमीशन ने कही। इसी रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है चूंकि राजस्थान में सबटनन्सी का मिनिमम पीरियड प्रेसक्राइब्ड नहीं है इसीलिये सब लीज लेने वाले वाले व्यक्ति को सिक्योरिटी नहीं। बेसिक जो प्लान है गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के अमीर रजा ने जो बात लिखी है उसमें दो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

तरह के स्कूल ऑफ थोट्स हैं। हम एक स्कूल ऑफ थोट्स में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि सब लीजेज को एनकरेजमेन्ट मिले, टिलर ऑफ दी सोइल काश्त करे सब लीजेज को समाप्त करें, यह बेसिक मुद्दा है। गवर्नमेन्ट विश्वास करती है कि धीरे धीरे सब लीजेज को खत्म कर दें। और धीरे धीरे इस पोजीशन में आ जांय जो आदमी सब लीजेज पर है खुद खेती करता है उस खेती करने वाले के हाथमें जमीन रहे। सब लीजेज के जरिये दूसरे के हाथमें न जाय। इसकी आंशिक तामील हम कर पाये हैं, पूरी तामील भी किसी दिन होगी और जल्दी ही होगी। हम मेग्जीमम पीरियड प्रेस्क्राइब्ब कर रहे हैं, मिनिमम नहीं। हम चाहते हैं कि एक दफा आदमी को सब लीज से जमीन दे दी वह हमेशा के लिये उसके कब्जे में रहे, प्लानिंग कमीशन के ग्राब्जर्वेश का यही मतलब है हम इस ऑब्जर्वेशन में विश्वास नहीं करते। हम मिनिमम पीरियड के बजाय मेग्जीमम रखेंगे, इससे ज्यादा कोई सब लीज नहीं दी जा सकती। ये दो साल के गेप हैं उसको कवर नहीं करते कि The land Should go back to cultivator himself and he should cultivate. तो हम इस विचार धारा के आधार पर यह सारी कार्यवाही कर रहे हैं। हम इस विचारधारा में मजबूत होते हुए भी कार्यरूप में कई जगह कमी न आयी हो यह मैं नहीं मानता, यह मैं मानता हूं कि कानून के होते हुए भी सब टीनेन्सी में अनसर्टेन्टी आई है वह समाप्त हो। यह भी मैं मानता हूं, रेन्ट भी ज्यादा लेते होंगे लेकिन इन बातों के होते हुए बेसिक प्रिन्सिपल सरकार का है वह अच्छा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बेसिक प्रिन्सिपल ही गलत है।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : कहां उल्लंघन हो रहा है, इस समय मैं कहना नहीं चाहता। ये सारे मामले रेवेन्यू लॉज कमीशन के अन्दर चर्चित हो चुके हैं, उसका हल भी सजेस्ट कर रहे हैं जो सदन के सामने आ जायगा। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य के एतराजत का हल भी वह रिपोर्ट आयगी तब उसमें मिलेगा। उसके बाद मैं समझता हूं, गवर्नमेन्ट इस सिद्धान्त को मान चुकी है कि मिनिमम पीरियड नहीं रखना चाहिये, पर्सनल कल्टीवेशन की डेफीनिशन को बदलना है तो बदला जाय। इसमें डिफेक्ट्स जो होंगे उनको दूर करने के लिये कानूनी व्यवस्था की जरूरत होगी तो उसको भी करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह तथ्य है कि नहीं कि डाक्टर धुलेसिंह ने इस फाइव ईयर्स की बात को जिसको आप प्रिन्सिपल मान कर चल रहे हैं उसका पूरा वायोलेशन हुआ है, यह माना है या नहीं ?

श्री रामप्रशाद लड्ढा : डॉ० धुलेसिंह से सरकार की तो तारीफ की है वह भी मैं बताऊंगा........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब टीनेन्सी के लिये गवर्नमेन्ट की पालिसी है। कि मेग्जीमम पीरियड फिक्स किया जाय मेग्जीमम पीरियड में इजेक्टमेन्ट की व्यवस्था की है, लेकिन टीनन्ट इन चीफ के फेवर में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

निर्णय हो रहे हैं। मग्जीमम पीरियड के फिक्स करने के बाद भी इजेक्टमेन्ट हो जाता है ट्रेसपासर हो जाता है तो इस प्रकार के कानून को प्रगतिशील कानून नहीं कह सकते।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस रिपोर्ट के मैं डिटेल्स आपको सुनाना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसको आफ क्रोप शिअरिंग बोलते हैं, जिसका हवाला आपने दिया कि क्रोप शिअरिंग हम बन्द करना चाहते हैं। पर्सनल कल्टीवेशन की डेफीनिशन में जो हायर वाली चीज है वह नहीं आये। खातेदार है उसको भी जमीन पर खेती करना होगा और अगर नहीं करता है अमुक पीरियड तक तो उसके बाद में जमीन पर उसका अधिकार नहीं होगा। इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। समय आने पर इसकी चर्चा होगी। डिफरेन्ट बिल आपके सामने आयगा उस पर चर्चा होगी आपके विचार जाने जायेंगे उसके बाद में पारित होगा उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मौजूदा कानून में क्या स्थिति पैदा है, आपने शेयर क्रोपिंग बन्द करने की कोशिश की थी लेकिन शेयर क्रोपिंग जारी है। यहां तक कि ७५ प्रतिशत तक देना पड़ता है। सब टीनेन्ट है उन सब टीनेन्ट्स को ६६ परसेन्ट ७५ परसेन्ट तक शेयर क्रोपिंग हो गया है। मौजूदा कानून का क्या नतीजा हुआ, आप इसको बन्द नहीं कराना चाहते। कागजात में बन्द करने से क्या होता है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यहां कोई कॉम्युनिज्म है नहीं, जो एक दिन में कर डालें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इस तरह से प्रोब्लम को साइड ट्रेक कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस कानून की अवज्ञा होती है, तो कानून में जो सजा लिखी हुई है उसको देने की कार्यवाही की जा सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : प्रेजेन्ट लॉ का इम्पेक्ट यह है कि सब टीनेन्सी बढ़ रही है, एक्स्प्लोइटेशन हो रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रेजेन्ट लॉ का इम्पेकट अभी बताता हूं।

एक पोइन्ट यह कहा। दूसरा पोइन्ट यह बताया था कि सेक्शन १५ और १६ के अन्दर जो बेनिफिट्स किसान को मिलने चाहिये इस कानून के अन्तर्गत वे नहीं मिले। बल्कि आपने यह बात बतलाई कि जिस से कि जो फायदा मिलना चाहिये वह तो नहीं मिला, पर जो कुछ जैसी पोजीशन में वे थे उससे भी बदतर पोजीशन में वे चले गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I did not say this मैंने कहा, फायदा मिला है, पर जिस एक्सटेन्ट तक आप बताते हैं, उस एक्सटेन्ट तक नहीं मिला पहले के खातेदार थे उनको।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी बताया नहीं एक्सटेन्ट कि सेन्ट पर सेन्ट मिले । यह कोशिश की है कि जो प्रावधान है, जो फायदा उनसे मिला है वह भी बता दूं आप जो बार-बार इजेक्टमेन्ट की बात कहते हैं, स्टेण्डर्ड बहुत गिरा है, अधिकार नहीं मिले, इसके बारे में यहां आपको कुछ कोटेशन्स, जिस रिपोर्ट को आपने साइट किया है, उसी के बारे में बतलाता हूं । पहले मैं प्लानिंग कमीशन वाली बात पर ही आ जाता हूं । संक्षेप में बताना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने ऊपर की बात का वर्णन करते हुए कहा है

"The entire process of change and adjustment in Rajasthan can be best described as a kind of socio-economic revolution."

(हियर हियर)

और एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं, आपको चाहे वह अच्छी न भी लगे । फिर बहुत सी बातें कहते हुए कहा है :

It can be safely regarded as one of the most progressive tenancy Acts in the country.

और जिन बेदखलियों की बात कहते हो सारे हिन्दुस्तान के अन्दर टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स जैसा कानून पास किसी सरकार ने नहीं किया सिवाय राजस्थान के और उसके लिये भी प्लानिंग कमीशन कहता है :

"The Rajasthan Protection of Tenants ordinance, 1949 was one of the most remarkable piece of legislation that granted the timely relief to the large masses of peasantry who were the tenants at will."

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : That shows the magnitude of corruption of the Government.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : और उन्होंने यह भी कहा है "Majority of tenants have reaped the benefits of the land reforms."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) ; Do you accept it as a whole ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I don't want to describe......

श्री सतीसचन्द्र अग्रवाल : Do you realise the weakness of your law ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं भी उसके पोइन्ट्स से इन्कार नहीं करता । पर do you realise......

श्री रामानन्द अग्रवाल : Do you accept those as figcs ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खामियां रह गई हों तो उनको डिफेन्ड करने को खड़ा नहीं हुआ हूं ।

श्री रामानन्द्र अग्रवाल : Do you accept ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हवाला दिया । आपने हवाला दिया । आपने जिस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आर. पी. डी. ओ. का हवाला दिया ४६ में बनाया उसमें किसी को इजेक्टमेन्ट नहीं किया जा सकता था और न किया गया; पर आपने ५५ में बनाया उसके १८० में आपने रख दिया कि आर. पी. डी. ओ. में जो इजेक्ट नहीं हो सकता था वह इसमें हो सकता है। महाराज मानसिंह ने बनाया, उसमें इजेक्टमेन्ट नहीं हो सकता था, पर आपने ५५ में बनाया उसमें इजेक्टमेन्ट हो सकता है। मैं यह कह कर कोई मानसिंहजी की तारीफ नहीं कर रहा हूं और यह भी नहीं कह रहा हूं कि आपका कोई प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन नहीं हुआ। पर आपके इस प्रोग्रेसिव कहे जाने वाले कानून के लिये कहता हूं कि जो ४६ में कानून बना उसमें इजेक्टमेन्ट नहीं हो सकता, पर ५५ के आपके प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन में इजेक्टमेंट हो सकता है।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : मैं तो यह बताना चाहता था कि आप तो कानून के बहुत सम्पर्क में रहते हैं इसलिये आपको अधिक जानकारी हो सकती है इसलिये कुछ मुद्दों पर आप अधिक कह सकते हैं। लेकिन बाहर की एक निष्पक्ष एजेन्सी जिसने गांव गांव में दूर करके जितने गांवों का दूर किया और देखा उसके आधार पर जो अपना इम्प्रेशन बनाया वह मैं आपके सामने रख रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी में तो क्या रखा है?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप तो यह बता दीजिये कि डॉक्टर धूलसिंह की रिपोर्ट गवर्नमेन्ट एक्सेप्ट करती है क्या? या केवल इसी पेरेग्राफ की बात कहते हैं?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : रिपोर्ट एक्सेप्ट करने का सवाल नहीं है; एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का भी सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो जो कुछ वर्णन उसका है उसको गवर्नमेन्ट एक्सेप्ट करती है क्या?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : यदि सरकार के लेजिस्लेशन के सम्बन्ध में और उसके इम्प्लीमेन्टेशन के सम्बन्ध में खामियां बताई हैं तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम अगर उनको उचित समझते हों तो निकालने की और सुधारने की कोशिश करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : You have not said even a single word?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : जो पढ़ रहा हूं उसमें जो खामियां बताई गई होंगी, उनको हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। अब हमारे हर एक्शन को, कानून को, हर स्टेप को सेन्ट परसेन्ट बहुत बढ़िया मान लिया हो, यह मेरा दावा नहीं है। पर जो माना है वह तो बताना मेरा फर्ज है। एक आखिरी पेराग्राफ पढ़ कर और बताना चाहता हूं।

"To conclude we would like to highlight some of the findings of the study. Feudalism and Lanalord-

Page No 152

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ism are now the things of the past. The tenants have immensely benefitted from the land reforms. On the whole Jagirdars and Khatedars have also benefitted from the land reforms. Rural community as a whole has made substantial gains."

(हियर हियर)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहूंगा, उपाध्यक्षजी...

(शोरगुल)

देखिये, सिर्फ डिबेट की बात नहीं है। It is not a question of one point हम इस दृष्टिकोण से नहीं कहते। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जो मैंने कोटेशन्स दिये हैं उनके बारे में आपको क्या कहना है? गवर्नमेंट उस क्रिटिसिज्म को क्या मानती है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हो चुकी है, हम सब तो चुप-चाप बैठे हैं और अपने अपने पोइन्ट्स नोट कर रहे हैं, पर यहां यह क्या बातचीत शुरू हो रही है? हम तो रह गये डिफॉल्ट में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को निवेदन किया जा चुका है कि आपसी बात की तरह से डिबेट को रिड्यूस करने का प्रयत्न न करें। ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर या ओन/ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, अगर कोई आवश्यकता पड़े तो उठाये जायें। पर इसके अलावा इस प्रकार की बात करने से जो अन्य माननीय सदस्य तथ्यों को सुनना जानना चाहते हैं, उन्हें तथ्य नहीं मिल सकेंगे। यहां पर्सनल बात का मौका तो है नहीं। यह तो सारे स्टेट का लेखा-जोखा है जो सारे सदन के सामने प्रस्तुत किया जाने को है और सारे सदन के सोचने की बात है। इसलिए यह परम्परा है कि जहां तक हो सके वार्तालाप के रूप में इनको न लाया जाकर एक डिबेट हो जावे, इसके पश्चात् अगर कोई क्लैरिफिकेशन किन्हीं पोइन्ट्स का करवाना हो तो वे उठा लिये जावें। इससे समय की बचत भी होती है और दूसरी बातें भी सबकी सामने आ सकती हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सही करना चाहता हूं कि जो मैंने पढ़ कर कोटेशन्स सुनाये थे वे डॉक्टर धूलसिंह की रिपोर्ट के सुनाये थे, प्लानिंग कमीशन के नहीं हैं वे। यह मैं दुरुस्त करना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I think it is......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : और श्री अमीर रजा ने भी इसके बारे में कहा है। मैं ज्यादा एक्सट्रेक्ट्स पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन सारे डिफेक्ट्स को मेन्शन करते हुए उन्होंने कहा है :

"Inspite of those difficulties, land reforms have been carried out with

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

considerable success. The legislation on the subject was sound in conception and carefully considered in details."

यह लेजिस्लेशन के बारे में है। मैं इसके सारे एक्सट्रेक्ट्स पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता हूं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता था...

श्री रामानन्द अग्रवाल : पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर, मैं आपकी मार्फत मंत्री-जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि न तो मेरा यह कहना है कि लैण्ड रिफॉर्म्स के जरिये कोई अच्छाई नहीं हुई है, न यह मेरा कहना है कि राजस्थान के टीनेन्ट्स को फायदा नहीं पहुंचा है। यह मेरा कन्टेन्शन कभी नहीं रहा। मैंने कुछ वीकनेसेज़, जो कि मौजूदा कानून में कुछ वेसिक रहा, कुछ उसके इम्प्लीमेन्टेशन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया भी चिंतित है, उसकी तरफ संकेत किया। उसके मुकाबिले में कानून सैटलमेंट रोक कर उसको काउन्टर-बेलेन्स करने की कोशिश करने के बजाय गवर्नमेंट की उन वीकनेसेज़ के बारे में क्या राय है? गवर्नमेंट चिंतित है उसको ठीक करने के लिए। उस वीकनेस को मानते हैं या नहीं, ऐसा जवाब दें तो हमें भी फायदा मिले वर्ना बहुत अच्छी अच्छी बातें तो और भी मिल जायेंगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो पोइन्ट आपने रेज किया और जो सब-लीज के बारे में हमारे विचार थे वे मैंने आपके सामने रखे और रिपोर्ट में फिक्सिटी ऑफ टेन्योर की बात करते थे और जिसकी बात आपने भी कोट की, उस पर ही कह रहा था कि फिक्सिटी ऑफ टेन्योर है। अब मैं इसके ज्यादा एक्सट्रेक्ट्स नहीं सुनाना चाहता हूं। बाकी तो कई पेजेज़ हैं।

यहां पर इसी बहस के सिलसिले में दूसरा पोइन्ट यह उठाया कि सेक्शन १५ और सेक्शन १६ के तहत बेनिफिट नहीं मिला और कोटा और जयपुर के कुछ फीगर्स देते हुए यह बताने की कोशिश की कि जो काश्तकार सब-टीनेन्ट्स थे वे बैड टू वर्स हो गए। अब मैं आपको इसके कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। पहले मैं सेक्शन १५ ऑफ दी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के बारे में बताऊंगा। १ लाख ५० हजार ३१६ आदमी एलीजिबल थे खातेदारी के-ये १०-१२ डिस्ट्रिक्ट्स के फीगर्स हैं। जो केसेज़ डिसाइड हुए हैं उनके बारे में बताता हूं :

"cases decided and persons conferred khatedari rights under Sec. 16"

५ लाख २० हजार ८६ आदमियों को खातेदारी के राइट्स मिले और कितने एरिया में मिले, उसके लिए है ४६ लाख ८६ हजार ८२३ एकड़ भूमि में उनको दफा १५ के तहत खातेदारी के अधिकार मिले हैं। इसी तरह से दफा १६ के तहत ६ लाख ६४ हजार १६५ एकड़ में १ लाख २६ हजार ४६० आदमियों को खातेदारी के अधिकार सेक्शन १६ के तहत मिले हैं। ये दो खातेदारी के फीगर्स इसलिए बता रहा हूं कि यह तो सेक्शन १५ के तहत फाइलें बना

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कर जो अधिकार दिये जाते हैं उनकी मीमांसा बताई और यह भी आंकड़े हैं कि कितने हजार केसेज़ हुए और कितने कुल डिस्पोज़ल हुए...

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुल कितनी जमीन में से है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जमीन तो राजस्थान में कितनी है। आप जानते हैं और उसमें से कितनी कल्टीवेटर्स के पास है और कितनी जागीरदारों के पास है, ये फीगर्स अलग अलग मेरे पास नहीं हैं। साथ ही साथ यह भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं कि ये आंकड़े जो ४१ लाख एकड़ के हैं और ८ लाख एकड़ के सेक्शन १६ के हैं, ये आंकड़े भी अगर कम लगते हैं तो इसका कारण है और वह कारण यह है कि जब १६५५ के बाद सैटलमेंट का प्रोसेस हुआ तो सैटलमेंट ऑपरेशन्स के जरिये बहुत से लोग वैसे ही खातेदार दर्ज हो गये। इसलिए अलग से सेक्शन १५ और सेक्शन १६ की प्रोसीडिंग्ज़ चलाने का सवाल नहीं आया। इसलिए इन फीगर्स को केवल इसी आधार पर लेकर यह कहना कि जितनों को मिलने चाहिए उतनों को नहीं मिले, गलत है। कोटा डिस्ट्रिक्ट का भी यही मामला है। यह कोटा स्टेट सारी की सारी सैटलमेंट के रिवीज़न में चली गई। इसलिए बहुत से आदमी खातेदारी सैटलमेंट के जरिए, रिवीज़न के जरिये हो गए। इसलिए अलग प्रोसीडिंग्ज़ चलाने का सवाल नहीं था। तो ये मैंने सेक्शन १५ और सेक्शन १६ के कुछ आंकड़े आपकी सेवा में प्रस्तुत किये और करीब ४१ लाख एकड़ जमीन का सेक्शन १५ के तहत लाभ है और ८ लाख एकड़ जमीन का सेक्शन १६ के तहत लाभ है और इसका टोटल मिल कर होता है-४६-५० लाख एकड़ जमीन के ऊपर अगर उनको टीनेन्सी एक्ट की वजह से फायदा है-चाहे आपके निगाह में कम हो, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि किसानों को फायदा नहीं मिला है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान कैनाल में कितनों को फायदा मिला ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका नम्बर तो सबके आखिर में आयेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ३२६ लाख टोटल एकड़ में से आपकी फीगर ५० लाख ही है। आउट ऑफ ३२६ लाख एकड़ ५० लाख एकड़ में ही फायदा मिला है। और यह बात भी सही है कि इतने ही बीघा जमीन जागीरदारों के पास छोड़ी आपने ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह भी बात आपकी सही है कि खुदकाश्त में हमने जागीरदारों को जमीनें दी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इतनी ही छोड़ी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इतनी नहीं छोड़ी। यह बात सही है और १०-११ लाख एकड़ जमीन खुदकाश्त पर्पज़ के लिए जो इन्टरमीजियरीज़ के कानून हैं उसके तहत हमने उनको अलॉट की। उसके अलावा उनके पास जमीन थी जिसको वह काश्त कराते हैं, खुदकाश्त की वह भी थी और

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

दोनों मिल कर इतनी जमीन हो जाती है ४० लाख एकड़ के करीब एरिया। यह फैक्ट की बात है और इन जागीरदारों के पास, चाहे सरकार के खुदकाश्त से अलॉट की हो, चाहे उन्होंने रिटेन की हो; करीब ४० लाख एकड़ जमीन उनके पास है।....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके कहने के अनुसार जितनी जमीन पर आपने खातेदारी राइट्स दिये उतनी ही जमीन जागीरदारों पर खुदकाश्त के लिए पहले से रह गई या अलॉट करके दे दी ? दोनों पलड़े बराबर हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टीनेन्ट्स ऑर्डिनेन्स प्रोटेक्शन निकलने के बाद किसी के बेदखली का सवाल नहीं है और सेक्शन १५ के तहत और सेक्शन १६ के तहत जिनको खातेदारी के अधिकार थे वे कन्फर हो गए, म्यूटेशन हो गए। बहुत से मामलों में म्यूटेशन नहीं हुए तो भी Rights conferred cannot be taken even though mutation has not taken place. इस वजह से किसान को कहीं नुकसान नहीं हुआ। खुदकाश्त के लिए जमीन दी, जो जमीन हमको रिज़म्पशन में मिली पड़त ज़मीन, उसमें से जहां जहां गुंजाइश थी उसमें से दी। किसी की छीन कर नहीं दी। या तो जो उनके पास थी वह रह गई या जो हमारे पास खाली थी उसमें से दी। सारे अवार्ड्स और कानून की दृष्टि से हम उनको भूमिहीन बनाकर नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वह भी आवश्यक था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ६–६ लाख रुपये एक एक जागीरदार को रीहेबिलिटेशन के दिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने केवल जो एग्ज़िस्टिंग लैण्ड होल्डर्स थे उनको ही खातेदारी के अधिकार देकर इस सारी समस्या का हल अपने दिमाग में समझ लिया हो, वह बात नहीं है। हमने इसके बाद भी, आपने देखा होगा कि किसानों की भूख जमीन के लिए जागृत हो गई और वह बहुत ज्यादा जागृत हो गई। यह भूख इस प्रजातन्त्रीय हुकूमत ने आप लोगों के सहयोग से जनता में जागृति पैदा करके पैदा की है और उस भूख को शान्त करने की दृष्टि से १५ लाख एकड़ इन वर्षों में हमने लैण्ड लैस टीनेन्ट्स को दी है। इस १५ लाख एकड़ जमीन देने के अलावा भाखरा में ५,२३,००० एकड़ जमीन एलॉट की है। इसके अलावा गंग कैनाल एरिया में इन दो सालो में ७५ हजार बीघा जमीन एलॉट की है। इसी तरह से चम्बल के अन्दर ५६ हजार बीघा जमीन एलॉट की है, और दूसरी कोलोनीज़ जो कि घोषित हुई हैं, उनके तहत जमीन का एलॉटमेंट करने का प्रश्न अलग से है, जिसके आंकड़े मैं अभी नहीं दे सकता। इस तरह से मुतवातिर, कन्टीन्यूअस प्रोसेस में, जो जमीन कभी किसी को एलॉट नहीं होती है नज़राने के बिना उसको कई कन्टीन्यूअस प्रोसेस में एलॉटमेंट करते हुए, इतनी जमीनों का एलॉटमेंट किया गया है।

आज हम जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एलॉटमेंट की भूख बढ़ी है, उपाध्यक्ष महो-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

दय, इसलिए इतनी जमीनों के एलॉटमेंट के लिए लैण्ड लैस टीनेन्ट्स के आंकड़ों की तरफ हम जाते हैं तो आज राजस्थान में इतनी जमीन एलाॅट करने के बाद भी २,४४,००० और भूमिहीन हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ओन ए पोइंट ऑफ इन्फोर्मेशन, यह जो ७६ हजार बीघा गंगनहर में आपने एलाॅट की है यह पर्मानेन्ट की है या टेम्पोरेरी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं टेम्पोरेरी का नहीं कह रहा हूं। पर्मानेन्ट का कह रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो आपने क्या दी है ? रियासतों के जमाने में भी टेम्पोरेरी कल्टीवेशन का एलाॅटमेंट होता था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पर्मानेन्टली एलाॅट की है, यह कह रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह गलत है। यह कितने वर्ष में की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो वर्षों में की है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एलाॅटमेंट तो आपका ५६ से चालू है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ५६ से पहले एलाॅटमेंट नहीं हुआ था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ५६ से चालू हैं, पांच वर्ष हो गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो मेरे पास फीगर्स हैं वे मैं बता रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ६२-६३ में कर दिये हैं या ५६ में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके आंकड़े तो हैं नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ५६ से लेकर ६३ तक ७६ हजार एकड़ एलाॅट हुई थी या १६५२ से की है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : कोटा और बूंदी के लिए........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, there is already a point of clarification.

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि कोटा और बूंदी जिले के अन्दर जो जमीनें चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में आती हैं और चम्बल और मंढ़ी नदी के किनारे जो खड्ड और उबड़-खाबड़ जमीनें हैं........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका नम्बर है मेरे बोलने में।

तो, माननीय उपाध्यक्ष, केवल हम एलाॅटमेंट से ही सन्तुष्ट नहीं हुए हैं। भूख इतनी जागृत हो गई थी कि नाजायज कब्जा भी किसानों ने करना शुरू कर दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसका आपने एलॉटमेंट किया तो क्या धरती पर काश्त की जो कि बेकार पड़ी हुई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नाजायज़ कब्जे से सरकार यदि चाहती तो उनको बेदखल कर सकती थी, लेकिन सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया कि चूंकि इनके पास जमीन कम है अथवा बिल्कुल कम है अथवा बिल्कुल नहीं है, इन्होंने जमीन पर नाजायज़ कब्जा भी कर लिया है तो भी एक हद तक इसको रेग्युलराज़ कर दिया जाय। हमने १-६-६२ को एक सर्क्यूलर निकाला जिसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके एचीवमेंट जरूर पेश करना चाहता हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह नहीं है। पूरे चम्बल एरिया में........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चम्बल में ऐसा नहीं हुआ है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : चम्बल के बाहर भी नहीं हुआ है। उसके पहले ही पैनल्टी कायम कर दी थी और जब तक वह नहीं ली तब तक रेग्युलराइजेशन नहीं किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके मैं फीगर्स दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वहां पर १५–१५ गुना तावान वसूल किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार पोइन्ट ऑफ आॅर्डर और पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन कह कर कोई बात कही जाती है तो बात कुछ व्यवस्थित रूप से आती है और उसका जवाब हो सकता है। अब ३–४ माननीय सदस्य उठते हैं और वार्तालाप के तरीके से पूछना शुरू करते हैं तो किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। मैं स्वयं कह सकता हूं कि मैं यहां बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरे पल्ले कोई चीज नहीं पड़ सकी है। अगर जरूरी पूछना चाहते हैं, इन्टरप्शन्स हों, तो एक हद तक एक तरीके से ही होना चाहिए, जिससे भाषण भी चालू रहे और उस चीज का स्पष्टीकरण भी हो तो वह सबके सामने आ जाये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष, तो मैं यह बता रहा था कि मेरे पास एक साल के आंकड़ें हैं। १–६-६२ को सर्क्यूलर निकला तो उसके बाद अगस्त, १९६२ तक मैं इतना सा बताना चाहता हूं कि १,५५,६२५ दर्ख्वास्तें रेग्युलराइजेशन के लिए आईं, उसमें से कितनी दर्ख्वास्तों पर हल निकला, यह संख्या मेरे पास नहीं है, लेकिन ४,८४,८६६ एकड़ रकबे को रेग्युलराइज़ किया गया इस एक साल के दरम्यान में। अगस्त, ६२ के बाद आज तक जो रेग्युलराइज़ हुआ होगा वह अलग है। तो इस तरह से इस अर्से में रेग्युलराइजेशन का सर्क्युलर का फायदा भी करीब करीब ५ लाख एकड़ जमीन को रेग्युलराइज करने के सिलसिले में एक साल के अन्दर मिला, और यह डेढ़-दो साल और निकल गये हैं। इनके फीगर्स आने पर पता लगेगा कि कितना और अधिक लाभ मिला है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : पोइन्ट ऑफ इन्फो र्मेशन, ...

Page No 158

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं आपके पोइन्ट को समझ रहा हूं, वह मैं बता दूंगा।

चम्बल के पोइन्ट के बारे में माननीय सदस्य ने कहा। यह बात ठीक है कि कुछ दिनों तक रेग्युलराइजेशन का, कार्य जो चम्बल कमाण्ड में १-९-६२ के सर्क्युलर के तहत होना चाहिए था जिसके लिए कि अलग से सर्क्युलर था, लेकिन वह बन्द रहा कुछ समय के लिए। उसके बन्द करने की वजह यह थी कि चम्बल कमाण्ड के अन्दर कुछ समय के लिए लैण्ड की बिक्री भी बन्द कर दी थी तो वहां के ऑफिसर्स ने यह सोचा कि रेग्युलराइजेशन भी बिक्री की तारीफ में आता है। कमाण्ड में कुछ पैसे भी लगे थे इसलिए उन्होंने बन्द कर दिया। जब माननीय सदस्य के द्वारा और दूसरे तरीकों से हमारे नोटिस में यह बात आई तो हमने यह आदेश दे दिया कि उनको रेग्युलराइजेशन बन्द करने के लिए नहीं कहा था, वह आप करें, बल्कि डिसीजन हम बिक्री का भी ले चुके हैं। इसलिए जो माननीय सदस्य ने चम्बल कमाण्ड के बारे में समस्याएं रखी हैं वे अब तक हल नहीं हो पाई थीं, लेकिन अब हल हो जायेंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया वह उचित है, लेकिन आपने निर्णय से पहले जो बंजर जमीन चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में कोलोनाइजेशन विभाग ने भूमि का ६० से २५० रु० बीघा के हिसाब से तावान करके जो चौथान जमा कर रखी है, कम से कम पाटन तहसील में १०,००० किसान ऐसे हैं जिनके बारे में कोलोनाइजेशन विभाग कार्यवाही कर रहा है। वह प्रोजेक्ट एरिया में शामिल है, लेकिन वहां पर दरारें हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, यह सवाल आपने शायद मुझे हल्का सा याद है, पूछा है। उसके ऊपर मैंने रिपोर्ट मांगी है कोटा और बूंदी से, वह नहीं आई है, लेकिन यह सारा मामला उसमें कवर्ड है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य जो एतराज उठाना चाहते थे उसको मैं सूंघ पाया हूं। जो रियायतें राजस्थान के दूसरे हिस्सों को दी गई हैं वे अलवर और भरतपुर में क्यों नहीं दी गई; लेकिन सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला किया था उस समय अलवर और भरतपुर में जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष, सभी जानते हैं कि लैण्ड पर बहुत प्रेशर है और प्रेशर होने की वजह से दूसरी तरफ हमने सुना कि सदस्यगण और जनता यह मांग कर रही है कि चरागाह छोड़ें जायें, तो हमने यह फैसला किया कि जब तक चरागाहों के सम्बन्ध में डिस्प्यूट फाइनेलाइज न हो जाये तब तक रेग्लयुराइजेशन के सर्क्युलर को वहां पर लागू नहीं किया जाय। इसलिए अलवर डिस्ट्रिक्ट में अवैध कब्जा करने वाले लोग, मुमकिन है कि इस लाभ से वंचित रह गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिन तहसीलों में सेटलमेंट नहीं हैं उनमें फिर क्या दिक्कत हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक से अधिक बार मैं निवेदन कर चुका हूं कि किस मामले

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पर किस स्टेज पर लिया गया, क्योंकि इसमें निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मैं यह बता दूं कि जिस वक्त अलवर, भरतपुर और सीकर, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स का फैसला किया था तब गवर्नमेंट के दिमाग में यह बात थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने ७६ हजार एकड़ का नाम लिया गंगानगर में कि वह एलॉट की है या सेल की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Allotment by auction or allotment by reserved price; both are allotments.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सेल ऑफ लैण्ड ओन १० इन्स्टालमेंट्स को भी एलॉटमेंट कहते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां तो पैसे से दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पैसे से दिया है तो आपने इनायत-करम नहीं किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भाखरा में क्या ५,२३,००० एकड़ मुफ्त में मिली है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भाखरा में १५ किश्तों में ली है तो जमीन आपने बेची है। गंगासिंह ने भी जमीन बेची थी तो इसमें क्या इनायत-करम किया है आपने ? उसने तो २४ किश्तों में बेची थी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं ब्रीफ में कुछ और मुद्दों पर निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर सीलिंग के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये थे कई माननीय सदस्यों की ओर से और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य की ओर से, मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर बहुत दृढ़ थी और लागू करने की कोशिश भी की, लेकिन लागू करने के बाद मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चले गये और स्टे हो गया, इसलिये कार्य रूप में परिणत नहीं कर सके। उस वक्त हमने १५० एकड़ से ऊपर के स्लेब पर सीलिंग जारी किया था और यह कहा था कि बाकी को हल्के-हल्के करेंगे, लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में काफी समय निकल गया इसलिये सरकार ने यह फैसला किया है कि कोई स्लेब नहीं होगी, चाहे ५० एकड़ से नीचे हो, चाहे १५० एकड़ से नीचे हों; सबको एक ही सीलिंग के तहत लाया जायगा और उसके लिये जो अपोइन्टेड डेट है वह १ अप्रेल, १९६५ अपोइन्ट करदी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : खाते कब तक मान लिये हैं ? मैंने सुना है १ अप्रेल, ६५ तक को रेग्युलेराइज़ कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यदि माननीय सदस्य कानून की दृष्टि से सक्यूंलर या नोटिफिकेशन को पढ़ते तो गलतफहमी नहीं रहती। उसमें २५ अक्टूबर, ५६, ९ दिसम्बर ५९, १४ मार्च, ६४ और १ तारीख लिखी है पहली अप्रेल...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पहली अप्रेल लिखी है...

Page No 160

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानूनी मामला है उस दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो शंका नहीं होगी । २५-१०-५८ को जो स्थिति थी उसके बाद कोई ट्रान्सफर यदि कानून के खिलाफ हुआ है, पार्टिशन हुआ है लैंडलैस पर असर पड़ता है, तो रिकोग्नाइज़ नहीं होगा । हमने ६ दिसम्बर इसलिये रखी है कि पार्टिशन के अलावा बाकी का रिकॉग्निशन नहीं करेंगे । १४ मार्च इसलिये रखा कि अपोइन्टेड था और फर्स्ट अप्रेल इसलिये था कि इस डेट से ६ महीने होंगे वर्ना विदिन विच डिक्लेरेशन सब्मिट करना है, इसलिये कानून की मंशा में यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि पुरानों को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और फर्स्ट अप्रेल को जिसका कब्जा था उसे सीलिंग में मान लेंगे, यह मंशा नहीं है । जिन्होंने गलत तरीके से जमीन बेची है या और बातें हैं कानून की मंशा स्पष्ट दी है, नियमों को किस तरह से एग्ज़ीक्यूट किया जायगा, वह स्पष्ट दिया है, उसके अनुसार करेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : So first April is going to be the historical date in Rajasthan so as to give a name of Ist April fool.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह उस विचारधारा वाले लोग कह सकते हैं जो सोशियल जस्टिस में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो सोशियल जस्टिस में विश्वास करते हैं वे किसी मान्यता को, चाहे वह बेवकूफी की हो या समझदारी की हो, फर्क नहीं समझते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : you will be a red fool and not a white fool.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर एक-दो बातों के बारे में ज़िक्र किया गया, उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा । एक सवाल जो खास तौर से कहा तो नहीं गया लेकिन कुछ कट मोशन्स में संकेत मिलता है और बजट स्पीच पर भी जब बहस हुई तब कई माननीय सदस्यों ने उठाया था, उस प्रश्न के बारे में और जिस आमदनी का फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने २० लाख का जिक्र किया था, बजट भाषण में बताया था, उस सिलसिले में कई माननीय सदस्यों को गलतफहमी है कि आखिर यह २० लाख का टैक्स कूओं पर क्यों लगाया जा रहा है, मैं उसका बैक ग्राउन्ड बताना चाहता हूं । हम किस कूए पर किस तरह से टैक्स वसूल करना चाहते है, आया उससे किसान को फायदा है, आया वह इसको बून समझेगा, सब झगड़ों की समाप्ति समझेगा या यह समझेगा कि सरकार ने कमर तोड़ने को लगाया है । इसके लिये मैं बताना चाहता हूं कि हमने गिनती करवाई है, उसमें एक लाख कूओं के फीगर्स हैं । मेरी अपनी मान्यता है कि कूए इसके अलावा और हैं, किसी पर्टिकुलर तरीके के कूए शायद इसमें शरीक नहीं हुए हों, लेकिन कूएं जो पानी पीने के हैं उनको छोड़ दिया । वे खेतों की सिंचाई के काम में आते हैं उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । राजस्थान में बहुत से कूए जागीरदारों ने बनवाये, बहुत से कूए किसानों ने बनाये, लेकिन जब जागीरें रिज्यूम हुई तब वे सब कूए मकबूजा रहने की वजह से सरकार में

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

वेस्ट (vest) हुए और अब वे सरकार के कूए हो गये । कानून की मंशा के मुताबिक किसान उनसे पानी लेते हैं, । इसको इन्कार नहीं करते, लेकिन कई जगह किसान पानी लेते हैं तो उनको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जिसको कुछ अर्से पहले हमने बंद कर दिया । इस तरह के भी कूए हैं जो जागीरदार की खुद की जमीन पर या किसान की जमीन पर, मकबूजा जमीन पर नहीं बनाकर जो गवर्नमेन्ट की अनऑक्युपाइड जमीन थी, खेत के पास में सरकार की जमीन थी, उस पर कूए खोद लिये बिना परमिशन लिये हुए या बिना जमीन लिये । तीसरी किस्म वह है कि जिसमें कूए किसान ने खुद ने बनाये हैं, ऐसा आम तौर पर कहा जाता है; लेकिन सेटलमेन्ट पिछला हुआ तब वे कूए सिवाय चक में दर्ज हो गये और किसी ने उजरदारी नहीं की । दूसरी बार रिवीज़न हुआ तब भी किसी ने उजरदारी नहीं की, फिर भी सिवाय चक में दर्ज हो गये । वे आज सिवाय चक में होने से गवर्नमेन्ट के कुए हैं । लेकिन गवर्नमेन्ट महसूस करती है कि किसानों के खेतों पर उन कूओं से पानी जाता है । गवर्नमेन्ट यह भी महसूस करती है कि अपनी जमीन पर न बना कर पास की जमीन पर बना दिये थे तो उनको आज इजेक्ट नहीं करना चाहते, उन कूओं को हम मिट्टी से नहीं भरवाना चाहते हैं । इस तरह के सैकड़ों, हजारों कूए सिवाय चकों में चल रहे हैं और एक बार नहीं, दो बार सेटलमेन्ट होने पर भी किसानों ने उजरदारी नहीं की जिससे कि उनको रेक्टिफाइ किया जाता इसलिये ये मकबूजा जमीन पर, सिवाय चक में सरकार के बन गये, लेकिन किसानों के खेत में पानी जाता है, इसलिये सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे कूओं की छान बीन करके किसान के खेत में बापी दर्ज कर दिया जाय । आज हम रेग्युलराइज़ करते हैं तो ५) रु. पट्टा फीस लेते हैं, किसी को एलॉट-मेन्ट करते हैं तो ५)रु. फीस लेकर करते है, इसलिये जिन कूओं का कानून की दृष्टि से तखमीना बनाने वाले हैं, ९ करोड़ के कूए हैं, यह तखमीना बनाने वालेकहते हैं वे हम किसानों के हक में दर्ज करना चाहते हैं और उसके लिये २५) या ३०) रु. रख दिये जिससे हमेशा की लड़ाई खत्म होगई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया । हमने किसानों के साथ भला किया है, उनके हकूकों को रेस्टोर करने की कोशिश की है; इसलिये इस सम्बन्ध में...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बिना फीस लिये खातेदार दर्ज नहीं हो सकता था क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह न फीस है न पैनल्टी है, न रकम है, न कीमत है । यह सुविधा देने का पैसा है । जो पट्टा हम देंगे लोहे के डिब्बे में बंद करके उसको वह हमेशा अपने पास रखेगा । कोई रिश्वत मांगने वाला आयेगा तो उसको बतायेगा और उसको हमेशा के लिये सुविधा रहेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके राज्य में भी रिश्वत लेने वाले पहुंचते हैं क्या ?

एक माननीय सदस्य : आपकी शह से पहुंच जाते हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब मैं कुछ उन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो माननीय सदस्यों ने उठाये। उन मुद्दों पर कहने के पहले यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने राजस्थान के किसानों को एस्टेब्लिश करने के लिये, उनको राहत पहुंचाने के लिये, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिये, समय समय पर जो कुछ किया तब भी माननीय सदस्यों को नुक्स नजर आया

(६. म. प.)

बहुत सारे नुक्स सही हो सकते हैं, यह बात सही हो सकती है कि हमने बहुत नेक नीयत से काम किया हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोप्रर न हुआ हो, तो इसकी वजह से बहुत सारे किसानों को तकलीफें हो सकती है। इस तरफ न सरकार का ध्यान गया है, बल्कि सरकार ने इस सम्बन्ध में भी एक हाई पॉवर कमेटी के लिए, एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैण्ड रिफॉर्म्स सेक्शन कायम किया है, एक विंग कायम किया है और जो कमेटी या बोर्ड कायम किया है उसके चेयरमैन हमारे मुख्य मंत्रीजी हैं। जो विंग कायम किया है उसमें हमने एक पब्लिसिटी विभाग रखना तय किया है, एक स्टेटिस्टिकल विभाग रखना तय किया है जिससे जो कुछ हम यहां करते हैं या किया जा रहा है उस सारे की पब्लिसिटी गांव गांव के लोगों तक पहुंचे; चाहे वह पेम्फलेट के जरिये पहुँचे, चाहे लीफलेट के जरिए पहुंचे या अन्य किसी साधन से पहुंचे। लेकिन स्टेटिस्टिक्स इस सबके इम्पेक्ट के बारे में जनता और सदन के सामने सही रूप में रखा जा सके, उसके लिए प्रयत्न और उसकी कार्यवाही हम करना चाहते हैं।

यही नहीं, हमारे यहां जो लैण्डलैस हैं उनको सैटल करने के लिए, राजस्थान में लोग–बाग कहते हैं कि राजस्थान में भूमि काफी है। लेकिन उनको कैसे सैटल किया जाय, इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने के संबंध में एक प्लान बना कर हर डिस्ट्रिक्ट में सर्वेक्षण करवा रहे हैं जिससे यह मालूम हो सके कि ऐसा लैंड कितना है, किस तरह उसे रिक्लेम किया जाना है और किस तरह उसे कल्टीवेट कराया जा सकता है। अभी भारत सरकार का एक लैण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना है जो लैण्ड रिफॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन और इनका जो कल्टीवेटर्स को लाभ पहुंचाना है वह सब लाभ उनको पहुंच सके-इसके लिए प्रयत्नशील हैं। इसके साथ ही हमारे सारे कदम अधूरे रह जाते हैं अगर किसानों को मनी–लैण्डर्स के पंजे से छुड़ाने के लिए कोई राहत नहीं दी जा सकती है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने मनी–लैण्डर्स एक्ट पास कर दिया है, उसके नियम बना चुके हैं और वह अब फाइनेलाइजेशन की स्टेज पर है। मैं अब माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हम १ जुलाई, १९६५ से मनी लैण्डर्स एक्ट राजस्थान में लागू कर देंगे जिससे हमारे राजस्थान के अन्दर भूमि सुधार की आखिरी शृंखला पूरी हो जाय। भूमि सुधार के अन्दर राजाओं की प्रोपर्टी को एक्वायर करने की पहली कड़ी थी और मनी–लैण्डर्स एक्ट को लागू करने की आखिरी कड़ी मानी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

गई है। यह आखिरी कड़ी हम १ जुलाई, १९६५ से लागू कर देंगे।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कुछ दो-तीन मुद्दे ऐसे उठाये गये हैं, जिसमें से एक में तो माननीय सदस्य ने इस्तीफा देने का प्रश्न खड़ा किया, दूसरे में यह कहा गया कि मुख्य मन्त्रीजी ने कोई ऐसी बात कह दी है जिसके विपरीत आज कुछ कहने जा रहे हैं। इन दो मुद्दों पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। पहले मैं खण्डा गावड़ी कोटा वाली बात कहूंगा। आज यहां पर बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पट्टे फर्जी बनाये गये हैं और सरकार चुप है और इसमें सरकार की साजिश है और पट्टे बनाने में सरकार के आदमी से, सरकार का मतलब है, सरकार का मतलब गवर्नमेंट से नहीं है, कुछ राज-नैतिक साथी उसके अन्दर हैं और जिनकी वजह से यह सारा काम हो रहा है और जोश जोश में स्तीफा भी पेश करने का प्रश्न सामने आ गया। मैं आप लोगों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह केस इस असेम्बली में पहली बार नहीं उठा है, बल्कि कई बार पहले भी यह केस उठ चुका है। मेरे पास एक फाइल है जिसके आधार पर मैं अभी आपके सामने तथ्य निवेदन करूंगा कि जनसंघ के नेता भैरों-सिंहजी ने इस प्रश्न को असेम्बली में पूछा था उसके जवाब में सारी बातें बताई थीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह राजनैतिक सवाल नहीं है। आखिर इस मामले में किसने शुरुआत की ? शुरुआत हमने की, शुरुआत कोलोनाइजेशन कमेटी ने की। उन्हें जमीन पर काम करने से रोका, इसके लिए इन्जंक्शन जारी किया, इन्जक्शन जारी करके उन्हें जमीन पर काम करने से रोका। इसके सम्बन्ध में हमने डिपार्टमेंटल कार्यवाही की और उसके साथ साथ फौजदारी का मुकदमा एक रामनारायण सरपंच है उनके खिलाफ ४७७ और ४२० सेक्शन में चल रहा है और दूसरे छः आदमियों के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा चल रहा है। उसमें कुछ ऐसे आदमी हैं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि दौलतसिंह मेहता भी हैं, जिसके लिए वह कहते हैं कि अमुक सेक्रेटरी के भाई या और कुछ हैं। तो फौजदारी का मुकदमा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में छः आदमियों के खिलाफ चल रहा है और एक सरपंच के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है। तो इस तरह ये मुकदमे इन लोगों के खिलाफ चल रहे हैं। मैं इनके मेरिट्स में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन हमने दौलतसिंह मेहता को सस्पेन्ड किया है और इसका मतलब यह है कि हमने डिपार्टमेंटल कार्यवाही की है। इससे माननीय सदस्यों को सन्तोष हुआ होगा कि हमने........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यही नहीं, अब प्रश्न यह आता है कि हमको हमारे किसी भी कार्यकर्त्ता पर विश्वास है और कोई भ्रम होता है तो कोलोनाइजेशन कमिश्नर से इस प्रश्न में पूछते हैं। और..

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इस फाइल को ध्यान से देखने से मुझे मालूम हुआ है, मैंने स्वयं ने रिपोर्ट मांगी थी और कार्यवाही करने के लिए कहा था। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग किसी राजनैतिक कार्यकर्त्ता में इन्वोल्व्ड नहीं हैं और हमने दफा ६१ के अन्डर में कार्यवाही की है। उसकी जब कार्यवाही हुई तो उसके बाद दो आदमी रिट में गये। उनको हमने कन्टेस्ट किया और वह खारिज हुई। उसके साथ ही सारा राज भी खुल गया। सारा राज खुलते ही पुलिस में केस हो गया, अदालत में चले गये। सस्पेन्शन की कार्यवाही हो गई, डिपार्टमेंटल कार्यवाही हो गई......

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): What more do you want?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : और सरकार किसी दोषी को बचाना नहीं चाहती है।

श्री मुरलीधर व्यास : चोरी किसी ने की, लेकिन चोरी का माल जिसके पास में है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? वह माल सरकार अपने अधिकार में ले। वह जो बीस लाख है वह सरकार के खजाने में आवे, इसे मानते हैं या नहीं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिड़िया चुग गई खेत, वाली बात कह रहे हैं; रुपया खा गये यह लगा दिया, लैण्ड खा गये यह लगा दिया, मिस-एप्रोप्रियेशन कर दिया, एम्बेजलमेंट कर दिया, ब्रीच ऑफ लैण्ड कर दिया, फोर्जरी कर दी, चीटिंग कर दी-इन सबके मुकदमे चल रहे हैं। उनको जमीन पर अधिकार नहीं करने दे रहे हैं और इन्जक्शन वहां लगा रखा है। हम इसके बाद में......

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं एक स्पष्टीकरण......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब अगर वह किसी की जेब में पड़ा हुआ हो तो...

श्री मुरलीधर व्यास : उसमें यह कहा गया है कि उस लैंड पर कन्स्ट्रक्शन हो रहा है। यह मजिस्ट्रेट ने कहा हैं और आप कह रहे हैं कि इन्जंक्शन जारी रखा है उस लैण्ड पर कन्स्ट्रक्शन हो रहा है, यह उस रिपोर्ट में है। तो उसे कैसे रोक रहे हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दफा ६१ और २१२ लैंड रेवेन्यू एक्ट में इन्जक्शन इश्यू हुआ है। आप सूचना दे रहे हैं कि कन्स्ट्रक्शन हो रहा है। अब यह जो म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ जयपुर है, इसके लैण्ड में कन्स्ट्रक्शन की इजाजत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे नाजायज़ तौर पर कन्स्ट्रक्शन करते हैं, सरकार को पता लगता है उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह इन्जंक्शन ऑर्डर से रोकने का प्रयत्न किया है। अब अगर कोई ब्रीच करता है तो आप नोटिस में लायें तो हम उसकी छान-बीन करेंगे। और अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम जरूरी कार्यवाही करेंगे, क्योंकि उसके अन्दर हमारा इन्टरेस्ट इन्वोल्व्ड है, कोलोनाइज़ेशन डिपार्टमेंट का इन्ट्रेस्ट इन्वोल्वु है, राजस्थान सरकार का इन्ट्रेस्ट इन्वोल्व्ड है। हम

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कहते हैं कि जमीन कोलोनाइजेशन की है, वे कहते हैं कि पंचायत की जमीन है इसलिए हमने बेच दी। हम कहते हैं कि जो काश्त के अन्दर जमीन है उसको किसी को बेचने का अधिकार नहीं है, हमें हक नहीं है....

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने सुना है कि आपने लिख कर दे दिया है, आपने कहा है कि इस जमीन का सैटलमेंट किसी प्रकार कर दिया जाय, उसको छोड़ दिया जाय; इस सिलसिले में क्या कहते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप मंत्री महोदय को सुन लें और उसके बाद में प्रश्नों का सिलसिला शुरू करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप तो सारी बातें जानते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने केसेज़ पेंडिंग हैं और कितने केसेज़ चालान किये हैं ? क्या यह सत्य नहीं है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टीगेशन अपने हाथ में लिया, चाहे वह डी. एस. पी. हो या सी. आई. तो उनको फौरन वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया ? क्या इस तरह केस को दबाने की कोशिश नहीं की गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस क्वेश्चन के सम्बन्ध में जो आपने ये फेक्ट्स बताये हैं इनकी जानकारी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : १४५ केसेज़ हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस फैक्ट की जानकारी मुझे कैसे हो सकती है कि पुलिस ने क्या किया और क्या नहीं किया ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : केसेज़ कितने हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे नोट के हिसाब से दो केसेज़ हैं। अधिक चल रहे हों—इसकी जानकारी नहीं। मेरे पास सूचना है कि दो केसेज़ फौजदारी के चल रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो प्रश्न बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था और उसके अन्दर सुखाड़ियाजी की स्पीच कोट की गई थी और कुछ बातें बताने की कोशिश की गई थी। मैंने भी इस बात को सोचा कि शायद माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह पढ़ कर कह रहे हैं इसलिए सही होगी। फिर भी मैंने यह सोचा, मैं स्वयं इसे पढ़ लूं तो मुझे पता लग जायगा कि आप क्या कन्वे करना चाहते हैं हाउस को और उन्होंने हाउस को क्या कन्वे करना चाहा है-इन दोनों को मैं समझ लूं तो मैं उस अंधेरे से निकल जाऊंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी स्पीच को पढ़ा,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जहां से यह शुरू होता है । मुख्य मंत्रीजी ने गुढ़ा के बारे में यह कहते हुए शुरूआत की अपने भाषण की, गुढ़ा बांध इसलिए बनाया गया-क्योंकि मुख्य मंत्री के रिश्तेदारों की जमीन उसमें आती है इसलिए वह सिंचित हो सकेगी, इसलिए गुढ़ा बांध बनाया गया। यह हिस्ट्री ट्रेस करते करते उन्होंने यह कहा-मेरे रिश्तेदारों की जमीन उससे पीवल होती है वह २०० बीघा होती होगी...

श्री मुरलीधर व्यास : पीवल होती होगी, दो सौ बीघा होती होगी-यह कहां लिखा है ? पढ़ कर सुनायें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप सब्र रखिये । इस पोइन्ट पर मुझे पूरी बात कहने दीजिये । उसके बाद में आपको पूर्ण स्वतंत्रता है मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करने की....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जनता के सामने ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन सारे पहले पैराग्राफ्स को, जो कि असेम्बली की स्पीच में हैं, पढ़ कर मैं नहीं सुनाना चाहता ।

श्री मुरलीधर व्यास : केवल दो सौ बीघा वाली बात बता दें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं पढ़ रहा हूं ; जल्दी क्यों करते हैं ? अभी मैं आपको बतला दूंगा । आप जरा सब्र रखिये । मैं भी जब आप बोलते हैं तो सब्र रखता हूं और आपको अच्छी तरह से सुनता हूं । तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि गुढ़ा बांध की हिस्ट्री को रेज करते हुए कहा कि इससे मुख्य मंत्रीजी के रिश्तेदारों की जमीन विशेष रूप से सिंचित हो जावेगी । उस पर उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदारों की जमीन तो दो सौ बीघा होगी । उस रेफरेन्स में कहा कि ६॥ हजार में तो आज हो रही है कितना फैलाव हो रहा है और कितने बीघा की सिंचाई होती है । इस संबंध में एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि जिन मेरे रिश्तेदारों की जमीन की रोज दुहाई दी जाती है उनकी जमीन के लिए मैंने पूछा, मुझे बताया गया है, २०० बीघा होती होगी । ऊपर के रेफरेन्स से पिलाई होती हो ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपको निवेदन करूंगा कि....

एक माननीय सदस्य : आपने पिलाई के लिए कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !!

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा आपने अभी पढ़ कर सुनाया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उमरावसिंहजी ढाबरिया ने पूछा कि २०० बीघा की बात कहें और इस पर भैरोंसिंहजी का भी प्रश्न है । दो सौ बीघा आपके परिवार के लिए सबने कहा है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं पढ़ रहा हूं, आप उसको सुने और बाद में आगे कहें । उन्होंने कहा है कि २०० बीघा होती होगी । उसको लेकर तथ्यों कोतोड़-मरोड़ कर अभी १२ सौ बीघा जमीन की बात कहना—जहां

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

१२ सौ का सवाल नहीं-पर सबसे ज्यादा अफसोस मुझे यह है कि जहां कानून से कार्यवाही होती हो वहां कैसे हो सकता है? कोटा कमिश्नर के लैटर की बात कही गई। जमीन ट्रान्सफर नहीं हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा सुबूत दिया। जो कोटा कमिश्नर ने कहा कि यह टान्सफर नहीं हो सकता है क्योंकि वे चाहे मेरे रिश्तेदार थे पर वे नहीं जोतते थे इसलिए तो वह जमीन कैंसिल हो गई, पर वह ट्रान्सफर नहीं की गई और जो कोटा कमिश्नर ने कहा उसी प्रकार की कार्यवाही हुई। तो यह करवाने का प्रश्न नहीं आता।

यह तो सारा पैराग्राफ है। सप्लीमेंटरी में ढाबरियाजी ने कहा "पिलाई,"। जिस रेफरेन्स में कहा गया है वह सारा का सारा पैरा आप पढ़ लीजिये। पिलाई के बारे में कह सकते हैं

श्री मुरलीधर व्यास : अभी भी बता दीजिये, कितना है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी और भी बातें हैं। हमारे माननीय सदस्य ने एक लेटर पढ़ कर सुनाया और उसकी कॉपी उन्होंने नहीं रखी। उस लेटर को सारे को मैं यहां कोट नहीं करना चाहता। उन्होंने उसमें यह बताने की कोशिश की कि उस वक्त के कमिश्नर या कोई अन्य मि० झालान, बी. सी. राव चीफ सेक्रेट्री थे उनको चिट्ठी लिखी उसका लास्ट पैरा है, उसमें लिखा है, कि मोहनलालजी के साले और किशनलाल मास्टर को २०० बीघा जमीन साथला गांव से अलॉट हुई है, उन्होंने दूसरी जगह के लिये दर्ख्वास्त दी है। कलेक्टर ने लिखा है कि यह जमीन ट्रान्सफर नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने काश्त नहीं की। इस सिफारिश के साथ उन्होंने कमिश्नर को भेजा, जिस चीट्ठी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है। जब उन्होंने खेती नहीं की तो कलेक्टर की सिफारिश को मानते हुए उन्होंने उसे कैंसल किया।

श्री मुरलीधर व्यास : पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज, सर, ...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बीच बीच में इस तरह से आप डिस्टर्ब न करें। इस प्रकार कमिश्नर के आदेश को मान कर बूंदी के कलेक्टर ने २०० बीघा जमीन जो इनके नाम थी कैंसल कर दी। इस प्रकार यह दो सौ बीघा का चेप्टर इस प्रकार से कैंसल होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीफ सेक्रेट्री का हवाला दिया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इस पर भी आता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कहते हैं कि कलेक्टर ने रिकमन्ड किया। मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। यह वही बात है जिसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

"Besides the above, measuring land 352 bighas 17 biswas was alloted

(श्री मुरलीधर व्यास)

in these two villages to Sarva Shri Dinanath and Kishan Lal of Nathdwara on 22.1.53 and 13.9.52."

और आप कहते हैं कि कलेक्टर ने रिकमन्ड किया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये दो अलग अलग हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : १४ नवम्बर, ५३ :

"Recommended the application of Shri MannaLal and Kishan Lal for their transfer in village Chetan. उन्होंने तो रिकमन्ड किया है। उन्होंने तो यह किया है कि उनको किया जावे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये दो केसेज़ अलग हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप चेता गांव कहा है उसका हवाला देते।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसमें क्या फर्क पड़ता है।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी आपने कहा है कि कलेक्टर ने कहा है कि ट्रान्सफर नहीं किया जावे, यह ठीक नहीं है। कलेक्टर ने तो लिखा है उसमें कि किया जावे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि कलेक्टर ने रिकमन्ड किया या नहीं....

एक माननीय सदस्य : यह कौन सी जमीन का जवाब दे रहे हैं। टेलेरा या हिन्डोली।

श्री मुरलीधर व्यास : कौनसे गांव में ट्रान्सफर कराना चाहते थे नाथद्वारा में ? मैं यह कहना चाहता हूं कि कलेक्टर ने रिकमन्ड नहीं किया है। आप गलत बयान देते हैं कि कलेक्टर ने कमिश्नर को रिकमन्ड किया। जब कि यहां पर साफ लिखा हुआ है। कलेक्टर ने सारी फर्जी कार्यवाही की है। कलेक्टर ने यह रिकमन्ड किया है कि ट्रान्सफर किया जावे। अगर यह बात गलत हो तो आप लिख दीजिये; वर्ना मैं अपना इस्तीफा लिख कर देता हूं।

एक माननीय सदस्य : दोनों लिखें तो सही।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो अभी लिख कर देता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप कितना ही जोश दिलाएं, इस्तीफा नहीं देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों सदन के सदस्यों से लिखा कर सदन की मेज पर रखा दिया जावे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने हमेशा इसी तरह गुमराह किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो सदन जानता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसे छोड़िये....

श्री मुरलीधर व्यास : इस बात की सफाई होनी चाहिए। मैं फिर लिख कर देने को तैयार हूं। या तो आप इस्तीफा दीजिये या मैं दूं। मुझे इस बात की कोई पर्वाह नहीं है।

श्री रामप्रसाद लडढा : I now try to end this topic.

आपकी जो धारणा है, उसको आप मानते रहें, मुझे एतराज नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : कलेक्टर ने रिकमन्ड किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लेकिन मैं जो बात इम्प्रेस करना चाहता था माननीय सदस्यों के सामने वह यह थी कि कमिश्नर कोटा ने उस ट्रान्सफर को नामन्जूर किया, रिजेक्ट किया और उस रिजेक्शन के माफिक तामील करके म्युटेशन से, जमीन से खारिज कर दिया, वह जमीन सरकार में वेस्ट हो गई। उसका काफी हिस्सा ग्राम के चरागाह के रूप में, कुछ जमीन अलॉट हुई, कुछ पड़त पड़ी है। यह तो २०० बीघा का इतिहास बताया। अब सवाल आता है इसके अलावा भी जमीन थी। जैसा कि मैंने निवेदन किया, जितने एरिया के बारे में ये कहते हैं, १४६ बीघा एक है, और १०६ बीघा और है, ये तीन प्लॉट्स हैं और आपका यह कहना है कि मुख्य मन्त्रीजी ने २०० बीघा कहा और यह तो ३०० बीघा से ऊपर है, इस बात पर कॉन्ट्राडिक्शन करने की कोशिश की तो मैंने यह कहा था कि वहां पर, उन्होंने कहा था कि रिश्तेदारों की कितनी जमीन होती होगी, तो कहा कि २०० बीघा होती होगी। इससे और कोई मुराद नहीं है, ३०० बीघा जमीन है, ग्रो मोर फूड के तहत दी थी....

श्री मुरलीधर व्यास : ३०० बीघा से ज्यादा है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने बता दिया है, मैं फिर बताये देता हूं आप टोटल लगाते जाइये, १४६ बीघा ११ बिस्वा एक है, १४३ बीघा कुछ बिस्वा दूसरी है और १०६ बीघा ८ बिस्वा तीसरा प्लॉट है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : किस किसके नाम पर है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बसंत लाल, दीनानाथ और मुन्नालाल।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये तीनों अलग अलग रहते हैं या शामिल है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसे आप और मैं रहता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप तो मेरे से बहुत दूर हैं, क्या ये भी अलग अलग रहते है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बात पर, ग्रो मोर फूड पर ५१ के अन्दर राजस्थान में कुछ नियम बने हैं और यह मुनासिब समझा गया कि पहली बार कि ऐसा कम्पेन मनाया जाय जिससे लोगों को जमीनें दी जायं और वे रुपया इन्वेस्ट करके उत्पादन बढ़ायें। रूल्स बनाये गये ग्रो मोर फूड के, उन रूल्स के तहत सारे राजस्थान में जमीनें अलॉट

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कीं, पर बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य की दृष्टि में ये तीन अलॉटमेंट ही आते हैं। मैं बताना चाहता हूं.......

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कह रहा हूं यह गैर-कानूनी अलॉटमेंट है, गलत अलॉटमेंट है, अभी यह भी कहा कि सारी कार्यवाही, काट-छांट की फोर्ज्ड कार्यवाही की गई है, इसके लिये आप क्या कहते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि सारे राजस्थान में केम्पेन बेसिस पर यह मनाया गया था और इसी वजह से सारे जिलों में जमीनें अलॉट की गईं, कुछ जिलों के आंकड़े मेरे पास आ गये हैं, हजारों बीघा जमीनें अलॉट हुई हैं, सवाई माधोपुर जिले में हुई हैं····

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसको कौन पूछ रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I have to put my case.

आप नहीं पूछें पर स्पष्टीकरण के लिये मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : नियमों के अन्तर्गत की गई हैं क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बाप को १५०, बीघा और बेटे को १५० बीघा और भाई को १५० बीघा, एक ही घर के लोगों को तीन तीन अलॉटमेंट एक साथ, ऐसे केसेज राजस्थान में कितने हैं यह बताइये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप तो बाप और बेटे को डेढ़ डेढ़ सौ बीघा का कह रहे हैं पर एक एक को चार चार हजार बीघा जमीन दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय उप-मंत्री जी से जानना चाहूंगा, आप यह फीगर्स बताते हैं वह सही हैं। ग्रो मोर फूड में आप राजस्थान में एक केस ऐसा बता दीजिये जिसमें किसी माइनर को ग्रो मोर फूड में जमीन दी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माइनर को भीलवाड़ा में दी है।

श्री भैरोंसिंह : नाम बताइये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ग्रो मोर फूड के तहत दी है····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस तरह के माइनर बच्चे को जमीन दी है, ऐसा केस बताइये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह ३ वर्ष का ही था।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपके यहां भीलवाड़ा में दी गई होगी। क्या आप यह बता सकते हैं कि ग्रो मोर फूड में जमीन अलॉट करने के रूल्स थे, उनके तहत माइनर्स को जमीन दी जा सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अभी आ रहा हूं। तो मैं माननीय उपाध्यक्षजी, बत

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रहा था कि हजारों बीघा जमीनें हर जिले में दी गई हैं। बूंदी जिले में, जहां ये जमीनें देने का कहा जाता है, वहां भी ४५०० बीघा जमीनें और लोगों को दी गईं, औरों को दी गईं उससे माननीय सदस्यों को आपत्ति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप बताइये कि ग्रो मोर फूड कैम्पेन में किसी माइनर को जमीन दी जा सकती थी क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर आप कानूनी पोज़िशन ही जानना चाहते हैं तो जो ग्रो मोर फूड कैम्पेन के जो नियम बने हुए हैं, उनमें कहीं माइनर को देने के लिये वर्जित नहीं है। इसलिये कानूनी चक्कर में तो नहीं पड़ना चाहिये, कानून तो कोई मदद नहीं करता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यह बेसिकली गलत है और कॉन्ट्रैक्ट के वगैर कोई जमीन नहीं दी जा सकती, आप तो वकील हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ग्रो मोर फूड के जो रूल्स हैं उनके अनुसार एक ही फेमिली के तीन लोगों को जमीन अलग अलग से नहीं दी जा सकती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ग्रो मोर फूड के रूल्स हैं, उसमें सिम्पल कन्डीशन है, इतने साल के लिये दी जाती है, ५ साल के बाद खातेदारी राइट्स हो जाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसे राजस्थान में कितने केसेज़ हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! आप बाद में पूछ लें, मैं एक सूचना देना चाहता हूं, मैं आपको मौका दूंगा आप मुझे सुन लीजिये। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की व्यवस्था के अनुसार हमेशा जब कट मोशन आवें, पर्टीक्यूलर इश्यू पर कोई बात हो वह करें, पर किसी एक विषय पर अटकने से काम नहीं चल सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : यह बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : यदि कोई गम्भीर विषय हो तो स्पष्टीकरणार्थ एक एक बार पूछ लें। उसके बाद भी कोई सफाई रह जाय तो, उसके लिये रूल्स में प्रावधान है, पर एक ही बात पर इस प्रकार अटकने से सदन की कार्यवाही अच्छी तरह से नहीं चल सकती।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बगेड़ा) : उप-मंत्री महोदय मुझे यह बता दें कि राजस्थान के अन्दर चाहे जितने अलॉटमेंट हुए हों, बूंदी में अलॉटमेंट हुए हों, चाहे और कहीं राजस्थान में अलॉटमेंट हुए हों, आप एक भी केस ऐसा बता दें कि जिसमें भाई के नाम पर, छोटे भाई के नाम पर और बड़े भाई के बेटे के नाम पर, जो आदमी एक ही घर में, एक ही फेमिली में रहते हैं, हैड ऑफ दी फेमिली एक हो और तीन व्यक्तियों को अलग अलग अलॉटमेंट हो गये हों, सिवाय सुखाड़िया

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

परिवार के और एक भी उदाहरण बता दें, हम मान लेंगे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप चाहें वही बताऊं ? I can't be dictated like this.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक ही हैड ऑफ दी फेमिली के तीन तीन व्यक्तियों को इस तरह से जमीनें दे दें, इस तरह से जमीनें लूटी नहीं जा सकतीं राजस्थान की ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या मोहनलाल जी सुखाड़िया के परिवार में ही लेंड-लैंस ज्यादा हुए ? ऐसे केस गिनाओ अगर मुख्य मंत्री की स्थिति साफ करना चाहते हैं तो इस प्रकार के केसेज़ गिनाओ जिनमें एक ही हैड ऑफ फेमिली हो और उस फेमिली के तीन तीन व्यक्तियों को इस तरह से जमीनें अलॉट की गई हों । यह गिनाने से क्या होगा कि उस जिले में इतनी जमीनें अलॉट की गईं, उस जिले में इतनी की गईं । राजस्थान की प्रिविलेज्ड फेमिलीज़ को गिनाओ कि साले को, साले के बेटे को और साले के भाई को जमीनें दीं, राजस्थान में ऐसी कितनी प्रिविलेज्ड फेमेलीज हैं ?

अगर सुखाड़ियाजी की स्थिति को साफ करना चाहते हैं तो एसे केसेज बताइए, ऐसे कितने नवाबजादे और मुगलेआजम हैं जिनके सारे परिवार को जमीन दी है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इन तीनों व्यक्तियों को जो जमीन दी गई, वह एक ही दिन तीनों आदमियों की दर्ख्वास्त है और एक ही दिन तीनों को एलॉटमेंट है । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर एक गैर-कानूनी काम क्यों हुआ ? एक ही दिन सोच-समझकर तीनों ने दर्ख्वास्तें दे दीं और ३०० से ४०० बीघा जमीन ले ली और तीनों के लिए एक ही दिन ऑर्डर हुआ । तो तीन सदस्यों की कमेटी बिठाई जाय । मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि तीन आदमियों की कमेटी बिठाई जाय क्योंकि यह गैर-कानूनी काम हुआ है और उसकी जांच के लिए तीन सदस्यों की कमेटी बिठानी चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पोइंट आफ प्रिविलेज । इसी सदन के एक सदस्य श्री मोहनलाल सुखाड़ियाजी ने अपने भाषण में, जिसको मैं यहां प्रस्तुत करता हूं, इन शब्दों में इस बात को कहा है :—

"मैं इतना निवेदन कर दूं कि जो इसके अन्दर गैर-कानूनी हुआ तो सदन के तीन व्यक्ति, जो निष्पक्ष हों, वे इसमें कह दें तो चाहे उस पर मेरा हक नहीं है और वह रिश्तेदारों की जमीन है, लेकिन यह मालूम पड़ जाय कि उसमें गैर-कानूनी कार्यवाही की गई, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इमीजिएटली उसको कैंसिल कर दिया जायगा ।"

मैं मिनिट्स से पढ़ रहा हूं । यह बात माननीय उपमंत्रीजी ने जिस प्रकार तथ्य रखे हैं, उनसे मामला कन्ट्रोवर्शियल मालूम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होता है। यह भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि वह कानूनी हो, लेकिन जो फैक्ट्स सामने आए हैं, उन फैक्ट्स के बेसेज़ पर वह कन्ट्रोवर्शियल अवश्य मालूम पड़ता है। हम इसके कानूनी पहलुओं पर जाना चाहेंगे।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में यदि कोई प्रिविलेज मोशन उठाना है तो यथाविधि नोटिस देकर सवाल उठाएं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि सरकार की तरफ से, जो खुद उन्होंने पेशकश की है, वह स्वीकार नहीं करेंगे. तो प्रिविलेज का सवाल उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। सरकार की तरफ से पोज़ीशन का पता लगे, जो मुख्यमंत्री ने पेशकश की उनके अनुसार तीन आदमियों की एक कमेटी माननीय चेयरमैन के जरिए मुकर्रर करने को तैयार हैं ? नहीं तो फिर प्रिविलेज मोशन उठाना पड़ेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई भी आश्वासन मुख्य मंत्री ने दिया हो तो यह कहना कि उसका पालन अभी हो, तभी आगे चल कर बहस चल सकती है, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। जो कुछ उन्होंने कहा है, वे जब सदन में हों तो उनसे मिलकर बातचीत की जा सकती है। लेकिन यह कहना कि डिबेट के अन्दर यह मसला तय हो तभी आगे बढ़ा जाय, यह तो आप भी नहीं चाहेंगे।

श्री भैरोंसिंह : ग्रो मोर फूड के रूल्स के अन्तर्गत आपने यह जमीन दी है। उस समय बूंदी में जमीन एलॉटमेंट के लिए कोई अलग टीनेन्सी एक्ट लागू था या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने बहुत अच्छी याद दिलाई। उस वक्त कानून बूंदी में यह था कि जिसकी मर्जी आए, चाहे खुद कर ले, दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं, मन्जूरी लेना जरूरी नहीं। खुद कर ले उसको बाद में सरकार उसको रिकॉग्नाइज़ करती। चम्बल के मामले में रेग्यूलराइज़ करने के बाद हमने...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जंगल की रक्षा के कानून के अनुसार धरती ली गई है या सुखाड़ियाजी के कानून के अनुसार धरती ली गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सुखाड़ियाजी का कानून १९५५ में आया है। कॉवेनेन्टिग स्टेट्स थीं, वहां के कानून प्रचलित थे। यह कानून कोटा और बूंदी में था। आपको कानून से परिचय नहीं है, इसलिए भ्रम है।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय आज बताएं कि तीन आदमियों के नाम जमीन है; मेरे पास जो लिस्ट है, मेरे पास रिकॉर्ड है.......

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं एक स्पष्टीकरण

Page No 174

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहता हूं । गुढ़ाबाध गांव में जो सुखाड़ियाजी के तीन रिश्तेदारों;मन्नालाल आर्य, दीनानाथ और उसके सुपुत्र, तीनों के नाम साढ़े तीन सौ बीघा जमीन दी, क्या इसके अतिरिक्त और भी कोई जमीन उसके रिश्तेदारों के लिए है ?.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो है न ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कहां कहां दबा रखा है खजाना, एक बार ही बता दें, हमें रोजाना सिर फोड़ना पड़ता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुल कितनी जमीन किसके नाम पर है, बता दें तो फिर हम क्लोज कर दें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे आपत्ति नहीं है । सदन में सवाल के जवाब में बताया जा सकता है । चूंकि यहां पर तीन आदमियों के नाम लेकर बहस की जा रही थी इसलिए बाकी नाम नहीं बताए । सबके नाम इस प्रकार हैं ।

मन्नालाल १४६, दीनानाथ १३०, बसंत कुमार १३०, रामादेवी १०३ बीघा, तारादेवी २०, शकुंतला २०, शंकरलाल २०

श्री भैरोंसिंह : इनके पतियों के नाम बताइए ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास वे नाम नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि आपकी बात समाप्त हुई ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया . अभी उपमंत्री ने कहा कि बूंदी में उस वक्त कानून था कि कोई भी आदमी जमीन बेच सकता था और खरीद सकता था । मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कोई भी स्टेट जो पहले इंडिपेंडेंट थी, तो उसने जो कानून बनाया है वह अपनी स्टेट के अन्दर रहने वालों तक के लिए सीमित रखा है या उदयपुर के लोगों तक व्यवस्था है कि वे भी आकर जमीन ले सकते हैं ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानून की जानकारी के अभाव में आप यह प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछ लिया, आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, एक प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न का घंटा नहीं है । इस विषय में मैं अधिक प्रश्न एलाऊ नहीं कर सकता ।

श्री मुरलीधर व्यास : जबरदस्ती इस प्रकार...

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार व्यवस्था नहीं चल सकती ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों के नाम की कोई दर्ख्वास्तें थीं जिनके आधार पर जमीनें अलॉट की हैं या जबर्दस्ती कब्जा किया है ? क्योंकि सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। न इनके नाम से कोई किसी प्रकार की दर्ख्वास्तें हैं, न किसी प्रकार के कागज कलेक्टर ने दिए हैं कि जमीन लीज़ पर दी है। मैंने दर्ख्वास्त दी कि मुझे कागज दें, कलेक्टर ने कहा नहीं हैं। आपके कहने से मालूम पड़ता है कि सब ने वैसे ही कब्जा किया है। इसलिए जानना चाहता हूं कि क्या वाकई इस प्रकार कब्जा किया है या इनसे दर्ख्वास्तें ली हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्षजी, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस मामले पर माननीय राजस्व मन्त्रीजी की क्या राय है ? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें राय का प्रश्न नहीं है। वाक़यात वैसे मैंने बता दिये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनका इससे ताल्लुक नहीं है। वे निष्पक्षता से अपनी राय सदन के सामने रख सकेंगे। इसलिए उनकी क्या राय है, यह हम जानना चाहते हैं।

(व्यवधान, अनवरत शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर प्लीज !!

(शोरगुल)

ऑर्डर प्लीज़ !

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से तो कोई व्यवस्था नहीं रह सकती।

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : वे खुद ही उठाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके अन्दर रूल्स के अन्दर और भी प्रावधान हैं उनके अन्तर्गत तथ्यों को उठाया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : आप कोई भी प्रावधान बता दीजिये कि जिससे इस जमीन को वापिस किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको आप स्वयं देख लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप ही हमारी मदद करिये। उस सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए रूल्स बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रिविलेज मोशन उठा सकते हैं। किसी प्रकार डिस्कशन रेज़ कर सकते हैं, मोशन ला सकते हैं, ये नियमों में प्रावधान दिये हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नोटिस दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस धरती के बारे में उनके (राजस्व मंत्रीजी के) क्या विचार हैं। वे प्रगतिशील किसान नेता राजस्थान के हैं और आज यहां सदन में विराजमान हैं।

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : हमारे सवालों का जवाब नहीं आ रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज राजस्थान के प्रगतिशील किसान नेता माननीय श्री कुम्भारामजी आर्य से मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी इस धरती के बारे में क्या राय है ? उनकी प्रगतिशीलता की कसौटी है इस माने में ?

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कौन सा कानून यह कहता है कि इस प्रकार जमीन अपने परिवार के लोगों को बांट दो ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

(शोरगुल के कारण अश्रव्य)

आॅर्डर प्लीज ! आॅर्डर प्लीज !!

माननीय गोकुलप्रसादजी । आॅर्डर प्लीज !

इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार की स्थिति पैदा न करें और कार्यवाही को आगे बढ़ाने की कृपा करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह कहा कि रूल्स के अनुसार कुछ किया जाय। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन से रूल के अन्तर्गत यह कार्यवाही की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं रूल्स बताऊं। मैंने आपको अर्ज कर दिया कि रूल्स हैं, प्रोसिजर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कौनसी चोट्टाई का कानून है। राजस्थान के राजस्व मंत्री जी बतायें कि कौन से कानून के तहत यह धरती मुख्य मन्त्री जी के परिवार के लोगों को, साले-सालियों को दे दी गई ? क्या राजस्व मन्त्रीजी के मुंह पर अलीगढ़ी ताला लगा हुआ है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हिन्दुस्तान में ऐसी कहीं भी नजीर नहीं मिलेगी कि जहां पर मुख्य मन्त्रीजी ने अपने परिवार के लोगों को, जंवाई, साले, साली, आदि को चोट्टाई से जमीन दे दी हो। उन चोट्टों से जमीन कैसे छुड़ाई जाय !

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह कानून कौनसा है, यह हम जानना चाहते हैं ? आप प्रगतिशील कानून की बात करते हो; कौन सा कानून है जिससे हम इस चोट्टाई से हथियाई गई जमीन को वापिस प्राप्त कर सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न का उत्तर आप दें कि सुखाड़ियाजी के परिवार में कोई ऐसा आदमी भूल से बच तो नहीं गया है जिसको जमीन नहीं मिली है ?

(व्यवधान—शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और किस कानून के तहत धरती मिली, यह भी बता दीजिये ?

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह व्यवस्था का सवाल है। यहां पर जितने बैठे हैं, जो पोइन्ट्स रेज किये हैं, केवल एक ही पोइन्ट पर सवाल-जवाब हो रहे हैं और हमारे पोइन्ट्स का जवाब नहीं मिल रहा है, इससे यह हमारे साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमने जो पोइन्ट्स रेज किये हैं उनका भी मंत्री महोदय जवाब दें।

(शोरगुल)

जो है सो है। जितना हो सकता था वह हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : है सो कैसे है ? मज़ाक थोड़े ही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : है सो कैसे है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या हमारे अधिकार को हनन करने की कोशिश करेंगे? हमने भी पोइन्ट्स रेज़ किये हैं। आप बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। हम इस सदन को जताना चाहते हैं कि क्या आप समझते हैं कि आप ही की बात का जवाब मिले और हमारी बात का जवाब ही नहीं मिले ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कौनसा आप सदन को चलाना चाहते हैं....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप फालतू बात में पड़े हुए हैं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : आपके मन्त्रीजी को जवाब देना होगा...

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीराभाई ! ऑर्डर प्लीज़ !

माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज़ ! मैं समझता हूं कि इस विषय में काफी बात हो चुकी है और इस विषय से हम आगे बढ़ें। इस विषय में यदि और कोई भी बात हो तो रूल्स साफ हैं। कॉल अटेन्शन नोटिस, और कोई प्रकार से कार्यवाही जो हो सकती है वह आप कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें क्या आपत्ति है, यह राजस्थान के राजस्व मन्त्री जी कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : अश्रव्य

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज के राजस्व मंत्रीजी के मुंह से तो जवाब मिले। क्या उनके मुंह पर अलीगढ़ी ताला लगा हुआ है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : हमने जो पोइन्ट्स रेज़ किये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप उनका तो जवाब दिलाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जवाब मिलेगा आपको। आज मिलेगा। रात को मिलेगा। १२ बजे तक भी बैठेंगे।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

माननीय गोकुल प्रसाद ऑर्डर प्लीज !

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके जवाब के मिले बिना हम नहीं जावेंगे।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! (श्री ढाबरिया से) Yes.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं एक अर्ज करना चाहता हूं और एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात आई नहीं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, १८-३-६५ को सर्टिफाइड कॉपी तहसीलदार ऑफिस से प्राप्त की गई है। इस कॉपी के अन्दर ओरीजिनल कुछ लिखा गया है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह हो जाता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसको लाल स्याही से काट कर। पहले यह लिखा गया है कि किसी तरह की उस जमीन पर खेती नहीं की गई। दूसरे कॉलम में यह भर दिया गया है कि उसमें तिल बोये आदि। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कॉपी में जो काट-छांट की गई है, जो यह फोर्जरी की गई है उस पर तहसीलदार एक जिम्मेदार अफसर है और उसके दस्तखत हैं। उस पर मन्त्री महोदय कार्यवाही करना चाहते हैं या नहीं ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय गिरधारीलालजी ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस तरह से चोट्टाई से काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय श्री ढाबरिया, आप प्रारम्भ करिये ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उनके प्रारम्भ करने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में जो सरकार की तरफ से सदन के तीन आदमियों की नियुक्ति के लिए जो आश्वासन दिया गया था यह पूरा किया जाय और यदि आश्वासन पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये सदन का अपमान कर रहे हैं और इस प्रकार का आश्वासन आपके सामने भी दिया गया, यह आपका भी अपमान हो रहा है, यह हमें स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जहां सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ने दी जा रही है, वहीं सदन का अपमान है।

श्री भैरोंसिंह : विरोधी दल के ऊपर जो यह आक्षेप लगाया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी दल के लिए नहीं कह रहा हूं। जो तथ्यातथ्य हैं वे

(श्री उपाध्यक्ष)

आसन से कहने का मेरा फर्ज है । इस डिबेट को पूरा करने की तरफ आपका यह सहयोग प्राप्त हो तो कार्यवाही आगे बढ़ सकती है । यह मैं मानता हूं कि जो कुछ भी इस विषय में बात है वह भी राजस्व मन्त्रीजी कह चुके हैं । यदि इस विषय में और भी आगे कार्यवाही करनी है तो वह भी रूल्स के अन्तर्गत हो सकती है । इसको दूसरी दफा उठाया जा सकता है । लेकिन आज ही इस विषय पर सारी आगे की कार्यवाही को अवरुद्ध कर दिया जाय, वह उचित नही होगा । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जो चीज लायी जाती है उसके बाद उसको आगे बढ़ने दिया जाय ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यह बिल्कुल मन्शा नहीं है कि सदन की कार्यवाही को अवरुद्ध कर दिया जाय । सदन १२ बजे तक बैठे तो हम भी बैठने के लिए तैयार हैं । जिन सदस्यों ने यह कहा कि उनके पोइन्ट माननीय मंत्री कवर नहीं कर पायेंगे । मैं उन माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि १२ बजे तक भी या सुबह तक भी उनके पोइन्ट्स को कवर नहीं कर लिया जाता हम यहां से नहीं जायेंगे । सदन की कार्यवाही को अवरुद्ध करने का प्रश्न है, विरोधी पक्ष वह कतई नहीं चाहता । प्रश्न एक मोटा है, वह यह कि माननीय मुख्य मंत्री ने एक आश्वासन दिया था उसको वे पूरा नहीं कर रहे हैं; इस कारण सदन का अपमान हुआ है । इसका असर केवल सदन पर ही नहीं पड़ेगा इसका इम्पेक्ट पूरे राजस्थान की जनता पर पड़ेगा । कोई मामला पकड़ा जाय और उसके प्रमाण मिल जायें, जांच का आश्वासन दे दिया जाय फिर उसको कार्य रूप में परिणत न किया जाय, तो इसका असर यह होता है कि विरोधी दल की जायज़ बात पर भी उसको मन्जूर करने के लिए सरकार तैयार नहीं रहती । विरोधी दल की एक प्रतिष्ठा डेमोक्रेसी में है और वह रखनी चाहिये । इसलिए मैंने यह मांग रखी है कि वे तीन आदमियों की समिति नियुक्त करें और आज ही उसकी घोषणा करें, क्योंकि उसका बैक ग्राउन्ड बन चुका है । अगर इसमें मुख्य मंत्री को बचाने की कोशिश की जायगी तो मैं समझता हूं और ज्यादा कॉम्प्लीकेशन्स क्रियेट होंगे । बचने का केवल मात्र तरीका यही है कि तीन आदमियों की समिति की घोषणा सरकारी बेंचों से अभी हो जानी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी को कहने दें ।

श्री भैरोंसिंह : तीन आदमियों की समिति की घोषणा कर दें ।

(मुख्य मंत्री महोदय का सदन में प्रवेश)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री सदन में आ गये हैं, यह अच्छी बात है, उनके संबन्ध में जो मांग हमारी तरफ से, विरोधी दल की तरफ से उठाई जा रही है वह मैं उनके समक्ष रख दूं । जिस जमीन के संबन्ध में पहले भी बहस हुई थी कि इसके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रिश्तेदारों को जमीन दी गई है गैर कानूनी तरीके से जो कि नहीं दी जानी चाहिये थी। उस बहस का उत्तर देते हुए मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी :

"मैं इतना निवेदन कर दूं कि जो इसके अन्दर गैर-कानूनी है तो सदस्य तीन व्यक्तियों कि जो निष्पक्ष हों वे इसमें कहे दें तो चाहे उस पर मेरा हक नहीं है और वह रिश्तेदारों की जमीन है, लेकिन यह भी मालूम पड़ जाय कि उसमें गैर–कानूनी कार्यवाही की गई है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इमीजियेटली उसको कैन्सिल कर दी जायगी।"

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मुख्य मंत्रीजी के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जो तथ्य सामने आये हैं उनसे यह जाहिर हुआ है कि मुख्य मंत्रीजी के रिश्तेदारों के पास ३५० से अधिक बीघा जमीन ग्रो मोर फूड केम्पेन के तहत जमीन दी गई है। उनमें से एक रिश्तेदार माइनर हैं उसके नाम भी जमीन है। कुछ ऐसे है पोता है, बेटा है, बाप है, इस तरह से एक दूसरे से सम्बन्धित लोग हैं जिनको जमीन दी गई है। साधारणतया इस तरह की जमीन को लेकर के एग्रीमेन्ट्स होते हैं जिसके अनुसार एग्रीमेंट प्रोटेक्ट होता है किसी भी माइनर को कॉन्ट्रेक्ट में एन्टर होने का कानूनी अधिकार नहीं है, बेसिकली वह वॉइड होता है। इसमें कानूनी कमजोरी हैं यह सीधी तौर से मालूम पड़ता है।

दूसरा यह भी कि एक ही परिवार को गैर-कानूनी पट्टे दिये गये, यह बात सामने आई है..

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : गैर कानूनी तो तब हो सकती है जब कि इस पर कानूनी बहस हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं सदन में इस पर काफी बहस हुई है और आज भी बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पर बहुत सी बातें कही हैं। जो बातें कही गईं उसके बारे में पिछली बार मैंने कहा था कि गैर–कानूनी तरीके से किसी के पास जमीन है, कैन्सिल कर दी जानी चाहिये। उस पर मैं आज भी कायम हूं। इतना ही कहना चाहता हूं कि जो फेक्ट्स यहां पर रखे गये हैं उनके आधार पर मैं रेवेन्यू बोर्ड के किसी सदस्य या किसी अधिकारी को, जिसको माननीय सदस्य बतायेंगे, उनको यहां की बहस को रेफर कर दूंगा वे, जांच करके इस बारे में कार्यवाही सजेस्ट करेंगे की जायगी। मेरे रिश्तेदारों ने किसी ने गलती की है तो उसको शील्ड करना नहीं चाहता, लेकिन कानूनी जो तरीका हो वह काम में आना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले तो आपने घोषणा की थी तीन सदस्यों की समिति बनाऊंगा जो इसकी जांच करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा था तीन सदस्य फेक्टस सामने लाते हैं तो इन्डिपेन्डेट तौर से एग्जामिन करा लूंगा।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उससे गैर-कानूनी कब्जा साबित होता है, उस जमीन पर मेरा अधिकार न होते हुए भी कैन्सिल करवा देने के लिये कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : तो आप उस समय भी किसी निष्पक्ष व्यक्ति के बारे में बात कहते, न कि संख्या तीन बताते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तीन सदस्य कह देंगे गैर-कानूनी हुई है निष्पक्ष तरीके से, उसकी मैं जांच करा लूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : जैसा कि कार्य-विवरण में आया है उसमें तीन सदस्यों की समिति बनाने का नहीं है। उसमें कहा गया है–"तीन व्यक्ति जो निष्पक्ष हों, वे इसमें कह दें, तो चाहे उस पर मेरा हक नहीं है और वह रिश्तेदारों की जमीन है, लेकिन यह भी मालूम पड़ जाय कि उसमें गैर कानूनी कार्यवाही की गई तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इमीजियेटली उसको कैन्सिल कर दी जायगी।" इसमें सदन के तीन सदस्यों की कमेटी बनाने का सवाल नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब मैंने इतनी बात कह दी उसके बाद किसी तरह का प्रश्न नहीं रहता, किसी को शील्ड करने की बात आती हो। मैं अपने किसी रिश्तेदार के लिए विशेष अधिकार मिले, ऐसी आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन कानूनी तौर से जो ऑर्डिनरी सिटीज़न के अधिकार है उनसे भी महरूम नहीं कर सकते। गैर कानूनी कार्यवाही किसी ने की है तो उसके बारे में कार्यवाही की जा सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपका रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर के लिये ही इन्सिस्टेन्स है, आग्रह है या हम जो सुझाव दें उसको आप स्वीकार कर सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने रेवेन्यू बोर्ड के लिए इसलिए कहा कि रेवेन्यू मेटर्स के अन्दर जो हाइयेस्ट पोस्ट होल्ड करने वाले व्यक्ति हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को माननीय सदस्य सजेस्ट कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर के अलावा नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने तीन सदन के सदस्यों के लिये कहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ऐसा नहीं, है तीन निष्पक्ष व्यक्ति यह कह दें। इस सदन के सदस्यों में से तीन निष्पक्ष व्यक्तियों के कहने पर यह कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्यों को वास्तविक कार्य से मतलब है तो उसके लिए मैंने कह दिया है उससे सन्तोष होना चाहिये। मैंने किसी एक्स, वाई ज़ेड के लिए नहीं कहा है, रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य जो इतनी ऊंची जगहों पर बैठने वाले हैं, उनके लिये कहा है, उसको माननीय सदस्यों को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो सुझाव दिया है यदि आप वास्तव में सन्तोष दिलाना चाहते हैं, प्रामाणिक तौर से, तो मैं आपको सुझाव देता हूं रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर के स्थान पर हाईकोर्ट के जज, श्री जगतनारायण का अनाउन्स कर दें।

(७.०० म. प.)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह कोई जुडिशियरी का केस नहीं है। रेवेन्यू का केस है, उससे हटाकर चलें इसका कोई कारण नहीं है। मैं समझता हूं कि इसलिये हाई कोर्ट के जज को मुकर्रर करने वाली बात का इसमें प्रश्न नहीं आता। इसका अपना रेवेन्यू का कानून है और अगर कोई गैर-कानूनी बात है और आपने जो फैक्ट्स सामने रक्खे हैं उनको एग्जामिन कर लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको दिक्कत क्या है इसमें ? जगतनारायण जी में।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपको इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं मुख्य मंत्रीजी से बात कर रहा हूं; आपसे नहीं। काफी अर्से से यह सवाल चला आ रहा है। इससे हमेशा के लिये यह कॉन्ट्रोवर्सी समाप्त हो जावेगी। रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों से इन्क्वायरी करावेंगे तो हमें शंका रहेगी। हम फिर मांग करेंगे; तो इससे हमारी सारी शंकाएं समाप्त हो जावेंगी। इस सारी इल्लीगेलिटी और इम्प्रोप्राइटरी के बारे में जांच करके जस्टिस जगत नारायण सात दिन के अन्दर अन्दर रिपोर्ट दे देंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप हाई कोर्ट का नाम क्यों लेना चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोइन्ट हन्ड्रेड वन परसेन्ट बार एसोसियेशन में सब लोग कहते हैं कि वे निष्पक्ष व्यक्ति हैं। दूसरों के लिए मत कहलवाओ- इसलिये कहता हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह तो आप की इन्डिविजुअल ओपीनियन है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपका एस्पर्शन है दूसरे हाई कोर्ट के जजों के लिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरे भेज दीजिये। चीफ जस्टिस का नाम रख दीजिये, मुझे ऐतराज नहीं। आप सजेशन रखियेगा न।

श्री उपाध्यक्ष: Order please !

(कुछ सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(शोरगुल)

माननीय सदस्यगण, जब इस विषय में माननीय मुख्य मन्त्री ने भी सारे अपने भाव व्यक्त कर दिये। यहां पढ़ कर सुना भी दिया गया और उसके आशय के अनुसार उन्होंने यह मंजूर भी कर लिया कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर से जो इन्क्वायरी होगी वह हो जावेगी। अब इस विषय में खास बात नहीं रह जाती।

श्री यगेन्द्रन हांडा : खास बात तो अब शुरू हुई है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात का यहां तो निर्णय नहीं हो सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने निष्पक्ष व्यक्ति की बात कही, इसलिए कहा है ।

शर i)

श्री उपाध्यक्ष : अब इस विषय को यहीं छोड़ कर आगे चलें ।

श्री भैरोंसिंह : मैं दूसरा आल्टरनेटिव सजेस्ट करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव देता हूं। आप रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर से जांच कराने को तैयार हैं; पर ये जितने मेम्बर हैं मुख्य मंत्रीजी के सबोर्डिनेट हैं और विवाद है मुख्य मंत्रीजी के रिश्तेदारों को जमीन देने का । ये तो हाई कोर्ट जस्टिस हैं जगतनारायण जी; प्रतिष्ठा आपकी अगर जगतनारायणजी जांच करेंगे तो ज्यादा बढ़ेगी, बनिस्बत और किसी की जांच के, जिसको लोग एप्रीशियेट नहीं करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज इसीलिए कर रहा था कि दो बातों में से एक बात मन्जूर कर लें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान के हाई कोर्ट में सारे जजों के बारे में ट्रान्सफर एप्लीकेशनें पेश हुई हैं पर उनके खिलाफ पेश नहीं

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उनका कोई रिश्तेदार हो नहीं है हाई कोर्ट में ।

श्री भैरोंसिंह : इस विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं। अगर आप सबोर्डिनेट से ही एन्क्वायरी कराना पसन्द करते हैं तो कॉमन सेन्स में कोई भी लोग उनकी इस बात को एप्रीशियेट करने वाला नहीं है कि एक आदमी अपने ही सबोर्डिनेट से जांच कराये । पर अगर वे फिर भी आमादा हैं कि वे ही जांच करें, तो कॉमन सेंस कहता है कि जब तक जांच हो तब तक उनको त्याग-पत्र देकर अलग हो जाना चाहिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : मुख्य मंत्रीजी त्याग-पत्र दे दें तब तक ।

श्री रामानान्द अग्रवाल : आप हमसे यह एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपके ही सबोर्डिनेट हैं आपके बारे में उन्हीं से जांच कराने जावें ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

मैं निवेदन करूं कि इस विषय पर काफी बात हो चुकी है ।

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नतीजा कुछ कहीं निकला।

श्री उपाध्यक्ष : नतीजा यहां थोड़े ही निकलेगा। सदन इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता। सदन कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : छोड़ दीजिये। नाम बता दें। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। आपने तो इतना भी कहा था न कि जिस भी व्यक्ति का नाम सदन के निष्पक्ष ३ सदस्य बता दें उनसे मैं जांच करवा लूंगा। अब चोइस हमारा रहा। हम जिन जस्टिस से जांच कराने के लिये कहते हैं आप उनको नहीं मानते। सटोरिये भी अपनी जुबान को रखते हैं। सटोरिये की भी जुबान होती है; पर आपकी कोई जुबान नहीं। आप अपनी जुबान नहीं रखना चाहते। आप सदन के सदस्यों से जांच नहीं कराना चाहते, आप जस्टिस और चीफ जस्टिस से जांच नहीं कराना चाहते; आप अपने ही सबोर्डिनेट से कराना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में......

(शोरगुल)

Order please ! Order !!

(अनवरत शोरगुल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (वनेडा) : आप विठावें न कमीशन। हमारे खिलाफ हैं कुछ, तो कमीशन विठाओ न हमारे खिलाफ ! हो तो हिम्मत !

(श्री गिरधारीलाल व्यास के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! प्लीज़ ऑर्डर!! माननीय गिरधारीलालजी ! इस विषय में और कोई कहेंगे। अब इस विषय में आगे सदन के लिये कार्यवाही कुछ नहीं रह जाती है, इसलिये मैं अन्त में......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, ऊंट किसी करवट तो बैठे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन किसी को कम्पैल नहीं कर सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कमेटी बनाना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग बात है। यह आसान का काम नहीं है। यह न सदन का काम है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके राजा के रिश्तेदारों को बचाने का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : यहां की कार्यवाही का ध्यान करें। ऑर्डर प्लीज ! यस।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भीखाभाई, राज्य के मुख्य मन्त्रीजी की प्रतिष्ठा संकट में है। पहले वह बात तय हो जाने दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं मुख्य-मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं कि अगर वे सदस्यों पर छोड़ना चाहते हैं तो क्या आप जगतनारायणजी से जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे जो कहना था, मैं उसके बारे में कह चुका। इतनी बात माननीय सदस्यों को भी मानकर चलना चाहिये कि पर्सनली मैंने कब्जे में कर ली हो या मिनिस्टर इन्वोल्व्ड हो, ऐसा नहीं है।

(अनवरत भारी शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

इसके लिये कोई कमीशन मुकर्रर होने का प्रश्न हो, यह प्रश्न इसमें नहीं उठता। एक सिटीजन के तौर पर किसी ने जमीन ली। अगर वह गैर–कानूनी बात है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी का यह प्रश्न है और इसके लिये भी हाइएस्ट जो बोर्ड है उसमें से किसी व्यक्ति के लिये कहा। मैं समझता हूं वह पर्याप्त है।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग को लेकर यहां बहस हुई।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मुख्यमन्त्री के सामने विरोधी दल के लोगों ने प्रस्ताव रक्खा और इस प्रकार के मजिस्ट्रेट के और जज के इम्नोसेन्ट प्रस्ताव में भी वह स्वीकृति नहीं दें, यह ठीक नहीं है। उनको शोभा नहीं देता।

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक स्पष्टीकरण और ?

मैं इस सम्बन्ध में केवल एक स्पष्टीकरण यह जानना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, और वह इस प्रकार का है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो अभी कहा कि आप रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों में से जांच कराने को तैयार हैं तो अब आप इतना और स्पष्ट कर दीजिये कि इस जमीन के अलॉटमेन्ट के इम्प्रोप्राइटी के बारे में आप जांच करावेंगे और इम्प्रोप्राइटी अलॉटमेन्ट हुआ है, यह रिपोर्ट आने के बाद जो आपने वचन दिया है कि अलॉटमेन्ट कैंसल किया जावेगा, तो क्या आप इस पर स्टिक करेंगे या यह कह देंगे कि खातेदारी राइट एक्रू हो गये उनको? कह देंगे एडवोकेट जनरल की राय लेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। तो इस वचन पर तो आप पाबन्द हैं कि ऐसी फाइन्डिंग होने पर कैंसल कर देंगे। नहीं तो, यहां पर यह कहने वाले हैं, क्या करें, खातेदारी राइट हो गये। फिर फायदा क्या है ऐसी जांच करा ने का। क्या जरूरत है? आप स्टिक करें। नहीं तो बाद में कहेंगे कि खातेदारी राइट्स पैदा हो गये।

(शोरगुल)

इसलिये इस बात का स्पष्टीकरण करें कि स्टिक करेंगे। खातेदारी राइट हो गये इसलिये कैसे कैंसिल किया जावे, यह नहीं कहेंगे इम्प्रोपर अलॉटमेन्ट की फाइन्डिंग होने के बाद।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वकील होकर इस तरह की बात करते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चीफ मिनिस्टर कैसे करवा देंगे कानून के खिलाफ। चीफ मिनिस्टर भी तो कानून से ही करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : धोखा है फिर यह तो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, इस बहस को कन्टीन्यू रखने के पक्ष में मैं नहीं हूं, इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं कि the demands may now be put to vote.

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री,वित्त) : Demands must be put to vote.

श्री भैरोंसिंह : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप कोई भी निर्णय दें उसके पहले हाउस को एडजॉर्न किया जाये, मैं इसका विरोध करता हूं और इसलिए विरोध करता हूं कि उन्होंने जो यह कहा है कि हाउस चलने नहीं दिया जाता इसलिए सदन को एडजॉर्न किया जाये, मैं उसका विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके ऊपर चार्ज लगाता हूं हाउस में कि वे इस प्रकार के ट्रेडीशन्स कायम करना चाहते हैं और माननीय सदस्यों की भावनाओं के विपरीत मुख्य मन्त्रीजी ने जो शब्द यहां कहे हैं और उनके विपरीत जो सदस्य आचरण करते हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता और हाउस जो सुप्रीम ऑथोरिटी है उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि सदस्य कोऑपरेट नहीं करते। मैं इसलिए इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक तरीका यह हो सकता है आप चाहें तो किसी और तरह का प्रस्ताव रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो नाम का प्रस्ताव हाईकोर्ट जज के बारे में माननीय सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने रखा है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक -९भू-राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को...

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) माननीय उपाध्यक्षजी,....

(भारी शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, हाउस चलेगा....

(व्यवधान–शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : २,३५,४५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये ?

जो इसके पक्ष में होवे 'हां' कहें।

(शोरगुल)

जो विपक्ष में होवे 'ना' कहें।

(शोरगुल–घंटी)

(विरोधी पक्ष के सभी सदस्यों द्वारा जोर जोर की आवाजें)

विपक्ष के माननीय सदस्य : हाउस चलेगा।

(पुनः भारी शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के द्वारा...

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया कि वे हाई-कोर्ट के किसी जज को इसकी जांच के लिए नियुक्त करना चाहते हैं अथवा नहीं...

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले ही माननीय सदस्यों को निवेदन कर चुका हूं कि जो कुछ माननीय सदस्यों को कहना था उन्होंने कहा और जो कुछ माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहना था वह उन्होंने कहा। अब इससे आगे सदन अपने अख्तियार से कोई बात नहीं कर सकता। जो कुछ था वे तथ्य सारे रेकॉर्ड पर आ चुके हैं और इसमें तो केवल आज यदि माननीय सदस्य अब इस कार्यवाही को समाप्त होने की इजाजत दें तो अच्छा होता। बाकी इसका निर्णय यहां बैठ कर तो कोई हो नहीं सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज तो सारी रात्रि कार्यवाही चलेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : यदि इस प्रकार से होगा तो इस मांग के ऊपर वोटिंग कराना आवश्यक होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्रीजीने कहा, मैं उसके सम्बन्ध में एक इम्पोर्टेन्ट बात कहना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इसके लिए हाईकोर्ट के जज को नियुक्त कर दिया जाये....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : The chair is on its legs और फिर भी बोले जा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कि वे रेवेन्यू बोर्ड के किसी भी मेम्बर को इसके लिए जांच करवाने के लिए तैयार हैं और हम यह चाहते हैं कि हाईकोर्ट जो कि एक जुडिशियल की हाइएस्ट ऑथोरिटी है उसके जज को नियुक्त किया जाये...

श्री उपाध्यक्ष : यह बात सारी हो चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि...

श्री गिरधारीलाल व्यास : फिर बोले जा रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष जी, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी के परिवार के सदस्यों के खिलाफ इल्जाम है और मुख्य मंत्रीजी उसकी किसी प्रकार से...

श्री गिरधारीलाल व्यास : मुख्य मंत्रीजी की फेमिली पर कोई इल्जाम नहीं है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब में सरदार प्रतापसिंह कैरों ने स्वयं ने क्या किया था, उसने स्वयं ने कुछ न किया हो, लेकिन अपनी फेमिली के लिए जो कुछ किया और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की जांच के लिए नियुक्ति हो जाये और हमारे यहां हाईकोर्ट के जज की इसके लिए नियुक्ति न हो, यह उपयुक्त नहीं है। पंजाब में जैसे सुरेन्द्रसिंह कैरों का मामला था वही हाल है। यह बात तो हाईकोर्ट के सामने साबित होगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी का अलॉटमेंट कराने में खुद का हाथ था या नहीं था और माननीय मुख्य मंत्रीजी हाईकोर्ट के जज को मुकरर कराने से इसलिए इन्कार कर रहे हैं कि उनको इसके लिए खतरा है कि कहीं वह उनके खिलाफ फैसला न दे दे...

श्री गिरधारीलाल व्यास : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर,...

(भारी शोरगुल)

(श्री गिरधारीलाल व्यास औचित्य प्रश्न उठाते रहे और श्री रामानन्द अग्रवाल भाषण करते रहे)

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो जमीनों का अलॉटमेंट हुआ है यह सब हाईकोर्ट के जज ही केवल निष्पक्षता से राय दे सकते हैं

श्री गिरधारीलाल व्यास : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय स्वयं कुर्सी पर खड़े हुए हैं और जो कुछ यह बोल रहे हैं कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, इनको रोका जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर इसकी मांग करूंगा कि ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामानन्द आप भाषण कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

(भारी शोरगुल, के कारण अश्रव्य)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय,....

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : (श्री रामानन्द अग्रवाल के बोलते रहने पर) उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोका जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच की जाये और हाईकोर्ट के जज के जरिये जांच कराई जाये। इस अलॉटमेंट के अन्दर कुछ ऑफिसर्स का भी हाथ हो सकता है और इसके अन्दर चीफ मिनिस्टर साहब का डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली किसी तरीके का हाथ नहीं है, यह वहां साबित हो जायेगा।....

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आप जरा बैठ जाइये, मेरी बात भी सुन लें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको (श्री रामानन्द अग्रवाल) ४ घंटे का भाषण चालू करवा दीजिये ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज़ ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें चीफ मिनिस्टर साहब इन्वोल्व्ड हैं, उनकी ऑनेस्टी इन्वोल्व्ड है। इस तरीके से जो बात कही गई है...

श्री हरिश्चन्द्र : आप ही बोलेंगे या दूसरों को भी बोलने देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसकी सत्यता तो हाई कोर्ट के सामने ही आ सकती है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से काम नहीं चलेगा ।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : रेवेन्यू बोर्ड के किसी भी मेम्बर को इसकी जांच देना चाहें तो यह करके तो आप अपने सबऑर्डिनेट से फेवर कराना चाहते हैं, अपनी पोजीशन का नाजायज़ फायदा उठाना चाहते हैं । अगर आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो वह हाई कोर्ट का जज ही निष्पक्ष जांच कर सकता है....

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कह रहा हूं आप सुनिये तो सही....

(भारी शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग अब आप स्वीकार करायें ।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य : No.

(शोरगुल)

विरोधी पक्ष : No. No.

(विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगे और बोलते गये और शोरगुल के कारण अश्रव्य साथ, साथ राज्य पक्ष की ओर से भी शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९–भू– राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को २,३५,४५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

(सदन के दोनों पक्षों की ओर से निरन्तर शोरगुल व मेजों का थपथपाना)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०– वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१६,३३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(सदन में निरन्तर कोलाहल)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६- विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९४,९२,००० रु० की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन में निरन्तर कोलाहल जारी रहा)।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ७ बज कर २५ मिनिट पर दिनांक २३ मार्च, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२८ का उत्तर देखिये)

१.	सन् १९५४-५५	रु०	६.७५	प्रति मण
२.	सम् १९५५-५६	रु०	६.५०	„
३.	सम् १९५६-५७	रु०	८.७५	„
४.	सम् १९५७-५८	रु०	७.५०	„
५.	सन् १९५८-५९	रु०	१७.९५	„
६.	सम् १९५९-६०	रु०	२५.२५	„
७.	सन् १९६०-६१	(१)	३२.६०	„
		(२)	३३.७०	„
		(३)	३३.२५	„
		(४)	२४.२५	„
८.	सम् १९६१-६२	रु०	२२.२५	„
९.	सम् १९६२-६३	रु०	७५.७५	प्रति क्विन्टल
१०.	सन् १९६३-६४	रु०	७४.००	„

परिशिष्ट २ [४७३८

((कृपयां तारांकित प्रश्न संख्या ४३४ का उत्तर देखिये)

नकल आदेश एस० डी० एम कोर्ट निम्बाहेड़ा दिनांक २८-४-६४

मु० न० ४ सन् १९६४

सेल्स टैक्स विभाग, मुस्तगीस — मगनीराम बालचन्द राजोरा सा० निम्बाहेड़ा।

एफ १६ (१) सेल्स टैक्स।

२८-४-६४

अभियुक्त मय वकील के हाजिर है पैरोकार एक्सइज भी हाजिर है। शहादत के लिये उनका कहना है कि material witness श्री पालीवाल है जो आज सरकारी कारणों से नहीं आ सकते हैं और पहिले उनका बयान कराना चाहते हैं। वकील अभियुक्त का कथन है कि आज Complainant हाजिर नहीं है अतः मुकदमा खारिज किया जाना चाहिये। पैरोकार एक्साइज़ का कहना है कि वो तो Complainant जो बयान के लिये ही नहीं पेश करना चाहते हैं Complainant का बयान कटाना आवश्यक ही है नहीं तो मुकदमे की असलियत पर पूरा प्रकाश नहीं पड़ सकता परन्तु फिर भी कोर्ट Complainant को मजबूर तो नहीं कर सकती कि वह हाजिर आये या नहीं।

आज जब मुकदमे की सुनवाई है Complainant को हस्ब दफा २४७ जा० मां० हाजिर होना लाजमी था या उसकी हाजिरी माफी की दर्ख्वास्त होनी चाहिये थी। न तो स्वयं हाजिर है न उनकी हाजिरी dispense with धारा २४७ जा० फो० तहत की गई। ऐसी हालत में अभियुक्त उस पर लगाये गये जुर्म से हस्ब दफा २४७ जा० फो० बरी किया जाता है।

सही— श्री जयशंकर जी,
२८-४-६५।

शुद्धि–पत्र

(कार्य-विवरण-सोमवार, दिनांक, २२ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४३५७	९–१०	राजस्व पंचायत	राजस्व, पंचायत
४३६०	४	सदस्यसहाडा	सदस्य सहाडा
४३६४	अन्तिम से ७	श्री जुझासिंह	श्री जुझारसिंह
४३७३	२२	श्री कृष्णकुमार	श्री कष्णकुमार
४३७४	शीर्षक	तरांकति	तारांकित
४३७७	८	अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
४३८१	शीर्षक	२२ माच	२२ मार्च,
४३८५	१४	श्री ड्डा)	श्री लड्ढा)
४३८६	१०	भाई :	भाई) :
४३८७–८८	शीर्षक	प्रश्नात्तर–२२ मार्च, ६५–तारोकित	प्रश्नोत्तर–२२ मार्च, ६५–तारांकित
४४०५	शीर्ष	लड्ढ)	लड्ढा)
४४१८	शीर्षक	४३१८	४४१८
४४२०	अन्तिम से ६	रेकरिग	रेकरिंग
४४२१	शीर्ष	(सम्पत्तिलाल बौहरा)	(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)
४४२३	,,	वर्दिया)	वर्दिया)
४४२५	शीर्षक	–२१ मार्च	–२२ मार्च
,,	१६	चूंडाव	चूंडावत
४४३८	शीर्षक	प्रश्नोतर	प्रश्नोतर
४४४२	,,	ततारांकित	अतारांकित
४४४४	,,	अतारांकित प्रश्नोत्तर	शिक्षा की मांग विषयक वाद-विवाद
४४५०	,,	विविध	विविध विभाग
,,	६	(त्रारां–सु०) ।	(बारां–सु०) :
४४५१	शीर्ष	श्री दयाचन्द	(श्री दयाचंद
४४५२	शीर्षक	विविध	विविध विभाग
४४५६	,,	विवध	विविध
४४६०	शीर्षक	विभाग	विभाग
४४६३	शीर्ष	(श्री जयनारायण सालोदिया)	(श्री विजयसिंह झाला)
,,	५	मांग संख्या २	मांग संख्या १
४४६७	शीर्ष	(श्री वालचन्द	(श्री बालचंद

(२)

१	२	३	४
४४६६	अन्तिम से ६	श्री चतुर्भज	श्री चतुर्भुज
४४७५	शीर्ष	(श्री दुग बाढ़दार)	(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
४४७७	१२	माग	मांग
४४८६	शीर्षक	वन एव	वन एवं
४४८७	,,	२२ माच	२२ मार्च
४५०६	१२	(शेम-क्षेम)	—
४५१५	अन्तिम से६,५	: (आसपुर)	(आसपुर):
४५१६	शीर्षक	२'मार्च ; ६५–एवं विविध	२२ मार्च, ६५-भू–राजस्व, वन एवं विविध
४५१६	१४	: (नसीराबाद)	(नसीराबाद) :
४५२२	११	लना हो	लेना हो
,,	२३	बीडको	बीड़ को
,,	२८	पचायत	पंचायत
४५२५	१६	वे आये	वे आयें
४५२६	१५	जुडिशियल	जुडिशियल
,,	अन्तिम से ७	सभा की	सभा की.
४५३१	शीर्ष	(श्री मुरलीधर	(श्री मुरलीधर
,,	अन्तिम से २	बिशनोई	बिश्नोई
४५३४	२४	पाटनी पी. सी. सी.	पाटनी, पी० सी० सी०
,,	अन्तिम से ५	the of the	the end of the
,,	,, ,, ४	havebeen	have been
४५३७	,, ,, ६	श्री मुरलीधर	श्री मुरलीधर
३५३८	,, ,, ७	रखे थे कि	रखे थे.
,,	अन्तिम	कर ली है उस	कर ली है, उस
४५३९	अन्तिम से१२	: (साचोर)	(सांचोर) :
४५४०	२	मुख्म मंत्रीजी	मुख्य मंत्रीजी
,,	६	ग्राश्वाशन	आश्वासन
४५४१	४	कहू दू आप	कह दूं, आप
४५४२	अन्तिम से ६	(पिडावा)	(पिडावा)
४५६४	४	16th	1/6th
४५६५	६	the land	"..... the land
४५६७	४	Most	"Most

१	२	३	४
४५६७	अन्तिम से ११	inevading	in evading
४५७०	८	श्री ड्ढा	श्री लड्ढा
४५७६	२०	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
४५८२	६	कलेक्टरको	कलेक्टर को
४५८४	शीर्ष	वन एव	वन एवं
४५६०	१२	सहुलियते	सहूलियतें
४५६४	अन्तिम से ३	वना । लाखों	वना लाखों
४५६८	शीर्षक	विवध	विविध
४६०५	२१	ना करें	न करें
४६०६ व			
४७२६	शीर्षक	विविध	विविध
४६०७	१६	जिन की	जिनको
,,	२५	आती है	आती हैं
४६२०	अन्तिम से २	श्री जयनारायण	श्री जयनारायण
४६२५	,, ,, ५	श्रीं उपाध्यत्त	श्री उपाध्यत्त
४६२६	शीर्षक	४३२६	४६२६
४३३७	शीर्ष	(श्री उमरावसिह	(श्री उमरावसिंह
६४५२	अन्तिम से ८	श्री रामप्रशाद	श्री रामप्रसाद
४६५६	१७	श्री सतीसचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
,,	२३	as figcs	as facts
५६६८	शीर्षक	विमाग	विभाग
४६८४	७	श्री रामप्रशाद	श्री रामप्रसाद
४६८८ व			
४७०६	शीर्षक	विविघ	विविध
४६६३	६	श्री रामपसाद	श्री रामप्रसाद
४६६४	२२	,,	,,
४६६८	२	(वगेड़ा)	(बनेड़ा)
४७११	प्रथम	हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
४७२२	अन्तिम से ८	श्री रामानान्द	श्री रामानन्द
४७३४	शीर्षक	विविध	विविध
,,	१५	अश्रव्य साय, साथ	अश्रव्य, साथ साथ
४७३८	शीर्ष	परिट	परिशिष्ट